राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 8] दसवीं विधान सभा के आठवें सत्र का 59वां दिवस [संख्या : 12

बुधवार,

19 मार्च, 1997

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

मांग

माननीय सदस्यों का निलम्बन एवं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही वापस लेने की मांग

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये तो सही ।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : प्रश्नकाल चलेगा, प्रश्नकाल ।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : नहीं चलेगा, आपको बात सुननी पड़ेगी ।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल शुरू करने से पहले मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, मुझे आशा और विश्वास है कि आप सहृदयतापूर्वक मुझे अवसर प्रदान करेंगे । साथ ही सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक महोदय को मेरा अनुरोध है कि आप उनको नियंत्रित करने का .. (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है या भाषण हो रहा है ? (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : आपका प्रश्न लगा हुआ है, माननीय रतनलाल जी, आप तो प्रश्न बोलिए ।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि... (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है या भाषण है ?

श्री कालूलाल गूजर : पहला प्रश्न आपका है, माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछिये ।

श्री रतनलाल ताम्बी : (व्यवधान) सत्र का प्रारम्भ हुआ एक गतिरोध पैदा होकर "प्रजातान्त्रिक मूल्यों का जिस प्रकार राजस्थान में + + + मैं समझता हूं (व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 188 भीलवाड़ा जिले से सम्बन्धित है, माननीय सदस्य का प्रश्न है और हम भी इसमें इंट्रस्टेड हैं । (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : वे नारे लगा रहे थे, माननीय विधायक को पीट रहे थे और विधायक मंत्री को पीट रहे थे तो ऐसी स्थिति में (व्यवधान) ...मुझे अवसर प्रदान किया जाये ।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछ रखा है इसलिए यह प्रश्न लिया जाए । अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 188 भीलवाड़ा जिले का प्रश्न है पहले वह लिया

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(श्री कालूलाल गूजर)

जाए वह बहुत इम्पोर्टेन्ट है (व्यवधान) ... अध्यक्ष महोदय, हम भी भीलवाड़ा जिले के निवासी हैं, प्रश्न संख्या 188 बड़ा इम्पोर्टेन्ट है, इसलिए माननीय रतनलाल जी ने जो प्रश्न रखा है उसको लिया जाए। मंत्री महोदय, जवाब दीजिये, प्रश्न संख्या-188.

श्री रतनलाल ताम्बी : (व्यवधान) सदस्यों का निष्कासन किया उसके पहले आधा घण्टे के लिए विधान सभा स्थगित की और स्थगित करने के बाद वापस (व्यवधान) आपने न घण्टी बजाई और उसके बाद आपने पांच सदस्यों को सदन से निष्कासित किया (व्यवधान) उन पर क्या आरोप थे, न आरोप रखे .. (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : पहले आप सदन को नियंत्रित कीजिये, अध्यक्ष महोदय। यह सदन मान मर्यादा में चले। (व्यवधान)

(प्रतिपक्षी सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : बहुमत के आधार पर राजस्थान की आवाज को बन्द करना चाहते हैं (व्यवधान)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या–188

श्री अध्यक्ष : श्री रतनलाल ताम्बी।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) जी, हां। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन के पदों से एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पूर्व की सिफारिशों को रिव्यू करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दि. 13-1-1995 को सम्पन्न हुई थी। नियमानुसार 50 प्रतिशत पद योग्यता के आधार पर भरे जाने थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाला चिकित्सा पदोन्नति हेतु पात्र होता है। रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर जारी किये गये आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी, नहीं। प्रक्रिया और मानदण्ड के विरुद्ध चयन नहीं किया गया।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रक्रिया एवं नियमों के आधार पर अभिलेखों का परीक्षण कर डॉ. बी. डी. माहेश्वरी का पदोन्नति हेतु चयन किया गया है।

(5) डा. बी. डी. माहेश्वरी के चयन से प्रभावित होने वाले चिकित्सक डा. एस. के. भटनागर द्वारा डा. माहेश्वरी के चयन के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जो माननीय न्यायालय के विचाराधीन है।

(पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री रतनलाल ताम्बी : (व्यवधान) इस प्रकार के हालात पैदा हो गये (व्यवधान) यह भारतीय जनता पार्टी का अन्तरद्वंद्व अनुशासनहीनता के कारण हुआ और आज उससे राजस्थान में घोर अन्याय की स्थिति पैदा हो गई।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : (व्यवधान) कर्ज ले-लेकर राजस्थान की जनता को कर्जदार बना दिया।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

(विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)

एक माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

एक माननीय सदस्य : (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्नकाल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य रोज सदन का बायकाट कर रहे हैं (व्यवधान)

प्रश्न संख्या–189

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–190

श्री रामस्वरूप मीणा।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : (व्यवधान) सदन के अन्दर + + + (व्यवधान) उनको हम उजागर करेंगे। + + + निवाई के + + + (व्यवधान) हम घोटाले का आभास कराएंगे (व्यवधान) फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया का + + + (व्यवधान)

प्रश्न संख्या– 191

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम गंगानगर।

(बोलने के लिये खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : (1) जी, हां। 16 अक्टूबर, 1996 से 16 जनवरी, 1997 तक का विवरण संलग्न है।)

(2) संलग्न विवरण के अनुसार अमर सिंह ब्रांच में हरियाणा से प्राप्त हुए पानी में विशेष कमी नहीं है, परन्तु जसानर ब्रांच में अधिक कमी नहीं रही है। इस कमी को पूरा कराने के लिए एक वृत्त कार्यालय चण्डीगढ़ में कार्यरत है जो हरियाणा अधिकारियों से बराबर सम्पर्क कायम कर पूरा पानी प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा विभाग द्वारा हर स्तर पर पूरा पानी प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जाता है।

(3) 180 क्यूसेक्स पानी का कोई भी मामला विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। विभाग द्वारा उक्त दोनों ब्रांचों में पूरा पानी प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाते रहे हैं।

(पूर्ण प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

प्रश्न संख्या–192

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–193

श्री शांतिकुमार धारीवाल।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

श्री चुन्नीलाल धाकड़।

विधान सभा क्षेत्र बेगूं के अपूर्ण राहत कार्य

194. श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

विधान सभा क्षेत्र, बेगूं में वित्तीय वर्ष 1995-96 व 1996-97 में अकाल राहत के कुल कितने कार्य स्वीकृत हुए और उन पर कितनी कितनी राशि स्वीकृत एवं व्यय की गयी ? शेष अधूरे कार्य कौन कौन से रहे तथा उन्हें सरकार कब तक पूर्ण करने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास (श्री सांवरलाल जाट) : वर्ष 1995-96 व 1996-97 में विधान सभा क्षेत्र बेगूं में अकाल राहत के अन्तर्गत 289 कार्य स्वीकृत किये गये। राहत कार्यों पर स्वीकृत की गयी राशि व व्यय की गयी राशि का विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट-1) अधूरे रहे 55 कार्यों का विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-2) अकाल राहत कार्य मानसून आने पर बुवाई तक ही के लिये चलाये जाते हैं, इसलिए कुछ कार्यों का अधूरा रहना स्वाभाविक है। इन कार्यों की बजट की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित विभाग अपनी योजनाओं की प्राथमिकता को ध्यान में रखकर पूर्ण कराने का प्रयत्न करते हैं। अकाल राहत कार्य प्रारम्भ करते समय ही विभागों को ये आदेश दे दिये गये थे कि कार्य अधूरे रहने पर कार्यों को पूर्ण करवाने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभागों की होगी। सम्बन्धित विभागों को इस सम्बन्ध में पुनः लिखा जा चुका है। ग्रामीण विकास अभिकरणों को भी कार्य पूर्ण कराने बाबत निर्देश दिये गये हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चुन्नीलाल धाकड़ : (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अकाल राहत मंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि आपने हमारे बेगूं क्षेत्र की अकाल राहत स्थिति को देखते हुए (व्यवधान)....

प्रश्न संख्या–195

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह (महुवा)–अनुपस्थित।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–196

श्री दयाराम परमार– अनुपस्थित।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें) (व्यवधान)

प्रश्न संख्या–197

श्री विष्णु मोदी– अनुपस्थित।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें) (व्यवधान)

श्री फूलचन्द मीणा।

माही परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास प्रकरण

198. **श्री फूलचन्द मीणा** (सलूम्बर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

माही परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास के बारे में अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? विस्थापितों में से कितनों को मुआवजा देना बकाया है ? प्रभावित लोगों को पुनर्वास, मुआवजा अदा करना और एवज में भूमि आबंटन करने का कार्य कब तक पूरा करना था ? अब तक कार्य पूरा नहीं होने के क्या कारण हैं ।

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : अध्यक्ष महोदय, माही परियोजना के जल भराव स्तर 921 फीट से प्रभावित विस्थापितों को उनकी सम्पत्ति (मकान, भूमि, पेड़ एवं कुआं) का मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है। विस्थापितों को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्वास मापदण्डों के अनुसार उन्हें बांसवाड़ा जिले की विभिन्न 72 पुनर्वास बस्तियों में बसाया जाकर आवश्यक नागरिक सुविधाएं जैसे पेयजल, कुआं, हैण्डपम्प, स्कूल भवन, चिकित्सालय भवन, पंचायत घर, सम्पर्क सड़कें आदि सुविधाएं प्रदान की जा चुकी है। इनमें से खान्दु कालोनी में उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त विद्युतीकरण एवं जल प्रदाय योजना भी प्रदान की गयी है । वर्तमान में किसी भी विस्थापित को मुआवजा भुगतान करना शेष नहीं है । प्रभावित लोगों का पुनर्वास, उनकी प्रभावित सम्पत्ति का मुआवजा भुगतान एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत मापदण्डों के अनुसार खातेदार विस्थापितों को कृषि भूमि का आबंटन का कार्य वर्ष 1984-85 तक पूर्ण कर लिया गया था । विस्थापितों के पुनर्वास पर माही परियोजना द्वारा अब कोई कार्यवाही नहीं की जानी है। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा सदन में लगातार नारेबाजी)

प्रश्न संख्या-199

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-200

श्री रिछपाल सिंह ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-201

श्री गुलाबसिंह जी शक्तावत ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-202

श्री परसादी लाल मीणा ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-203

श्री रामगोपाल बैरवा ।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न संख्या-204

श्री हीरालाल इन्दौरा।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-205

श्रीमती मनोरमा सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-206

श्री लक्ष्मण सिंह रावत।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या-207

श्री मगराज चौधरी।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में उपलब्ध सुविधाएं

208. श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) (श्री रामरिछपाल नुवाल के स्थान पर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में चिकित्सा सम्बन्धी क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हैं ?

(2) इस चिकित्सालय में कितने वरिष्ठ कनिष्ठ चिकित्सक, मेल नर्स प्रथम व द्वितीय श्रेणी के वर्तमान में पदस्थापित हैं एवं कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इस चिकित्सालय में कितने रोगी वाहन उपलब्ध है ? क्या इनका उपयोग रोगियों की सुविधा हेतु किया जाता है ?

(4) क्या सरकार इस चिकित्सालय में गहन चिकित्सा इकाई एवं बर्निंग केयर वार्ड स्थापित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में निम्नलिखित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही है :-

1. बाह्य रोगी, अंतःरोगी एवं शल्य क्रिया से उपचार व्यवस्था।
2. एक्सरे।
3. सोनोग्राफी।
4. प्रयोगशाला सम्बन्धी परीक्षण।
5. ब्लड बैंक सुविधा।
6. फिजियोथेरेपी।
7. बर्न/आई.सी.यू.।
8. ईकोकार्डियोग्राफी।

(2) महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा में पदस्थापित एवं रिक्त पदों की सूचना निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पदनाम	पदस्थापित	रिक्त पद
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	11	—
2.	उप नियंत्रक	1	—
3.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	11	—
4.	व चि. अधिकारी	8	1
5.	चि. अधिकारी	17	7
6.	नर्स श्रेणी प्रथम	36	—
7.	नर्स श्रेणी द्वितीय	78	3

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(सदन में अनेक प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

(3) महात्मा गांधी चिकित्सालय में एक रोगी वाहन वर्ष 1992 से उपलब्ध है वर्तमान में चालू हालत में नहीं होने से उपयोग में नहीं लिया जा रहा है। (व्यवधान)

(4) महात्मा गांधी चिकित्सालय भीलवाड़ा में इंटेंसिव केयर यूनिट एवं बर्न यूनिट सामान्य वार्डों में संचालित है।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

वन क्षेत्र स्थित खानों पर प्रतिबन्ध प्रकरण

209. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों के अनुसार वन क्षेत्र में स्थित खानों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो उदयपुर संभाग में ऐसी कितनी खानें हैं। विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन खानों पर अनेक व्यक्ति रोजगार पर थे और खानों के बन्द होने से इनके परिवार के लोगों के जीवन यापन की समस्या पैदा हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार ने इन परिवारों हेतु क्या वैकल्पिक व्यवस्था की ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो उसमें आने वाली खानें कौन-कौन सी हैं ? सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) खानों के बन्द हो जाने से राज्य को कितनी राजस्व हानि प्रतिवर्ष होगी ? क्या सरकार ने इस आदेश के विरुद्ध न्यायालय में आवश्यक परितोष पाने के लिए कोई कार्यवाही प्रस्तावित की है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खनिज मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) जी, हां। यह सही है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 12-12-96 की अनुपालना में वन क्षेत्रों में गिरने वाले खनन पट्टों में खनन कार्य बन्द करवा दिया गया है। उदयपुर सम्भाग में ऐसी 402 खानें हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है-उदयपुर 130, राजसमंद-2, डूंगरपुर-172 बांसवाड़ा-95, चित्तौड़गढ़-3.

(2) जी, हां। यह सही है कि इन खानों पर अनेक व्यक्ति रोजगार पर थे और इन खानों के बन्द हो जाने से इनके परिवार के लोगों के जीवन-यापन की समस्या पैदा हो गयी है, जिसके लिए सरकार उक्त बन्द खानों को पुनः चालू कराने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक पट्टेधारी से आवश्यक प्रपत्र तैयार करवा कर वन विभाग के माध्यम से केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को भेजकर खनन पट्टे के अधीन समुचित वन भूमि को खनन प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने की अनुमति प्राप्त कराने की कार्यवाही कर रही है।

(श्री कैलाश मेघवाल)

(3) वर्तमान में सरकार द्वारा वन क्षेत्रों का कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया गया है। वन विभाग द्वारा अंकित रक्षित आरक्षित वन सीमा के अन्दर आने वाली खानों का ब्यौरा इस प्रश्न के भाग–1 के उत्तर में दर्शाया गया है।

(4) उदयपुर संभाग के वन क्षेत्रों में स्थित खानों के बन्द हो जाने से राज्य सरकार को करीब 19 करोड़ 50 लाख रुपये के राजस्व की हानि प्रति वर्ष होगी। राज्य सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया है कि वन भूमि में खनन हेतु छह माह की अवधि प्रदान करें ताकि इस मध्य वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रावधानानुसार भारत सरकार से खनन कार्य हेतु अनुमति प्राप्त की जा सके। तथापि माननीय न्यायालय ने अभी तक तदनुसार परितोष प्रदान नहीं किया है। (व्यवधान)

(सदन में अनेक माननीय सदस्यों द्वारा लगातार नारेबाजी)

प्रश्न संख्या–210

श्री अध्यक्ष : श्री फतेहसिंह।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

जालौर एवं सिरोही जिले के सड़क-विहीन पंचायत मुख्यालय

211. श्री जयन्ति लाल कोली (रेवदर) एवं **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जालौर एवं सिरोही जिलों में पिछले तीन वर्षों में कुल कितने पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दोनों जिलों में अब कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ने शेष हैं? इन्हें कब तक जोड़ने की सरकार की योजना है?

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) **सार्वजनिक निर्माण मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, (1) (अ) जालौर जिले में पिछले वर्षों में 66 पंचायत मुख्यालय डामर से, 29 पंचायत मुख्यालय मेटल से तथा 7 ग्रेवल सड़क से जोड़े गये हैं, अर्थात् कुल 102 पंचायत मुख्यालय विभिन्न सड़कों से जोड़े गये हैं।

(ब) सिरोही जिले में पिछले तीन वर्षों से 5 पंचायत मुख्यालय डामर सड़क से, 3 पंचायत मुख्यालय मेटल सड़क से तथा 4 ग्रेवल सड़क से जोड़े गये हैं। अर्थात् कुल 12 पंचायत मुख्यालय विभिन्न सड़कों से जोड़े गये हैं। (सूची परिशिष्ट–(अ) में दर्शायी गयी है)

(2) (अ) जालौर जिले में चार पंचायत मुख्यालय ईटादा, जोरादर, भाटकी वह टापी सड़क से जुड़ने शेष हैं, जिन्हें राज्य सरकार की सड़क नीति के अनुसार सड़क से जोड़ने हेतु इसी वित्तीय वर्ष में तीन पंचायत मुख्यालय टापी, जोरादर एवं ईटादा को ग्रेवल सड़क से जोड़ने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। (व्यवधान) शेष एवं पंचायत मुख्यालय भाटकी की

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

आंशिक स्वीकृति जारी की चुकी है तथा शेष स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जालोर से अपेक्षित है।

(ब) सिरोही जिले में कोई भी पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ना शेष नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री जयन्ति लाल कोली : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मुझे न तो प्रश्न का पूरा जवाब दिया है और ना ही मेरे पास पूरा जवाब आया है। मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने सिरोही जिले में जिस तरह से आपने बताया कि एक भी पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़ा हुआ बाकी नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कादर, रोंवा और घान ये चार पंचायत मुख्यालय हैं जो सड़क से नहीं जोड़े गये हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सिरोही जिले में एक भी पंचायत मुख्यालय सड़क से नहीं जोड़ा गया है, उनको सड़क से जोड़ने के लिए आप यहां पर आश्वासन दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस चार पंचायत मुख्यालयों की चर्चा की है, मेरी सूचना के अनुसार ये ग्रेवल सड़क से जुड़े हुए हैं। किन्तु जैसा माननीय सदस्य ने कहा मैं इसकी जांच करवाऊंगा और अगर पाया गया तो उनको जोड़ने की व्यवस्था की जाएगी।

(विपक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : यह नारेबाजी अंकित नहीं करें। श्री विजयेन्द्रपाल सिंहजी। श्री राजेन्द्र राठौड़ के अलावा किसी का अंकित नहीं करें।

राज्य में परिवार कल्याण योजना पर व्यय

212 श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसींद) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) परिवार कल्याण योजना के लिए सरकार ने कितना व्यय किस मद में विगत 5 वर्षों में किया है? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार को इस कार्य में विगत 5 वर्षों में क्या उपलब्धियां प्राप्त हुयीं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) परिवार कल्याण में कितनी मदद किस-किस रूप में विदेशों से प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार ने 2000 ए पी. में क्या लक्ष्य रखे हैं और उसको प्राप्त करने हेतु क्या सरकार इसमें कोई नया विचार एवं चिन्तन रखती है जिससे आबादी नियन्त्रण में सहायता मिल सके?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (**श्री राजेन्द्र राठौड़**) : (1) परिवार कल्याण योजना में मदवार गत 5 वर्षों में निम्न प्रकार व्यय हुआ है :—

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वर्ष	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना	आयोजना भिन्न	आयोजना
1991–92	5362.66	406.64	—
1992–93	5916.56	431.81	49.17
1993–94	7220.18	490.71	429.60
1994–95	9950.83	536.63	242.42
1995–96	10318.68	406.38	579.05

योजना मदवार विवरण संलग्न है।

(2) परिवार कल्याण के साधनों में विगत 5 वर्षों में उपलब्धि परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध है।

(3) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार से ही राशि प्राप्त होती है। विश्व बैंक द्वारा संचालित योजनाएं एवं यू.एन.एफ.पी.ए. द्वारा संचालित योजनाओं के लिए भी राशि भारत सरकार के माध्यम से प्राप्त होती है। गत पांच वर्षों में भारत सरकार से परिवार कल्याण कार्यक्रमों में प्राप्त राशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

क.सं	वर्ष	राशि
1.	1991–92	4251.06
2.	1992–93	5619.50
3.	1993–94	6549.94
4.	1994–95	9621.90
5.	1995–96	9110.23

भारत सरकार से प्राप्त राशि में से सी.एस.एस.एम. प्रोजेक्ट एवं भारतीय जनसंख्या परियोजना जो कि विश्व बैंक की सहायता से चलाई जा रही है एवं यू. एन. एफ. पी. ए. की सहायता से जो राशि प्राप्त हुई है उसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	सी.एस.एस.एम. प्रोजेक्ट	यू.एन.एफ. पी.ए./वाई. पी.पी.
1991–92	101.64	1200.00
1992–93	156.66	62.50
1993–94	163.10	132.50
1994–95	164.05	2165.00
1995–96	175.30	2306.00

(4) भारत सरकार ने 2000 ए. डी. तक निम्न लक्ष्य रखे हैं और उनको प्राप्त करने के प्रयास राजस्थान कर रही है।

जन्म दर–21 प्रति हजार
मृत्यु दर– 9 प्रति हजार
शिशु मृत्यु दर–60 से कम प्रति हजार जीवित जन्म

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

योग्य दम्पत्ति संरक्षण दर–60 प्रतिशत
वार्षिक वृद्धि दर–1.2 प्रतिशत
प्रसव मातृ मृत्यु दर–2 प्रति हजार

इन उपरोक्त लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एवं जनसंख्या पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु वर्ष 1996–97 से लक्ष्यविहीन पद्धति अपनाया गया है। नवीन रणनीति में कार्यक्रम में नसबन्दी पर ही केन्द्रित न रहकर अन्तराल साधनों, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, गर्भपात, रिप्रोडक्टिव हैल्थ आदि सेवाओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है जिससे सुरक्षित मातृत्व एवं बाल्य जीवन होने पर ही परिवार कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। लक्ष्यविहीन पद्धति में लक्ष्य ऊपर से निर्धारित न होकर नीचे स्तर उपकेन्द्र पर दम्पत्ति की साधन अपनाने की इच्छानुसार निर्धारित होंगे। दम्पति की इच्छा जानने हेतु राज्य में "सम्पर्क एवं सर्वे अभियान" आयोजित कर दम्पति की इच्छा की जानकारी प्राप्त की एवं तदनुसार क्षेत्र में गुणवत्ता के साथ सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती कमला : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री शांतिकुमार धारीवाल : × × ×

प्रश्न संख्या–213

श्री अध्यक्ष : श्री हबीबुर्रहमानजी।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–214

श्री रामनारायण जी मीणा।।

(बोलने के लिए खड़े नहीं हुए : कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या–215

श्री रूपारामजी।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (**श्री ललित किशोर चतुर्वेदी**) : (1) अधिशासी अभियंता खण्ड डीडवाना को जिला विकास अभिकरण नागौर द्वारा 2 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मकराना में सम्पर्क सड़कें बनाने हेतु 190.55 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। जिसके विरुद्ध 87.87 लाख रुपये की धनराशि दी गई। विगत 2 वर्षों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" के अनुसार है।

(2) अधिशासी अभियन्ता, खण्ड डीडवाना द्वारा विगत 2 वर्षों में सड़कवार जो राशि व्यय की गई है उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" के अनुसार है।

(3) अधिशासी अभियन्ता, खण्ड डीडवाना द्वारा विगत 2 वर्षों में जिन सम्पर्क सड़कों का कार्य करवाया गया, उनकी अलग-अलग सड़कवार तखमीना रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट-"ब" के अनुसार है।

(4) जी, नहीं। सम्पर्क सड़कों का निर्माण सा. नि. वि. सक्षम अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों की सीमा में स्वीकृत तखमीने के अनुसार सम्पादित हुआ और दी गई

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

धनराशि के अनुसार सम्पादित किया जा रहा है।

(माननीय सदस्य के अनुपस्थित रहने पर भी माननीय मंत्री महोदय द्वारा सम्बन्धित प्रश्न का जवाब दिया गया)

(पूर्ण प्रनोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष : श्री चुन्नीलालजी धाकड़।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : × × ×

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री रामेश्वरलाल भाटी : × × ×

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री अध्यक्ष : आपकी तरफ भी देखता हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्री किशन गोपाल कोगटा : × × ×

श्री ओमप्रकाश शर्मा : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री शैलेन्द्र जोशी : × × ×

श्री ओमप्रकाश शर्मा : × × ×

श्री राधेश्याम गंगानगर : × × ×

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : × × ×

श्री किशन गोपाल कोगटा : × × ×

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

11.36 बजे

(तद्नन्तर सदन की कार्यवाही 12.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

अनुपस्थित/बोलने के लिये खड़े नहीं हुये माननीय सदस्यों के तारांकित प्रश्न और उनके उत्तर

राज्य में शस्त्र लाइसेंस पर रोक

189. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि शस्त्र लाइसेंस जारी न किये जाने के कारण बड़ी तादाद में अवैध हथियार राज्य में आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शस्त्र लाइसेंस जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

जी, नहीं।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

जिला सवाईमाधोपुर में खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं को अनुदान

190. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या खादी एवं ग्रामोद्योग राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाईमाधोपुर में खादी ग्रामोद्योग की कितनी संस्थाएं कार्यरत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार द्वारा इन संस्थाओं को अनुदान देने के क्या मानदण्ड हैं ?

(3) इन संस्थाओं को सरकार द्वारा वर्ष 1990 से 1995 तक कितना अनुदान दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार द्वारा इन संस्थाओं पर नियन्त्रण हेतु कोई व्यवस्था की गयी है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला सवाईमाधोपुर में खादी ग्रामोद्योग की कुल 9 संस्थाएं कार्यरत हैं । सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अनुदान उपलब्ध कराया जाता है । मानदण्डों का विवरण परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(3) वर्ष 90 से 95 तक इन संस्थाओं में से खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित जिन संस्थाओं को राज्य सरकार द्वारा दी गयी अनुदान राशि का विवरण परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(4) संस्था/समितियां राजस्थान संस्था रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 तथा राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत पंजीकृत होती है जिनका स्वयं का विधान एवं संचालक मण्डल होता है संस्था का सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं वित्तीय नियंत्रण संचालक मण्डल के अधीन होता है । कार्य के सुचारु रूप से संचालन व बोर्ड से उपलब्ध कराई गई राशियों के सही उपयोग हेतु विभागीय अंकेक्षण की व्यवस्था है एवं महालेखाकार राजस्थान द्वारा भी संस्था का अंकेक्षण कराया जाता है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का वितरण

192. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) एवं श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

माह दिसम्बर, 1996 के अन्त तक केन्द्र सरकार से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजस्थान को कितनी मात्रा में गेहूं वितरणार्थ आबंटित किया गया है उसमें से राजस्थान सरकार ने कितना गेहूं उठाया और कितना गेहूं दुकानों के माध्यम से जनता को वितरित किया गया ? वितरित किये गये गेहूं का तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(14)

उत्तर

जनवरी, 1996 से दिसम्बर, 1996 से अन्त तक केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को आबंटित किये गये एवं उठाये गये गेहूं का विवरण एवं इसमें से जिलों द्वारा तहसीलवार वितरित किये गये गेहूं का विवरण परिशिष्ट "अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा खुला विश्वविद्यालय में बी. एड. के फर्जी प्रमाण-पत्र प्रकरण

193. श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डोली) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि कोटा खुला विश्वविद्यालय में बी. एड. करने वाले छात्राध्यापकों का फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र प्रकरण सरकार की जानकारी में आया है ?

(2) यदि हां, तो कब और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य के विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में आया है।

(2) इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान की जयपुर पीठ के समक्ष सि. रि. याचिका सं. 420/96 पीटिशनर हरीश कुमार शर्मा द्वारा दायर करके वर्ष 1993-94 सत्र में बी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले आठ छात्रों को आदर्श संस्कृत मन्दिर, हिण्डौन सिटी द्वारा दिये गये अनुभव प्रमाण-पत्रों के सम्बन्ध में पुलिस को एफ. आई. आर. दर्ज कराने का आदेश देने बाबत उच्च न्यायालय में प्रार्थना दायर की गयी थी एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिक्त याचिका का निर्णय 30-10-96 को किया गया तथा पुलिस थाना वेथूनीपोल कोटा (राज.) में एफ. आई. आर. संख्या 144/96 संस्कृत शिक्षा विभाग कोटा के सम्भागीय शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध तथाकथित फर्जी रूप से आठ छात्रों के अनुभव प्रमाण-पत्र प्रति हस्ताक्षर करने हेतु दिनांक 19-9-96 को दर्ज हुई एवं अनुभव प्रमाण-पत्र जारी करने वाले संचालक एवं संस्कृत शिक्षा विभाग कोटा के दो अधिकारियों जिनके द्वारा उक्त छात्रों को अनुभव प्रमाण-पत्र प्रति हस्ताक्षर किये गये, के विरुद्ध पुलिस द्वारा अन्वेषण किया जा रहा है। तद्नुसार पुलिस विभाग के ध्यान में जो कर्मचारी/अधिकारी पुलिस के संदेह में हैं, विभाग द्वारा सी. सी. ए. के नियमों के तहत निम्नांकित को निलम्बित किया जा चुका है :—

1. श्री ओमप्रकाश सिंह, प्रवर उप जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (प्र. शि.) कोटा वर्तमान व्या. नाशा, भीम मण्डी, कोटा।

2. श्री प्रदीप चौधरी, व. अ., राज. सी. मा. विद्यालय, रामपुरा—कोटा।

3. श्री जगदीश सिंह हांडा, अध्यापक, रा. उ. प्रा. वि. छावनी कोटा।

(उच्च शिक्षा मंत्री)

4. श्री धीरेन्द्र तिवारी, व लि., रा. बा. मा. वि. छावनी, कोटा।

5. श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, व. लि., रा. बा. मा. वि. कुनाड़ी, कोटा।

6. श्री के. बी. सक्सेना, व. लि., जि. शि. अ (छात्र) कोटा।

7. श्री लक्ष्मणसिंह, च. श्रे. क., जि. शि. अ. (प्र. शि.) कोटा।

पुलिस द्वारा तहकीकात की जा रही है। पुलिस के तहकीकात के पश्चात वाद न्यायालय में पेश होने पर न्यायालय के अन्तिम निर्णय लिये जाने पर विभाग द्वारा तदनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। चूंकि प्रकरण पुलिस की तहकीकात के विचाराधीन। अतः विभाग द्वारा अभी जांच या कोई निर्णय दिये जाने का औचित्य नहीं है।

जिन विद्यार्थियों के फर्जी अनुभव प्रमाण-पत्र होने का प्रकरण उजागर हुआ है। विश्वविद्यालय से उन सभी छात्रों के प्रवेश फार्म पुलिस विभाग ने प्राप्त किये हैं तथा इसी मुकदमा सं. 144/96 में कोटा पुलिस द्वारा बी. एड. सत्र 1993-94 के 4080 प्रवेश फार्म पुलिस ने अन्वेषण के लिए लिये हैं तथा इस मामले में कार्यवाही पुलिस कर रही है।

इस मामले से पूर्व भी अन्य आठ छात्रों के शिक्षा अनुभव प्रमाण पत्र मिथ्या होने की जानकारी विश्वविद्यालय ने व्यापक जांच के बाद आठों छात्रों के अनुभव प्रमाण पत्रों को मिथ्या पाया तथा विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक को खु वि./प्रवेश/बी. एड. प्रवेश परीक्षा/93–94/94/11844–55 दिनांक 20-7-94 प्रति संलग्न के जरिये उक्त छात्रों को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया तथा जब भी विश्वविद्यालय को शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्रों के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त हुई, विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गयी है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–5 देखें)

परियोजना अधिकारी नेहरू रोजगार योजना टोंक के विरुद्ध गबन प्रकरण

195. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या आर्थिक एवं सांख्यिकीय राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि परियोजना अधिकारी, नेहरू रोजगार योजना, टोंक के खिलाफ राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, कोटा में लगभग 46 लाख रुपये के गबन से सम्बन्धित आपराधिक मुकदमा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, झालरापाटन के कार्यकाल का तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग में विचाराधीन है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आयोजना विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ. 1 (59) सांख्यिकी/94 दिनांक 1-8-1996 प्रसारित करने से पूर्व प्रमुख शासन सचिव/राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पचायती राज विभाग से पूर्ण जानकारी प्राप्त किये बिना ही

(श्री हरिसिंह)

नियम विरुद्ध आदेश प्रसारित किये गये हैं ? यदि हां, तो इसके कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार 46 लाख रुपये के गबन से जुड़े उक्त अधिकारी को निलम्बित कर अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । श्री मोहनलाल राठौड़ तत्कालीन विकास अधिकारी के विरुद्ध 46 लाख रुपये के गबन के सम्बन्ध में मुकदमा राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो, कोटा में दिनांक 17-10-94 को दर्ज कराये जाने की जानकारी इस विभाग को माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न उठाये जाने के पश्चात् ही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से प्राप्त हुई ।

(2) जी, नहीं । ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु इस विभाग द्वारा बार-बार लिखा गया, किन्तु उक्त विभाग ने इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं करायी । चूंकि श्री राठौड़ (निलंबित) को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने कार्यमुक्त करके पैतृक विभाग को भेजा तथा दो वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी श्री राठौड़ को उक्त विभाग द्वारा आरोप पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण प्रशासनिक विभाग द्वारा नियमानुसार बहाल किया गया ।

(3) उक्त प्रकरण अभी राज्य अन्वेषण ब्यूरो के यहां अन्वेषणाधीन है । अन्वेषण ब्यूरो से रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार अनुशासनात्मक एवं कानूनी कार्यवाही की जायेगी । श्री राठौड़ को पुनः निलंबित करने का मामला कार्मिक विभाग में विचाराधीन है ।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खैरवाड़ा का भवन प्रकरण

196 श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खैरवाड़ा का वर्तमान भवन पर्याप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भवन बनवाने की योजना रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में जहां उक्त स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है, वहां भवन निर्माण के लिए आवश्यक एवं उपयुक्त भूमि नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस हेतु आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । समुचित वित्तीय संसाधन एवं पर्याप्त भूमि उपलब्ध होने पर भवन निर्माण के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा ।

(2) जी, हां । समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

गुर्दा प्रत्यारोपण काण्ड के दोषी डाक्टरों का गिरफ्तारी प्रकरण

197. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नवम्बर, 1995 में प्रकाश में आये गुर्दा प्रत्यारोपण कांड की जांच थाना सोडाला व वृत्ताधिकारी, सोडाला ने प्रारम्भ की थी ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में कौन-कौन व्यक्ति दोषी पाये गये ?

(2) क्या यह सही है कि प्रारम्भ में उक्त प्रकरण सम्बन्धी जांच सामान्य कानूनों के तहत की जा रही थी और जुलाई, 1996 में प्रदेश में मानव अंग प्रत्यारोपण कानून, 1994 लागू कर दिये जाने से जांच कार्य प्रभावित हो गया ? यदि हां, तो क्या इससे अपराधियों को कई साक्ष्य नष्ट करने/मिटाने का अवसर प्राप्त हो गया जो उक्त कानून के प्रावधानों के तहत संगीन अपराध है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त कांड की जांच गुप्तचर पुलिस की अपराध शाखा को सुपुर्द कर दी गयी है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह सही है कि अपराधियों पर जांच कार्य प्रभावित करने व पीड़ित वर्ग को डराने-धमकाने के कारण जयपुर शहर के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत निरस्त करने का आवेदन किये जाने पर उक्त प्रकरण से सम्बन्धित दो डॉक्टरों की जमानत जब्त हो गयी थी ? यदि हां, तो उक्त दोनों डॉक्टरों को गिरफ्तार नहीं किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है उक्त कांड के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अभी तक मामला दाखिल नहीं हो सका ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि गुर्दा प्रत्यारोपण काण्ड से सम्बन्धित अभियोगों का आरम्भिक अनुसंधान थानाधिकारी, सोड़ाला व वृत्ताधिकारी, सोड़ाला द्वारा किया गया था। उक्त प्रकरण में डा. अरूण फोफलिया, डा. सुरेश गुप्ता, डा. बसन्त फड़िया एवं डा. संतोष उर्फ सन्नी दोषी पाये जाने पर गिरफ्तार किये जा चुके हैं तथा शेष के विरुद्ध अनुसंधान जारी है।

(2) आरम्भ से अब तक यह प्रकरण पूर्वानुसार सामान्य कानूनों के अन्तर्गत अनुसंधानाधीन है।

(3) यह सही है कि उक्त काण्ड की जांच दिनांक 22-11-95 से गुप्तचर पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है।

(4) जी, नहीं। न्यायालय द्वारा जिन शर्तों के आधार पर अभियुक्त की जमानत स्वीकृत की गयी थी। अभियुक्तगण द्वारा पालना नहीं करने पर अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत निरस्त करवाने हेतु आवेदन पत्र सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन न्यायालय है।

(5) जी, हां। जिन विदेशियों के गुर्दा प्रत्यारोपण किये गये उनकी सूचना

(गृह मंत्री)

सम्बन्धित देशों से प्राप्त नहीं हुई है, जिस हेतु पत्राचार जारी है तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी शेष है । अभियुक्तगण वाद जमानत जयपुर से फरार है जिनकी जमानत निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में प्रार्थना पत्र विचाराधीन है । जिससे प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत न्यायालय नहीं किया जा सका है ।

जिला टोंक व अलवर में संचालित योजनाएं

199. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में भ्रष्टाचार के गम्भीर मामले प्रकाश में आये हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1996-97 में जिला अलवर व टोंक के कौन-कौन से मामले प्रकाश में आये ?

(2) क्या उपरोक्त मामलों में जांच की गई ? यदि हां, तो कौन-कौन से मामलों में कब-कब जांच की गयी ? जांच रिपोर्ट की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी, अब क्या-क्या कार्यवाही की जानी शेष है तथा वह कब तक की जा सकेगी ?

(4) उपरोक्त मामलों में कौन-कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं ?

उत्तर

(1) जी, हां । टोंक जिले में विकलांगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में अनियमितताओं सम्बन्धी मामला तथा अलवर जिले में दिनांक 4-11-96 को जिला समाज कल्याण अधिकारी, अलवर के कार्यालय में विकलांग छात्रवृत्ति एवं अनुदान सम्बन्धी रिकार्ड जला दिये जाने का मामला प्रकाश में आया है ।

(2) जी, हां । टोंक जिले के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर (विकास) टोंक द्वारा 27 से 30 जून, 96 के बीच जांच की गयी तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा गठित विशेष जांच कमेटी द्वारा भी जांच की गयी। अलवर जिले के मामले में जिला कार्यालय अलवर के रिकार्ड में आग लगाये जाने के विषय में पुलिस द्वारा एफ. आई. आर सं० 552/96 दर्ज कर अनुवीक्षण किया जा रहा है, तथा विभागीय स्तर से अनुवीक्षण कार्य में पुलिस को सहयोग दिया रहा है ।

अलवर एवं टोंक जिले के प्रकरण अभी पुलिस एवं राज्य अन्वेषण ब्यूरो के अनुवीक्षणाधीन है, ऐसी स्थिति में प्रकरणों की जांच सम्बन्धी विवरण सदन पटल पर रखा जाना सम्भव नहीं है ।

(3) टोंक जिले के प्रकरण में निम्न अधिकारी/कर्मचारियों/फर्मों :—

1. श्री जगदीश नागरवाल, जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, टोंक ।
2. श्री भंवरलाल, क० लि०
3. श्रीमती सुशीला देवी त्रिपाठी, प्रो० फर्म त्रिपाठी आयल फ्लोर मिल एण्ड सप्लायर्स, टोंक

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

4. श्री आत्माराम टिक्कीवाल, प्रो० फर्म टिक्कीवाल रेडियो सेन्टर, टोंक।
5. प्रो० फर्म शर्मा ब्रादर्स, टोंक
6. प्रो० फर्म गुडलक एन्टरप्राइजेज, टोंक
7. प्रो० फर्म राजस्थान टी. वी. सेन्टर, टोंक व अन्य

के विरुद्ध राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो टोंक द्वारा अन्तर्गत धारा 13 (1) (डी) (2) पी. सी. एक्ट 1988 व 420 आई.पी.सी. के तहत परिवाद सं. 150/96 दिनांक 9-7-96 दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा टोंक जिले के अधिकारी श्री जगदीश नागरवाल को दिनांक 2-7-96 को तथा भंवरलाल क. लि. श्री रामदयाल वर्मा, व. लि. जिला कार्यालय, टोंक को 2-8-96 को निलम्बित किया गया है।

अलवर जिले के प्रकरण में पुलिस थाना कोतवाली, अलवर अन्तर्गत धारा 436, 457, 420, 120 (बी), 201 ता. हि. में मुकदमा ने 552/96 दि. 4-11-96 दर्ज किया गया। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा अभी तक विभाग के जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को आरोपित किया गया है, उनका विवरण निम्नानुसार है।

1. श्रीमती चन्द्रबाला आर्य, जि. परि. एवं स. क. अधि., अलवर कं./दि. 19. 12.
2. श्री महेशचन्द्र पारीक, तत्का. " 2043
3. श्री रमेशचन्द मीणा, क. लि. जिला कार्या. अलवर 2050
4. श्री महेशचन्द्र गुप्ता, क.लि " " 2067
5. श्री प्रहलाद मीणा, क. लि. " " 2075

(4) टोंक एवं अलवर प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारियों का विवरण एवं उन पर लगाए गए आरोपों का विवरण उत्तर संख्या 3 में अंकित कर दिया गया है। प्रकरण एवं पुलिस एवं राज्य अन्वेषण ब्यूरो के अनुवीक्षणाधीन है, अतः अन्वेषण के परिणामों के आधार पर कार्यवाही की जा सकेगी।

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के स्वीकृत कार्य

200. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना में विभिन्न योजनाओं में स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों में से कई कार्य अभी तक शुरू नहीं किये गये हैं ? यदि हां तो इन कार्यों की सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि यदि किसी कार्य का ठेका नहीं होता है तो क्या विभाग की अपने स्तर पर करने की जिम्मेदारी है? यदि हां, तो खण्ड कार्यालय मेड़ता सिटी ने इस हेतु अब तक क्या प्रगति की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र डेगाना के उक्त लम्बित सड़क निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी, हां। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (सामान्य) अन्तर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण कार्य जो अभी तक शुरू नहीं किये गये हैं। (सूची परिशिष्ट-1 पर अंकित है।)

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी, नहीं ।

(3) विधान सभा क्षेत्र डेगाना (नागौर) के उक्त लम्बित सड़क निर्माण कार्यों में से 5 कार्य के कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं व ये 5 कार्य मार्च 1997 में शुरु कर दिये जाएंगे । शेष 3 कार्यों की निविदा प्राप्त कर ली गयी है तथा ये कार्य अप्रैल 1997 में आरम्भ कराये जाना प्रस्तावित है । सूची परिशिष्ट-1 पर अंकित है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें)

तहसील बल्लभनगर (उदयपुर) की स्वीकृत सड़कें

201. श्री गुलाबसिंह शक्तावत (बल्लभ नगर) : क्या सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) अकाल सहायता हेतु सड़कों की स्वीकृति के मानदण्ड क्या हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(2) तहसील बल्लभनगर जिला उदयपुर में वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में कौन-कौनसी सड़कें कब-कब किस-किस मानदण्ड के आधार पर स्वीकृत की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़कें निर्धारित विभागीय मानदण्ड के अनुसार स्वीकृत नहीं की जाकर कतिपय व्यक्तियों के हित पोषण हेतु सड़कें स्वीकृत की गयीं ? यदि हां, तो क्यों ? मानदण्ड के विरुद्ध स्वीकृत सड़कों पर कितना व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह भी सही है कि निर्धारित मानदण्डों के विरुद्ध स्वीकृत सड़कों के संबंध में जिला कलक्टर, उदयपुर एवं एस.डी.ओ. बल्लभनगर को शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या जिला कलक्टर, उदयपुर एवं एस. डी. ओ. बल्लभनगर द्वारा इसकी जांच करवाई गयी ? यदि हां, तो कब, किस स्तर के अधिकारी द्वारा किस सड़क के सम्बन्ध में ? प्राप्त शिकायतों तथा जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या उक्त जांच प्रतिवेदन में कोई दोषी पाया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों के सम्पादन हेतु जारी दिशा-निर्देशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है । (परिशिष्ट-1)

(2) तहसील बल्लभनगर जिला उदयपुर में वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्वीकृत सड़कों की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है । (परिशिष्ट-2)

(3) जी, नहीं ।

(4) जी, नहीं । सड़कों की स्वीकृति निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप जारी की गयी थी ।

(राज्य मंत्री, सहायता)

(5) शिकायतें प्राप्त नहीं हुई, इसलिए जांच नहीं कराई गयी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पंचायत समिति लालसोट (दौसा) में कैरोसिन वितरण

202. श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट के थोक विक्रेताओं को वर्ष 1996-97 में कितना-कितना कैरोसिन आबंटित किया गया? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पंचायत समिति लालसोट में कैरोसिन के पंचायतवार व नगरपालिका में कितने डीलर हैं एवं उक्त डीलरों को माहवार कितना-कितना कैरोसिन आबंटन किया गया? आबंटन कैरोसिन का माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 1996-97 में किस-किस डीलर के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हुयीं एवं उन शिकायतों की जांच कर क्या कार्यवाही की गयी?

(4) क्या यह सही है कि सरकार को नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में कैरोसिन वितरण ठीक नहीं होने की शिकायतें प्राप्त होने के बाद भी वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) दौसा जिले की पंचायत समिति लालसोट में दो कैरोसिन के थोक विक्रेता नियुक्त हैं, जिन्हें वर्ष 1996-97 में कैरोसिन का जो माहवार आबंटन किया गया है, का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) पंचायत समिति, लालसोट एवं नगरपालिका क्षेत्र में क्रमशः 64 एवं 11 कैरोसिन तेल के डीलर कार्यरत हैं। इनको माहवार जो कैरोसिन तेल आबंटित किया गया है, उसका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वर्ष 1996-97 में 10 डीलरों की शिकायतें प्राप्त हुयीं, जिनकी जांच करायी जाकर एक लाइसेंस निरस्त किया गया, चार लाइसेंस निलम्बित किये गये। तीन मामलों की जांच चल रही है एवं दो शिकायतें तथ्यहीन पायी गयी हैं।

(4) नगरपालिका क्षेत्र लालसोट में कैरोसिन की तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जांच करने पर एक प्राधिकार-पत्र निरस्त किया जा चुका है। एक शिकायत तथ्यहीन पाई गयी एवं एक में जांच जारी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

आक्सीटोसीन इंजेक्शन क्रय हेतु आमंत्रित निविदाएं

203. श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सरकार द्वारा सत्र 1994-95 एवं 1995-96 की निविदाओं में इंजेक्शन (आक्सीटोसीन) आई. पी. 10, आई. यू/एम. एल. किस कम्पनी का पास किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दवा की पूर्ति हेतु जिस कम्पनी की निविदाएं मंजूर की गयी उससे कम दर पर अन्य 2 कम्पनियों द्वारा भी उक्त इंजेक्शन विभाग को आपूर्ति करने की निविदाएं भेजी गयी थीं ?

(3) सरकार द्वारा उक्त इंजेक्शन कितनी-कितनी मात्रा में क्रय किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) निविदा वर्ष 1994-96 में इंजेक्शन आक्सीटोसीन आई. पी. 10, आई. यू./एम. एल. मै रिलायंस (इंडिया) फार्मास्यूटिकल्स, जयपुर के पक्ष में अनुमोदित किया गया था ।

(2) जी, नहीं । न्यूनतम दर की केवल एक ही निविदा मैसर्स एस. जी. फार्मास्यूटिकल्स, नई दिल्ली से प्राप्त हुई थी ।

(3) कुल 2,94,388 इंजेक्शन क्रय किये गये हैं ।

पुलिस थाना बगरू व बस्सी में दर्ज प्रकरण

204. श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पुलिस थाना बगरू व बस्सी में वर्ष 1992 से जनवरी, 1997 तक अनुसूचित जाति के परिवारों के साथ सवर्ण जाति के व्यक्तियों द्वारा छुआछूत, आगजनी जमीन पर जबरन कब्जा तथा बेदखल करने सम्बन्धी कितने मामले दर्ज किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस थाना बस्सी में प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर पुलिस विभाग की लापरवाही, लोभ-लालच में सवर्ण जाति के साथ पक्षपात अपना कर अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों यथा ग्राम विजयपुरा, ग्राम कूंथाड़ा की जमीन पर जबरन कब्जा लाठी के बल पर, रुपयों के आधार पर चालान पेश करने, मुकदमा को रफा-दफा करने, दबाने की चेष्टा की गई थी ? यदि हां, तो विवरण अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट सहित सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि पुलिस थाना बगरू (जयपुर) में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के उपरान्त या प्रथम सूचना रिपोर्ट समय पर दर्ज न करने, अन्तिम रिपोर्ट लगाने बाबत पुलिस कर्मचारी के विरुद्ध वर्ष 1992 से अब तक कोई शिकायत उच्चाधिकारी को की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(श्री हीरालाल इन्दोरा)

यदि हां, तो किस-किस पुलिस कर्मी के विरुद्ध है ?

उत्तर

(1) पुलिस थाना बगरू एवं बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्तियों के विरुद्ध छुआछूत, आगजनी, जमीन पर कब्जा एवं बेदखल करने आदि के सम्बन्ध में वर्ष 1992 से फरवरी, 1997 तक क्रमश: 69 एवं 78 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं। दर्ज अभियोगों की वर्ष वार सूची परिशिष्ट-(ए) में संलग्न है।

(2) जी, नहीं। ग्राम विजयपुरा एवं कुंथाड़ा में घटित ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में अ.स. 82/94, 301/94 एवं 853/95 थाना बस्सी पर पंजीबद्ध किये गये हैं। इन अभियोगों में की गयी कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-(बी) में संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला धौलपुर में स्वीकृत एनीकट बांध

205. **श्रीमती मनोरमा सिंह** (राजाखेड़ा): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जिला धौलपुर में एनीकट/बांध कहां-कहां स्वीकृत किये गये तथा इनकी कुल संख्या कितनी है ?

(2) विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में सिंचाई हेतु एनीकट/बांध कहां-कहां स्वीकृत किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक स्वीकृत कर दिये जाएंगे ?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में सिंचाई विभाग के माध्यम से 9 एनीकट एवं 10 बांध स्वीकृत किये गये हैं एवं जिला विकास अभिकरण, धौलपुर द्वारा 12 एनीकटों एवं 4 बांधों के जीर्णोद्वार कार्य स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत एनीकट/बांधों की सूची परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में सिंचाई विभाग के माध्यम से पांच बांध स्वीकृत किये गये। इनके अतिरिक्त जिला विकास प्राधिकरण के माध्यम से स्वीकृत 2 एनीकटों का निर्माण विभाग द्वारा करवाया गया है एवं 2 बांधों का जीर्णोद्धार जिला विकास अभिकरण धौलपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है। स्वीकृत एनीकट बांधों एवं एनीकटों की सूची परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को रोजगार

206. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार अन्य पिछडा वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम उठाने का विचार

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

रखती है ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

(2) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितार्थ क्या-क्या ठोस कार्य किये गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) हां, सरकार द्वारा विभिन्न पदों की नौकरियों में भर्ती के समय 21% अन्य पिछड़ा वर्ग के आशार्थियों को लाभ दिया जा रहा है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में अन्य पिछड़े वर्गों के हितार्थ निम्न ठोस कार्य किए हैं :—

1. मण्डल आयोग द्वारा राजस्थान के लिए अन्य पिछड़े वर्गों की जो सूची बनायी गयी थी, उसे समस्त प्रयोजनार्थ मान्यता प्रदान कर 27-8-93 को अधिसूचित किया गया । सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का गठन अधिसूचना 11-3-93 के द्वारा किया गया, जिसका प्रथम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विचार-विमर्श करने के पश्चात उक्त सूची को विखण्डित करते हुए अन्य पिछड़े वर्गों की नवीन सूची दिनांक 6-8-94 को अधिसूचित की गयी ।
2. राज्य सरकार के अधीन पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती के जरिए भरे जाने वाले पदों का 21 प्रतिशत अंश अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिसूचना दिनांक 28-9-93 के द्वारा आरक्षित किया गया एवं अपवर्जन के मापदण्ड निर्धारित किये गये ।
3. विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं अधिकारियों के 21 प्रतिशत पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिसूचना दिनांक 7-7-95 के द्वारा आरक्षित कर दिये गये हैं । साथ ही तकनीकी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सहित विश्वविद्यालयों के सभी श्रेणियों के अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों (गैर शैक्षणिक) पदों में अन्य पिछड़ी जातियों के लिए 21 प्रतिशत का आरक्षण लागू करने के सम्बन्ध में नियमों में संशोधन के निर्देश विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा के द्वारा दिनांक 18-10-95 को सभी विश्वविद्यालयों को दिये गये ।
4. राज्य सरकार के कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28-9-93 के साथ उपाबद्ध अनुसूची में उन व्यक्तियों/वर्गों (सम्पन्न वर्गों) को विनिर्दिष्ट किया गया जिनको आरक्षण का लक्ष्य देय नहीं होगा । उक्त उपाबद्ध अनुसूची के बिन्दु संख्या-11 राजकीय सेवाओं में कार्यरत ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 के अधिकारियों पर होने वाले अपवर्जन के नियम वर्जित अपवर्जन नियम के उक्त बिन्दु संख्या 11 में ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 वर्गों में किस-किस स्तर के अधिकारी सम्मिलित होंगे, तत्स सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारित नहीं होने के कारण राज्य सरकार द्वारा परीक्षण कर परीक्षणोपरान्त अपवर्जन के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार के समकक्ष ग्रुप-1 एवं ग्रुप-2 के स्तर के अधिकारियों के मापदण्ड निर्धारित सम्बन्धी आदेश कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 15-4-96 को जारी किये जा चुके हैं।

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

5. कार्मिक विभाग द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन अधिसूचना दिनांक 24-5-94 के द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

6. अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को सूची प्रमाण-पत्र का प्रारूप एवं प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश दिनांक 25-11-93 को जारी किये गये।

7. सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के सम्बन्ध में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए दिनांक 26-2-94 को जारी आदेशों के द्वारा रोस्टर बिन्दुओं का निर्धारण किया गया।

8. परिपत्र दिनांक 8-11-94 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि ऐसे गैर-हिन्दू व्यवसायी जातियों को, जो अपने पुश्तैनी/पैतृक व्यवसाय के नाम से जानी जाती हैं और जिनके हिन्दू प्रतिरूप अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में सम्मिलित कर दिये हैं व जिनके हिन्दू और गैर-हिन्दू व्यवसायिक नाम समान हैं, को भी अन्य पिछड़े वर्गों में ही माना जाएगा।

9. राज्य सरकार द्वारा 25-2-94 को जारी किये गये आदेशों के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अन्य पिछड़े वर्गों को राज्य सेवा में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में आरक्षण 28-9-93 से ही प्रभावी है। यह भी निर्देश दिये गये है कि यदि 28-9-93 के बाद भी निकाले गये विज्ञापनों में अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण इंगित नहीं किये गये हैं तो विभिन्न विभागों द्वारा संशोधित विज्ञापन जारी किये जाएंगे।

10. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग विकास एवं वित्त निगम से अन्य पिछड़े वर्गों को ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु राजस्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त एवं विकास निगम को चैनेलाइजिंग एजेन्सी नियुक्त किया गया है।

11. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 6-5-96 के द्वारा राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों के अभ्यार्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाकर 35 वर्ष निर्धारित की गयी है। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 13-11-96 के द्वारा विभिन्न सेवाओं में भर्ती हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यार्थियों को 2 वर्ष की छूट उच्च आयु सीमा में दी गयी है।

12. पंचायती राज अधिनियम की धारा 15 (3) के अन्तर्गत प्रत्येक स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया है। उसी तरह उक्त अधिनियम की धारा 16 (3) के अन्तर्गत सरपंचों, प्रधानों और प्रमुखों के पदों के लिए भी अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

तहसील आहोर (जालोर) के धार्मिक स्थलों हेतु सम्पर्क सड़कें

207. **श्री मगराज चौधरी (आहोर) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि धार्मिक दर्शनीय स्थलों को पक्की डामर की सड़कों से जोड़ने हेतु सरकार द्वारा स्वीकृति जारी की जाती है ?

(श्री भगराज चौधरी)

(2) यदि हां, तो क्या सरकार जालौर जिले की आहोर तहसील में स्थित प्रसिद्ध दर्शनीय सुरेश्वर महादेव मन्दिर को भागली पुरोहितान से, भाखरी महादेव मन्दिर को चरली बस स्टेण्ड से, रसियावास हनुमान मन्दिर को रसियावास खुर्द से, माताजी मन्दिर को मादड़ी से जोड़ने हेतु क्रमशः 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर एवं 1/2 किलोमीटर पक्की डामर सम्पर्क सड़क बनाने की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या सरकार जालौर जिले की आहोर तहसील की मेटल सड़कें नींबला से किशनगढ़, किशनगढ़, मोहिवाड़ा, चरली से मादड़ी, आहोर से सनवाड़ा, मादरली से थूम्बा, देबावास से बोकडा, सरूपुरा से बोकडा, सम्पर्क सड़क पोणवा का भी डामरीकरण करने की स्वीकृति शीघ्र जारी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार पक्की डामर की सड़कों से तीन किलोमीटर दूरी पर स्थित उन धार्मिक एवं दर्शनीय स्थानों को सड़क से जोड़ने का प्रयास करती है जो अत्यन्त प्रसिद्ध होते हैं। जहां वर्ष में एक या दो बार बड़े मेले लगते हैं और जहां बड़ी संख्या में लोगों का नियमित आवागमन रहता है।

(2) (अ) सुरेश्वर महादेव मन्दिर से भागली की दूरी 5.5 किलोमीटर है।

(ब) भाखरी महादेव मन्दिर से चरली बस स्टेण्ड की दूरी 6.0 किलोमीटर है।

(स) रसियावास हनुमान मन्दिर से रसियावास खुर्द की दूरी 4 किलोमीटर है, और

(द) माताजी मन्दिर से मादड़ी तक की दूरी 1/2 (आधा) किलोमीटर है।

उपरोक्त क्रम संख्या अ, ब, स, में वर्णित धार्मिक स्थल डामर सड़क से 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, अतः इन स्थलों के लिए स्वीकृति जारी करना वर्तमान सड़क नीति के अन्तर्गत नहीं आता। सड़क मादड़ी ग्राम माताजी मन्दिर से मादड़ी ग्राम तक की सड़क की उपादेयता का परीक्षण किया जाने पर निर्णय लेना सम्भव होगा।

(3) निम्बला से किशनगढ़, आहोर से सनवाड़ा, पादली थम्बा 1996–98 वित्तीय वर्ष में डी.आर.डी.ए. की योजनाओं में मेटल सड़क बनी है। इनको आगामी वित्तीय वर्ष में डामरीकरण का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। किशनगढ़ से मोहीवाड़ा, चरली से मादड़ी, देबावास से बोकड़ा और एप्रोच सड़क पाणवा का मेटल सड़क का कार्य सुनिश्चित रोजगार योजना में कार्य स्वीकृत एवं प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने पर डामरीकरण का कार्य राज्य के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा। सरूपुरा से बोकड़ा ग्रेवल सड़क पर कोई मेटल सड़क स्वीकृत नहीं है।

कुशलगढ़ (बांसवाड़ा) के सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि

210. श्री फतेहसिंह (कुशलगढ़) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि सरकार बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ क्षेत्र में सिंचाई के तालाब मस्का बड़ा, टाडी, गोमका प्रसाद, पनरा खुटा, सज्जनगढ़, बिजोरी, पाग्दा, सुखेन को रेज कर सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर सिंचाई का क्षेत्र बढ़ाकर किसानों को राहत देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, नहीं। उक्त तालाबों का निर्माण उनके जलग्रहण क्षेत्र में जल की प्रावक के आकलन के अनुरूप ही किया जाकर अपनी पूर्ण भराव क्षमता अर्जित की जा चुकी है। अतः तालाबों का रेज (ऊंचा) कर सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाना सम्भव नहीं है।

राज्य के हज यात्रियों को देय सुविधाएं

213. श्री हबीबुर्रहमान (मूण्डवा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्ष 1997 में हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिए सरकार क्या-क्या सुविधाएं या रियायतें देने का विचार रखती है ?

उत्तर

राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय हज कमेटी से सम्पर्क कर हज यात्रियों का हज पर भेजने के लिए उचित व्यवस्था करती है।

जिला बूंदी के प्रस्तावित बांध

214. श्री रामनारायण मीणा (नैनवा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी के कस्बा नैनवां तथा समीपवर्ती ग्राम बडीपडाप खेरूणा, फूलेता, नाथड़ा, नाथड़ी, दलेलपुरा में भूमिगत जलस्तर वृद्धि के लिए भावपुरा फीडर एवं सूर तालाब बांध का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भावपुरा फीडर निर्माण के लिए स्वीकृत राशि का विभाग द्वारा पूर्ण उपयोग नहीं करने तथा सूर तालाब निर्माण के लिए सर्वे नहीं करने से निर्माण कार्य नहीं हो सका है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि भावपुरा फीडर निर्माण का कार्य वर्ष 1990 में प्रारंभ किया गया था ? यदि हां, तो उक्त कार्य पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है तथा अब शेष कार्य कितनी राशि में कब तक पूर्ण करवा लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि बूंदी जिले के कस्बा नैनवां तथा समीपवर्ती ग्राम बड़ीपडाप, खेरूणा, फूलेता, नाथड़ा, नाथड़ी, दलेलपुरा में भूमिगत जलस्तर वृद्धि के लिए मावपुरा फीडर का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। मावपुरा फीडर की स्वीकृति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से प्राप्त है। सूर तालाब बांध के प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) मावपुरा फीडर के निर्माण की स्वीकृति माह जून, 1996 में प्राप्त हो गयी थी। कुछ कार्य करवाया भी गया, परन्तु धन उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सका। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अब माह फरवरी, 1997 में 3.50 लाख रुपये की धनराशि करा दी गयी है। कार्य पुनः प्रारम्भ करवाया जा रहा है। सूर तालाब के सर्वे उपरांत उपयोगी पाये जाने पर ही स्वीकृति को दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी, हां। यह सही है कि मावपुरा फीडर का निर्माण कार्य वर्ष 1990 में ही प्रारम्भ किया गया था। इस कार्य पर अब तक राशि 1 24 लाख रुपये व्यय की जा चुकी है। शेष कार्य जून, 1997 तक पूर्ण करवाया जाना प्रस्तावित है। मावपुरा फीडर के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त रुपये 3.50 लाख दिनाक 5-2-97 को प्राप्त हुयी है, उसके अनुरूप कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला धौलपुर में लीज वसूली

302. **श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) :** क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

सरकार द्वारा जिला धौलपुर से वर्ष 1996–97 में किन-किन लेसीज से कितनी अतिरिक्त लीज राशि वसूल की गयी? लेसीज के नाम एवं राशि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष 1996–97 में अधिक अधिशुल्क ठेके से 1.25 करोड़ रुपयों की स्थिर भाटक से अतिरिक्त रायल्टी वसूल होगी तथा यह राशि मैसर्स गेन्दा बाबा रायल्टी कलेक्शन कांट्रेक्टर से अधिक अधिशुल्क के रूप में प्राप्त होगी।

सिकन्दरा (दौसा) का जीप दुर्घटना प्रकरण

303. **श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा में वर्ष 1996 में सिकन्दरा के पास कोई जीप दुर्घटना हुई थी? यदि हां, तो इस दुर्घटना में कितने लोग मरे एवं कितने घायल हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को सरकार द्वारा सहायता राशि दी गयी? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि इस दुर्घटना में तहसील नादौती जिला सवाई माधोपुर के चिरांवडा, गढ़मोरा, ढहरा के यात्रियों की भी मृत्यु हुई है? यदि हां, तो

(श्री रामस्वरूप मीणा)

सरकार द्वारा मृतक परिवारों को क्या सहायता दी गयी ?

(4) नेशनल हाई-वे पर होने वाली दुर्घटनाएं रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 20-11-1996 को जिला दौसा के सिकन्दरा कस्बे के पास में सड़क पर खड़ी जीप संख्या आर. एन. ए. 740 को बस संख्या यू पी.-80-एफ-9846 ने टक्कर मारी, जिससे जीप में बैठे 8 व्यक्ति मारे गये तथा 3 व्यक्ति घायल हुए जिनके नाम पते निम्न प्रकार है :—

1. श्री कल्याण पुत्र श्रीराम जाति गूजर, आयु 25 वर्ष, निवासी चिरावड़ा, पुलिस थाना गढ़मोरा, जिला सवाई माधोपुर।
2. श्री लक्ष्मण पुत्र श्रीराम, जाति गूजर, आयु 28 वर्ष, निवासी चिरावड़ा, थाना गढ़मोरा, जिला सवाई माधोपुर।
3. श्री विजयसिंह पुत्र श्री बीरबल, जाति गूजर, आयु 20 वर्ष, निवासी सावांस, थाना मानपुर, जिला दौसा।
4. श्री रामकरण पुत्र श्री श्रवण, जाति गूजर, आयु 35 वर्ष, निवासी बासड़ा, थाना बांदीकुई, जिला दौसा।
5. श्री मोहरसिंह पुत्र श्री रामनाथ, जाति गूजर आयु 35 वर्ष निवासी सिकन्दरा।
6. श्री मोहरसिंह पुत्र श्री अर्जुन, जाति गूजर, आयु 28 वर्ष, निवासी बासड़ा, थाना बांदीकुई, ज़िला दौसा।
7. श्री पूर्ण पुत्र श्री रामस्वरूप, जाति गूजर आयु 24 साल, निवासी बासड़ा, थाना बांदीकुई, जिला दौसा।
8. श्री रामकिशन पुत्र श्री किशोरीलाल गूजर, आयु 24 साल, निवासी बासड़ा थाना बांदीकुई, जिला दौसा।

घायल व्यक्ति :—

1. श्री रामचरण पुत्र श्री हरमुख, जाति गूजर, आयु 30 वर्ष, निवासी गढ़गोरा जिला सवाई माधोपुर।
2. श्री धर्मसिंह पुत्र श्री रघुवीरसिंह, जाति गूजर, आयु 20 वर्ष, निवासी बासड़ा, थाना बांदीकुई, जिला दौसा।
3. श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मोरीलाल जाति गूजर, आयु 30 वर्ष, निवासी मोराडी, जिला दौसा।

(2) जी, हां। प्रत्येक मृतक के परिवारों को 5000/- रुपये के अनुसार 8 मृतकों को कुल 40000/- रुपये की सहायता राशि दिनांक 23-11-1996 को उपलब्ध कराई जा चुकी है।

(3) जी, हां। दुर्घटना में तहसील नादौती के ग्राम चिरवाड़ा के दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई। मृतकों को तहसीलदार सिकराय द्वारा 5000–5000 रुपये की आर्थिक सहायता दी गयी।

(4) नेशनल हाई-वे पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस व यातायात विभाग द्वारा पृथक-पृथक व संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध वाहनों तथा ओवर लोडिंग चलने वाले वाहनों को चैक कर

(गृह मंत्री)

कर एम.वी. एक्ट तथा भा.द.सं. के अन्तर्गत चालान किये जाते हैं, मोबाइल मजिस्ट्रेट तथा एस.डी.एम./ए.सी.एम. द्वारा भी अवैध व ओवर लोडिंग वाहनों की चैकिंग की जाती है।

राज्य में सड़क दुर्घटना

304. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1996 में राज्य के कौन-कौन से स्थानों पर कब-कब सड़क दुर्घटनाएं हुयीं ? जिनमें कितने-कितने लोग मारे गये तथा कितने-कितने घायल हुए ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत वर्षों की तुलना में यह घटनाएं बढ़ी हैं? यदि हां, तो क्यों तथा किन कारणों से ?

(3) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये तथा क्या-क्या कदम उठाये जाएंगे ?

(4) क्या यह भी सही है कि दुर्घटनाओं में मारे गये लोगों के आश्रितों को सहायता भी सरकार की तरफ से दी गयी ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ?

उत्तर

(1) कलेण्डर वर्ष 1996 में राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की कुल 18879 घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें कुल 5420 व्यक्ति मारे गये एवं 24203 व्यक्ति घायल हुए हैं। जिलेवार संख्या का विवरण परिशिष्ट-"क" पर संलग्न है।

(2) जैसा कि परिशिष्ट-"क" पर उपलब्ध सूची से आभासित है गत दो वर्षों से सड़क दुर्घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है, यह वृद्धि मुख्यतः सड़कों पर वाहनों के बढ़ते दबाव चालकों की असावधानी और यांत्रिक खराबी के कारण है।

(3) सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मुख्यतः राष्ट्रीय मार्गों पर हाई-वे पेट्रोलिंग व्यवस्था की हुई है। सभी जिलों में पुलिस अधीक्षकों के अधीन स्टेंडिंग कमेटी बनाई जाकर उनकी देख-देख में परिवहन विभाग, पुलिस विभाग एवं अन्य विभागों के सहयोग से वाहनों की संयुक्त चैकिंग की जाती है, समय-समय पर इन विभागों द्वारा संयुक्त चैकिंग का सघन अभियान भी चलाया जाता है तथा खतरनाक तरीके से वाहन संचालित करते पाये जाने वालों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता में कार्यवाही भी की जाती है, ड्राईविंग लाइसेंस देने की प्रक्रिया का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। यातायात नियमों की जानकारी विभिन्न माध्यमों से समय-समय पर आम जनता को दी जाती है।

(4) जी, हां। दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों व घायल हुए व्यक्तियों सहित कुल 1450 व्यक्तियों को 86.65 लाख रुपये की सहायता प्रदत्त की गयी। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-"ख" पर संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

(31)

जिला जालौर की सहकारी समितियों द्वारा पशु आहार खरीद प्रकरण

305. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में अकाल राहत कार्य में सहकारी समितियों के माध्यम से किए गए पशु आहार खरीद में घोटाला हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि घोटाले में लिप्त अधिकारियों व अन्य के विरुद्ध राजस्थान राज्य अन्वेषण ब्यूरो में प्रकरण दर्ज किया गया ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या इस प्रकरण में चालान पेश हो गया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य अन्वेषण ब्यूरो में दर्ज इन प्रकरणों की नवीनतम जानकारी सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां ।

(2) जी, हां । प्रकरण दर्ज हुए 4 वर्ष हुए हैं ।

(3) जी, नहीं । प्रकरणों में चालान निम्न कारणों से पेश नहीं किये गये हैं :—

1. प्रकरण सं. 16/93 :— एक अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं होना ।

2. प्रकरण संख्या 17/93 :— प्रकरण के अनुसंधान से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं पाये जाने पर ।

3. प्रकरण संख्या 18/93 :– एक अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी नहीं होना ।

(4) प्रकरण सं. 16/93 :— प्रकरण में 13 व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित हैं जिसमें से 6 व्यक्तियों की अभियोजन स्वीकृति जारी हो चुकी है एक की जारी होनी है शेष 6 की अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं । खीमसिंह क. लि. की अभियोजन स्वीकृति अध्यक्ष आहोर मार्केटिंग सोसायटी लि. आहोर से अभियोजन स्वीकृति जारी होते ही न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

प्रकरण सं. 18/93 :— श्री जी खान व सुन्दर सिंह वाघेला के विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाये गये । श्री जी खान के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति जारी की जानी है तत्पश्चात् चालान न्यायालय में पेश किया जायेगा ।

प्रकरण सं. 17/93 :— प्रकरण में अंतिम प्रतिवेदन अदम सबूत दिनांक 17–4–95 को सम्बन्धित न्यायालय में पेश किया गया है जिसकी स्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

जयपुर के पंजीकृत क्लब

306. श्री गोविन्दसिंह गुर्जर (नसीराबाद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री गोविन्दसिंह गुर्जर)

(1) जयपुर में कितने क्लब पंजीकृत हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या इन क्लबों में ताश खेलने की अनुमति नियमों के तहत दी हुई है ?

(3) गत वर्ष में इन क्लबों का कब-कब आकस्मिक निरीक्षण किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इन क्लबों में कोई अनैतिक कार्य न हो इसके लिए निगरानी की क्या व्यवस्था है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर में 45 क्लब पंजीकृत हैं। सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं।

(3) सभी क्लबों का सम्बन्धित सर्कल ऑफिसर और प्रभारी थाना अधिकारियों द्वारा गश्त के दौरान आकस्मिक निरीक्षण समय–समय पर किया जाता है। ऐसी चैकिंग एवं निरीक्षण का कोई रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है।

(4) सभी क्लबों को गश्त के दौरान चैकिंग किया जाता है एवं समय–समय पर अधिकारियों द्वारा भी आकस्मिक निरीक्षण किया जाता है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें)

अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार प्रकरणों का निस्तारण

307. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बहुत से मामलों में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विरुद्ध अत्याचार की शिकायतें समुचित रूप से पुलिस थानों में दर्ज नहीं हो पाती ?

(2) क्या उक्त अत्याचार संबंधी मामलों का यथासमय निस्तारण हो, इस हेतु सरकार कोई प्रभावी कदम/व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। यह सही नहीं है।

(2) अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार सम्बन्धी प्रकरणों का यथा समय से निस्तारण हेतु प्रभावी व्यवस्था की हुई है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का दुरुपयोग

308. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों का कुछ गैर अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है ?

(श्री हरिसिंह)

(2) क्या सरकार एवं पुलिस विभाग को उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग की कोई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ?

(3) यदि हां, तो सरकार इस प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए क्या कदम उठा रही है अथवा उठाया जाना प्रस्तावित है ?

उत्तर

(1) जी, नहीं । परन्तु बाद अनुसन्धान अन्तिम प्रतिवेदन (अदम वकू) की संख्या सामान्य से अधिक रही है ।

(2) जी, हां ।

(3) इस प्रवृति की रोकथाम के लिए ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर उनके शीघ्र निस्तारण एवं उचित कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धितों को निर्देश दिये जाते हैं ।

भरतपुर जिले में अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण

309. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993-94 से 1995-96 की अवधि में भरतपुर जिले में अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों के विरुद्ध अत्याचार के कितने-कितने मुकदमे दर्ज हुए ? थानेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) थानेवार वर्षवार दर्ज मुकदमों में कितने-कितने मुकदमों में चालान एवं अन्तिम रिपोर्ट दी गयी तथा इनके अनुसंधान में कितने मुकदमों में सरकार द्वारा निर्धारित समय से अधिक समय लगा ?

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति के विरुद्ध अत्याचार नियंत्रण एवं निवारण हेतु पुलिस विभाग एवं राज्य मुख्यालय में क्या संरचना विद्यमान है एवं क्या वह पर्याप्त है ?

(4) क्या इन वर्गों के विरुद्ध अपराधों की वृद्धि अथवा कमी के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा रहा है ? यदि हां, तो इन अपराधों में वृद्धि के क्या कारण रहे तथा अपराधों में कमी हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) दिनांक 1-4-93 से 31-3-94 एवं 1-4-94 से 31-3-95 और 1-4-95 से 31-3-96 तक की अवधि में भरतपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के विरुद्ध अत्याचार के क्रमशः 314, 277 एवं 257 अभियोग दर्ज हुए हैं । थानेवार सूचना परिशिष्ट "क" में संलग्नक है ।

(2) थानेवार, वर्षवार दर्ज अभियोगों में दिये गये नतीजे की सूचना परिशिष्ट 'क' में निहित है, इस अवधि में दर्ज अभियोगों का निस्तारण समयावधि में ही किया गया है ।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित अत्याचार एवं उत्पीडन के अपराध घटित होने की सूचना राज्य के किसी भी जिले के थाने पर ज्योंही प्राप्त होती है,

(गृह मंत्री)

उस पर तत्काल प्रकरण दर्ज किया जाता है। इन अपराधों का अनुसंधान पुलिस उप अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा किया जाता है। अपराध के पंजीकरण के पश्चात विशेष प्रतिवेदन अन्वेषणकर्ता द्वारा तैयार कर सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया जाता है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा रेंज पुलिस उप महानिरीक्षक एवं पुलिस मुख्यालय पर भी इन अपराधों के प्रतिवेदनों को प्रेषित किया जाता है। जहां पर उन अपराधों के विशेष प्रतिवेदन का परीक्षण किया जाकर अपराधों के अन्वेषण पर नियंत्रण रखा जाता है। पुलिस मुख्यालय पर यह कार्य एक पुलिस अधीक्षक के नियंत्रण में स्थापित किया हुआ है। उप महानिरीक्षक पुलिस, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, अपराध एवं सतर्कता के पर्यवेक्षण में "सिविल राइट सैल" द्वारा संपन्न किया जाता है।

इसी प्रकार राज्य के जिला मुख्यालयों पर भी पुलिस अधीक्षकों के कार्यालय में अपराध शाखा द्वारा इन अपराधों की प्रगति एवं अन्वेषणों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जाता है तथा सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक, अन्वेषण कर्ताओं को समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हैं तथा इनकी जांच की प्रगति की समीक्षा करते हैं। इसके उपरान्त भी यदि किसी व्यक्ति विशेष को संतुष्टि नहीं होती है तो उस अपराध के अन्वेषण को पुलिस मुख्यालय पर मंगवाया जाकर पत्रावली का परीक्षण किया जाता है एवं आवश्यक निर्देश अन्वेषणकर्ता को दिये जाते हैं। यदि आवश्यक समझा जाता है तो अपराध का अन्वेषण पुलिस मुख्यालय पर अपराध शाखा द्वारा कराया जाता है।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार सम्बन्धी दर्ज प्रकरणों में सम्बन्धित संलग्नक तालिका के अनुसार जिला भरतपुर में वर्ष 1993-94 में 314, वर्ष 1994-95 में 277 एवं 1995-96 में 257 अभियोग पंजीबद्ध हुए हैं इससे स्पष्ट है कि इन अपराधों में प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर कमी आयी है।

(सूचना के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

पुलिस थाना बयाना (भरतपुर) में दर्ज प्रकरण

310. श्री बृजेन्द्रसिंह सूपा (बयाना): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पुलिस थाना क्षेत्र बयाना (भरतपुर) में 1996-97 में किस-किस तिथि में चोरी की कितनी वारदातें हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में माल बरामद हुआ तथा क्या वारदात के मुलजिम पकड़े गये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पुलिस थाना क्षेत्र बयाना (भरतपुर) में वर्ष 1996-97 से 27-1-97 तक की

(गृह मंत्री)

चोरी की वारदातों का विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) सूचना परिशिष्ट "क" में अंकित है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

वैशाली नगर अजमेर का शिक्षिका हत्या प्रकरण

311. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1993 में अजमेर स्थित वैशाली नगर निवासी श्रीमती प्रेमदेवी पाठक "शिक्षिका" की हत्या एक जिप्सी कार ने टक्कर मार कर की थी ? क्या इस सम्बन्ध में पुलिस में मामला दर्ज किया गया ? यदि हां, तो किन धाराओं के तहत ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्रकरण में पुलिस द्वारा किसी की गिरफ्तारी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या उक्त प्रकरण में सरकार के पास हमलावर को गिरफ्तार करने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुईं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्रकरण में सरकार दोषी हत्यारे के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 11-2-93 को अजमेर स्थित वैशाली नगर निवासी श्रीमती प्रेमदेवी पाठक को पीछे से अचानक एक तेज गति से लहराती हुई जिप्सी कार ने टक्कर मारी जिससे वह नीचे गिर गयी व मौके पर ही बेहोश हो गयी। इस रिपोर्ट पर मुकदमा नं. 32/93 धारा 279, 337 भा. द. सं. में थाना किशनगंज में दर्ज (अजमेर) में दर्ज किया। दौराने इलाज श्रीमती प्रेम पाठक की जयपुर सवाई मानसिंह अस्पताल में मृत्यु हो जाने पर मु. हाजा में 304 (ए) भा. द. सं. एड की गयी। एफ. आई. आर. की प्रति परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। अनुसंधान से गाड़ी एवं गाड़ी मालिक का पता नहीं चलने से अन्तिम प्रतिवेदन अदम पता में दी जा चुकी है।

(3) इस प्रकरण में दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करने बाबत एक परिवाद श्री जे. पी. अग्निहोत्री प्रान्तिय क्षेत्रीय मंत्री के प्रवक्ता राजस्थान शिक्षा संघ प्रगतिशील जयपुर से पुलिस अधीक्षक अजमेर को प्राप्त हुआ था थानाधिकारी किशनगंज से अभियोग में पुनः अन्वेषण बाबत निर्देश दिये गये। पुनः अन्वेषण कर काफी प्रयास करने के बावजूद भी दोषी व्यक्ति का कोई पता नहीं लगने पर अभियोग में पुनः चिरमबा एफ. आर. की गयी।

(गृह मंत्री)

(4) अभियोग में अदमपता मुलजिम व वाहन में नतीजा अन्तिम प्रतिवेदन अदमपता दिया जा चुका है। दोषी व्यक्ति व गाड़ी का पता चलने पर अग्रिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें)

थाना परबतसर व मकराना (नागौर) में दर्ज प्रकरण

312. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) परबतसर व मकराना (नागौर) में पिछले तीन वर्षों में कितने मुकदमे किन-किन अपराधों के दर्ज हुए ? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने मामलों में चालान पेश किये जा चुके हैं तथा कितने मामलों में अन्तिम रिपोर्ट दी जा चुकी है ? अन्तिम रिपोर्ट दिये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) शेष मामलों की जांच में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(4) नागौर जिले के विभिन्न थानों में वर्ष 1993 से 1996 तक कितने मामले अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अब तक कितने मामलों में चालान पेश किये जा चुके हैं ?

उत्तर

(1) थाना परबतसर पर वर्ष 1994, 1995, 1996 में क्रमशः 218, 190, 190 अभियोग दर्ज हुए हैं। थाना मकराना पर वर्ष 1994, 1995, 1996 में क्रमशः 312, 395, 413 अभियोग दर्ज हुए हैं। मुकदमों की अपराध शीर्षक अनुसार सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) थाना परबतसर एवं थाना मकराना में पिछले तीन वर्षों में चालान पेश किए गए व अंतिम रिपोर्ट देने का कारण सहित विवरण निम्न प्रकार है :—

(गृह मंत्री)

क्र. सं.	नाम थाना	वर्ष	कुल दर्ज अपराध	चालान किए गये	चालान शेष रहे	कुल अन्तिम रिपोर्ट	अन्तिम रिपोर्ट देने का कारण			
							झूठे	मुल. का पता नहीं लग सका	अदम सबूत	पेंडिंग पुलिस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	परबतसर	1994	218	142	—	76	59	17	—	—
		1995	190	118	1	71	48	22	1	—
		1996	190	125	3	60	44	15	1	2
2.	मकराना	1994	312	223	—	87	59	26	2	2
		1995	395	266	—	129	86	42	1	—
		1996	413	199	19	182	117	62	3	13

(गृह मंत्री)

(3) शेष अभियोगों में तलाश मुलजिमान, अनुसंधान सत्यापन, अन्वेषण होना है। ज्यादातर अभियोग वर्ष 1996 के अंतिम महीनों में ही पंजीबद्ध हुए हैं जिनका अनुसंधान त्वरित गति से किया जा रहा है।

(4) नागौर जिले में जनवरी, 1993 से दिसम्बर, 1996 तक विभिन्न थानों में अनु. जाति/अनु. जाति अत्याचार, निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष 1993 में 214, वर्ष 1994 में 239, वर्ष 1995 में 289 एवं 1996 में 320 अभियोग दर्ज हुए। इस प्रकार पूर्ण अवधि में कुल 1062 अभियोग दर्ज हुए हैं।

(5) अब तक कुल 391 मामलों में चालान न्यायालयों में पेश किये जा चुके हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–12 देखें)

विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली के थाने/चौकियों में पदों का सृजन

313. श्री रामचन्द्र रावत (कोटपूतली) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में कितने थाने व चौकियां हैं ? उक्त थानों व चौकियों में कितना–कितना स्टाफ है ?

(2) क्या यह सही है कि दिनों-दिन बढ़ते अपराधों के बावजूद भी विगत वर्षों में स्टाफ की बढ़ोतरी नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त थानों एवं चौकियों में अपराधों के अनुपात में पुलिस स्टाफ की बढ़ोतरी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में 2 थाने एवं 3 चौकियां हैं। उक्त थानों व चौकियों में कुल 62 पुलिस अधिकारी/कर्मचारियों का स्टाफ है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। स्टाफ में बढ़ोतरी राज्य की वित्तीय स्थिति की सीमा में हो सकेगी।

जिला धौलपुर में जारी शस्त्र अनुज्ञापत्र

314. श्रीमती मनोरमा सिंह (राजाखेड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

धौलपुर जिले में जिला कलक्टर श्री प्रेमसिंह मेहरा के कार्यकाल में किन-किन व्यक्तियों को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये गये एवं कितने शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त किये गये ? नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

धौलपुर जिले में जिला कलक्टर श्री प्रेमसिंह मेहरा के कार्यकाल, 1 जनवरी,

(गृह मंत्री)

1994 से आज दिनांक तक 163 व्यक्तियों को शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये गये हैं। विवरण परिशिष्ट-"अ" व "ब" पर है। 35 शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों के शस्त्र अनुज्ञापत्रों को निरस्त किये गये, विवरण परिशिष्ट-"स" पर है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मण्डी खाजूवाला (बीकानेर) में गेहूं क्रय केन्द्र

315. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि मण्डी खाजूवाला जिला बीकानेर के कृषक संगठनों, व्यापार मण्डल व क्षेत्र की पंचायतों द्वारा भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं के खरीद केन्द्र स्थापित करने की मांग की गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में खाद्य मंत्रालय भारत सरकार को लिख कर उक्त केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है?

उत्तर

जी, नहीं। बीकानेर के कृषक संगठनों, व्यापार मण्डल एवं क्षेत्र की पंचायतों द्वारा गेहूं के खरीद केन्द्र स्थापित करने हेतु भारतीय खाद्य निगम, कृषि विपणन विभाग एवं विभाग को किसी भी प्रकार का मांग पत्र इनके द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। खाजूवाला में पूर्व से ही राजस्थान क्रय विक्रय संघ द्वारा गेहूं खरीद हेतु अपना केन्द्र स्थापित किया हुआ है। भारतीय खाद्य निगम को केन्द्र खोलने हेतु लिखा हुआ है।

आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों का पदोन्नति प्रकरण

316. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सेवा अभिकरण, राजस्थान, जयपुर ने वर्ष 1995–96 एवं 1996–97 में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में कार्यरत सह आचार्य एवं आचार्य के पदों पर पदोन्नति के विरुद्ध कुछ प्रकरणों में निर्णय दिये हैं? यदि हां, तो ऐसे प्रकरणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे प्रकरण सम्बन्धी वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों एवं विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया में फेरबदल व जालसाजी कर पदोन्नति देने की अनुचित कार्यवाही करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच प्रारम्भ कर दी है? यदि नहीं, तो क्यों और अब सरकार कब तक जांच कराने का विचार रखती है?

(3) क्या चिकित्सा विभाग ने राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण, जयपुर के निर्णयों की अनुपालना करके अनुचित लाभ पाने वाले सह आचार्य/आचार्य को पदोन्नत करके तथा ऐसे ही लाभ से वंचित रहे

(श्री महावीर भगोरा)

व्यक्तियों को पदोन्नत करने की कार्यवाही पूर्ण कर ली है ?

(4) उक्त प्रकरणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए विभाग ने क्या कार्य योजना बना कर क्रियान्विति की है ?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, राजस्थान, जयपुर द्वारा वर्ष 1995 एवं 1996 में तीन अपीलों में इस प्रकार के निर्णय दिये हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :—

1. अपील सं. 300/89 डा. के. सी. जैन बनाम अन्य में निर्णय दि. 24–3–95

2. अपील सं. 523/91 डा. डी. डी. सिन्हा बनाम राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 1–3–1996

3. अपील सं. 31/92 डा. एस. एल. मण्डोवरा बनाम राज्य व अन्य निर्णय दिनांक 15–4–1996

(2) जी, नहीं। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदनों एवं विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषाओं में फेरबदल कर जालसाजी करने का कोई प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में नहीं आया है। जालसाजी करने का कोई मामला प्रमाणित होने पर आरोपित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(3) प्रश्न के भाग एक के उत्तर में वर्णित निर्णयों में से अपील संख्या 523/91 में अधिकरण द्वारा दिनांक 1-3-1996 को दिये गये निर्णय की क्रियान्विति की जा चुकी है। शेष दो प्रकरणों में राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण के निर्णयों की क्रियान्विति पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दिये जाने के कारण अभी तक क्रियान्विति नहीं की जा सकी है।

(4) इस प्रकार के प्रकरणों की पुनरावृत्ति नहीं हो इसके लिए भविष्य में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय अभिलेखों के परीक्षण में विशेष सावधानी रखी जा रही है।

पाली जिले में औषधि निरीक्षक के रिक्त पद

317. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दवाइयों की दुकान चलाने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या योग्यता आवश्यक है और क्या ऐसे योग्यता प्राप्त पात्र ही राज्य में दवाइयों की दुकानें संचालित कर रहे हैं। यदि नहीं, तो ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला पाली में सभी स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित दवाई वितरण हेतु फार्मासिस्ट नियुक्त हैं ? यदि हां, तो फार्मासिस्ट के नाम सहित स्वयं सेवी संस्थाओं एवं अस्पतालों के नामों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री भीमराज भाटी)

:

(3) क्या पाली जिले में औषधि निरीक्षक एवं सहायक औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कुल कितने पद सृजित हैं और उन पर कितने औषधि निरीक्षक एवं सहायक औषधि निरीक्षक कार्यरत हैं ? रिक्त पदों पर कब तक नियुक्तियां कर दी जाएंगी ?

(4) राज्य में औषधि निरीक्षकों द्वारा दिसम्बर, 1993 से 31 दिसम्बर, 1996 तक कुल कितनी दवाइयों के सैम्पल लिये उसमें से कितने निम्न स्तर के पाये गये और कितने निर्माताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) क्या डाइग्नोसिस्ट सेन्टर्स में पैथोलोजिस्टों की नियुक्ति अनिवार्य है ? यदि हां, तो जिन डाइग्नोसिस्ट सेन्टर्स पर पैथोलोजिस्ट नियुक्त नहीं है, उनकी सूची सदन की मेज पर रखें । क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(6) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रतिबंधित दवाइयों की सूची पूरे राज्य के सभी अस्पतालों में उपलब्ध करवाई हुई है? यदि हां, तो उस सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । रिटेल औषधि विक्रय के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एवं होलसैल के लिए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अथवा मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष परीक्षा पास तथा औषधियों के डिलिंग का 4 वर्ष का अनुभव वांछित है ।

(2) जी, हां । शेष प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी, हां । शेष प्रश्न ही नहीं उठता । केवल सहायक औषधि नियंत्रक का ही पद सृजित है । जो भरा हुआ है ।

(4) राज्य में औषधि निरीक्षकों द्वारा दिसम्बर, 1993 से 31 दिसम्बर, 1996 तक 1720 औषधियों के नमूने लिये गये तथा उसमें से विश्लेषण 264 नमूने निम्न स्तर के पाये गये । निम्न स्तर के पाये गये नमूनों पर 15 निर्माताओं के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की गयी जिनकी सूची संलग्न हैं ।

(5) डाइग्नोसिस्ट सेन्टर्स में पैथोलोजिस्टों की नियुक्ति के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई नियम नहीं बने हुए है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

(6) भारत सरकार द्वारा जो दवाइयां ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स एक्ट के अन्तर्गत अभी तक प्रतिबन्धित की गई है उसकी सूची संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट की व्यवस्था प्रकरण

318. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(42)

(श्री विष्णु मोदी)

(1) क्या यह सही है कि सांगानेरी गेट, जयपुर स्थित महिला चिकित्सालय भवन में आपरेशन थियेटर एवं प्रसूती गृह छोटे होने, मरीजों की सुविधा के लिए एम्बूलेंस की उचित व्यवस्था नहीं होने, सफाई आदि की व्यवस्था नहीं होने तथा वहां कार्यरत कर्मचारियों द्वारा वहां आने वाले मरीजों एवं उनके परिजनों से पैसा वसूले जाने सम्बन्धी प्रकरण सरकार के ध्यान में समय-समय पर लाये जाते रहे हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कुल कितनी शिकायतें/प्रकरण प्रकाश में लाये गये तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय में दो एम्बूलेंस हैं तथा उनमें से एक काफी लम्बे समय से खराब पड़ी हुई है ? यदि हां, तो कब से व क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त चिकित्सालय के लिए एक नई एम्बूलेंस की स्वीकृति भी जारी की गयी है ? यदि हां, तो कब और क्या एम्बूलेंस खरीद ली गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुए आपरेशन थियेटर एवं प्रसूती कक्ष बड़े करने, सफाई की सुचारू व्यवस्था होने तथा वहां कार्यरत कर्मियों द्वारा मरीजों एवं उनके परिजनों से सुविधा शुल्क न वसूले जाने के सम्बन्ध में उचित व्यवस्था करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और किस-किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में मरीजों के बढ़ते दबाव को देखते हुए आपरेशन थियेटर छोटे हैं। आपरेशन थियेटर के विस्तार हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इस चिकित्सालय में एक एम्बूलेंस है जो वर्तमान में खराब है। रोगियों की सुविधा के लिए एक एम्बूलेंस रेडक्रोस सोसायटी से किराये पर लेकर वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है तथा एक नई एम्बूलेंस क्रय करने हेतु क्रयादेश दे दिया गया है। अस्पताल में सफाई व्यवस्था मुकम्मल है। अस्पताल में आने वाले मरीजों से कर्मचारियों द्वारा पैसा वसूल करने की शिकायतों के सम्बन्ध में जांच करने हेतु अस्पताल प्रशासन द्वारा सतर्कता समिति गठित की हुई है। वर्तमान में एक शिकायत उक्त सतर्कता समिति के जांच अधीन है।

(2) इस चिकित्सालय में केवल एक ही एम्बूलेंस है जो दिनांक 23-11-1996 से खराब पड़ी है। इसे वित्तीय प्रावधानों के अभाव के कारण ठीक नहीं करवाया जा सका है किन्तु एम्बूलेंस की वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है।

(3) जी, हां। उक्त चिकित्सालय के लिए एक नई एम्लेंबूस क्रय करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7-10-96 को जारी कर दी गई है एवं दि. 4-12-96 को क्रयादेश दिया जा चुका है। उक्त नई एम्बूलेंस शीघ्र ही प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

(4) जी, हां। विस्तृत विवरण प्रश्न के भाग 1 के जवाब में वर्णित है।

चिकित्सा विभाग का रिव्यू डी.पी.सी. प्रकरण

319. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों के पदों के लिए वर्ष 1988-89 के कोटे की डी. पी. सी. हो चुकी है ? यदि हां, तो यह डी.पी.सी. कौन से वर्ष में हुई और इसमें किन-किन चिकित्सकों के बारे में विचार किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त डी. पी. सी. के समय विचार किये गये चिकित्सकों के अलावा भी ऐसे चिकित्सक थे, जिनके बारे में (जिनके नाम पर) भी निर्णय करना आवश्यक था ? यदि हां, तो ऐसे चिकित्सकों की सूची सदन की मेज पर रखें । इन नामों पर विचार क्यों नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या जिन चिकित्सकों के नामों पर उक्त डी.पी.सी. में विचार करना आवश्यक था और नहीं किया उन चिकित्सकों के ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किन-किन के ज्ञापन प्राप्त हुए और सरकार ने अब तक उन पर क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या उक्त ज्ञापनों में भीलवाड़ा के एक चिकित्सक का भी ज्ञापन था, जिसमें उस डाक्टर को अनुपयोगी मानकर उक्त डी. पी. सी. में उसके नाम पर विचार नहीं किया गया, जबकि चिकित्सक वर्ष 1988 से लगातार भीलवाड़ा में ही कार्य कर रहा है ?

(5) क्या सरकार उक्त चिकित्सक के नौकरी करते हुए भी उसे अनुपयोगी बताने का नोट लगाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस प्रकरण में कौन दोषी है ?

(6) क्या जिन चिकित्सकों के नामों पर उक्त डी. पी. सी. में भूल से या किसी की लापरवाही एवं गलती से विचार नहीं किया जा सका, उनके लिये सरकार रिव्यू डी. पी. सी. करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह रिव्यू डी. पी. सी. कब तक हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक वर्ष 1993 में सम्पन्न हुई थी । सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

(2) वरिष्ठता सूची के अनुसार व प्रचलित नियमों के तहत नामों पर विचार किया गया ।

(3) जी, हां । निम्नलिखित चिकित्सकों के ज्ञापन प्राप्त हुये :—

1. डा. कृष्ण कुमार भंडारी
2. डा. प्रेमलता गुप्ता

योग्य नहीं पाये जाने के कारण डी.पी.सी. में इनको पदोन्नत करने की अभिशंषा नहीं

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

की थी। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही वांछित नहीं थी।

(4) जी, हां। आवेदनकर्ता चिकित्सक को डी.पी.सी. द्वारा पदोन्नति के योग्य नहीं माना गया था।

(5) जी, नहीं। ऐसा प्रकरण ध्यान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(6) जी, नहीं। यह सत्य नहीं है। चिकित्सक के नाम पर विचार किया गया था एवं पदोन्नति के योग्य नहीं पाया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अंशकालीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का नियुक्ति प्रकरण

320. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 10 (21) चि. स्वा./3/85 दिनांक 22-1-19986 व निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर के परिपत्र क्रमांक ई- 1 2/एम/(संघ)91/2088 दिनांक 22-11-1991 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की खण्डपीठ अपील संख्या 185/93 सरकार बनाम रामप्रताप व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 19-5-1993 के अनुसार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (वार्डब्वाय/स्वीपर्स) के पदों पर नियमित नियुक्ति करते समय पूर्व में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश हैं ?

(2) क्या किन्हीं नियमों/निर्देशों/निर्णयों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (वार्ड ब्वाय) के पदों पर नियमित नियुक्तियां करते समय अंशकालीन कर्मचारियों से पहले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियुक्ति में प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त प्रावधान की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 31 दिसम्बर, 1992 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सीकर में स्थायी वार्ड ब्वाय के कितने पद रिक्त थे ?

(4) दिनांक 31 दिसम्बर, 1992 तक सीकर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कितने लोग अंशकालीन वार्ड ब्वाय (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के पद पर कार्य कर चुके थे ? उनके नामों की सूची मय कार्य अवधि (कब से कब तक) का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्ष 1994 में सीकर जिले में कितने स्थायी वार्ड ब्वाय के रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई और उनमें सीकर जिले के कितने अंशकालीन कर्मचारियों को नियुक्ति दी गई ?

(6) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, जयपुर के परिपत्र क्र. ई- 12/लूज/96/369 दिनांक 13-2-1996 के द्वारा सीकर जिले में काफी समय से रिक्त

(श्री महादेव सिंह)

पड़े वार्ड ब्वाय के 50 पदों को अतिशीघ्र भरने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त पद भरे जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो इन्हें अब कब तक भर दिया जायेगा ?

(7) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय के उपरोक्त परिपत्र की पालना में अलवर, टोंक व अन्य जिलों में स्थायी वार्ड ब्वाय व स्वीपर्स के रिक्त पद अंशकालीन कर्मचारियो के माध्यम से भरे जा चुके हैं ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। वर्णित दोनों परिपत्रों एवं निर्णय के अनुसार अंशकालीन एवं दै. वे. भो. दोनों को ही समान रूप से प्राथमिकता देने के निर्देश हैं।

(2) जी, नहीं। अंशकालीन व दै. वे. भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति में समान रूप से प्राथमिकता देने का प्रावधान हैं।

(3) दिनांक 31-12-92 को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सीकर के अधीन स्थायी वार्ड ब्वाय के 35 पद रिक्त थे।

(4) दिनांक 31-12-92 तक सीकर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सीकर में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर तैयार की गई अंशकालीन वार्ड ब्वाय स्वीपर्स की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(5) वर्ष 1994 में सीकर जिले में निदेशालय के पत्रांक ई- 12/एम/52/94/60 दिनांक 18-1-94 के द्वारा 47 स्थायी वार्ड ब्वाय/स्वीपर्स की रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई थी जिनमें से सीकर जिले के 6 वार्ड ब्वाय तथा 2 स्वीपर्स नियुक्त किये गये हैं जो अंशकालीन कर्मचारी थे।

(6) जी, हां। यह पद भरे नहीं जा सके क्योकि बीच में ही राज्य सरकार द्वारा भर्ती पर रोक लगा दी गयी।

(7) अलवर, टोंक व अन्य जिलों में राज्य सरकार द्वारा एवं निदेशालय द्वारा जारी परिपत्रों तथा विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिये गये निर्देशों की अनुपालना में गठित चयन समिति द्वारा नियमानुसार च. श्रे. कर्म. पदों (वार्ड ब्वाय/स्वीपर्स) के पदों पर भर्ती/नियुक्ति की गयी हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित चिकित्सक

321. श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राज्य में वर्तमान में कितने चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर तथा कहां-कहां पर स्थापित हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित चिकित्सकों का वेतन कहां से प्राप्त किया जा रहा है ?

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

(3) राज्य में चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? गत 2 वर्षों से रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 79 चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर हैं। प्रतिनियुक्ति पर चिकित्सकों के पदस्थापन की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) डेपूटेशन पर पदस्थापित चिकित्सकों का वेतन पदस्थापित संस्थान से प्रदान किया जाता है।

(3) वर्तमान में राज्य में चिकित्सकों के लगभग 879 पद रिक्त हैं। वर्ष 1995-96 व 1996-97 की रिक्तियों हेतु कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 22-7-96 एवं 31-7-96 के तहत विभागीय पदोन्नति समिति के आयोजन पर रोक, पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों के रिक्त रहने का कारण है इसी प्रकार चिकित्सा अधि/दन्त चिकित्सा अधिकारी के पदों पर राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित एवं तदर्थ नियुक्ति के अभ्यर्थियों के द्वारा ग्रामीण एवं दूरस्थ इलाकों में कार्यग्रहण नहीं करना, कार्यग्रहण करने के बाद शीघ्र त्यागपत्र देकर चले जाना एवं नये पदों को प्रत्येक वर्ष में सृजन होना अन्य कारण है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में यूनिट/पदों का सृजन

322. **श्री रतनलाल ताम्बी** (जहाजपुर) क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में 1400 शैय्याओं की स्वीकृति है ? यदि हां, तो क्या उसमें सर्वाधिक मरीज मेडिकल यूनिट के होने पर पर्याप्त यूनिट तथा प्रोफेसर्स सुलभ नहीं हैं?

(2) क्या सरकार औषधि विभाग में यूनिट मरीजों तथा विभिन्न सुपर विशेषज्ञता के अनुसार यूनिट तथा प्रोफेसर बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार अन्य विषयों के बजाय मेडिकल विभाग में मरीजों की अधिकता के अनुसार वर्ष 1997-98 में 10 यूनिट तथा प्रोफेसर्स के पद बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या सरकार ने मरीजों की अत्यधिक भर्ती, मेडिकल यूनिट्स में होने के आधार पर यूनिट तथा प्रोफेसर्स के पद वृद्धि हेतु तथ्यात्मक समीक्षा की है ? यदि हां, तो प्रत्येक विभाग में वर्ष 1996-97 में कितने यूनिट तथा प्रोफेसर्स एवं मरीजों की भर्ती एवं आउटडोर रही ? तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार वर्ष 1996-97 के आधार पर सवाई मानसिंह अस्पताल के विभिन्न विभागों तथा यूनिट में मरीजों की संख्या तथा आवश्यकता के अनुसार वर्ष

(श्री रतनलाल ताम्बी)

1997–97 में विभिन्न विभागों में यूनिट तथा पदों के सृजन की समीक्षा कर वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्या सरकार उसकी उच्च स्तरीय समिति गठित कर समीक्षा कर इस बाबत कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में 1390 शैय्याएं स्वीकृत है तथा मेडिसिन विभाग में पर्याप्त प्रोफेसर्स एवं यूनिट्स उपलब्ध है। वर्तमान में मेडिसिन विभाग में 8 प्रोफेसर्स के पद हैं तथा इस विभाग में 7 यूनिट्स कार्यरत हैं।

(2) कॉलेज एवं अस्पताल की आवश्यकता के अनुरूप समय-समय पर पदों की संख्या एवं यूनिट्स की संख्या में वृद्धि की जाती रही है। भविष्य में भी कॉलेज एवं अस्पताल की आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार सम्बन्धित विभागों में पद एवं यूनिट्स की संख्या में वृद्धि करने हेतु विचार किया जा सकेगा।

(3) जी, नहीं। वर्तमान में सवाई मानसिंह चिकित्सालय के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर्स तथा यूनिट्स की संख्या पर्याप्त है।

(4) जी, हां। सरकार द्वारा सवाई मानसिंह अस्पताल के मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर्स एवं यूनिट्स की स्थिति के बारे में समीक्षा की गई है। वर्ष 1996–97 में सवाई मानसिंह चिकित्सालय के प्रत्येक विभाग में उपलब्ध प्रोफेसर्स, यूनिट्स मरीजों की भर्ती एवं आउटडोर मरीजों की संख्या का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(5) जी, हां। सवाई मानसिंह चिकित्सालय की आवश्यकता के अनुसार तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कुछ विभागों में नये पद/यूनिट्स की संख्या में वृद्धि करने हेतु विचार किया जायेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

चिकित्सा विभाग का वाहन प्रकरण

323. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :** क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिप्सी नं. आर. एन. एक्स. 2534 क्रय की गई थी ? यदि हां, तो कब तथा इसका रजिस्ट्रेशन किस नाम से कराया गया तथा जिस कार्य के लिए यह वाहन क्रय किया गया व कीमत का भुगतान किस मद से किया गया ?

(2) उक्त वाहन की खरीद से अब तक किस-किस अधिकारी द्वारा काम में ली गई तथा उस पर अब तक पैट्रोल व मरम्मत पर कितना-कितना व्यय किया गया ? वर्षवार दोनों मदों के खर्चे का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त वाहन जिस कार्य हेतु क्रय किया गया था, उसी कार्य में लिया गया तथा अभी लिया जा रहा है ? यदि हां, तो किस-किस कार्य में

(श्री हरजीराम बुरडक)

उक्त वाहन लिया गया और लिया जा रहा है ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस वाहन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

(5) विभाग की गाड़ियों के लिए प्रत्येक माह व प्रतिवर्ष कितनी राशि पैंट्रोल पर अधिकतम खर्च की जा सकती है ? किस प्रकार की गाड़ी के लिए कितनी राशि तथा इस सम्बन्ध में जारी आदेशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । वाहन जिप्सी नं. आर. एन.एक्स. 2334 माह मार्च, 1987 में क्रय की गयी थी । रजिस्ट्रेशन निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर के नाम से किया गया ।

(2) वाहन चिकित्सा विभाग के कार्य हेतु क्रय की गई थी । वाहन क्रय मद 282-पब्लिक हैल्थ एण्ड सैनीटेशन एण्ड वाहन सप्लाई (ए) पब्लिक हैल्थ एण्ड सैनीटेशन (बी) प्रिवेंशन एण्ड कंट्रोल आफ डीजिजेज नेशन प्रोग्राम फोर प्रीवेंशनर एण्ड विजूअल इम्प्रेयरमेंट एण्ड कंट्रोल आफ ब्लाइंडनेश प्लान एक्सपेन्डीचर (सेंट्रली) स्पोंसर्ड स्कीम से किया गया ।

(3) उक्त वाहन का उपयोग चिकित्सा विभाग के कार्यों हेतु किया जाता है । वाहन की खरीद से अब तक पैंट्रोल एवं मरम्मत हेतु वाहन पर किया गया व्यय का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । वाहन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न कार्यक्रमों में उपयोग में ली जा रही है ।

(4) जी, नहीं ।

(5) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प 8 (42) वित्त–1/आय-व्यय/74 दिनांक 24-2-1989 के अनुसार मोटर गाड़ियों के अनुसरण (मेंटीनेंस) के लिए निम्न मानदण्ड निर्धारित किये हुये हैं :–

गाड़ी का प्रकार	अनुरक्षक व्यय (रु. में)
कार	9,000
जीप	13,000
स्टेशन बेगन	17,000
आयातित कार तथा स्टेशन बेगन	20,000

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

चिकित्सालय देवगढ़ (राजसमंद) के चिकित्सक के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

324. श्री लक्ष्मणसिंह रावत (भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राजसमंद जिले के देवगढ़ चिकित्सालय के चिकित्सक डा. गिल के विरुद्ध भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार के विरुद्ध जन प्रतिनिधियों तथा जनता ने कई बार मौखिक व लिखित शिकायतें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को की

(श्री लक्ष्मणसिंह रावत)

है ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(2) क्या सरकार डा. गिल के दो वर्षों के क्रिया-कलाप, भ्रष्टाचार व दुर्व्यवहार की जांच करने व उन्हें दण्डित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री लक्ष्मणसिंह रावत निवासी पिपली द्वारा की गयी शिकायत की जांच मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद द्वारा की जा रही है।

(2) जी, हां। दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला झुन्झुनूं की सड़कों का रख-रखाव

325. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1996-97 में झुन्झुनूं जिले को कितनी धनराशि सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव के लिए आबंटित की गयी ?

(2) क्या यह धनराशि आबंटित करते समय सड़कों की लम्बाई को आधार माना जाता है ? यदि हां, तो झुन्झुनूं जिले के सम्बन्ध में इस आधार को क्यों नहीं माना गया ?

(3) झुन्झुनूं जिले में इस वर्ष आई बाढ़ एवं वर्षा से सड़कों को हुई क्षति को देखते हुए कितनी धनराशि की आवश्यकता आंकी गयी तथा कितनी धनराशि का आबंटन किया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि धन के अभाव में क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो सरकार इन सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1996-97 में झुन्झुनूं जिले की सड़कों के निर्माण हेतु राशि 301.00 लाख रुपये एवं रख-रखाव के लिए राशि 295.00 लाख रुपये आबंटित किये गये।

(2) सड़क निर्माण हेतु राशि का आबंटन 1971 की जनसंख्या को आधार मान कर किया जाता है तथा सड़क के रख-रखाव के लिए राशि का आबंटन सड़कों की लंबाई तथा श्रेणी को आधार मानकर किया जाता है। तदनुसार ही झुन्झुनूं जिले को माना गया है।

(3) झुन्झुनूं जिले को वर्ष 1996 में राज्य सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त जिला घोषित नहीं किया गया गया है। वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों की क्षति का आकलन 150.77 लाख रुपये हैं। इसमें कुछ कार्य वर्ष 1996-97 के रख-रखाव के मद के तहत तथा शेष कार्य वर्ष 1997-98 में किये जाना प्रस्तावित है।

(4) जी, नहीं। उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए क्षतिग्रस्त सड़कों की

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

अति आवश्यक मरम्मत कर ट्रैफिक को चालू रखते हुए अविलम्ब कार्यवाही की जा चुकी है। शेष बिन्दु 3 के अनुसार।

निर्वाचन क्षेत्र आहोर की सड़कों का डामरीकरण

326. श्री भगराज चौधरी (आहोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम भवरानी एवं रायथल (जिला की सीमा तक) करीब 10 किलोमीटर एवं ग्राम बाला से भोरड़ा तक करीब 7 किलोमीटर अभी तक पक्की डामर की सड़कें नहीं बनाई गई हैं ?

(2) यदि हां, तो अब कब तक सरकार इन सड़कों को पक्की डामर की बनाने की स्वीकृति जारी करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) भवरानी एवं रायथल दोनों गांव डामर की सड़क से जुड़े हुए हैं। दोनों को आपस में डामर की सड़क से जोड़ना सड़क नीति के अन्तर्गत नहीं आता है।

भवरानी से बाला तक की डामर की सड़क की स्वीकृति वर्ष 1994-95 में 19.80 लाख रुपये की जारी की जा चुकी है व कार्य प्रगति पर है। भोरड़ा पहले से ही डामर की सड़क से जुड़ा हुआ है। बाला से भोरड़ा (दोनों गांव डामर की सड़क से अलग-अलग जोड़े जा रहे हैं) सड़क को पक्की डामर की सड़क से जोड़ना सड़क नीति में नहीं आता है।

अलवर क्षेत्र में नियुक्त दैनिक वेतन-भोगी कर्मचारी

327. श्रीमती मीना अग्रवाल (अलवर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र, अलवर में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में दैनिक वेतन पर कितने कर्मचारी विभिन्न पदों पर काम पर लगाये गये तथा उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्कचार्ज पर कर्मचारी लगाने हेतु वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक किस-किस मद के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि विभाग को अलवर क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं में मिली ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वर्ष में वर्कचार्ज पर लगाये गये कर्मचारियों में से कितने स्थायी कर दिये गये और कितने अस्थायी हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र अलवर में वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 में दैनिक वेतन पर कोई भी कर्मचारी किसी भी पद पर काम पर नहीं लगाया गया है तथा ना ही कोई भुगतान किया है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) वर्कचार्ज पर कर्मचारी लगाने हेतु वर्ष 1994-95 से 1996-97 तक किसी भी पद के अन्तर्गत कोई राशि का आबंटन अलवर क्षेत्र के लिए नहीं किया गया हैं।

(3) उक्त वर्षों में जब कोई वर्कचार्ज पर कर्मचारी लगाया ही नहीं गया तो स्थायी एवं अस्थायी करने का प्रश्न ही नहीं है।

निर्वाचन क्षेत्र डूंगरगढ़ (चूरू) में पेच कार्य

328. श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र श्री डूंगरगढ़ जिला चूरू के ग्राम लखासर से सेरूणां वाया दुलचासर, गोपालसर, टेरासर मार्ग पर पेच कार्य हुआ है ? यदि हां, तो किस योजना के तहत तथा कब एवं कितनी राशि का ?

(2) क्या उक्त कार्य के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किनकी तरफ से और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(3) अब उक्त अधूरे कार्यों को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह कार्य बजट मद 3054 साधारण मरम्मत एवं रख-रखाव (आयोजना भिन्न) में करवाया जा रहा है। कार्य जून, 1996 से चल रहा है तथा माह फरवरी, 1997 तक ठेकेदार द्वारा रुपये 1,61,619/- का कार्य पूर्ण कर दिया गया है।

(2) जी, हां। इस सम्बन्ध में एक शिकायत ग्राम पंचायत क्षेत्र सूडसर, दुलचासर के निवासीगणों की तरफ से व एक शिकायत श्री सुशील कुमार मोदी, मु. पो. सूडसर से प्राप्त हुई है। उपरोक्त सभी शिकायतों में वर्णित तथ्यों की जांच की गयी। दोनों सड़कों के पेच का कार्य प्रगति पर है। शिकायत में वर्णित फर्जी भुगतान की शिकायत को सही नहीं पाया गया।

(3) उक्त दोनों सड़कों के मरम्मत कार्य अप्रैल, 1997 के अन्त तक पूर्ण करवा दिये जाएंगे।

जिला उदयपुर में सड़क एवं भवन निर्माण कार्य

329. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1995-96 में उदयपुर जिले में कुल कितनी सड़कें निर्मित कराई गई और कुल कितनी सड़कों की मरम्मत की गई ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 1995-96 में उदयपुर में विभाग द्वारा कितने भवन निर्माण के कार्य किस-किस योजना में कराये गये और इस पर कितनी राशि व्यय की गई ?

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(3) वर्ष 1996-97 में भवन निर्माण और सड़क निर्माण पर कुल कितनी राशि सरकार द्वारा आबंटित की गई और कौन-कौनसी सड़कें और भवन बनाये जाने प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1995-96 में उदयपुर जिले में 119 सड़कें निम्न मदों में निर्मित करायी गयी:-

मद	निर्मित कार्य
4853 खनन	3
5054 टी. ए. डी.	61
5054 सामान्य	43
5054 अरबन	1
5054 स्टेट हाईवे	11
कुल :-	119

विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है ।

(2) कुल 100 सड़कों पर विशेष मरम्मत का कार्य किया गया, जिसका नाम सहित सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है । वर्ष 1995-96 में उदयपुर जिले में विभाग द्वारा कुल 49 भवनों का निर्माण कराया गया है, योजना निम्नलिखित है । तथा इन पर जो राशि व्यय की गयी उसका विवरण नीचे लिखे अनुसार:-

	व्यय (लाखों में)
1. 4059-पीडब्ल्यू.	7.47
2. 4210-चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाएं	12.99
3. 4211-चिकित्सा (प्रा. र. वे) सेंटर	5.03
4. 4216-न्यायिक भवन (आवासीय)	23.64
5. 4250-सी. ओ. अदर सोसियल (आई. टी. आई.)	9.23
6. 43216-पुलिस हाउसिंग	77.36
7. 4070-प्रशासनिक सेवाएं	1.25

(3) वर्ष 1996-97 में भवन निर्माण के 84 कार्य हेतु रुपये 256.74 लाख एवं सड़क निर्माण के 231 कार्य हेतु 875.78 लाख की राशि सरकार द्वारा आबंटित की गयी है । वर्ष 1996-97 में स्वीकृत की गयी सड़कों के कार्य की सूची परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है ।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

टोल टैक्स की वसूली प्रकरण

330. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (जोधपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितने पुलों की टोल टैक्स की राशि ठेके से वसूली जाती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) टोल टैक्स की लीज राशि की वसूली नहीं होने पर कितनी वित्तीय हानि हुई है ? वित्तीय वर्ष के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) पी. डी आर. द्वारा इन प्रकरणों में की गई कार्यवाही एवं इस हानि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में 14 नदियों पर कुल 20 पुलों पर ठेके पर टोल टैक्स की वसूली की जाती है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) टोल टैक्स की लीज राशि की वसूली नहीं होने पर वर्षवार कुल वित्तीय हानि निम्न प्रकार है :–

वर्ष	हानि
1987-88	2,69,500/–
1988-89	4,20,417/–
1991-92 व	
1992-93	6,05,712/–
1991-92	7,72,380/–

(3) पी.डी.आर. द्वारा इन प्रकरणों में की गयी कार्यवाही एवं इस हानि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

कार्यवाही का विवरण	उत्तरदायी अधिकारी
1. श्री गोवरधन सिंह, ठेकेदार द्वारा साबी नदी पर पुल के टोल टैक्स के अनुबंध को तोड़ने के कारण मूल राशि एवं ब्याज की वसूली राशि 2,15,087/– की वसूली हेतु पी.डी.आर. एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गई। कलेक्टर (पी. डी. आर.) भरतपुर द्वारा 27.6.95 को विभाग के पक्ष में निर्णय दिया। श्री गोवर्धन सिंह, ठेकेदार द्वारा 25.7.95 को राजस्व अपील अधिकारी, भरतपुर के यहां उपरोक्त फैसले के विरुद्ध अपील दायर की गयी जिसकी आगामी सुनवाई की तारीख 2.5.97 है।	कोई नहीं
2. श्री कृपाल सिंह ठेकेदार से 7,72,380/– की वसूली की कार्यवाही की जा रही है। किन्तु न्यायालय में वाद चलने के कारण वसूली स्थगित है।	कोई नहीं
जोधपुर पाली राज्य मार्ग किमी. 44 में लूणी नदी पर टोल टैक्स की वसूली अवधि 1-8-87 से 31-7-88 तक 6,89,917/– व 10 प्रतिशत ब्याज की हानि हुई जिसकी वसूली हेतु पी.डी. आर. एक्ट के तहत कार्यवाही कलेक्टर (वसूली) जोधपुर के समक्ष विचाराधीन है। 1-8-91 से 31-7-92 की अवधि मे 3,90,625/– व 18 प्रतिशत ब्याज की राजस्व हानि हुई जिसका प्रकरण वर्तमान मे राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर मे विचाराधीन है।	कोई नहीं

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

(54)

जखाना से रायथल (बूंदी) सड़क निर्माण

331. श्री रामकिशन वर्मा (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विभाग की वार्षिक योजना वर्ष 1983-84 व 1984-85 में स्वीकृत सम्पर्क सड़क जखाना से रायथल (जिला बूंदी) के काम आने वाली भूमि खसरा संख्या 291 ग्राम पीपल्या (तहसील बूंदी) के अवार्ड का अनुमोदन जिला कलेक्टर बूंदी से प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो अवाप्त की गई भूमि में सड़क निर्माण कार्य कब तक करवा दिया जायेगा ?

(2) सरकर द्वारा उक्त निर्माणाधीन सड़क के कार्य को पूर्ण करने के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जाकर कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां । वर्ष 1984-85 में स्वीकृत सम्पर्क सड़क जखाना से रायथल जिला बूंदी के काम में आने वाली भूमि खसरा संख्या 291 ग्राम पीपल्या का प्रस्तावित अवार्ड रुपये 31979/- का भूमि अवाप्ति अधिकारी, सा. नि. वि., वृत्त-द्वितीय कोटा द्वारा वास्ते अनुमोदन हेतु जिला कलेक्टर महोदय, बूंदी को दिनांक 1-7-96 को को भिजवाया गया था । जिसका अनुमोदन जिला कलेक्टर बूंदी द्वारा दिया गया है । अवाप्त की गयी भूमि में सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

(2) जखाना से रायथल सड़क किलोमीटर 4/0 से 8/0 के बी. टी. कार्य की स्वीकृति 10.00 लाख की पत्र संख्या एफ-2 (29) पी.डब्ल्यू./96/डी-2298 दिनांक 22-10-96 द्वारा हो चुकी है जिसका कार्य आदेश दिनांक 21-12-96 को आबंटित किया जा चुका है । यह कार्य प्रगति पर है।

तहसील खैरवाड़ा के विचाराधीन पुल

332. श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील खैरवाड़ा के ग्राम पालियाखेड़ा, बावलवाड़ा मार्ग पर एक पुल निर्माण की योजना है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पुल निर्माण के बाद झाडोल और खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र का अधिकांश भाग गुजरात से जुड़ जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, नहीं ।

(2) जी, नहीं । वर्तमान में तहसील खैरवाड़ा का अधिकांश भाग जो कि गुजरात सीमा पर है वह पूर्व में ही दूसरी सड़कों से जुड़े हुए हैं ।

उदयपुर व भीलवाड़ा जिले की सिंचाई परियोजनाएं

333. श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रामपाल उपाध्याय)

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में उदयपुर संभाग तथा भीलवाड़ा जिले में सिंचाई विभागीय परिसम्पत्तियां कम हुई है ? यदि हां, तो उक्त तीनों वर्षों का उक्त वर्णित क्षेत्रों की सिंचाई परियोजनाओं पर हुए खर्च का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त क्षेत्रों में उक्त वर्षों में सिंचाई की कोई नई परियोजनाओं की स्वीकृतियां हुई हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं तथा उन पर कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त क्षेत्रों में आधुनिकीकरण योजनाओं का कार्य प्रारम्भ किया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनाओं पर कितना-कितना धन आवंटित किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, नहीं । उदयपुर संभाग के अन्तर्गत उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमन्द एवं भीलवाड़ा जिले आते हैं । विगत तीन वर्षों से सिंचाई उदयपुर संभाग के अन्तर्गत आने वाले उक्त जिलों में सिंचाई विभागीय सम्पत्तियां कम नहीं हुई हैं ।

(2) उदयपुर संभाग में विगत तीन वर्षों से जिलेवार निम्न परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं:–

क्र.सं.	नाम जिला	स्वीकृत परियोजनाएं
1.	उदयपुर	5
2.	बांसवाड़ा	4
3.	डूंगरपुर	3
4.	भीलवाड़ा	6
5.	चित्तौड़गढ़	5
6.	राजसमन्द	—
	योग :–	23

जिलेवार परियोजनाएं एवं स्वीकृत राशि को संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शाया गया है ।

(3) उदयपुर संभाग की अधीनस्थ सिंचाई परियोजनाओं पर मोडर्नाइजेशन का कार्य किया गया जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है ।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–16 देखें)

गंग कैनाल जैड माइनर से व्याप्त गंदगी

334. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि गंग कैनाल की जैड माइनर नहर डिस्ट्रीब्यूटरी शहर के बीच में होकर निकलती है ? जिसके कारण शहर में गन्दगी व बीमारियां फैलती हैं ? यदि हां, तो सरकार इस नहर को पक्का करने या उसमें आवश्यक सुधार हेतु

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि जनप्रतिनिधियों, विधायक एवं समाज सेवी संस्थाओं द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन, ज्ञापन व शिकायतें जिला प्रशासन को प्रेषित की गई थी ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गंग कैनाल प्रणाली की जैड वितरिका की ए माइनर बुर्जी 0 से 13 तक की गंगानगर शहर के बीच होकर निकलती है। उक्त माइनर के इस भाग में नहर के दोनों ओर अनधिकृत कब्जे व निर्माण हो चुके हैं जिनका कूड़ा-करकट इत्यादि नहर के पानी को दूषित करता है। इस भाग में नहर को कवर करने के प्रस्ताव तैयार कर लिये गये हैं जिनकी स्वीकृति विचाराधीन है।

(2) जी, हां। यह सही है कि "ए" (छोटी) माइनर की बुर्जी 0 से 13 तक कवर करने की मांग जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संस्थाओं इत्यादि द्वारा की जाती रही है एवं इसी सन्दर्भ में मांग की पूर्ति हेतु नहर को कवर करने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

जिला बारां की प्रस्तावित सिंचाई योजना

335. **श्री प्रतापसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) बारां जिले में सिंचाई की कितनी क्षमता उपलब्ध है? इसमें से कितनी सिंचाई क्षमता उपयोग में ली जा रही है, शेष सिंचाई क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी व वर्तमान में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या इस सिंचाई क्षमता के उपयोग के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बारां जिले का क्षेत्र. 6,95,540 हैक्टेयर है, जिसमें से 4,23,000 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। बारां जिला चम्बल नदी बेसिन के निम्न उप बेसिनों के भाग के अन्तर्गत आता है।

1. काली सिंध सब बेसिन
2. परवन सब बेसिन
3. पार्वती सब बेसिन एवं
4. कुनु सब बेसिन

(सिंचाई मंत्री)

क्र.सं.	उप बेसीन का नाम	जलग्रहण क्षेत्र वर्ग मील में	पानी की उपलब्धता (टी.एम.सी.)	उपयोगिता टीएमसी.			कुल	शेष पानी टी.एम.सी. में
				वर्तमान	निर्माणाधीन	प्रस्तावित		
1.	कालीसिंध सब बेसिन	2857	60.08	2.084	9.174	35.015	46.273	13.80
2.	परवन सब बेसिन	1170	32.20	0.322	5.441	25.190	30.953	1.247
3.	पार्वती सब बेसिन	1930	69.70	10.050	8.264	32.705	44.019	25.681
4.	कुनु सब बेसिन	270	8.250	0.184	—	2.491	2.675	5.575
	योग :—	6227	170.230	12.640	15.879	95.401	123.920	46.310

तदनुसार बारां जिले के क्षेत्रफल के अनुपात में 70.00 टी. एम. सी. पानी की उपलब्धता रहेगी एवं पानी के उपयोग का विवरण निम्नानुसार है :—

पूर्ण योजनाओं से हो रहा जल उपयोग	निर्माणाधीन योजनाओं से जल उपयोग	प्रस्तावित योजनाओं से जल उपयोग	कुल उपयोग	प्रस्तावित कुल सिंचित क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
9.580 टी. एम. सी.	2.200 टी. एम. सी.	38.200 टी. एम. सी.	49.980 टी.एम.सी.	2,05,000

इस प्रकार 2,05,000 हैक्टेयर क्षेत्र में सतही जल स्रोतों से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान में चम्बल की नहरों से 46,000 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो रही है।

(सिंचाई मंत्री)

(2) उपलब्ध जल के उपयोग हेतु मास्टर प्लान बनाया गया है तथा इसके अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं की क्रियान्विति उपलब्ध वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करती है।

बीसलपुर योजना के विस्थापितों का मुआवजा प्रकरण

336. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में विस्थापित एक जीवित महिला को मृत बतलाकर मुख्तारनामे के आधार पर मुआवजे की बड़ी राशि प्राप्त कर लेने का नामजद प्रकरण सरकार के ध्यान में आया है ? यदि हां, तो क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त महिला को मुआवजे की राशि उपलब्ध करवा दी गयी है ? यदि हां, तो कब और कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक उपलब्ध करवा दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। बीसलपुर बांध परियोजना डूब क्षेत्र में किसी जीवित महिला को मृत बताकर मुख्तारनामे के आधार पर मुआवजे की राशि उठाने का जो प्रकरण राज्य सरकार के ध्यान में आया है उसकी जांच पर यह पाया गया कि इस तरह की कोई अनियमितता नहीं हुई है।

(2) जी, नहीं। इस प्रकरण की जांच की गई। मृत महिला के पति श्री मांगीलाल कहार ने 2 विवाह किये थे श्री मांगीलाल की दोनों पत्नियों के अलग-अलग बच्चे हैं तथा उनमें पारिवारिक सम्पत्ति को लेकर विवाद है। श्री मांगीलाल की जो पत्नी जीवित है उसका नाम भी पहले वाली पत्नी के नाम के उपर ही रख दिया है जिससे यह सारा भ्रम हुआ है। जांच से पता चला है कि भुगतान में कोई अनियमितता नहीं हुई है और भुगतान नियमानुसार है। जांच रिपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न है।

(जांच प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

बन्सोली बांध (नैनवां) पर पुल निर्माण

337. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि बन्सोली बांध (नैनवां) की बन्सोली माइनर की चैन संख्या-16 पर बन्सोली से गुढ़ादेवजी के पुराने ग्राम रास्ते पर नई तथा गाडरिया के झोंपड़ों से गणेशपुरा जाने वाले रास्ते पर सबमरजेंस में निर्माणाधीन, पुलिया का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी, हां । बांध की बन्सोली माइनर की चैन संख्या-16 पर बन्सोली से गुढ़ादेवजी के पुराने रास्ते पर पुलिया निर्माण हेतु निविदाएं आमन्त्रित की गई हैं एवं कार्य जून,1997 तक पूर्ण कराने का प्रस्ताव हैं । बन्सोली बांध के सबमरजेंस में देई से गाडरिया की झोंपड़ी से गणेशपुरा के जाने के रास्ते की पुलिया का कार्य निर्माणाधीन है एवं जून, 1997 तक पूर्ण कराने का प्रस्ताव है ।

बारां जिले के प्रस्तावित बांध/एनीकट

338. श्री भरतसिंह (खानपुर) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) हाड़ौती के नदी जल को व्यर्थ बहने से रोकने हेतु क्या सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो किन-किन नदियों का पानी किस-किस स्थान पर रोकना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या बारां जिले में परवन नदी पर शेरगढ़ सिचाई परियोजना तथा झालावाड़ जिले में हरिशचन्द्र सागर सिचाई परियोजना में अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हेतु एनीकट या बांध बनाना प्रस्तावित है या पूर्व में किसी प्रकार का सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो कब तथा इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी, हां । सूची संलग्न है ।

(2) बारां जिले में परवन नदी पर शेरगढ़ (पिकग्रप वियर) के लिए परवन नदी पर शेरगढ़ पिकग्रप वियर से कुछ किलोमीटर ऊपर नदी का पानी रोक कर अथवा देह का पानी उपयोग कर परवन नहरों को अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव वर्ष 1994–95 से तैयार किये जा रहे हैं । झालावड़ जिले में कालीसिंध नदी पर ग्राम भंवरासा के नजदीक बांध बनाया जाना प्रस्तावित है जिसका सर्वे कार्य वर्ष 1982–83 में कराया गया एवं प्रस्तावित बांध की हाईड्रोलोजीकल स्टडीज तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जा चुकी है । इससे हरिशचंद्र सागर परियोजना को पानी दिया जाना प्रस्तावित है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-18 देखें)

ग्राम बागोर (माण्डल) की गंगदेह परियोजना

339. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला भीलवाड़ा की तहसील माण्डल के ग्राम बागोर में गंगदेह परियोजना में तालाब का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो इसमें कुल कितनी राशि व्यय की गयी है ? इस तालाब की भराव क्षमता कितनी है और इससे कितनी भूमि की सिंचाई होगी ?

(श्री कालूलाल गूजर)

(2) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना की नहरें नहीं बनी हुई हैं, जिससे परियोजना के पानी का उपयोग नहीं हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार इस योजना पर नहरें कब तक बनाकर कार्य को पूर्ण कर देगी ?

(3) क्या यह सही है कि इस परियोजना को पूर्ण करने हेतु आवश्यक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन पर स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, नहीं। गंगदेह परियोजना का कार्य अभी अधूरा है। अब तक इस पर 22.81 लाख रुपये की राशि व्यय की गयी है। इस तालाब की कुल भराव क्षमता 41.00 मिलियन घनफीट है, एवं इससे 372 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है।

(2) जी, हां। यह एन.आर.ई.पी. का अधूरा कार्य है जिसे सिंचाई योजना मद से आवश्यक धन राशि उपलब्ध होने पर एवं निर्धारित तकनीकी एवं आर्थिक मापदण्डों के अनुकूल होने पर ही पूरा करवाया जाना सम्भव होगा।

(3) जी, हां। इस परियोजना के प्रस्ताव तकनीकी एवं आर्थिक मापदण्डों के अनुरूप होने पर स्वीकृति दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु संचालित योजनाएं

340. श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के विकास एवं कल्याण के लिए कौन-कौनसी योजनाएं कब-कब से संचालित हैं ?

(2) दिसम्बर, 1993 से दिसम्बर, 1996 तक इन योजनाओं में वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्या-क्या रही हैं ?

(3) क्या सरकार द्वारा इन योजनाओं की सफलता हेतु भौतिक सत्यापन/मूल्यांकन आदि करवाया गया है ? यदि हां, तो योजनावार यह भौतिक सत्यापन/मूल्यांकन कब-कब, किस-किस एजेंसी के माध्यम से करवाया गया तथा इन एजेंसियों के मुख्य निष्कर्ष तथा सुझाव क्या-क्या थे ?

(4) प्रश्न के भाग (2) में दर्शाई उपलब्धियों से क्या सरकार संतुष्ट है ? क्या योजना के लक्ष्यों के अनुरूप विकास हुआ है ? यदि नहीं, तो उपलब्धि के आंकड़ों एवं वास्तविकता में अन्तर के क्या कारण रहे हैं ?

(5) अब सरकार योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति एवं सुधार हेतु क्या-क्या कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विकास एवं

(राज्य मंत्री, समाज कल्याण)

कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित हैं, तो मुख्यतः शैक्षणिक, आर्थिक एवं उनके सामाजिक विकास से सम्बन्धित हैं। इनके अतिरिक्त राजस्थान अनुसूचित जाति जन जाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा भी अनुसूचित जाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के आर्थिक उत्थान हेतु व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं संचालित है। योजनाओं का विवरण परिशिष्ट "1" पर उपलब्ध है।

(2) वित्तीय वर्ष 1993-94 से माह दिसम्बर, 1996 तक की योजनावार, वर्ष-वार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियों की सूचना परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) जी, हां। योजनावार मूल्यांकन के सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(4) जी, हां। लक्ष्यों एवं उपलब्धि का विवरण परिशिष्ट "2" पर उपलब्ध है।

(5) राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विकास से सम्बन्वित योजनाओं को प्रभावी क्रियान्विति एवं सुधार हेतु विभाग के शून्य आधारित बजट के अनुसार परियोजनाओं के अन्तर्गत परिवर्तन किया गया है जिससे वर्तमान सापेक्ष के आधार पर जो योजनाएं लाभकारी नहीं हैं उन्हें बन्द करने का निर्णय लिया गया है तथा अन्य योजनाओं में आमूल-चूल परिवर्तन कर इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया गया है। इस सम्बन्ध में सूचना परिशिष्ट "4" पर उपलब्ध है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम का प्रस्तावित छात्र/छात्रा छात्रावास

341. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम): क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में छात्राओं व छात्रों के लिए कोई छात्रावास की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां, तो उसका कार्य कब तक शुरू कर दिया जायेगा तथा क्या-क्या सुविधाएं दी जायेगी ?

उत्तर

जी, हां। विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के ग्राम महस्वा में अनुसूचित जाति का एक छात्रावास स्वीकृत किया गया है। उक्त छात्रावास का संचालन अगले शैक्षणिक सत्र सत्र 1997-98 से किया जा सकेगा। छात्रों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, तेल, साबुन, पानी-बिजली, पत्र-पत्रिका आदि सुविधाएं नियमानुसार उपलब्ध करायी जाएगी।

कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों को 40 रुपये तथा कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को 60 रुपये प्रति सत्र एक मुश्त नकद राशि प्रदान की जायेगी।

जिला भीलवाड़ा व अजमेर के अकाल राहत कार्य

342. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि अकाल राहत कार्यों में अनियमितता की शिकायतों पर उपखण्ड, जिला स्तर की समितियों में कार्यवाही बाबत दिशा निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार की अजमेर तथा भीलवाड़ा जिले की कौन-कौन सी शिकायतों को ऐसी बैठकों में प्रस्तुत कर कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि अजमेर व भीलवाड़ा जिले में अकाल राहत कार्यों में भ्रष्टाचार की शिकायतें आई थी ? यदि हां, तो उन शिकायतों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी, हां । जिला कलक्टरों से प्राप्त सूचना के आधार पर विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट "क" व "ख")

(2) जी, हां । जिला कलक्टरों से प्राप्त सूचना के आधार पर विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है । (परिशिष्ट "क" व "ख")

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय महाविद्यालय करौली (सवाईमाधोपुर) में विधि संकाय

343. श्री हंसराम गुर्जर (करौली) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील करौली (सवाईमाधोपुर) के राजकीय महाविद्यालय में विधि की कक्षाएं चलाई जाती थीं ? यदि हां, तो उन्हें बन्द किये जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार राजकीय महाविद्यालय, करौली जिला सवाईमाधोपुर में विधि की कक्षाएं पुनः प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां । बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया के नये मानदण्डों के अनुसार विधि कक्षाएं केवल उसी स्थान पर संचालित हो सकती हैं जहां पर जिला एवं सेशन न्यायालय स्थित हो तथा जिला मुख्यालय हो ।

(2) जी, नहीं । क्योंकि करौली जिला मुख्यालय नहीं है ।

राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का आवास आबंटन प्रकरण

344. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हरिसिंह)

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में विभिन्न कर्मचारियों को आवास आबंटन, हाउस एलाटमेंट कमेटी की सिफारिशों पर कुलपति के अनुमोदन के बाद किया जाता है ?

(2) वर्ष 1993 व 1994 में हाउस एलाटमेंट कमेटी की मीटिंग किन-किन तारीखों को हुई एवं किन-किन व्यक्तियों को किन-किन श्रेणियों के मकान देने की सिफारिश उस कमेटी द्वारा की गयी ? कमेटी की वर्ष 1993–94 में मीटिंगवार मूल सिफारिशों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(3) माह नवम्बर-दिसम्बर, 1996 में विश्वविद्यालय द्वारा किन किन कर्मचारियों को नोटिस जारी कर मकान खाली करने के निर्देश दिए गये ? इनकी श्रेणीवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान में रीडर श्रेणी की प्रतीक्षा सूची की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय आवासों का स्थायी आबंटन हाउस एलाटमेंट कमेटी की सिफारिशों के कुलपति महोदय से अनुमोदन के उपरांत किया जाता है तथा विशेष परिस्थितियों में अस्थायी आबंटन के अधिकार कुलपति को हैं जिसके सम्बन्ध में एक प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) वर्ष 1993 व 94 में सम्पन्न हुई हाउस एलाटमेंट कमेटी की तिथिवार बैठकों व उसमें जिन-जिन व्यक्तियों को जिन-जिन श्रेणी के आवास आबंटित करने की सिफारिश की है उनकी प्रतियां परिशिष्ट "अ" के रूप में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) माह नवम्बर-दिसम्बर, 1996 में विश्वविद्यालय द्वारा जिन-जिन कर्मचारियों को मकान खाली करने के निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किये उनकी सूची परिशिष्ट "ब" के रूप में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(4) वर्तमान में रीडर श्रेणी की प्रतीक्षा सूची परिशिष्ट "स" में रूप में सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(प्रतियां एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

(पुनः समवेत होने पर)

(12.00)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मांग

माननीय सदस्यों का निलम्बन एवं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की कार्यवाही वापस लेने की मांग

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (उप नेता, प्रतिपक्ष) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान) अभी प्रश्नकाल नहीं है, सुनो तो सही। (व्यवधान) प्रश्नकाल नहीं है, सुनो तो सही।

(64)

श्री किशन गोपाल कोगटा : आसन पैरों पर है, जरा देखो तो सही । बुजुर्ग आदमी हो, पुराने सदस्य हो । (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): आसन पैरों पर है .. (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : इनको कुछ भी ज्ञान नहीं है । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ... (व्यवधान) मदन दिलावर सुनेंगे । (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : जांच कराओ । (व्यवधान)

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हां, साहब मंत्री खड़े रहते हैं, आसन पैरों पर हो तब आप नहीं बोलते हो । ... (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : बड़े शोभायमान हो रहे हैं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया उप नेता महोदय, बिराजें । (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : आसन पैरों पर है ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है । (व्यवधान) कृपया माननीय सदस्य बिराजें । (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में सारी परम्पराएं आप लोगों ने तोड़ दी है । इस वास्ते + + +

श्री हरिशंकर भाभड़ा : (व्यवधान) यह क्या कह रहे हैं आप (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : एक्सपंज करिये यह । एक्सपंज करिए यह । (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हां, क्या हुआ था सारी परम्पराएं तोड़ दी आपने । (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : आसन पैरों पर है .. (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : आप ही बोलने वाले हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आसन पैरों पर है और आप बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गुर्जर : इसे एक्सपंज कराइये । (व्यवधान)

श्री चन्दनमल बैद : हां, नहीं मानेंगे हम ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, इनसे यह कोई ऐसी आशा नहीं थी । माननीय सदस्य आप से तो यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि इस प्रकार से आसन का अपमान करेंगे । यह कम से कम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी । (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने नियमों का + + + कर दिया । (व्यवधान) नियमों को फाड़कर रख दिया । (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री रामप्रताप कासनियां : आसन की कद्र करना आपका फर्ज है। आसन की कद्र करना सीखो। (व्यवधान)

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी : आसन पैरों पर होते हुए भी विपक्ष वालों को इस सदन की गरिमा का पता नहीं है (व्यवधान) यह बुजुर्ग सदस्य हैं। आसन पैरों पर है, क्या सूझ रहा है आपको ? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय .. (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गूर्जर : ऑन ए पाइंट आफ आर्डर। यह एक्सपंज कराइये। सीधा आप पर आक्षेप लगाया है। (व्यवधान)

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : विधान सभा की गरिमा को ध्यान में रखिये। आसन पैरों पर है, आप नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : इस सदन में मंत्री को थप्पड़ मारा गया, इसको भी एक्सपंज कर दो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमारा बहिर्गमन चालू है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हमें कहते हैं कि आसन पैरों पर है। आप खुद खड़े हो रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपने परम्पराओं की + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें माननीय सदस्य। माननीय नेता महोदय...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : + + + (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य, विराजें। माननीय नेता महोदय.... (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गूर्जर (राज्य मंत्री, पंचायती राज) : ऑन ए पाइट आफ आर्डर।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट .. (व्यवधान)

श्री नाथूसिंह गूर्जर : सर, ऑन ए पाइंट आर्डर। यह एक्सपंज कराइये। यह सीधा आप पर आक्षेप लगाया है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नो पाइंट आफ आर्डर।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस सदन में मंत्री को थप्पड़ मारी गयी, उसको भी एक्सपंज करा दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान) नेता महोदय, विराजें। (व्यवधान) अगर कोई आपत्तिजनक बात है तो वह निकाल दी जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप माफी मांगो. इसके लिए क्षमा मांगिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आपत्तिजनक बात तो मंत्री के थप्पड़ मारना भी था।

श्री चन्दनमल बैद : इतने पुराने सदस्य होकर भी (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री लक्ष्मणसिंह रावत : सारे प्रजातन्त्र की + + +

श्री शैलेन्द्र जोशी : मंत्री के चांटा मार दे (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माफी मांगो। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : भारतीय जनता पार्टी के राज में, उपाध्यक्ष महोदय, एक मंत्री दूसरे मंत्री के चांटा मारता है.... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चन्दनमल जी बैद को बाहर किया जाए। (व्यवधान) चन्दनमल जी बैद को बाहर किया जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह प्रजातन्त्र की + + + है।

एक माननीय सदस्य : चन्दनमल जी बैद को बाहर किया जाये। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार प्रजातन्त्र की + + + है (व्यवधान) किसान विरोधी सरकार है। (व्यवधान) किसान विरोधी सरकार है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : माननीय चन्दनमलजी बैद का भी (व्यवधान) किया जाए। + + +

श्री भंवरसिंह डांगावास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने इस आसन का अपमान किया है। इन्हीं शब्दों के साथ इसको विशेषाधिकार समिति को रेफर किया जाना चाहिए (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आगे आने वाला एक-एक दिन आपसे हिसाब लेगा। (व्यवधान) आने वाला भविष्य (व्यवधान) आपको इतिहास भी नहीं भूलेगा (व्यवधान) भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस तरह का काला इतिहास बनाया है। + + + इस तरह का काला इतिहास बनाने पर। उपाध्यक्ष महोदय, यह + + + एक दिन आपको इसका फल भुगतना पड़ेगा। (व्यवधान) किस तरह की... (व्यवधान) + + + (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : (व्यवधान) दुःख होता है, यह + + +। राजस्थान के + + + एक किसान का बेटा अपनी बिजली की मांग कर रहा था आपसे। उपाध्यक्ष महोदय, उस समय यह घटना हमारे साथ घटी, वैसा आज तक कभी इस सदन में नहीं हुआ। इसलिए यह किसान विरोधी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : × × ×

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हम बहिर्गमन करते हैं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) आप बोल रहे हैं, बोलने दें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। ग्रासन के लिए जो आरोप लगाये गये हैं, वे कार्यवाही से निकाल दिये जाएं।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : निर्णय लेना ग्रापका अधिकार है लेकिन हमारा भी अधिकार है कि हम ग्रापसे प्रार्थना करें कि इस तरह के शब्दों को सिर्फ निकालने से कुछ नहीं होगा, इनको विशेषाधिकार समिति को सौंपिये।

एक माननीय सदस्य : विशेषाधिकार समिति को सौंपिये (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री घनश्याम जी बोल रहे हैं।

श्री नाथूसिंह गुर्जर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ ग्रार्डर यही था। Thank you for that. ग्रापने एक्सपंज कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं गंभीरतापूर्वक ग्रापसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं ग्रौर दो-चार मिनट में ग्रपनी बात रखना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछला सत्र, जब से सदन का चला था तब से लेकर ग्राज तक रोज प्रतिपक्ष यहां पर आता है, अपनी बात कहता है ग्रौर चला जाता है। (व्यवधान) प्रश्नकाल, जो हमारा महत्वपूर्ण काल होता है, वह काल पूरे सत्र में इसी प्रकार से गया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां पर विधान सभा में हम व्यक्तिगत ग्राकांक्षाओं की पूर्ति के लिए व्यक्तिगत मान-सम्मान को प्रश्न बनाकर, व्यक्तिगत बाहर जाने ग्रौर ग्रन्दर ग्राने को प्रश्न बनाकर राजस्थान की जनता की गाढ़े पसीने की कमाई से कमाया हुआ पैसा ग्रौर इस सर्वोच्च सदन में जो कुछ हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ हमारे कर्त्तव्य हैं, क्या हम उनका निर्वहन कर रहे हैं, यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष को सदन से बाहर देखकर किसी को प्रसन्नता नहीं हो सकती। सत्ता पक्ष, माननीय मुख्य मंत्रीजी, उप मुख्य मंत्रीजी, माननीय ग्रध्यक्ष महोदय या उपाध्यक्ष महोदय, ग्राप, संसदीय कार्य मंत्रीजी, हमारे सचेतक महोदय सब चाहते हैं कि प्रतिपक्ष सदन की कार्यवाही में भाग ले। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी विडम्बना देखिये। एक-एक बात जो हमने बनायी, उन बातों का हमारे पास जवाब नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह प्रश्न कर सकता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय को सदन में आने से रोकना, उनके संवैधानिक कर्त्तव्यों का निर्वहन करने से रोकना, यह गलती नहीं है? हम इसके लिए क्षमा नहीं मांग सकते? उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां ग्रापके सामने पड़े हुए लैम्प-पोस्ट को उठा कर तोड़ना संसदीय परम्पराग्रों के ग्रन्तर्गत है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल महोदय, जो संवैधानिक पोस्ट को वहन करते हैं, उनके हाथ से बार-बार उछलकर, उनका भाषण फाड़ना

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

और उसको हवा में उछालना, यह + + + करना, क्या यह संसदीय परम्पराओं के अनुरूप है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष से पूछना हूं कि सुरक्षाकर्मी, जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, जो हमारी यहां पर मदद करने के लिए आते हैं, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सदन के सदस्यों की रक्षा करते हैं, उनको इस पवित्र प्रांगण में पैंट उतारना, पैंट उतारकर फाड़ना और फाड़ कर उसको गले में माला के रूप में पहनाना और फिर उसके लिए वाहवाही करना, यह किस बात का प्रतीक है ?

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : + + +

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह सब बातें इस बात को प्रतिपादित करती है कि क्या हम इस सदन के अन्दर हमारे कर्त्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आये हैं ? मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी जब हृदय की बाई-पास सर्जरी कराने के लिए गये तो डाक्टरों ने कहा कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। जीवन और मृत्यु के बीच में निकल रहे थे। आज कहते हैं बड़ा हृदय करो, उदार दिल करो। हम उदार दिल करने की बात कर रहे हैं, लेकिन वह जिस समय जीवन और मृत्यु के बीच क्लीवलैंड में झूल रहे थे उस समय पीठ में छुरा घोंपना और राजनीतिक षड्यन्त्र करना क्या कांग्रेस पार्टी के लिए शोभादायक था ? उस समय क्या हो गया था और वहां से वापस जाने के बाद, मुख्य मंत्रीजी यहां आकर बैठे, राज्यपाल इधर से आ रहे थे, राज्यपाल महोदय को वहां तक पहुंचने में बाधा उपस्थित की, राज्यपाल महोदय की अंगुली में चोट आ गयी। यह सारा काम किया। उपाध्यक्ष महोदय, आरोप क्या लगाया गया ? आरोप लगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां सुरक्षा प्रहरियों को खड़े करके मतदान कराया कोई नई बात है ? यहां पर बहुत बार, जब मैं विपक्ष में था, माननीय पूनमचन्द जी विश्नोई अध्यक्ष थे, सारी डिमाण्ड्स एक दिन में एक-एक करके पास की, हम वहां पर खड़े रहे। हमने कभी इस प्रकार का नहीं किया कि अध्यक्ष का माइक-पोस्ट तोड़ दिया हो, अभिभाषण छीन लिया हो या वहां पर जाकर कुछ भी किया हो और उन्होंने सारा का सारा बजट एक दिन में पास करवा दिया। आज हमारे ऊपर वे लांछन लगा रहे हैं कि हमारी अनुपस्थिति में बजट पास करवा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, विपक्ष एक-एक कर अपनी बात से हटा है। पहले कह रहे थे कि राज्यपाल का अभिभाषण ही नहीं हुआ, वह संवैधानिक ही नहीं है। जब राज्यपाल महोदय से मिलने गये तो वहां जाकर यह मुद्दा उठाया ही नहीं। तो वहां मान लिया कि राज्यपाल का अभिभाषण संवैधानिक था और यहां खड़े होकर कह रहे थे कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण संवैधानिक नहीं है। यहां षड्यंत्र तो यह रचा गया था कि 21, 22 और 23 करके 24 तारीख निकाल दो, अभिभाषण नहीं होने दो, खून-खच्चर कर दो, अराजकता की स्थिति पैदा

+ + + शब्द / अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कर दो, गुजरात की-सी स्थिति पैदा कर दो और पिछले दरवाजे से येन-केन-प्रकारेण सत्ता को प्राप्त कर लो। सत्ता को प्राप्त करने के लिए संविधान को भी वे ताक में रखने के लिए तैयार थे। उस समय उन्होंने वह कार्यवाही की। उसके बाद उन्होंने उस पाइंट को तो छोड़ दिया और फिर अध्यक्ष महोदय के खिलाफ करने लगे। यह सदन की परम्पराएं हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में मैं पूछना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देना और फिर नोटिस को अखबारों में प्रकाशित करवाना क्या स्वयं में विशेषाधिकार हनन नहीं है? अध्यक्ष महोदय की बिना अविश्वास प्रस्ताव के आलोचना की गयी, यह पूरे सदन का अपमान है।

यहां पर फिर तीसरा प्रश्न उठाया, यहां पर यह प्रश्न उठा दिया कि अध्यक्ष महोदय ने जिनको निकाला है, सदन ने जो प्रस्ताव पास किया वह सदन का प्रस्ताव पास करना है, वह अवैधानिक है। फिर क्या उसके लिए न्यायालय में जाएंगे? उपाध्यक्ष महोदय, अब व्यवस्था हो चुकी है। इस सदन में जब सम्पूर्णानन्दजी आये थे उस समय माननीय सदस्यों को भाषण के समय निकाला गया था। बारह सदस्यों को निकाला गया था और बारह सदस्यों को निकालने के बाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाई कोर्ट का निर्णय हुआ है कि इस सम्बन्ध में विधान सभा के अध्यक्ष की व्यवस्था अन्तिम है, उसको कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यहां पर भी उन्होंने उठाया और उठाने के बाद भी विधान सभा के अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दे दी कि सारा काम नियमानुसार हुआ है अब सारा काम नियमानुसार हुआ है तो फिर वह बात क्यों नहीं समाप्त हो गयी? अब उस बात को भी भूल गये और भूलकर कहने लगे कि जो लोग हैं उनको वापस लो। वापस लेने की बात पर भी हम सहमत हो रहे थे। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि सरकार इस बात से सहमत हो रही थी कि उनको वापस ले लिया जाए। वापस लेने से पहले बोले कि साहब, दो को लो कांग्रेस के। हमारी तरफ से भी प्रस्ताव गया कि कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री जुबेर खान और श्री जगदीप धनखड़जी, दोनों का नाम विशेषाधिकार हनन में नहीं है तो हमारे नेता लोग एग्री हो गये थे कि उनको वापस लिया जा सकता है। फिर कह रहे हैं कि चार को लो। चार की बात हो गयी। चार के बाद बोले कि श्री गोपीचन्द गूर्जर आपके मेम्बर हैं उनको छोड़ रहे हैं। आप अपनी बात संभालो। हमने कहा, हमारे मेम्बर को हमको डील करने दो, आपके मेम्बर्स को आप करो। बोले नहीं, वह भी हमारे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक घर में यह बात चल रही थी। बूजा करने वाला एक आदमी झाड़ा दिया करता था। गरीब आदमी था, झोंपड़ी नहीं थी। एक आदमी झाड़ा लगवाने आया। उसने कहा 'आकाश बांधू, पाताल बांधू, सात समुद्र बांधू।' उसकी घर वाली ने कहा, छान बांध ले, नहीं तो बरसात में भीगोगे। यह सारी छान तो फटी पड़ी है। कोई जोधपुर जाकर बैठता है, कोई बम्बई जाकर बैठता है, कोई कहां बैठ रहा है, कोई दिल्ली में दो टुकड़े कर रहे हैं, आन्ध्र में टुकड़े कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में टुकड़ों के टुकड़े हो गये। छान में चारों

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

तरफ छेकले ही छेकले हो रहे हैं। आपकी छान तो बांधो, हमारी तो हम बांध लेंगे। हमारे मेम्बर्स की ठेकेदारी आपने कहां से ले ली? उनकी ठेकेदारी लेने लगे। फिर हमने कहा कि कबड्डी में कोई काकाजी नहीं होता है। कबड्डी का पाला उस दिन तो घाल रहे थे। गींदड़ घालना हमने शुरू किया तो चकाचोंध हो गये। यह चलता नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

हम तो जाने के लिए तैयार हैं। हमने तय किया है। कांग्रेस पार्टी समझती है कि राजस्थान के किसानों का। मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों और सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। हमने सदन मजाक में नहीं चलाया, एक दिन भी अवकाश नहीं किया। रात को नौ-दस और ग्यारह बजे तक बैठे हैं हम यहां पर। जो काम वह नहीं कर रहे हैं, उस काम को भी हम कर रहे हैं यहां पर बैठकर डबल रोल में + + + हम विपक्ष का काम भी कर रहे हैं। विपक्ष का मतलब सरकार की आलोचना नहीं। हम उन कमियों को, उन चीजों को, जिनसे जनसाधारण में कठिनाई है और जिनका निराकरण किया जाना जरूरी है, वे सरकार के सामने रख रहे हैं और सरकार उनका निराकरण कर रही है, घोषणाएं कर रही है। अगर यह दो दिन और चल गया तो इनको लोग कहेंगे आपकी वहां जाने की क्या जरूरत है। आपका और अपना दोनों काम वह कर रहे हैं सर्वग्राह्य। उस काम का अनुभव तो हमको पहले से है और सरकार में भी हम परिपक्व हो गये हैं।

श्री रामेश्वरलाल भाटी : साइन करने आते हैं।

श्री भंवरसिंह डांगावास : मेड़ता में बाद में जनता कह देगी कि आपका क्या काम है वहां जाने का।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : फिर वहां जाने का काम ही क्या है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं क्रिएट हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि हम हमारे कारनामों से संसदीय प्रजातन्त्र को ही खतरे में डालते जा रहे हैं। कोई-सा भी उदाहरण मुझे बता दीजिये, राजस्थान की विधान सभा में कितने लोगों को बाहर निकाला गया। उनके साथ पूरे के पूरे पक्ष ने कब बहिर्गमन किया, एक भी उदाहरण नहीं है और आज भी नहीं है। आन्ध्र प्रदेश में पहले सात कांग्रेस वालों को बाहर निकाला, फिर अठारह को निकाला और फिर ग्यारह को निकाला लेकिन सारे के सारे तो बाहर नहीं गये। हरियाणा में वहां की पार्टी के नेता को बाहर निकाल दिया फिर भी नहीं गये। भजनलाल जी को निकाला, फिर भी कांग्रेस नहीं गयी। चौटाला साहब को निकाला तो समाजवादी पार्टी बाहर नहीं गयी और अभी लोकसभा के अन्दर ममता

+ + + शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बनर्जी को निकाला तो पूरी कांग्रेस पार्टी बाहर नहीं गयी ।

श्री महावीरप्रसाद जैन : पांडिचेरी में निकाला ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पांडिचेरी में कांग्रेस को निकाल रहे हैं, बंगाल में कांग्रेस को निकाल रहे हैं, हरियाणा में कांग्रेस को निकाल रहे हैं, आन्ध्र में कांग्रेस को निकाल रहे हैं। सब जगह कांग्रेस पार्टी को निकाला जा रहा है । निकलते-निकलते ये संसदीय प्रजातंत्र के बाहर ही हो जाएंगे अगर ऐसा अडंगा चलता रहा तो । यह क्या है ? यह क्या हो रहा है कांग्रेस पार्टी में ? इतनी पुरानी पार्टी कहां तक पहुंचने जा रही है ?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रतिपक्ष को चार-पांच बातें निवेदन करना चाहता हूं। सदन में तो नहीं सदन के बाहर जनता को जवाब देना पड़ेगा कि राज्यपाल महोदय के संवैधानिक कर्त्तव्यों के निर्वहन के समय जो बाधा डाली गयी, उनकी अंगुली में जो चोट पहुंचायी गयी, क्या वह सही है ? उनको कहना पड़ेगा कि राज्यपाल महोदय के ऊपर रखी हुई लेम्प-पोस्ट को और राज्यपाल के अभिभाषण को फाड़ा गया, क्या यह सही है ? उनको यह बताना पड़ेगा कि यहां पर रामसिंह नाम के पुलिस के कर्मचारी की पैंट फाड़कर उसके साथ मार-पीट करके उसके गले में पेंट डाला गया, क्या वह ठीक है ? यहां पर कांग्रेस पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव रखा, बिना उस पर विचार हुए उसको समाचार-पत्रों में देना ठीक है ? अध्यक्ष की मान-मर्यादा और अध्यक्ष के लिए यह कहना कि उनसे माफी मंगवाओ, यह कहना कहां तक ठीक है ? यह कहना पड़ेगा कि चार माननीय सदस्यों को निकालने पर सारे सदन का बहिष्कार करके जाना और विपक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना क्या ठीक है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम तो पार्टी के स्तर पर भी यह बात करने जा रहे हैं । कांग्रेस पार्टी की चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। कांग्रेस सदन में नहीं आयेगी, हम सदन के बाहर जाएंगे । एक वीडियो रथ बनाएंगे, एक वीडियो फिल्म बनाएंगे और वीडियो फिल्म बनाकर राजस्थान के कोने-कोने में ले जाएंगे कि यह देखिये इनके सदन में कारनामे ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन का उदाहरण देख लीजिए । मुझे भी एक दिन के लिए बाहर निकाला गया था । चौदह दिन तक श्री देवीसिंहजी भाटी को बाहर निकाला और छोटी-सी बात पर । एक तख्ती लगाकर आ गये थे । ये तो तख्तियां क्या, बोर्ड लगाकर आते हैं फिर भी नहीं निकाल रहे हैं । एक तख्ती पर निकाला । यहां तक कार्यवाही की और, उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं ..

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आसन की महानता है ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, यह आसन की महानता है । मैं धन्यवाद देता हूं आपको । यहां कुर्सियां देखिये, यहां युद्ध हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

गये। कुर्सियों को बांधकर रखा है ताकि कोई कुर्सी उठाकर फैंक नहीं दे। कर्मचारी, यहां पर जो बैठते हैं वे डरते हैं कि वे हमारे ऊपर आकर नहीं पड़ जाए। सदन के कर्मचारी जो हमारी मदद करते हैं। सैक्रेटरी से लेकर सारे सर्मचारी जो हमारी या सदन की सेवा में हैं, उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आरक्षियों की है, उनके ऊपर गिरना, उनके ऊपर पड़ना, उनके ऊपर चढ़ना, उनकी कुर्सियां उठाना और उनको नीचे पटकना, यह किस बात का प्रतीक है ?

उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से फिर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो सदाशयता प्रदर्शित की जा रही है उसका लाभ उठाएं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से, माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय से, माननीय अध्यक्ष महोदय से बात करें और बातचीत करके रास्ता निकालें और सदन की कार्यवाही में भाग लें। सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लेना और, उपाध्यक्ष महोदय, भाग लेकर काम भी नहीं करते थे। पहले तो कहा धरना देंगे। धरने पर जाकर बैठे तो दरियां तो बिछ गयी और बाकी माननीय सदस्य गायब। दरियां धरना दे रही थीं। माननीय सदस्य नहीं थे। फिर वहां से हट गये कि हम फिर विधान सभा चलायेंगे, एक दिन फर्जी विधान सभा चला ली, वह नाटक भी कर लिया। फिर बोले कि हम यहां पर काली पट्टी बांधेंगे, कभी कहते हैं बहिष्कार करते हैं, कभी कहते हैं बहिर्गमन करते हैं। मतलब यह पार्टी कोई निर्णय भी ले नहीं सकती।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव पास किया गया वह सदन की गरिमा रखने के लिए किया गया। किसी माननीय सदस्य को सदन से बाहर भेजने के लिए नहीं किया गया। अब यह प्रश्न उठाते हैं कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव वापस लें। यानी सदन की कार्यवाही में भाग लेना प्रमुख नहीं है, राजस्थान के हितों की चिन्ता करना प्रमुख नहीं है, संविधान की रक्षा करने की बात प्रमुख नहीं है। हमारा विशेषाधिकार वापस ले लो, हमको वापस ले लो, इसको ले लो, हमको बाहर बैठा दें। मतलब 'अहम्' मैं सब कुछ हूं संविधान नहीं, मैं सब कुछ हूं विधान सभा नहीं, मैं सब कुछ हूं राजस्थान की जनता कुछ नहीं, मैं सब कुछ हूं राजस्थान की विधान सभा की प्रक्रिया कुछ नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनः विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी इन बातों को सोचे, पुनर्विचार करें, हमको किसी भी कीमत पर आसन की गरिमा को कायम रखना है। हमको किसी भी कीमत पर राजस्थान की जनता का जो अति पवित्र सदन है, उसकी गौरवमयी परम्पराओं को कायम रखना है। हमको किसी भी कीमत पर राजस्थान की जनता के दुःख-दर्द दूर करने के लिए यहां पर बहस करनी है और उनका समाधान करना है। इन सब बातों के आधार पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सदन में जो कुछ हो रहा है, बड़ी शांति से हम लगातार सुनते जा रहे हैं, हमारे नेता लोग भी सुन रहे हैं, हमारे माननीय सदस्य भी सुन रहे हैं इसलिए मैंने आज

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बहुत दिनों के बाद सोचा कि सारी बातें राजस्थान के लोगों के सामने जानी चाहिए और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पुनः अपील करना चाहता हूं कि सरकार जिस सदाशयता को प्रदर्शित कर रही है, विपक्ष को उसको स्वीकार करना चाहिए। सदन के नेता ने तो यहां तक कह दिया कि चलो आप माफी नहीं मांगते हो तो राजस्थान की जनता से मैं माफी मांगता हूं। राजस्थान की जनता बड़ी है, राजस्थान का सदन बड़ा है, इससे कोई व्यक्ति बड़ा नहीं है। कांग्रेस पार्टी यह प्रमाणित करने में लगी है कि सदन छोटा, संविधान छोटा, राज्यपाल छोटे, अध्यक्ष छोटे, सदन की कमेटी छोटी और वह बड़े। दादागिरी के आधार पर, हो-हल्ले के आधार पर, मैलहैण्डलिंग के आधार पर सब बातों को, सदन की सारी व्यवस्थाओं को गिरवी रखना चाहे वह किसी भी कीमत पर नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि आज जिस प्रकार का दृश्य उपस्थित हुआ, पहले तो कहा कि हम सदन का बहिष्कार करेंगे और आज फिर, कल तक तो अपराध भाव से ग्रसित थे और कल लगातार हम कैसे अन्दर घुसें, इस बात के प्रयत्न थे। आज जिस प्रकार का वापस उन्होंने दृश्य उपस्थित किया है, सारा सदन, मीडिया और, उपाध्यक्ष महोदय, आप देख रहे हैं कि वरिष्ठ सदस्य, जिनको इस विधान सभा में बैठने का कई बार मौका मिला, मंत्री भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे और आचार्य तुलसी जी के ये चेले भी हैं। आचार्य तुलसी इतने दुःखी हैं, अणुव्रती हैं और वह दुःखी हैं। उन्होंने अपील जारी की और उन्होंने जितनी भर्त्सना की, मैं समझता हूं जैन होने के नाते मुझे भी आज शर्म का अनुभव हो रहा है कि किस प्रकार से चन्दन मलजी जैन है .. (व्यवधान).... उपाध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य....

श्री टीकमचन्द कांत : एक जैन होने के नाते, गुरु का विद्रोही तो कोई भी हो, प्रत्येक सम्प्रदाय के अन्दर गुरु के विद्रोही का तो सम्मान नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो इस प्रकार गुरु का विद्रोही, समाज का विद्रोही, जैन समाज की रीति-नीति के खिलाफ़, अपनी उम्र के तकाजे के खिलाफ भी जिस प्रकार का उन्होंने बयान दिया है, पूरे सदन की तो यह इच्छा है और वह मांग कर रहे हैं हम उन्हें रोक रहे हैं कि उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जाए और जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं और जो परिस्थितियां सारे हिन्दुस्तान में जिस प्रकार की खड़ी कर रहे हैं उससे लगता है कि कोई योजनाबद्ध प्रयास इनका है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार का षड्यन्त्र इस विधान सभा में बीस तारीख से, यानी बीस तारीख से यह सत्र प्रारम्भ हुआ और अभी भी चालू है। बीस जनवरी से जिस प्रकार का षड्यंत्र किया और सरकार के खिलाफ भी हम यह देखते हैं कि जब हम यह अखबार पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि 17–18 तारीख को अभिभाषण चुपचाप नहीं होने

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

देंगे। यानी सरकार को, विधान सभा को, क़ानून को चैलेंज देते हुए इन्होंने, यह राजस्थान पत्रिका का 19 तारीख का स्टेटमेंट है। इन्होंने कांग्रेस की मीटिंग की, कांग्रेस सरकार गिराने को उत्सुक है। वह राज्यपाल को आने नहीं देगी यह सारे षड्यंत्र हुए। अपराध भाव से आज वे विधान सभा में नहीं आ रहे हैं, वाद-विवाद को टाल रहे हैं। उसके बाद आज हम सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

श्री किशनाराम नाई : आदरणीय महावीर जी, विपक्ष अपने मुद्दे में बहुत सावधान है + + +पर आते ही दस्तखत कर देते हैं और 5–6 बजे, जिस दिन हाउस एडजोर्न हुआ, अटैचियां अच्छी तरह ले गये। सरकार का वे पूरी तरह विरोध नहीं कर सकते, लेकिन उसमें सक्षम हैं। इसलिए यह फेल्योर है। तनख्वाह पूरी ले गये, अटैची वगैरह ले गये। अपना मुद्दा निबाह कर जाते हैं इसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लगातार हम भी आहत महसूस करते हैं अपने आपको कि प्रतिपक्ष यहां रहना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार प्रकार का दृश्य आज उपस्थित हुआ, सदन में उन्होंने भाग लिया, क्वेश्चन आवर हो रहा था, क्वेश्चन पूछे गये, उनके उत्तर दिये गये, उसमें जिस प्रकार का दृश्य उपस्थित किया, इस विधान सभा में उन्होंने भाग लिया और भाग लेने के बाद जब उन्होंने देखा कि हमारे सदस्य वापस वहीं + + +जो 20–21–22 को किया है, वह बिना बोले बहिष्कार करके चले गये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार घनश्याम जी ने कहा कि वह अपनी छान तो सम्भाल नहीं सकते और हमारी चिन्ता करते हैं। आज उनका किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। संसदीय कार्य प्रणाली और व्यवहार में जिस प्रकार की अपेक्षा की गयी है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह 'संसदीय कार्य प्रणाली और-व्यवहार' के पृष्ठ 126 पर आप पढ़ेंगे तो उसमें विरोधी पक्ष के नेता का क्या रोल रहेगा, यह उसमें बताया गया है। उसमें कहा है–"शासन की कोई भी प्रणाली हो उसमें सत्ता के लिए सदा संघर्ष रहेगा। जिन लोगों के हाथ में सत्ता नहीं है वह उन लोगों को पदच्युत करने की चेष्टा करेंगे जिन्होंने सरकार बनाई हुई है। इस संघर्ष में कई रूप हो सकते हैं। बलपूर्वक सत्ता छीनना, क्रांति के द्वारा या चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा। संसदीय प्रणाली में विरोधी तत्वों का यह कर्त्तव्य है कि वे स्वीकृत संसदीय तरीकों से सभा में सत्ता के लिए संघर्ष करें। उसमें यह अपेक्षा की गयी है कि संसदीय प्रणाली और लोकतंत्र के लिए संसदीय तरीकों से सत्ता के लिए संघर्ष करें। इसलिए संसदीय क्षेत्र में इस शताब्दी की सबसे बड़ी एक सफलता यह है कि विरोधी पक्ष की भूमिका को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है। संसदीय प्रणाली में उसे उचित स्थान दिया गया है। अतः विरोधी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

पक्ष का नेता महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वह भावी प्रधान मंत्री होता है। यानी कल्पना की गयी है कि वह भावी प्रधान मंत्री, भावी मुख्य मंत्री होता है। किसी चुनाव में उसके दल का बहुमत हो जाए, या सरकार पद त्याग कर दे, या हार जाए तो उसे सरकार बनाने की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अतः उसे अपनी कथनी तथा करनी में बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। राष्ट्रीय हित के सवालों पर उससे उतनी ही जिम्मेदारी से काम करने की आशा की जाती है। संसदीय सरकार का सुचारू रूप से चलाना विरोधी पक्ष और सरकार के बीच परस्पर सहिष्णुता पर आधारित है। यदि विरोधी पक्ष का नेता प्रधान मंत्री को शासन करने देता है तो उसके बदले में उसे विरोध करने की अनुमति है।

श्री उपाध्यक्ष : यह कौनसी पुस्तक में लिखा हुआ है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह संसदीय कार्य प्रणाली तथा व्यवहार के पृष्ठ 126, कोल एण्ड शकधर में लिखा है। फिर, उपाध्यक्ष महोदय, 127 पृष्ठ पर यह कहा है, "अपने कर्त्तव्यों तथा आभारों को पूरा करने में विरोधी पक्ष के नेता को न केवल इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आज नहीं बल्कि इस बात को भी कि वह कल क्या बनने की आशा करता है।" यह अपेक्षा की गयी है, उपाध्यक्ष महोदय, कि "विरोधी पक्ष के नेता को स्वयं बड़ा चतुर, संसद विज्ञ होना चाहिए और जटिल रणनीति से भली-भांति परिचित होना चाहिए। उसे सभा के नियमों का भली-भांति ज्ञान होना चाहिये जिससे कि वह उनके अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अवसरों से लाभ उठा सके। सतर्कता उसकी विशेषता है और उसे लगातार अपने स्थान पर उपस्थित रहना चाहिए।"

श्री उपाध्यक्ष : आप तो उनसे मिलते रहते हैं, यह बात पहले ही बता देते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल निवेदन किया था कि सरकारी मुख्य सचेतक की विशेष जिम्मेदारी यह है कि मैं लगातार उनसे सम्पर्क में रहकर उनको इस संसदीय प्रणाली का ज्ञान करवाऊं। वैसे तो अपेक्षा यह की गयी है कि वे स्वयं ज्ञानी होने चाहिए। मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने जैसा निवेदन किया और मेरी आदत के विपरीत भी मैंने उनके हाथ जोड़े, मैंने उनसे भगवान के नाम से प्रार्थना की और मैंने लोकतंत्र की दुहाई दी, इस पवित्र मन्दिर की दुहाई दी कि आगे आने वाली पीढ़ी को हम क्या संदेश देंगे। हमको यह चिन्ता नहीं है कि हमारा क्या होगा ? अधिकतर लोग तो जाने वाले हैं, भगवान उनको सैकड़ों वर्ष तक जीवित रखे। मैं इच्छा रखता हूं, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग जाने वाले हैं तो वे दुबारा इस विधान सभा में आएं या नहीं आएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि बार-बार आते रहें लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आने वाली पीढ़ी और हम लोग जो नये यहां पर आते हैं वे क्या सीखते हैं, कि क्या यही संसदीय लोकतंत्र है। चन्दनमलजी से क्या सीखें कि वे आसन

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

को यह कहें कि + + + माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा + + + की बात क्या हो सकती है कि वरिष्ठ सदस्य चन्दनमलजी यह कहें कि जिस आसन की इतनी पवित्र, अध्यक्ष के बारे में, जिस आसन के बारे में कहा गया है कि + + + जिस प्रकार उन्होंने कहा + + + मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और वह नहीं की गयी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1983 में केवल छोटी-सी बात को लेकर, पूनमचन्दजी विश्नोई इस आसन पर विराजमान थे। श्रीमती कमला बेनीवाल मंत्री के नाते यहां पर थीं। आज उस प्रोसीडिंग को आप पढ़ें। माधवसिंह जी दीवान भी सभापति के नाते इस सीट पर बैठे हैं। रतनलालजी ताम्बी, जो यहां बोल रहे थे वे भी यहां पर थे। चन्दनमलजी बैद यहां पर थे। यहां पर अधिकतर वरिष्ठ कांग्रेस के सदस्य उस समय थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 10 तारीख को पूरा दिन प्रश्नकाल नहीं हुआ, प्रश्नकाल नहीं हुआ, 5 बजे तक बहस चलती रही। माननीय देवीसिंहजी भाटी के खिलाफ 10 मार्च, 1983 को विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया गया और उसमें यह था कि शेष काल के लिये इनकी सदस्यता निलम्बित की जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, लम्बी-चौड़ी बहस के बाद माननीय देवीसिंहजी भाटी ने कहा कि "मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि मैं मुख्य मंत्रीजी की बेटी के लिये कहूं। लेकिन मुख्य मंत्रीजी इस राजस्थान के पिता हैं और इस नाते से सारी बेटियां उनकी बेटियां हैं और हरिजन महिला मन्जू के साथ सेना के जवानों के द्वारा जिस प्रकार का कुकृत्य हुआ है उसके लिए मेरी वेदना थी, मेरी भावनाएं थीं और सारे लोगों का मेरे पर दबाव था कि आप कुछ करिए, कुछ हो नहीं रहा है, सेना के जवानों के साथ हम कुछ कर नहीं सकते हैं इसलिये वह आए, लेकिन फिर भी यदि उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं।"

यह बार-बार कहा जा रहा है कि आज तक किसी ने खेद व्यक्त नहीं किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवल देवीसिंहजी भाटी ने ही खेद व्यक्त नहीं किया, उस समय प्रतिपक्ष के नेता श्री भैरोंसिंहजी शेखावत ने ही खेद व्यक्त किया और कहा कि "हालांकि ये सब बातें सही हैं, उसके बावजूद भी इस आचरण को हम ठीक नहीं कहते।" उन्होंने खेद व्यक्त किया। इतना ही नहीं उस समय वह जनता दल से थे, जनता दल के नाते कमलेन्द्रसिंह जी ने खेद व्यक्त किया। उस समय वरिष्ठ सदस्य राजबहादुरजी यहां मौजूद थे, उन्होंने खेद व्यक्त किया और उसमें वे संशोधन प्रस्ताव लाए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने भी किया था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, घनश्यामजी ने भी खेद व्यक्त किया था। संशोधन प्रस्ताव लाए, 10 तारीख को विधान सभा की कार्यवाही स्थगित हुई।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मैंने भी आदत के विपरीत ही किया था। जैसे आपने भी आदत के विपरीत हाथ जोड़े, वैसे ही मैंने खेद व्यक्त किया था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : फिर 11 तारीख को इस प्रकार के अमेंडमेंट आए राजबहादुरजी के द्वारा, उनके द्वारा, कि जो कुछ हो गया और यह सजा जो 11 तारीख तक हो गई इसी सजा को बहाल रखा जाए और बाकी सजा को माफ किया जाए। माननीय कमलेन्द्रसिंहजी ने उसमें लिखा है कि "चूंकि देवीसिंहजी भाटी ने खेद व्यक्त कर दिया है इसलिए अब इनको माफ कर दिया जाए।" उसके बावजूद भी ये बिलकुल नहीं माने और ये शेष सत्र के लिए निलम्बन का प्रस्ताव लाए और शेष सत्र के लिए निलम्बन इन्होंने रखा। 10 तारीख से लेकर 23 तारीख तक यह चलता रहा। बार-बार बहस होती रही। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें कमलाजी ने क्या बयान दिया है, पृष्ठ 105, 106 पर विधान सभा की वृहस्पतिवार, 10 मार्च, 1983 की कार्यवाही में कमलाजी ने क्या कहा, मैं निवेदन करूं। उसमें कहा है,

"माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने जिस सफाई के साथ इस इतने शर्मनाक वाकये को सिर्फ खेद प्रकट करके टालने की कोशिश की है और यह कहा है कि अगर हम कम सज़ा देंगे तो सदन में एक बहुत भारी गरिमा की हम अनुपालना करेंगे।" खेद प्रकट करने के बाद श्रीमती कमला बेनीवाल ने यह कहा, इस छोटे से दृश्य के लिए कि हम "गरिमा को कम करेंगे। मैं समझती हूं कि यह गरिमा शब्द का खुद अपमान है। सदन में सदस्य ने अपनी बहनों और बेटियों की बेइज्जती की है।" इसको इन्होंने बेइज्जती माना है। "इस प्रकार अशोभनीय, इससे नीच कृत्य कोई भी नहीं हो सकता।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा इससे ज्यादा नीचा कृत्य कोई नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि "मैं इनको माननीय सदस्य कहने से संकुचाती हूं।" उसके बाद यह भी कहा कि "इस प्रजातांत्रिक ढांचे के इतिहास में यह अपने आप में सबसे काला दिन है।" उसके बाद फिर उन्होंने कहा "इसलिए इस हाउस की गरिमा को रखने के लिए और इस प्रकार की हरकतों को सदा-सदा के लिए दफनाने के लिए यह जरूरी है कि जो माननीय मुख्य सचेतक जी ने प्रस्ताव रखा है उसको हाउस पूरी राय से मंजूर करे।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कमलाजी ने उस दिन, 10 तारीख को कहा। और घटना क्या थी एक तरुती की। लेकिन आज क्या बोल रही है। आज कह रही है कि सदन की गरिमा कुछ नहीं होती। हमारी जिद सब कुछ है। आज सदन में जिस प्रकार प्रजातंत्र के बखिये उनके द्वारा उड़ाये जा जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभी माननीय सदस्यों ने, अध्यक्ष महोदय ने जो सारी व्यवस्थाएं दी हैं उनको पढ़ कर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उन्होंने जो किया था उस समय, मैं उसकी साक्षी हूं। आप जो कह रहे हैं बिलकुल सही कह रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये साक्षी हैं, यह बात सही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 1966 में राज्यपाल के साथ, केवल राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की प्रति थी उसको उन्होंने नीचे डाल दिया। इस बात पर 12 सदस्यों को निलम्बित किया और डेढ़ महीने तक उनको निलम्बित रखा। इस सदन की बहुत बड़ी गरिमा है। आसन के खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता। आसन के खिलाफ नहीं, आसन के बिना कहे कोई अपनी सीट से खड़ा नहीं हो सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, रूल-4 में माननीय सदस्यों के लिए यह व्यवस्था है कि यदि वह अपनी सीट छोड़ कर दूसरी सीट पर बैठ जाए तो उनकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार का आचरण, यदि आसन खड़ा होता है तो कोई भी माननीय सदस्य हाउस में खड़ा नहीं होगा, बोलेगा नहीं, कोई चीत्कार नहीं करेगा, कोई किसी को बोलने से रोकेगा नहीं। परन्तु यहां तो केवल चीत्कार ही चीत्कार हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सबकी भावना तो यह कि उनको सबक सिखाने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव लाएं कि वे कभी इस सदन में पैर नहीं रख सकें, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि अभी जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है, हम समझते हैं कि प्रतिपक्ष भी यहां पर आना चाहिए। वह कितना भी करे लेकिन हमारी मान्यता यह है कि "निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय" उसके नाते हमारी यह भावना है। हम यह आक्रमण बर्दाश्त कर रहे हैं, राज्यपाल महोदय के ऊपर आक्रमण बर्दाश्त कर रहे हैं, हमारी विधान सभा के कर्मचारियों के ऊपर आक्रमण बर्दाश्त कर रहे हैं, हम विधान सभा के अध्यक्ष के प्रति जो व्यवहार हुआ उसको बर्दाश्त कर रहे हैं, विधान सभा के पवित्र मंदिर का अपमान हम बर्दाश्त कर रहे हैं, केवल इसी भावना के साथ कि प्रतिपक्ष यहां आए और अपनी भूमिका निभाए, लेकिन मुझे अफसोस है कि वह अपनी भूमिका निभा नहीं रहा है। वे केवल +++ वे केवल इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम मुद्दे उठाना चाहते हैं। हमने बिजली का मुद्दा, लॉ एण्ड आर्डर का मुद्दा, हमने हर मुद्दे उनको दिए लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है।

मैं इसकी निन्दा करता हूं और निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है उसको कार्यवाही से निकाला जाए। माननीय चन्दनमलजी बैद ने आसन के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे हैं कि +++ यह जो कहा है, इसकी हम किन शब्दों में निन्दा करें। इन शब्दों को तो आप एक्सपंज करें और उनकी निन्दा भी करें। इन्हीं शब्दों के साथ यह सदन उनकी निन्दा करता है, प्रताड़ित करता है, यह मेरा निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप प्रस्ताव रखो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो बोला, वह प्रस्ताव ही है।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री उपाध्यक्ष : वह निकाल दिये थे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य सचेतक महोदय की बात का समर्थन करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : और देख लेंगे व जो अपमानजनक शब्द होंगें, वे निकाल दिये जाएंगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : ये शब्द कार्यवाही से निकाले जाएं। उन्होंने जनतंत्र का मजाक उड़ाया है, मखौल उड़ाया है, उनके पास कहने को कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने जिस समय इधर बैठते थे उस समय हठधर्मिता की और अब भी हठधर्मिता कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि सदन के माननीय नेता महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सचेतक महोदय और मेरे नेतागण, सभी उनसे कह चुके हैं, आग्रह कर चुके हैं ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी कमी रह गयी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कि आप आइये, बैठिये, सदन की कार्यवाही में शामिल होइए, लेकिन वे मानते नहीं। इस हठधर्मिता का कहीं अन्त समझ में नहीं आता। आप उन शब्दों को निकालिए जो सदन की मर्यादा के खिलाफ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शंकर भानूदा बोल रहे हैं।

डा. शंकर भानूदा (कपासन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने अभी हमें कई सबक सिखाऐ हैं। एक सबक तो यह सीखा कि विभिन्न सदस्यों के बोलने से ऐसा आभास हुआ जैसे + + + मैं सदन के नेता महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पहली बार अवरुद्ध हुआ ? मेरी जानकारी के अनुसार अब तक पांच बार राज्यपाल महोदय का अभिभाषण अवरुद्ध हुआ था। पांच में से चार बार कम से कम हमारे वर्तमान नेता मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में व्यवधान डाला गया था, इसमें कोई शंका नहीं है। उसके बावजूद राज्यपाल के अभिभाषण को अवरुद्ध करना, उनकी धोती खोलना, उनके कपड़े फाड़ देना, यह भी हमें सबक सिखाया गया था, लेकिन फिर भी....

श्री हरिशंकर भामड़ा : गलत है।

डा. शंकर भानूदा : यह हकीकत है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : कोई धोती नहीं फाड़ी गई।

डा. शंकर भानूदा : हकीकत है तो आप बोल रहे हैं, गलत है।

श्री हरिशंकर भामड़ा : नहीं–नहीं, कोई धोती नहीं फाड़ी गई। आप उन तथ्यों को मत रखिये कि जिनकी जानकारी आपको है नहीं।

डा. शंकर भानूदा : + + +

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल अमर्यादित

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

संभाषण है । मैंने कभी ऐसा नहीं किया । मैंने यह सुन रखा था कि मेरे बारे में ऐसा प्रचार किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें । माननीय सदस्या, कृपया विराजिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : लेकिन मैं मेरे नेता की सीट से कभी आगे भी नहीं आई हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती उजला अरोड़ा जी, आप विराज जाएं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और मैं समझती हूं यह बिलकुल गलत तरीके से बोला है.....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ।

डा. शंकर मानूदा : आप मेरी बात तो सुन लें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय सदस्य ने जो भी सुना है ...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप विराजें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : गलत सुना है, यह बिलकुल भी सत्य नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, कृपया आप विराजें ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : और यह सारी बातें, माननीय उप नेता महोदय बैठे हैं, वह भी साक्षी हैं । मैंने ऐसा कभी नहीं कहा । मैं चेलेंज के साथ कह सकती हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : डा. शंकर मानूदा, आप भी विराज जाएं ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैंने कभी ऐसा आचरण नहीं किया, मैं हमेशा मर्यादित आचरण में रही हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : डा. शंकर मानूदा, आप भी बैठिए । विराजिए आप ।

डा. शंकर मानूदा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है । मैं निवेदन कर रहा हूं आसन पैरों पर है । आप बैठें । आप बैठ जाइये । मैंने सुन लिया आपको ।

डा. शंकर मानूदा : नहीं सुना ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठिये ।

डा. शंकर मानूदा : मैं पहली बार खड़ा हुआ हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बैठ जाइये ।

डा. शंकर मानूदा : मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं हाथ जोड़कर कहता हूं मेरी बात कहने दें ।

श्री उपाध्यक्ष : डा. शंकर मानूदा, आप बैठ जाइए ।

डा. शंकर मानूदा : कहने तो दें ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने सुन लिया आपको ।

डा. शंकर मानूदा : थोड़ा तो दीजिये, हमेशा इनको देते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता माननीय सदस्य ।

डा. शंकर मानूदा : कब तक दबाते रहेंगे.... .

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता, आप विराजिए ।

डा. शंकर मानूदा : आप तो मुझे दो मिनट का समय और दें । आप हरेक को समय देते हैं, मुझे क्यों नहीं देते ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं आप बैठ जाइये ।

डा. शंकर मानूदा : आप सही बात सुनने के लिए क्यों नहीं देना चाहते....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आसन पैरों पर है, आप विराजें ।

डा. शंकर मानूदा : मैं आपकी आज्ञा मानूंगा, आप मेरी बात कहने दें ।

श्री उपाध्यक्ष मैं आपको और अधिक समय नहीं दे पाऊंगा ।

डा. शंकर मानूदा : मैं मेरी बात कह कर रहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये ।

डा. शंकर मानूदा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कहकर रहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की बार-बार अवहेलना कर रहे हैं....

डा. शंकर मानूदा : मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूं ...

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर साहब, आप विराजिये ।

डा. शंकर मानूदा : मुझे कब मौका देंगे आप ?

श्री उपाध्यक्ष : विराजें आप, विराजिये आप ।

डा. शंकर मानूदा : आप हरेक की बात सुनते हैं, आखिर मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते ?

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है आप बैठिये ।

डा. शंकर मानूदा : अभी चौमूं से आने वाले सदस्य की पूरी बात सुनी......

आदेश

डा. शंकर मानुदा, सदस्य, को सदन से बहिर्गमन करने का आदेश

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर शंकर मानूदा, मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं ।

डा. शंकर मानूदा : मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूं ..

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, मैं आपको आज्ञा नहीं दूंगा ।

डा. शंकर मानूदा : मैं आपसे निवेदन करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं, कृपया आज्ञा मानें ।

डा. शंकर मानूदा : मैं आपकी आज्ञा मान रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको नाम से पुकार रहा हूं उसको आप समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं।

डा. शंकर मानूदा : आप मुझे बताएं...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया आप बाहर चले जाएं।

डा. शंकर मानूदा : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बाहर चले जाएं सदस्य।

डा. शंकर मानूदा : धन्यवाद।

(डा. शंकर मानूदा, सदस्य, विधान सभा द्वारा अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार सदन से बहिर्गमन)

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे थोड़ा–सा बोलने का मौका दें.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आसन पैरों पर है, आपको दिख रहा है ? आप विराजिये। मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा।

मैं ज्यों-ही यहां आसन पर आया था, प्रतिपक्ष के नेता को सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति हेतु सदन की राय जानने के लिए आसन की ओर से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों को एक मिनट शांत रहने का मैंने निवेदन किया था, लेकिन मुझे खेद है कि आसन के अनुरोध को भी प्रतिपक्ष द्वारा अस्वीकार किया गया।

अनुपस्थिति के लिये अनुमति

श्री परसराम मदेरणा, नेता प्रतिपक्ष विधान सभा को 6 मार्च, 1997 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने बाबत अनुमति

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री परसराम मदेरणा, नेता प्रतिपक्ष, विधान सभा, ने रोग उपचारार्थ बम्बई अस्पताल, में भर्ती होने के कारण दिनांक 6 मार्च, 1997 से सत्रान्त तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान कर दी जाए ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री रामनारायण मीणा व श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर बूंदी जिले के कतिपय विद्यालयों में 100/– रुपये मासिक वेतन पर वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी नहीं किये जाने से उनमें व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा की ओर से कस्तूरबा मातृ मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट, उदयपुर के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि का उद्देश्यों के विपरीत उपयोग करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री कुबेर सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के देई कस्बे की कतिपय व्यापारिक फर्मों द्वारा कथित बिल बनाने तथा वर्ष 1990-95 की अवधि में बिक्री कर विभाग को प्रस्तुत लेखों में खामियां होने के सम्बन्ध में।

(3) श्री भंवर सिंह डांगावास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला परिषद् के विद्यालयों में बी. एड. प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाने हेतु नियुक्ति प्रक्रिया में रद्दोबदल करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री मूलसिंह शेखावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुन्झुनूं जिले के पिलानी कस्बे में सब-तहसील कार्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री चुन्नीलाल धाकड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से आदिवासी क्षेत्र रावतभाटा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री महावीर भगोरा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर जनजाति उप योजना क्षेत्र की कतिपय सिंचाई समस्याओं के सम्बन्ध में।

(7) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर लिफ्ट नहर योजना में विगत 5 वर्षों में मलबा हटाने के कार्य में कथित अनियमितताएं होने तथा ठेकेदारों को अंतिम भुगतान नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री कन्हैयालाल पाटीदार, सदस्य, विधान सभा की ओर से सब तहसील सुनेल को तहसील में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री रघुवीर सिंह कौशल (ऊर्जा मंत्री) : रोज बोल रहे हो गुरुजी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मौका मिल रहा है न।

श्री शांतिलाल चोईवाल (राजसमंद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने शून्यकाल की दृष्टि से एक चिट भेजी थी।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : शून्यकाल के लिए मैंने भी पर्ची भेजी है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : शून्यकाल में बोलने के लिए मैंने भी पर्ची भेजी थी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। कृपया बोलने दें। मैं पर्चियों को ढूंढ़ रहा हूं। श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कस्तूरबा मातृ मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट उदयपुर को आबंटित भूमि का उद्देश्यों के विपरीत उपयोग

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय महोदय, कस्तूरबा मातृ मंदिर चेरेटेबल ट्रस्ट उदयपुर के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा राज्य सरकार द्वारा आबंटित भूमि का उद्देश्यों के विपरीत उपयोग करने से रोकने के सम्बन्ध में राजस्थान विधान सभा के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के द्वारा ध्यानाकर्षित करता हूं। कस्तूरबा मातृ मंदिर चेरेटेबल ट्रस्ट को नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने देहली गेट के पास 5 बीघा एक बिस्वा एवं ढाई बिस्वा भूमि दिनांक 10-9-1956 को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शर्त नं. 4 के अनुसार इस शर्त पर भूमि आबंटित की गयी थी कि इस भूमि का उपयोग मातृ मंदिर धर्मार्थ गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य कार्य हेतु उपयोग में नहीं ली जायेगी।

उक्त क्षेत्र नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर ने नगर परिषद, उदयपुर को हस्तान्तरण करने पर नगर परिषद, उदयपुर ने अपने पत्र सं. भ. अ./179/91–92 दिनांक 6-3-1992 तथा 15-4-1993 को उक्त ट्रस्ट को प्रशासनिक कार्यालय बनाने की अनुमति दी गयी थी। परन्तु ट्रस्ट द्वारा करीब 130 × 25 में अवैध दुकानों का निर्माण कर लिया। नर्सिंग होम के कमरे के गेट अन्दर नहीं खोलकर मुख्य सड़क पर खिड़कियों के स्थान पर शटर लगा दिये गये, जिससे यह 12 कमरे दुकानों में परिवर्तित हो गये हैं तथा उनमें व्यापार प्रारम्भ कर दिया गया।

उक्त ट्रस्ट ने नगर परिषद, उदयपुर द्वारा जारी की गयी भवन अनुज्ञा पत्र के विपरीत दुकानों का निर्माण किये जाने पर नगर परिषद ने उक्त ट्रस्ट का अवैध निर्माण हटाने व निर्माण रोकने का नोटिस राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 की धाराओं के प्रावधानानुसार दि. 11-8-1994, 21-8-95 व 26-2-96 को जारी किये तथा नगर परिषद के पत्र दि. 26-10-1995, 31-10-95, 8-2-96 व 21-3-96 द्वारा जिला कलक्टर, उदयपुर को नगर विकास न्यास, उदयपुर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आबंटित की गयी भूमि का पट्टा निरस्त करने का निवेदन किया गया।

जिला कलक्टर, उदयपुर ने अपने पत्र दिनांक 24-2-1996 को नगर परिषद उदयपुर को सूचित किया कि उक्त क्षेत्र अब नगर परिषद में स्थानान्तरित हो चुका है तथा नगर परिषद ने कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृति दी है, इसलिए नगर परिषद आज की स्थिति में भूमि आबंटन निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही करे।

नगर परिषद, उदयपुर ने जिला कलक्टर, उदयपुर को उनके पत्र दिनांक 24-2-1996 के क्रम में पुनः पत्र दिनांक 21-3-1996 द्वारा लिया गया है। चूंकि भूमि आबंटन नगर विकास प्रन्यास द्वारा आबंटित की गई है, इसलिए आवश्यक मार्गदर्शन नगर परिषद को देवें ताकि तदनुसार

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

आवश्यक कार्यवाही नगर परिषद द्वारा की जा सके । नगर परिषद के उक्त पत्र दिनांक 21-3-1996 के सन्दर्भ में जिला कलक्टर, उदयपुर ने उनके पत्र दिनांक 2-4-1996 द्वारा नगर परिषद की निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी करने सम्बन्धित मूल पत्रावली भिजवाने हेतु लिखा जाने पर नगर परिषद ने वांछित पत्रावली जिला कलक्टर, उदयपुर को दिनांक 19-6-1996 को उपलब्ध करा दी ।

कस्तूरबा मातृ मंदिर ट्रस्ट ने नगर परिषद के नोटिस दिनांक 11-8-1994, 21-8-94 व 26-296 के विरुद्ध सिविल न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, उदयपुर के समक्ष दिनांक 3-4-1996 को दावा पेश किया है तथा न्यायालय ने स्थान आदेश देकर वाद यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश कर दिये हैं । नगर परिषद द्वारा न्यायालय में जवाब-दावा प्रस्तुत कर दिया गया है । न्यायालय में आगामी तिथि 16-7-1996 निश्चित थी । किन्तु आज तक यह अवैध निर्माण कार्य अभी तक तोड़ा नहीं गया । भूमि जिन उद्देश्यों के लिए आबंटित की गई थी उसका उपयोग दृष्टियों ने निजी सम्पत्ति बनाना प्रारम्भ कर दिया है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा नहीं की गई है । इससे यह लगता है कि प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव के कारण कलक्टर, उदयपुर, नगर परिषद, नगर विकास न्यास तथा स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी संदेह के घेरे में खड़े हैं । इसलिए मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार के तथ्य माननीय सदस्य ने सदन के सामने रखे है, इसमें राज्य सरकार का कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं है । नगरपालिका को यह अधिकार है कि उसके द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्रों के विपरीत कोई काम करता है तो नगरपालिका अधिनियमों में कई प्रकार के अधिकार हैं, उनका उपयोग नगर परिषद को करना चाहिए । यदि कोई अनुमति सरकार से लेनी हो तो सरकार दे देगी लेकिन जो व्यवस्था आज के कानून की है उसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है । आपने स्वयं ने स्वीकार किया कि अभी यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है और वहां के स्थगन आदेश है । उस स्थगन आदेश के होते हुए चाहे यू. आई. टी. हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे कोई अन्य संस्था हो क्या कोई कार्यवाही कर सकती है ? नहीं कर सकती है । लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि आप भी नगर परिषद के माननीय सदस्य हैं आपने जो तिथियां बताई हैं उनमें समय का बड़ा अन्तर है । आप नोटिस देकर क्यों इंतजार करते रहे ? यह आपका अधिकार था । इनके विरुद्ध कार्यवाही करने का नगर परिषद को, वह उपयोग करना चाहिए था और जब यू.आई. टी. ने परिषद को स्थानान्तरित कर दिया तो सारे अधिकार नगर निगम में आ गये । अब यू आई टी. का कोई लेना-देना नहीं है । अब नगर परिषद स्वतंत्र है कार्यवाही करने के लिए । यह बात अलग है कि न्यायालय से स्थगन आदेश है तो उसके रहते तो कोई मजबूरी हो सकती है वरना यहां न तो कोई राज्य सरकार संदेह के घेरे में है, न कोई

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अधिकारी घेरे में है। यह मामला तो वहीं करना चाहिए। सरकार किस बात के घेरे में है? लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा कि आपने जो तथ्य बताये हैं वह मैंने आंशिक ही सुने हैं। आप बैठकर मुझे समझा दें और नगर परिषद को क्या करना चाहिए और विशेषतः सरकार को क्या करना चाहिए वह तो मैं कल करवा दूंगा, और नगर परिषद को करना चाहिए तो नगर परिषद स्वतंत्र है वह करेगी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। इसमें वाद-विवाद नहीं होता है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं वाद-विवाद नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कर रहे हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं तो आपको धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने तुरन्त इस पर कार्यवाही करने के लिये कहा है। लेकिन....

श्री महावीर प्रसाद जैन : संवेदनशील सरकार है। लेकिन क्या ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हां, संवेदनशील सरकार है। मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आपने नोटिस में लिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कुबेर सिंह। (अनुपस्थित)। श्री भंवर सिंह डांगावास।

जिला परिषद में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया

श्री भंवर सिंह डांगावास (मेड़ता) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन नियम 295 के अन्तर्गत पंचायत राज मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि बी. एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का चयन बहुत विलम्ब से होता है। इनका चयन हर शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने से कम से कम 15 दिन पूर्व तो जाना चाहिये ताकि शिक्षा सत्र के प्रारम्भ होने के प्रथम दिन वह अभ्यर्थी शिक्षक के रूप में शालाओं में पदस्थापित होकर अपनी सेवाएं प्रदान कर सके।

इस प्रक्रिया में भी कई बार अनियमितताएं होती हैं और इसी कारण से कई अभ्यर्थी न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की शरण में जाकर इस प्रक्रिया के विरुद्ध स्थगन आदेश ले आते हैं।

मेरा निवेदन है कि माह अप्रेल में ही यह प्रक्रिया आरम्भ कर परिणाम जिला परिषद् के नोटिस बोर्ड पर मय वेटिंग लिस्ट के चस्पा किये जाने चाहिए ताकि तमाम चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो सके।

इस प्रक्रिया के बिना अभ्यर्थी साल भर जिला परिषदों के कार्यालयों में चक्कर लगाते रहते हैं व इस प्रक्रिया को प्रकाशित न करने के कारण उसमें कुछ अनियमितताएं व कुछ उलटफेर करने की संभावनाएं रहती हैं।

मैं पंचायत राज मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि वर्तमान प्रक्रिया में

(श्री भंवरसिंह डांगावास)

मेरे द्वारा समर्पित सुझाव के आधार पर रद्दोबदल कर 1 अप्रेल, 1997 से नई प्रक्रिया प्रारम्भ करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलसिंह शेखावत।

पिलानी कस्बे में सब तहसील मुख्यालय

श्री मूलसिंह शेखावत (झुन्झुनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत झुन्झुनूं जिले के पिलानी कस्बे में सब तहसील मुख्यालय खुलवाने हेतु राजस्व मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, झुन्झुनूं जिले का पिलानी कस्बा भारत वर्ष में अध्ययन–अध्यापन के लिये विख्यात है। यहां अनेक बड़ी–बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं विद्यमान हैं। पिलानी व उसके आस-पास

(13.00)

का क्षेत्र काफी दूरदराज तक फैला हुआ है। वर्तमान में पिलानी कस्बे का दूरदराज का क्षेत्र चिड़ावा तहसील के अन्तर्गत आता है। चिड़ावा चूंकि पिलानी के दूरदराज के क्षेत्रों से काफी दूर पड़ता है तथा पिलानी क्षेत्र के निवासियों को अपने कार्यों के लिये चिड़ावा जाना पड़ता है तथा उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पिलानी अपने आप में एक महत्वपूर्ण व बड़ा कस्बा है। अतः यहां सब तहसील कार्यालय खोला जाना नितान्त आवश्यक है।

मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से माननीय राजस्व मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि पिलानी में शीघ्र ही सब तहसील कार्यालय खोला जाए ताकि यहां के निवासियों को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल धाकड़।

रावतभाटा (बेगूं) को तहसील का दर्जा

श्री चुन्नीलाल धाकड़ (बेगूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत बेगूं विधान सभा क्षेत्र के रावतभाटा को पूर्ण तहसील का दर्जा दिलाने बाबत माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले की बेगूं विधान सभा क्षेत्र में दो पंचायत समितियां बेगूं और भैंसरोडगढ़ है। बेगूं से 75 किलोमीटर दूर रावतभाटा है। रावतभाटा की जनसंख्या करीबन 55,000 है। भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति में 24 पंचायतें हैं; आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। राणा प्रताप सागर के विस्थापितों का क्षेत्र है और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ इलाका है। रावतभाटा में अतिरिक्त तहसीलदार का पद वर्तमान में संचालित है किन्तु राजस्व के कई कार्यों से बेगूं बार-बार आना जाना होता है जो जनजाति के लोगों और डूब विस्थापितों के लिये बहुत महंगा पड़ता है।

महोदय, उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं और जैसाकि पिछले

(श्री चुन्नीलाल धाकड़)

दौरे पर आये थे तब रावतभाटा में आश्वासन भी दिया था। अतः रावतभाटा को पूर्ण तहसील का दर्जा प्रदान किया जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

उदयपुर जनजाति उप योजना क्षेत्र में वर्षा का पानी

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत जनजाति उप योजना क्षेत्र के वर्षा के पानी को रोक कर गरीब आदिवासी किसानों के खेतों में मोड़ने की ओर माननीय सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, उदयपुर जनजाति उप योजना क्षेत्र के सम्भाग की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य क्षेत्रों से बिलकुल भिन्न हैं। पूरा क्षेत्र अरावली पर्वत शृंखलाओं का होकर करीब 70 से 80 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी है। इन क्षेत्रों का अधिकांश पानी बह कर क्षेत्र से बाहर चला जाता है एवं क्षेत्र के लोगों को प्रतिवर्ष अकाल से जूझना पड़ता है। क्षेत्र के कुल पानी का 6 प्रतिशत पानी ही हम रोक पाते हैं। इसी वजह से हमारा सिंचित क्षेत्र भी नगण्य ही है। जो भी सिंचाई हो रही है इसमें अधिकतर कुओं व नालों से स्थानीय स्तर पर व्यवस्था करके किसान स्वयं कर रहे हैं।

इन पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े बांध तो बंध नहीं सकते और न ही उनकी उपयोगिता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ढलानदार छोटी-छोटी जोते हैं। जहां तक नहरें पहुंचाने में काफी धन व्यय करना पड़ता है।

मैं नियम 295 के अन्तर्गत माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निम्न निवेदन करता हूं :—

(1) प्रत्येक नदी-नालों का विस्तृत सर्वे करा कर ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां छोटे-छोटे बांध व एनीकट बन सकें।

(2) पहाड़ी क्षेत्रों में एनीकट निर्माण की ऊंचाई 2 मीटर के स्थान पर उसकी भराव क्षमता का ध्यान रखा जाए।

(3) ऐसे नदी नालों के स्थानों पर पक्के छोटे-छोटे अवरोध बनाये जाएं जहां से स्थानीय लोग पानी को मोड़ कर अपने खेतों में सारण के जरिये ले जाते हैं।

(4) वर्तमान में उपलब्ध निर्मित बांधों, एनीकटों जहां से नहरें निकल सकती हैं, वहां से नहरें निकाली जाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर लिफ्ट नहर योजना में मलबा हटाने का कार्य

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत जलदाय मंत्रीजी का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहती हूं :—

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

जोधपुर लिफ्ट नहर योजना में पिछले पांच वर्षों में नहर से मलबा हटाने का जो कार्य करवाया गया था, कार्य के जो आदेश दिये गये थे वह सक्षम अधिकारी नहीं थे और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यह कार्य किया गया है। इसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं व कई ठेकेदारों को अंतिम भुगतान भी नहीं हुआ है। इसमें जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

वृत जोधपुर व उनके अधिनस्थ खण्डों द्वारा वर्ष 1995-96 व 1996-97 में आर. सी. सी. के जलाशयों में एक ही प्रकार के कार्य भिन्न-भिन्न दरों पर स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार राज कोष को हानि पहुंचा रहे हैं। इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

वृत्त जोधपुर द्वारा वर्ष 1996-97 में जो स्टार्टर खरीदे गये थे वे गारण्टी समय में ही खराब हो गये जिससे भी सरकार को हानि हुई है। इससे जनता में भारी आक्रोश है। मैं जलदाय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैयालाल पाटीदार। (अनुपस्थित)। श्री उगमराज मेहता।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर एक बहुत बड़ा अजमेर जिले में औद्योगिक क्षेत्र है। वहां कुछ समस्याएं भी हैं। मैं भी चाहता हूं कि पर्यावरण विभाग जिस प्रकार से कार्यवाही कर रहा है, पिछली बार भी उद्योग मंत्रीजी के कक्ष में उद्योग मंत्रीजी, पर्यावरण मंत्रीजी और अधिकारियों के साथ में 132 ग्राइंडिंग मिल्स जो ब्यावर में कार्यरत हैं उनके प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मीटिंग हुई और यह तय किया गया कि ब्यावर में ज्यादा पोल्यूशन नहीं हो। उन्होंने यंत्र भी लगाये हैं। पहले जिस प्रकार से 15000 एस. पी. एम. का आता था यंत्र लगाकर उसको घटा कर 5000 एस. पी. एम. तक किया। इस पर भी विभाग नहीं माना और दूसरे यंत्र लगाये गये। यंत्र लगने के बाद अब 1500-1100-1200 तक एस. पी. एम. आने लग गये हैं। यह रीको एरिया है और नेशनल हाइवे के बिलकुल पास में हैं। नेशनल हाइवे का जो पोल्यूशन का एस. पी. एम. है वह 850 है। अगर उसको माइनस करते हैं तो वहां का एस. पी. एम. बैठता है सात सौ। अब पर्यावरण विभाग, पोल्यूशन विभाग ने प्रस्ताव पास किया है कि 600 एस. पी. एम. तक आना चाहिये और 600 एस. पी. एम. तक अगर नहीं आयेगा तो इन इण्डस्ट्रीज को चलने नहीं देंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : यह एस. पी. एम. क्या होता है ?

श्री उगमराज मेहता : एस. पी. एम. का होता है माइक्रोग्राम, जो कण उड़ते हैं, उसके बारे में है।

उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग मंत्रीजी और पर्यावरण मंत्रीजी दोनों इस समय मौजूद

(श्री उगमराज मेहता)

नहीं हैं। उनसे मैं चाहूंगा कि जो पिछली बार मीटिंग में तय हुआ था सारे अधिकारियों के साथ में और रीको के अधिकारी भी बैठे थे। तो क्या हम इन इण्डस्ट्रीज को यहां से दूसरी जगह रीको एरिया ले रहा है, उनको शिफ्ट कर लेंगे और शिफ्ट करने में टाइम भी लगेगा। हमारे पर्यावरण मंत्रीजी का भी आशीर्वाद है कि मैं इन इण्डस्ट्री को खतम नहीं करना चाहता, यहां पर इसका जो एस. पी. एम. है वह कम से कम वह पोल्यूशन ज्यादा नहीं फैलाए, मैं भी बराबर प्रयास कर रहा हूं। इस प्रकार के उद्योग जो सिर्फ ब्यावर में ही हैं, सारे राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान में भी जो पत्थर मिलता है फैलसपार, यह ब्यावर के आसपास ही मिलता है और अजमेर जिले में ही सिर्फ यह खनिज है। उसके उद्योग धन्धों में ब्यावर में 10 हजार मजदूर काम करते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, अप्रेल में इन पर तलवार लटकने वाली है और आपकी आदत तलवार चलाने की नहीं क्योंकि आपकी आदत है आशीर्वाद देने की कि उद्योग पनपे साथ में इसका भी ध्यान होना चाहिये कि हम ज्यादा पोल्यूशन नहीं फैलाएं। परन्तु जब तक ये दूसरी जगह शिफ्ट न हों, एक और तरीका है, उन्होंने जापान से लिखा-पढ़ी की है, एक-एक इण्डस्ट्री में उसके यंत्र लगाने की कोस्ट 8 से 10 लाख आती है, करीबन 113 इण्डस्ट्री हैं, वह लगाने के लिये तैयार है। उद्योग विभाग, रीको और सरकार उनको कुछ सब्सिडी दे ताकि वे मशीनें लगा सकें और जो पोल्यूशन फैल रहा है उसको रोकने में कामयाबी मिल सके।

माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पिछली बार तय हुआ था, आपके पोल्यूशन विभाग के सेक्रेटरी बार-बार कहते हैं कि मैं तो अप्रेल तक इन सबके बिजली, पानी के कनेक्शन कटवा दूंगा और यह यहां नहीं चलने दूंगा, जो हठधर्मी कर रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय रघुवीरसिंहजी कौशल साहब, आप कम से कम जब तक वे शिफ्ट न हो और नए यंत्र लगाने की उनकी क्षमता है 8-10 लाख लगाने की, उस पर आप कुछ कार्यवाही करें और उनको सब्सिडी योजना के तहत राहत प्रदान करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे टेलीफोन....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय बोल रहे हैं, कृपया इनके बाद आएं। शांतिलालजी, थोड़ा बिराजें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल (वन और पर्यावरण मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी चिन्ता प्रकट की है ब्यावर के उद्योगों के बारे में। यह प्रकरण काफी समय से चल रहा है और जब-जब माननीय सदस्य आये हैं, जितना-जितना समय इन्होंने यंत्र लगाने के लिए मांगा है, उतना-उतना समय इनके कथनानुसार निरन्तर देते आ रहे हैं।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

उपाध्यक्ष महोदय, अदालत में केस चला गया, सबूत ऐसे भी आये हैं कि उस प्रदूषण से कुछ लोगों के बीमारियां भी हो गयीं। प्रदूषण नियंत्रण मण्डल का भी अपना कुछ कर्त्तव्य है और आजकल अदालतें इस पर भी कमेंट्स देती हैं। आसपास के लोगों को भी इस पर आपत्ति है। मैंने स्वयं प्रयास करके माननीय उद्योग मंत्रीजी के यहां, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के चेयरमैन, माननीय सदस्य और मैं स्वयं उसमें था। उसमें तय हुआ कि जगह बदली जाए लेकिन जगह बदली जाए उसमें बहुत ज्यादा विलम्ब हो गया तो अदालतें हमें नहीं बख्शेगी। लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लोगों की शिकायत है। हम इसको बेलेंस बनाकर चल रहे हैं कि प्रदूषण भी न हो और उद्योग भी चले। माननीय सदस्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के एटीट्यूड से परिचित हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है यहां कहकर। नहीं तो और कोई बात होगी तो फिर से हम बैठ जाएंगे, बात कर लेंगे। ऐसे हमारा किसी को कष्ट देने का या कोई फैक्ट्री को बन्द करने का उद्देश्य नहीं है, किन्तु इतना प्रेशर हम बनाये रखना चाहते हैं कि उन्हें जो प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाने चाहिये वे लगाएं।

श्री शांतिलाल खोईवाल : उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे राजसमंद विधान सभा क्षेत्र के गांव एमडी से टेलीफोनिकली जानकारी मिली कि नोगांवा और एमडी गांव के लोग भारी संख्या में दूषित पानी पीने से बीमार हैं। मैंने इसके कारण की जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि जे. के. फैक्ट्री जो नोगांवा गांव की परिधि में स्थित है वहां ट्रीटमेंट प्लांट पूरी सक्षमता से काम नहीं कर रहा है और प्रभावी नहीं है। इसके कारण वहां का सारा पानी उस क्षेत्र में फैल रहा है और वह पानी वहां के किसानों के कुओं में रिसाव के जरिये जाता है और उस पानी का उपयोग वे पीने के लिये करते हैं, इस कारण वे बीमार पड़े हुये हैं।

इस बारे में पूर्व में भी जिला कलक्टर को जानकारी दी थी। इसकी जांच हुई और नतीजा यह आया कि वास्तव में पोल्यूशन के कारण पानी दूषित हो रहा है, और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करें और पूरी क्षमता का पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और वहां के लोगों के स्वास्थ्य पर जो दूषित प्रभाव पड़ रहा है, उनको किसी न किसी रूप में सहायता दें और उनका उपचार कराएं।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र
अधिसूचना

देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देवस्थान,

(श्री कैलाश मेघवाल)

वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 10 (2) देव/96 दिनांक 15 फरवरी, 1997 जिसके द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 83 के अंतर्गत राज्य में वक्फ अधिकरण स्थापित किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

प्रतिवेदन

राजस्थान स्टेट मिनरल्स डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन

श्री उपाध्यक्ष : श्री कैलाश मेघवाल, खनिज मंत्री, कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए के अंतर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल्स डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619–ए के अंतर्गत राजस्थान स्टेट मिनरल्स डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 17वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1995-96 सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण

देवस्थान विभाग द्वारा संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर को समुचित राशि का चुकारा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अंतर्गत श्री शिवकिशोर सनाढ्य, सदस्य, विधान सभा देवस्थान विभाग द्वारा संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर को समुचित राशि का चुकारा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में देवस्थान मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं देवस्थान मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (देवस्थान मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व देवस्थान से सम्बन्धित कार्य श्री परमेश्वरजी की कचहरी एवं भण्डार द्वारा किया जाता था। संस्कृत कॉलेज का सम्बन्ध भी इसी से था। विलीनीकरण के पश्चात् श्री परमेश्वरजी की कचहरी का रिकार्ड देवस्थान विभाग को स्थानांतरित न होकर हाउस होल्ड के पास ही रहा। संस्कृत कॉलेज, उदयपुर वर्तमान में मंदिर श्री भीम परमेश्वरजी, चांदपोल, उदयपुर की सम्पदा में है। संस्कृत कॉलेज द्वारा सन् 1948 से रुपये एक लाख पच्चीस हजार की राशि देवस्थान विभाग में जमा होनी बतलाई गयी है जबकि वस्तुतः यह राशि देवस्थान विभाग में जमा नहीं है। जहां तक महाराणा श्री फतेहसिंहजी के तुलादान की राशि 71,500 के सम्बन्ध में हुक्मनामा नम्बर 18686, ब्राह्मणों के बालकों की शिक्षा के लिये एक संस्कृत पाठशाला कायम कर उसका नाम फतेह भूपाल ब्रह्म आश्रम विद्यालय रखा गया

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

तथा इसी आदेश से यह भी निर्देश दिये कि 71,500 के बॉण्ड खरीद कर इस रकम का सूद इसमें खर्च किया जाए। उक्त विवादास्पद राशि 71,500 सम्वत् 1965 में मेवाड़ के भूतपूर्व महाराणा श्री फतेहसिंहजी के द्वारा तुलादान की जिसका ब्याज बाद में स्थापित किये गये ब्रह्म विद्यालय के उपयोग में लाने के लिये था। सम्वत् 1988 तक ब्याज का उपयोग भी किया गया। उक्त समय का ब्रह्म विद्यालय इस समय राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, उदयपुर कहलाता है। भूतपूर्व मेवाड़ राज्य के आदेश क्रमांक, सम्वत् 1988, भादवा मिति 2, जारी हुए हैं, उसके अनुसार यह कुल रकम देवस्थान के ताल्लुक जमा रखने व जायदाद खुर्द भी यहीं के ताल्लुक रखने का सुस्पष्ट उल्लेख है। इस बाबत 3-12-1932 के आदेश में भी यह स्पष्ट अंकित है कि उपरोक्त 71,500 रुपये स्वर्ण तुलादान का प्रतिवर्ष का ब्याज लगभग 4000 रुपये इस समय ब्रह्म विद्यालय के नियमित तनख्वाह आदि के खर्च करने का दायित्व देवस्थान के सुपुर्द किये जाने का उल्लेख है। श्री एकलिंग ट्रस्ट के पत्र संख्या 3899, पृष्ठ संलग्न हैं, इसके अनुसार तुलादान की कीमत के बॉण्ड 71,500 रुपये और उसका ब्याज 22,190 रुपये, 14 आना, कुल 93,690 रुपये 14 आना, उनके ट्रस्ट के पास ही है। तथा उस पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि इन बॉण्डों के ब्याज की राशि को सदुपयोग में लेने का अधिकार तत्कालीन महाराणा साहब को ही है और वर्तमान में मौजूदा महाराणा साहब को है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया कोरम की पूर्ति करें।

(कोरम घंटी)

माननीय मंत्री महोदय।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : ऐसी सूरत में इस रकम को देवस्थान विभाग अथवा संस्कृत कॉलेज को लौटाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार इस पत्र से यही निष्कर्ष निकला कि बॉण्ड एकलिंग ट्रस्ट के पास ही है। एकलिंग ट्रस्ट को देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 में पंजीकृत कर दिया गया, परन्तु सहायक आयुक्त के निर्णय को एकलिंग ट्रस्ट ने अपना निजी ट्रस्ट बताते हुए वाद दायर किया, जो खारिज होने पर ट्रस्ट ने उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है, जो अभी तक विचाराधीन है। उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त वस्तुस्थिति के अनुसार बॉण्ड में हेराफेरी का कोई मामला विदित नहीं होता। फिर भी इस सम्बन्ध में आशंका के समाधान हेतु जांच कराई जाएगी।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जब मेवाड़ राज्य का राजस्थान में विलीनीकरण हो गया, उसका सारा रेकार्ड तथा उसकी लेनदारियां तक ट्रांसफर हो गयीं तो उस समय रकम के अनुसार, यह जो महकमा खास जिसका माननीय मंत्रीजी ने उल्लेख किया है, इसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है—अगर इसको पढ़ा जाता तो इस आदेश में लिखा है :—

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

"प्रतिलिपि—राज श्री महाराज महकमा खास—उदयपुर

मेवाड़ के हुक्म नं. 18686

भादवा वदी-2, तारीख 31-8-31 ई."

जैसा माननीय मंत्रीजी ने स्वीकार किया है कि ब्रह्म विद्यालय था, बालकों की शिक्षा के लिये एक संस्कृत पाठशाला कायम करायी जाए और हाल में जो संस्था गौतम ब्रह्म आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है वह भी शामिल कर ली जाए और इसका निम्न-लिखित प्रबंध करा दिया जाए। इस पाठशाला का नाम फतेह भूपाल ब्रह्म विद्यालय रखा जाए और हाल में यह विद्यालय रामरतन जी के स्थल में रखा जाए। इस विद्यालय के मुतल्लिक....

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रश्न कर लीजिए। आप एक—दो सवाल पूछें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि इसमें स्पष्ट रूप से उस विद्यालय का उल्लेख है और वही विद्यालय बाद में जाकर महाराणा संस्कृत विद्यालय बन गया। यह 71,500 रुपया, जो सोने के तुलादान का था इसका ब्याज उनको मिलना चाहिये था। क्या यह सही है कि जो 71,500 रुपये थे, जो कलदार जमा थे उन रुपयों के बॉण्ड खरीदे गए ? इस रकम का सूद इस वक्त करीब चार हजार रुपये कलदार सालाना आएगा। यह 1931 में कहा गया था, जिसके करीब पांच हजार रुपये उदयपुरी होंगे, क्योंकि उस समय उदयपुर रियासत की....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सनाढ्य साहब, आप टीचिंग मत करिए। जैसे टीचर टीचिंग करता है वैसे आप कर रहे हैं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : ये सूद के रुपये भी काम आएंगे। इसी तरह से बेरा गांव का जो रुपया मिलता था उसमें पेटियों के सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उस विद्यालय के लिए जो प्रबन्ध किया गया था, तुलादान की राशि दी गयी थी, जो अब महाराणा संस्कृत विद्यालय है और ये यह भी स्वीकार करते हैं, कि देवस्थान विभाग जब बना तो यह सारी रकम उनको अपने विभाग में लेकर खर्च करनी चाहिए थी। यह न शिक्षा विभाग में रहा और न देवस्थान विभाग में रहा। एकलिंग ट्रस्ट के अन्दर ये बॉण्ड रहे ? एकलिंग ट्रस्ट वालों ने भी अपने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि केवल यह तुलादान की राशि ही नहीं, बल्कि बेरा ग्राम की राशि, स्वामी घाट की राशि भी हमारे पास है, लेकिन हम उसको देंगे नहीं।

मैं मंत्री महोदय से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस हठधर्मी को कैसे स्वीकार किया जा सकता है ? मेवाड़ रियासत की सारी लेनदारियां राजस्थान सरकार ने ग्रहण की, मेवाड़ राज्य का हमने अधिग्रहण किया, लेकिन इस रकम को हमने छोड़ दिया और संस्कृत विद्यालय वालों को दे दिया।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि यह कोर्ट में चल रहा है। एकलिंग ट्रस्ट का

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

मामला तो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन यह जो रकम है उसको लेने के लिए निश्चित रूप से देवस्थान विभाग को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावना है वह बिलकुल सही है। 1926 में इस संस्कृत पाठशाला को प्रारम्भ करने के लिए उस समय के महाराणा साहब ने अपने वजन के बराबर सोना इस भावना से दिया कि यह पाठशाला निरन्तर इसके ब्याज से चलती रहे। उसके साथ ही यदि पैसा कम पड़े तो उन्होंने और प्रोपर्टी भी अलग-अलग स्थानों की लिखी।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, क्या यह मामला कोर्ट में चल रहा है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : नहीं। जैसा माननीय सदस्य ने भी कहा, कोर्ट का जो विषय है वह केवल इतना ही है कि एकलिंग ट्रस्ट सार्वजनिक ट्रस्ट है या व्यक्तिगत ट्रस्ट है। नीचे की कोर्ट में देवस्थान विभाग जीत गया कि यह सार्वजनिक ट्रस्ट है, लेकिन उन्होंने हाईकोर्ट में अपनी अपील कर रखी है। उसका निर्णय तो अपने हिसाब से अलग से होगा। लेकिन 1975 में जब पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी तब हमने इस पैसे को प्राप्त करने के लिए या इस रकम को या इस बॉण्ड को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की। तब से लेकर यह कार्यवाही चलती रही। उनका यह कहना है कि यह हमारे ही परिवार के द्वारा यह चलता था और इसका पैसा हमको ही निरंतर ब्याज से देना था इसलिए यह आपके विभाग को जाने का नहीं, क्योंकि यह विद्यालय चले। 1948 तक तो निश्चित रूप से ब्याज का पैसा बराबर देते रहे और यह विद्यालय बराबर चला। उनकी स्वयं की भी स्वीकृति है कि इतना-इतना पैसा, इस-इस पैसे में जमा कराया, लेकिन 1948 के बाद इस फण्ड में से कोई पैसा संस्कृत विद्यालय को नहीं मिला। संस्कृत निदेशालय ने इसके लिए बराबर प्रयास किया और उसके लिए व्यक्ति विशेष को इसका इंचार्ज भी लगाया कि इसको प्राप्त करने की कार्यवाही करें। बीच में यह कहा गया कि हमको एन. ओ. सी. दो, ताकि जो बॉण्ड है उन बॉण्ड्स को हम निकला सकें। लेकिन सरकार ने कहा कि ये आपके बॉण्ड नहीं हैं, ये तो विद्यालय को चलाने के लिए हैं इसलिए आपको इसकी एन.ओ.सी. किसी भी कीमत पर नहीं देंगे और तब से हम बराबर प्रयास कर रहे हैं कि यह रकम हमको मिले ताकि हम इसको चला सकें।

यह विषय काफी पुराना हो गया है और काफी विलम्ब हो रहा है इसलिए मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से इसमें जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वह एडवोकेट जनरल से और बाकी के लोगों से राय लेकर किस तरीके से इसको प्राप्त कर सकते हैं उस तरीके से इसको प्राप्त करने के लिए विभाग की ओर से पूरा प्रयास करेंगे ताकि संस्कृत कालेज को हम इस प्रकार की मदद देकर और अच्छा बना सकें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो मैं संतुष्ट हूं। मैं मंत्रीजी के इस उत्तर....

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त) : रात को यह दोनों मिलकर सवाल-जवाब तय कर लेते हैं और सुबह आकर यहां पूछते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह नहीं माना जा सकता।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी के उत्तर से संतुष्ट हूं एक तरह से, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्होंने 77 की बात कही, संस्कृत कालेज के लोगों ने 1963 में एकलिंग के ट्रस्ट के लोगों को लिखा और उन्होंने जो जवाब दिया उसमें ही उन्होंने स्पष्ट लिख दिया था....

श्री भंवरलाल शर्मा : अब हो जायेगा।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : लेकिन साहब, इस पर कार्यवाही इतने वर्ष से.... तो इस पर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करें, ऐसा ही मेरा आग्रह है ।

श्री उपाध्यक्ष : टाइम बाउंड, माननीय मंत्री महोदय, बड़ा लम्बा प्रयास हो गया ।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इतनी प्रक्रिया में कितने समय पर, मैं मेरी तरफ से इसमें व्यक्तिगत रुचि लेकर जितना जल्दी सम्भव होगा, जिस तरह से कोर्ट केसेज करके इसको प्राप्त की जाए, वह प्राप्त करने की कोशिश करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री कन्हैयालाल मीणा, सदस्य, विधान सभा राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा को एक अधिकृत चिकित्सा पद्धति के रूप में मान्यता देने के बावजूद भी चिकित्सकों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से नागरिकों एवं राज्यकर्मियों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति की ओर आयुर्वेद राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे ।

(अनुपस्थित)

श्री अचलाराम (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : ध्यान आकर्षित नहीं कर रहे हैं । क्या आज्ञा है ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक स्लिप भेजी थी ।

श्री उपाध्यक्ष : वह समय गया । वह समय सीमा समाप्त हो गयी आपकी स्लिप वाली ।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपने एक स्थगन प्रस्ताव दिया उस पर मैंने आपको बुलवा लिया । एक बार एक ही माननीय सदस्य दो स्थगन प्रस्ताव नहीं दे सकते । बिराजें ।

आय-व्ययक (बजट) 1997-98, द्वितीय अवस्था, अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान । श्री नन्दलाल मीणा, जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं श्री अनंग कुमार जैन, विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास राज्य मंत्री अनुदान की मांग संख्या 28–ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम, विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

आय-व्ययक (1997-98)

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,83,88,46,000/– (दो अरब तिरासी करोड़ अठ्यासी लाख छियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 30 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 30 मुख्य शीर्षक जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)

1. जनजाति परामर्शदात्री समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों की पालना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

2. राज्य योजना मद की राशि का उपयोग जनजाति क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात में सभी विभागों द्वारा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

3. जनजाति के परिवारों के शैक्षणिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु विशेष योजनाएं बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. जनजाति क्षेत्र विकास विभाग का कार्य केबिनेट स्तर के मंत्री को सौंपने एवं अलग से एक और आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

5. जनजाति उपयोजना के राज्य में लागू होने के 21 वर्षों के बाद भी जनजाति परिवारों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

6. उदयपुर संभाग में बून्दी जिले की जनजाति क्षेत्र की लगभग 15 पंचायतों को भी शामिल किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

7. प्रदेश में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र कोटा संभाग में उपायुक्त पद का सृजन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

8. बूंदी जिले की केशवराय पाटन पंचायत समिति जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जनजाति उत्थान हेतु आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(98)

(श्री मांगीलाल मेघवाल)

9. वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर बून्दी जिले में माडा गांवों का चयन न करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

10. बूंदी जिले के माडा योजना के गांवों में विकास योजनाओं में क्षेत्रानुसार परिवर्तन कर जनता को राहत देने पर चर्चा के लिए।

11. बूंदी जिले में जनजाति मद की राशि से प्रभावशाली एवं उपयोगी सार्वजनिक योजनाओं के अन्तर्गत सड़क, एनीकट, खरन्जा आदि बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा)

12. जनजाति क्षेत्र बांसवाड़ा में विकास कार्यों के लिए अधिक राशि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी (माण्डल)

13. बिजौलिया में माडा योजनान्तर्गत छात्राओं हेतु छात्रावास बनाने के संबंध में चर्चा के लिए।

1. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर ग्रा.)

2. **श्री मूलसिंह शेखावत** (झुन्झुनूं)

14. जनजाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के अन्तर्गत समुचित विकास नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अनंग कुमारजी।

अनुदान की मांगें

मांग संख्या 28–ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम की प्रस्तुति

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 28–ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,75,40,000/– (पैंतालीस करोड़ पिचहत्तर लाख चालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या 28 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-28 मुख्य शीर्षक ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :–

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

1. सिरोही जिले में दो वर्ष पूर्व द्वाकरा योजना की स्वीकृति होने के उपरान्त भी यह योजना प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)

2. ग्रामीण क्षेत्रों में कराये जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता में तकनीकी देखरेख के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

3. ग्रामीण विकास में जन-सहभागीदारिता के अभाव से कार्यों की गुणवत्ता पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

4. ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री कन्हैयालाल पाटीदार (पिड़ावा)

5. ग्रामीण विकास हेतु विधायकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विभाग द्वारा खर्च की जाने वाली राशि में बढ़ोतरी किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

6. ग्रामीण विकास कार्यों की देख-रेख हेतु पंचायत समिति पिड़ावा को नई जीप आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी)

7. बून्दी जिला ग्रामीण विकास समिति की समय पर बैठकें न होने तथा पंचायतों को आबंटित धनराशि को जिला प्रशासन द्वारा समय पर उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन)

8. हर ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत भवन, उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन, आंगन बाड़ी भवन एवं कर्मचारी आवास प्राथमिकता से बनवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

9. ग्रामीण विकास कार्यों की देख-रेख हेतु पंचायत समिति केशवरायपाटन को नयी जीप का आबंटन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

10. पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के मुख्यालयों पर उपस्थित न होने से ग्रामीणों को हो रही कठिनाई से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

11. ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को अधिक गति देने हेतु ग्राम पंचायत को विशेष बजट देने एवं हर पंचायत स्तर पर ग्रुप सचिव व पंचायत समिति स्तर पर तीन-चार कनिष्ठ अभियन्ता रखे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

12. केशवरायपाटन पंचायत समिति क्षेत्र में आवागमन में भारी असुविधा होने के कारण ग्रामीण सड़कें बनाने हेतु विशेष योजना, आश्वासित योजना में ज्यादा राशि आबंटित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय सिंह (दीगोद)

13. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

श्री मूलसिंह शेखावत (झुन्झुनूं)

14. ग्रामीण विकास की राशि को समय पर व्यय न किये जाने से ग्रामीणों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।

मांग संख्या 30 एवं 28 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : श्री जयन्ति लाल कोली; (अनुपस्थित)। श्री चुन्नीलाल गरासिया।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30—जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 28—ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के तहत सदन में चर्चा की जा रही है। मैं भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सबसे पहले तो दोनों मंत्रियों का अपनी तरफ से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं। इन्होंने अपने कार्यकाल के अन्दर विभाग के अन्तर्गत जो विस्तार किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1990 में आयी। 1990 में आने के बाद बीच में एक वर्ष के अवकाश के बाद दुबारा सत्ता में आयी और उसके बाद दोनों मंत्रियों के कंधों पर जो जिम्मेदारी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने दी वह इन्होंने बड़े तन-मन-धन से अपने-अपने विभागों को सम्भालकर जो राज्य की जनता की सेवा की है उसके लिए पूरा सदन आभार व्यक्त करता है।

जनजाति क्षेत्र में विशेष रूप से राजस्थान का दक्षिणी भाग, जहां आदिवासी बहुल रूप से बसता है, आता है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद राज्य की सरकारों ने काफी योजनाएं बनायीं, केन्द्र से भी काफी पैसा आया लेकिन वह पैसा जिस तरह से योजनाबद्ध ढंग से लागू होना चाहिए था उस ढंग से नहीं होने के कारण आज भी आदिवासी अपनी मूलभूत सुविधाएं, आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाया है। उसके पीछे जो बहुत बड़ा कारण रहा है वह केवल इस राजस्थान में एकपक्षीय सरकार होने के कारण, उनके मन में जिस तरह की भावना होनी चाहिए थी कि वास्तव में इस समाज को उठाना है और हमारे विकास के बराबर लाना है, उस तरह की भावना की कमी के कारण आज अन्य समाज के बराबर हम जनजाति क्षेत्र को नहीं ला पाये, जनजाति क्षेत्र में रहने वाले भाइयों को नहीं ला पाये। इसलिए मैं विशेष रूप से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी जो योजनाएं हैं, चाहे स्टेट की हों, चाहे केन्द्र की हों, उन योजनाओं को जब तक हम नीचे जाकर, उनकी भौगोलिक स्थिति को देखकर नहीं बनायेंगे और क्रियान्वित नहीं करेंगे तब तक जो पिछला इतिहास रचा है, मैं समझता हूं कि आने वाले इतिहास में, आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में भी हम कुछ सुधार कर पायेंगे, ऐसी कुछ अपेक्षा नहीं है। वैसे मंत्री महोदय ने जो बराबर प्रयास किये हैं,

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

बराबर परामर्शदात्रियों से जो बैठकें की हैं, जनजाति क्षेत्र के जो जन-प्रतिनिधि हैं उनको बुला-बुलाकर, अपनी तरफ से बुलाकर जिस तरह का एक मैसेज दिया है. मैं समझता हूं कि वह अपने आप में काफी प्रगति का द्योतक है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह का इसका नाम है जनजाति क्षेत्रीय विकास, वास्तव में यह एक धोखा है क्योंकि आज तक यह परिपाटी रही है कि जनजाति का विकास नहीं होना चाहिए, जनजाति क्षेत्र का विकास होना चाहिए। यह वास्तव में अपने आप में एक सोच है, इस सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि जनजाति क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी का विकास हो। उसका विकास कैसे हो, यह अगर हमारी मूलभूत सोच नहीं बनी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे।

श्री टीकमचन्द कान्त : अभी तक राजनीति का ही विकास हुआ है, जनजाति का विकास नहीं हुआ है।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं की मैं कद्र कर रहा हूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से यह कहना चाह रहा था कि वास्तव में जब तक हम आदिवासी भाई का, उसका स्वभाव क्या है, उसका सोच क्या है, उसके पास अपने भरण-पोषण के कितने साधन हैं, उनका किस तरह से विकास हो, उनके पास जो जमीन है उस जमीन में सिंचाई के लिए कैसा स्रोत पैदा किया जाय, उनके पास जो 2 बीघा, 4-बीघा ज़मीन है उसमें सिंचाई के लिये साधन कैसे पूरे किये जाएं, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, सिंचाई के लिए, आज उनके पास पैसा नहीं है बीज डालने के लिए, आज उनके पास पैसा नहीं मोटर पम्प लगाने के लिए, आज उनके पास पैसा नहीं है कि वह बिजली की लाइन ले सके इन सब मूलभूत आवश्यकताओं को जब तक विभाग पूरा करके नहीं देगा तब तक हम सोचें कि आदिवासियों का उत्थान होगा, यह कभी सम्भव नहीं होगा। इसलिये मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक योजनाबद्ध ढंग से प्लान बनायें, चाहे पंचायत समिति का ही स्तर बना लें, चाहे जिले की इकाई बना लें लेकिन योजनाबद्ध ढंग से एक पंचायत समिति को उठाकर के, कि हम इस पूरी पंचायत समिति का कल्याण करेंगे या पंचायत समिति में मूलभूत सुविधाओं का पूरा एक इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, मैं समझता हूं कि इस तरह अगर आपने योजना बनायी तो आने वाले समय में वास्तव में हम जनजाति क्षेत्र के विकास के साथ–साथ जनजाति का व्यक्तिगत उत्थान करना चाहते हैं उसमें बहुत बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास में कई तरह की योजनाएं चलती हैं, उनमें एक फेडरेशन चलता है जनजाति को-आपरेटिव फेडरेशन। वास्तव में देखा जाए तो अब यह फेडरेशन जनजाति के सीधे उत्थान के लिए एक एजेंसी है

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

जिसके माध्यम से जनजाति विभाग के मंत्री महोदय आदिवासियों के कल्याण के लिए पहुंचते हैं। यानि एक आधार या समझ सकते हैं कि जिसे कहना चाहिए एजेंसी, वह यह फैडरेशन है। अब अगर फैडरेशन के कार्यकलाप के बारे में सोचते हैं तो वहां सबसे पहले तो हमारे अधिकारी होने चाहिए वहां अधिकारी नहीं हैं। जब अधिकारी नहीं होंगे तो हम कल्याण की बात सोचेंगे वह कहां से पूरी होगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाह रहा हूं कि हम जिस-जिस क्षेत्र में आदिवासियों के लाभ के लिए सोचते हैं चाहे मछली पालन की योजना हो, वहां आपका अधिकारी नहीं है। आज जयसमन्द एशिया की सबसे बड़ी झील है। सबसे ज्यादा अगर मछली पकड़ी जाती है तो जयसमंद में पकड़ी जाती है और मछली पकड़ने का ग्राफ धीरे-धीरे नीचे आता जा रहा है। आज से दो-चार साल पहले हर दिन मछली पकड़ी जाती थी। आज अगर उसके आंकड़े उठाकर देखें तो मैं समझता हूं कि पिछले दो साल और आज के साल में काफी जमीन-आसमान का अंतर आया है। उसके पीछे केवल एक अन्तर यह है कि वहां पर हमारी जो को-आपरेटिव सोसायटी बनी हुई है उन सोसायटी के सदस्यों को जितना पैसा देना चाहिए था वह पैसा नहीं मिलता है। आज अगर एक किलो ब्लैक से बेचते हैं तो उसका पैसा और जनजाति का को-आपरेटिव फेडरेशन पैसा देता है, उसमें आधा अन्तर है। अगर उस अन्तर को कहीं न कहीं पाटेंगे आप चाहे अनुदान के रूप में दें चाहे किसी और रूप में दें, मैं समझता हूं वहां चोरी होती है, वह चोरी रुके तो फैडरेशन को भी उसका लाभ मिलेगा। को-आपरेटिव सोसायटी जो चल रही है वह भी सरवाइव होगी और फिशरीज पकड़ने का जो ग्राफ नीचे आया है, वह ग्राफ भी ऊपर जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा कि जयसमन्द की फिश दिल्ली में जयसमन्द के नाम से बिकती है। वास्तव में जयसमन्द की फिश आज पूरे इण्डिया में प्रसिद्ध है, चाहे आप बम्बई में ले जाएं, चाहे दिल्ली में ले जाएं। आवश्यकता केवल इस बात है कि मंत्री महोदय इसमें जो कमेटी बनी हुई हैं, उन कमेटियों को अनुदान के रूप में पैसा अधिक देवें ताकि वह कमेटियां अपनी शुद्ध भावना से जो फिश पकड़ती हैं, को-आपरेटिव फैडरेशन से लेकर देवें और उसका पूरा लाभ कमेटियों को हो।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, इन कमेटियों के बारे में अपनी बात और जोड़ना चाहूंगा। आज को-आपरेटिव सोसायटियां जो चल रही हैं उनके बारे में एक कमेटी माननीय मंत्री महोदय ने बनाई थी, मैं समझता हूं, उस कमेटी की जो अनुशंसा थी, उसका परिणाम भी माननीय मंत्री महोदय के पास आ गया है और मैं समझता हूं, अभी माननीय सदस्यों की भावना को सुनकर जब वे अपना भाषण देंगे, मैं अपेक्षा करता हूं कि वे अपने भाषण में उन कमेटियों के लिए कुछ नई चीज दें, विभाग की तरफ से कुछ लाभान्वित करने वाली कुछ नई चीज देंगे। इससे कमेटियां सरवाइव होंगी और उसके साथ-साथ, जयसमन्द के साथ-साथ बैकवाटर कडाना, वहां भी समितियां बनी हुई हैं लेकिन उन समितियों की स्थिति आज बहुत जर्जर है। समितियां धीरे-धीरे टूट रही हैं।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

उनकी जो भावना है फिश पकड़ने की, वह दूर होती जा रही है और इसके पीछे मूल रूप में लाभ जो मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय अपने भाषण में कुछ उनकी मूलभूत सुविधाओं के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उन कमेटियों के बारे में वेलफेयर के बारे में कुछ घोषणा करेंगे तो मैं समझता हूं समितियां और बढ़ेंगी और उससे जनजाति के व्यक्ति कुछ लाभ लेना चाह रहे हैं उस लाभ की संख्या बढ़ेगी, यह मैं अपनी तरफ से कमेटियों के बारे में कहना चाह रहा हूं।

फैडरेशन के माध्यम से कुछ जनजाति भाइयों की उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये लैम्प्स बने हैं लेकिन आज उन लैम्प्स की स्थिति को देखें तो वे लैम्प्स वास्तव में अंतिम सांस में हैं, आक्सीजन पर चढ़ाये जा रहे हैं। उसके पीछे कारण एक है कि इन लैम्प्स के दोहरे या एक लैम्प्स के दो मालिक हैं, दो पति हैं। एक को-आपरेटिव विभाग और एक हमारा जनजाति विभाग। जब तक इन लैम्प्स का एक विभाग मालिक नहीं बनेगा, तब तक इन लैम्प्स के माध्यम से आदिवासियों के उत्थान के लिए, आदिवासियों की मूलभूत सुविधा के लिए जो लैम्प्स हमने बनाये हैं, वे लैम्प्स कभी सरवाइव नहीं हो पाएंगे इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे को-आपरेटिव मंत्रीजी से मिलकर या तो को-आपरेटिव विभाग उसका मालिक बने चाहे जनजाति विभाग बने, लेकिन कम से कम यह तय करना पड़ेगा कि लैम्प्स का मालिक कौन हो। लैम्प्स जब हमने शुरू किये थे, प्रारम्भ किये थे, लाखों रुपये देकर वहां हमने कंज़ूमर आइटम्स के लिए हर जगह खोले थे, लेकिन आज वे लैम्प्स अंतिम सांस ले रहे हैं। अभी को-आपरेटिव मंत्रीजी विराजमान नहीं हैं, उसके लिए मैंने, बीच में हमारे वहां एक को-आपरेटिव भवन का उद्घाटन हुआ था, उस समय भी मैंने इनसे निवेदन किया था कि जनजाति क्षेत्र में हमारे जो लैम्प्स चल रहे हैं, उन लैम्प्स के बारे में एक निर्णय लें कि लैम्प्स का मालिक कौन होना चाहिए। उस समय मुझे मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी जनजाति मंत्रीजी से मिलकर लैम्प्स का मालिक कौन हो, हम उसके लिए निर्णय करेंगे लेकिन मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक भी इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है। माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपने भाषण में इस विषय के ऊपर क्या करना चाहिए, इनका भविष्य क्या है लैम्प्स का क्योंकि जब तक, लैम्प्स सरवाइव नहीं होंगे, आपकी जो एक सोच है कि लैम्प्स के माध्यम से हम

(13.45)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

आदिवासियों का भला करना चाहते हैं। जब आपकी इकाई ही मृतप्राय रहेगी, इकाई सरवाइव नहीं होगी तो आपका लक्ष्य है, आपकी भावना है, वह कैसे पहुंचा पायेंगे इसलिए विशेष रूप से लैम्प्स पर भी ध्यान दें कि इन लैम्प्स को कैसे हम आगे बढ़ायें, कैसे उनको और सुदृढ़ बनायें और कैसे आर्थिक ढंग से संबल बनाये ताकि लैम्प्स

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

आगे सरवाइव हो और लैम्प्स में हम विशेष रूप से चुने हुए जन प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें लैम्प्स का चेयरमैन होता है। आज कई को-आपरेटिव लैम्प्स के चुनाव हुए नहीं और चुनाव हुए भी हैं तो लैम्प्स का जो अध्यक्ष है, वह बिलकुल पावर नहीं होने के कारण, पैसा नहीं होने के कारण जितना लाभ जनजाति क्षेत्र में होना चाहिए, वह नहीं हुआ है। इसलिये मंत्री महोदय मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस विषय पर भी गम्भीरता से सोचकर और लैम्प्स के भविष्य के बारे में अपना निर्णय करें।

माननीय सभापति महोदया, जनजाति फैडरेशन के बारे में मैं बोल रहा था और उसके साथ-साथ मैं लैम्प्स के बारे में बोल रहा था। जनजाति फैडरेशन का उदयपुर का कार्यालय है, यहां पर एम. डी. जो कलक्टर, आई. ए. एस. के रूप में होता है, उसके साथ अन्य अधिकारी भी होते हैं। सारे अधिकारी डेपुटेशन पर होते हैं, उसमें चाहे प्रतिनिधित्व रहे, चाहे विभाग का रहे उसमें कोई बड़ा अन्तर नहीं है लेकिन कम से कम उनका कार्यकाल निश्चित होना चाहिये। और जिस विभाग में जरूरत है चाहे फिशरीज है तो फिशरीज का अधिकारी होगा और उसका कार्यकाल निश्चित होना चाहिए कि वास्तव में वहां पर आपको इतने साल रहना है और यह-यह काम है, दिशा-निर्देश होंगे तो मैं समझता हूं वहां उस क्षेत्र में काम कर पायेंगे। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि फैडरेशन में कई ऐसे अधिकारी हैं जो आज सस्पैंड हैं। कोई अगर गलती करता है तो सस्पैंड होना चाहिये लेकिन जब अगर लम्बे समय तक सस्पैंड रहता है, उनको आरोप-पत्र नहीं दिया जाता है और आरोप-पत्र जब नहीं दिये जायेंगे तो कई प्रकार के प्रश्नवाचक चिह्न सामने आते हैं। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति फैडरेशन में काम करने वाले अधिकारी अगर दोषी हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये और अगर वे निर्दोष हैं, सस्पैंड हैं, उनकी जांच करवाकर री-इन्स्टेट होने चाहिये ताकि आपके पास जो मैन-पावर है, आपके पास अधिकारी-कर्मचारी हैं वे फैडरेशन का काम कर सके और हमारा जो मोटो है, लक्ष्य है हमें इसके माध्यम से जनजाति की सेवा करनी चाहिये ताकि आपके साथ भागीदार बन सके। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि फैडरेशन में इस तरह के अधिकारी हैं, उनके खिलाफ अगर जांच चल रही है तो उनका जल्दी निर्णय करके फैसला करें, यह भी सदन के माध्यम से आपको आग्रह करना चाहूंगा।

सभापति महोदया, जनजाति क्षेत्र में केन्द्र से पैसा आता है। इसके साथ-साथ स्टेट अपने प्लान में से आबादी के हिसाब से 12 प्रतिशत खर्च करता है प्रत्येक विभाग खर्च करता है लेकिन प्रत्येक विभाग में जिस तरह से अपना आपस में कोर्डिनेशन होना चाहिए, लाइजन होना चाहिए, वह नहीं होने के कारण विभाग केवल उसका एलोकेशन बताता है। पी. डब्लू. डी. ने बता दिया कि हमने यह खर्च कर दिया। हमारे पावर मिनिस्टर ने बता दिया कि हमने यह खर्च कर दिया। हमारे उद्योग

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

विभाग के मंत्रीजी यह बता देंगे कि हमने यह खर्च कर दिया। जब तक इनका आपस में मंत्रिमण्डल का कोर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक जनजाति मंत्रीजी के साथ बैठकर इसका कोर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक हम उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर पायेंगे। हम चाहते हैं कि 12 प्रतिशत के आधार पर आदिवासी क्षेत्र में आदिवासी भाईयों का हम कल्याण करना चाहते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं समझता हूं, कहीं न कहीं कमी रहेगी और इसलिए, सभापति महोदया, हमारे माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यहां बिराजमान हैं। तीन महीने में मंत्रिमण्डल की एक बैठक उदयपुर सम्भाग स्तर पर कम से कम अवश्य होनी चाहिए। मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और कई इस तरह के जनजाति बाहुल्य प्रान्त हैं। वहां पर मंत्रिमण्डल की बैठकें होती है या मंत्रिमण्डल कमेटी की मीटिंग होती हैं और वहां उनमें सारे विभाग के प्लान के बारे में एक सोच बनता है कि हमारा इस तरह से प्लान बनता है, किस तरह से आदिवासियों का उत्थान किया जाना है, किस विभाग के द्वारा पैसा खर्च किया जाना है। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय अपने विभाग की तरफ भी देखेंगे, यह भी आग्रह करूंगा कि वास्तव में कम से कम छह महीने में या तीन महीने में इस तरह की मंत्रिमण्डल की बैठक उदयपुर स्तर पर हो ताकि वहां होने वाले कार्यों का इन्स्पेक्शन हो सके और जन प्रतिनिधि उस क्षेत्र से आते हैं उन जन प्रतिनिधियों की भावनाओं की कद्र हो सके। उनको साथ बैठकर वह क्या चाहते हैं, किस तरह से काम करना चाहिए, किस तरह से प्लान होना चाहिये, इस तरह की मंत्रिमंडल की बैठक होती रहेगी तो मैं समझता हूं, स्टेट प्लान का पैसा है, उस पैसे को सही ढंग से खर्च कर पायेंगे। अन्यथा होता क्या है कि अंत में जब वर्ष समाप्त होने जाता है, तीन महीने रहते हैं उस समय इसको उल-जलूल में, कि इसमें बना दीजिये, इसमें पैसा दीजिये, इस तरह से 12 प्रतिशत का खर्च बता दिया जाता है और कुछ विभाग तो ऐसे हैं जिनमें पूरा पैसा खर्च भी नहीं हुआ है यानी 12 प्रतिशत खर्च करना तो अनिवार्य है उनके लिए वह पूरा 12 प्रतिशत एलोकेशन भी नहीं बता पाते हैं इसलिये मैं अपनी भावना को यहां सदन में रखते हुए कि मंत्री महोदय यह निश्चित करें कि जो स्टेट प्लान का 12 प्रतिशत खर्च स्टेट प्लान का जो है, जनजाति क्षेत्र में होना चाहिये। मैं तो उससे आगे एक कदम बढ़कर क्योंकि अगर जनजाति क्षेत्र में नहीं हुआ तो स्टेट प्लान का पैसा तो खर्च होना था। अगर उस अनुपात को निकाला जाए कि कितना पैसा जनरल खर्च होता था, उसके बाद में 12 प्रतिशत खर्च होना चाहिये लेकिन हम तो यह मांग करते हैं कि 12 प्रतिशत कम से कम खर्च हो, उसके बाद भी अन्य पैसा अगर खर्च करते हैं तो हमारी सरकार की काफी कुछ उदारता होगी। लेकिन कम से कम 12 प्रतिशत खर्च हो, सही ढंग से हो, उसके लिए प्लान बने। मंत्री महोदय अपनी एडवाइजरी कमेटी के माध्यम से, चुने हुए जन प्रतिनिधियों के माध्यम से योजनाबद्ध ढंग से उस पैसे को खर्च करें, मैं यह अपनी भावना यहां व्यक्त कर रहा हूं।

सभापति महोदया, हमारे जनजाति के क्षेत्र के विकास के लिए एडवाइस देने के

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

लिए, सलाह देने के लिए परामर्शदात्री कमेटी बनी हुई हैं जिसमें सारे चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं। उसके अध्यक्ष हमारे जनजाति मंत्रीजी हैं, हम सभी उसके सदस्य हैं। लगभग इनके वहां आने के बाद, इनकी सरकार आने के बाद हर प्रत्येक तीन महीने में मीटिंग्स हो रही हैं। इस समय मीटिंग होनी थी। इसको हमारे महामहिम राज्यपाल लेने वाले थे लेकिन किसी कारण वह मीटिंग स्थगित हो गयी। वैसे जनजाति क्षेत्र विकास के लिए बराबर मीटिंगें होती रही हैं और एडवाइजरी कमेटी में हम हर तरह से हर विभाग के बारे में अपनी सलाह देते रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि एडवाइजरी कमेटी में जो भी सलाह माननीय जन-प्रतिनिधि देते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना चाहिये, उनकी क्रियान्विति होनी चाहिये कि एडवाइजरी कमेटी चाहती क्या है, किस ढंग से जनजाति का उत्थान करना चाहते हैं। वह अगर हमारी भावनाओं की कद्र करते हुए उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसकी क्रियान्विति करेंगे, मैं समझता हूं मंत्री महोदय, काफी कुछ इसमें आगे अपनी प्रगति करेंगे क्योंकि एडवाइजरी कमेटी की जो एडवाइस आती है, मैं समझता हूं कि सारी पार्टियों के लोग होते हैं उसमें, कोई किसी पर्टीकुलर एक पार्टी का नहीं होता है, सब अपने विकास के लिये, अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के हिसाब से, वहां की जिओग्राफिकल स्थिति को देखते हुए अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो वहां एडवाइजरी कमेटी में जो बातें रखते हैं उनकी कद्र करके, उनको मानते हुए विभाग उस लाइन पर काम करे, यह मेरा आग्रह है मंत्री महोदय से।

माननीय सभापति महोदय, सेंटर से एस. सी. का पैसा आता है, विशिष्ट योजनाओं से पैसा आता है, आज हमारे जयपुर में एस. सी. कारपोरेशन बना हुआ है, अनुसूचित जाति कारपोरेशन। अब कुछ समय पहले हमारे मंत्री महोदय ने जवाब दिया था कि जनजाति को भी उसमें मिलाया है लेकिन जयपुर हैडक्वार्टर होने के कारण सारे जनजाति क्षेत्रों को कवर नहीं कर पाता है। मेरी जनजाति मंत्रीजी से भी बात हुई थी कि उदयपुर फैडरेशन को जनजाति क्षेत्र का जो हैं, उस एरिया को हमने सम्मिलित किया है। लेकिन अभी उस फैडरेशन के माध्यम से जो केन्द्र से पैसा आता है, वह शिड्यूल्ड कास्ट को तो मिला है। उसके पीछे स्टेट का, मंत्रिमण्डल का एक गारण्टी का है, मैं समझता हूं कि हम योजनाबद्ध ढंग से मंत्रिमण्डल की गारण्टी देकर, सरकार अपनी गारण्टी देकर इस फैडरेशन के माध्यम से हम आदिवासियों को व्यक्तिगत जो लाभ देते हैं, चाहे वह छोटी मोटर गाड़ियों के लिये लोन के रूप में हो, टैम्पो के लोन के रूप में हो, मैं समझता हूं व्यक्तिगत लोन उन आदिवासी भाइयों को दिलायें। पढ़े लिखे लोग आज आदिवासी क्षेत्र में काफी हैं, चाहे वह आठवीं पास हों, दसवीं पास हों या बी. ए. पास हों, बेरोजगार हैं, इस फैडरेशन के माध्यम से हम व्यक्तिगत लोन दिलायेंगे क्योंकि वहां लोन बहुत कम ब्याज पर मिलता है। योजनाबद्ध ढंग से फैडरेशन के माध्यम से, फैडरेशन सर्वे करे पंचायत वाइज, पंचायत स्तर पर करे, पंचायत समिति पर करे, जिला स्तर पर

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

करके कि हमारे कितने ऐसे बेरोजगार हैं जो पढ़े-लिखे हैं, उनकी क्या रूचि है, वह क्या धन्धा कर सकते हैं, और उनको शहर के आस-पास छोटे-छोटे कस्बे हैं, वहां लाकर उनको बसाकर योजनाबद्ध ढंग से इस तरह की योजनाओं में, व्यक्तिगत योजना में मान लो अगर हम योजना बनाकर आगे बढ़ायेंगे तो मैं समझता हूं, बहुत कुछ व्यक्तिगत लाभ में हम उनको आगे बढ़ा पायेंगे। क्योंकि आज गांव में आय की दृष्टि से, खेती उनके पास बहुत कम है, पहाड़ी क्षेत्र है यानि बारह महीने जितना खायें, उतना भी अनाज नहीं पकता है। आज वह आदिवासी पढ़ तो गया, लेकिन उसकी मानसिकता बन गयी कि मुझे नौकरी मिलनी चाहिये। नौकरी आज उतनी है नहीं सरकार के पास। तब उनमें एक भावना पैदा करें कि वह धन्धा भी कर सकते हैं, वह टैम्पों भी चला सकते हैं, वह जीप चला सकते हैं, ट्रक चला सकते हैं, लेकिन जब तक आर्थिक सम्बल उनको नहीं दिया जायेगा तब तक वह नहीं कर पायेंगे। इसलिये माननीय मंत्री महोदय, जो हमारा टी. आर. आई. है उस टी. आर. आई. के माध्यम से हम शिविर लगा कर, जो बेरोजगार लोग हैं उनका एक शिविर पंचायत समिति स्तर पर लगायें और इस तरह के व्यक्तिगत जो लाभ हैं उनके लिये उनको आगाह करें। उनकी मनोवृत्ति बनायें, उनका मनोबल बढ़ायें तो मैं समझता हूं कि हम व्यक्तिगत लाभ केवल फिशरीज पकड़ने से नहीं दे पायेंगे क्योंकि उसमें लिमिटेशन है। इस तरह के अगर हम कार्यक्रम लेंगे हाथ में तो मैं समझता हूं कि काफी कुछ हम हमारे जनजाति क्षेत्रों में व्यक्तिगत लाभान्वितों की संख्या को बढ़ायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ और भी अपनी भावना इसमें व्यक्त कर रहा था कि आज फैडरेशन के साथ-साथ हमारे जो चलता है टी. आर. आई., ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानि रिसर्च करता है कि हम वास्तव में, खोज करना कि आदिवासी को कैसे व्यक्तिगत रूप से लाभ दिया जाए, आज जैसे मैंने बताया कि अधिकतर व्यक्तिगत लाभ देंगे वहीं आदिवासी उत्थान के रूप में होगा, शिक्षा आज उसकी बढ़ जाएगी। तो शिक्षा के माध्यम से वह अपना माइण्ड अप्लाई करेगा कि मुझे कैसे अपना पेट भरना है और वह उस हिसाब से शिक्षा पढ़ेगा और शिक्षा कैसे बढ़े, आज हमें क्या आवश्यकता है। आज उदयपुर क्षेत्र मार्बल की दृष्टि से विपुल मात्रा वहां मार्बल की है। मार्बल क्षेत्र में वह किस तरह का काम कर सकते हैं, चाहे छोटे मार्बल कटिंग के रूप में हो, बड़े गैंग शा चलते हैं वहां आपरेटर के रूप में, तो इस तरह के छोटे-छोटे जो हमारे वहां के पढ़े लिखे युवक हैं, उनको उन उद्योगों में उनकी भावनाओं को पैदा करके, ट्रेनिंग दे करके, वहां जो उद्योगपति हैं उनसे सम्बन्ध कायम करके कि वास्तव में यहां किस तरह के उद्योगपति हैं उनको किसी तरह से हम अपनी टी. आर. आई. में बुला करके, उनके साथ बैठकर कि भाई, आप कितने लोगों को एम्पलाइड कर सकते हो, रोजगार दिला सकते हैं ट्रेंड करके। मैं समझता हूं कि उस क्षेत्र में इस तरह की वास्तव में हम अगर शुरूआत से लास्ट तक

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूं काफी कुछ लोगों को हम रोजगार दे पायेंगे ।

माननीय सभापति महोदया, जनजाति में काफी माइंस हैं, मार्बल के रूप में, सोप स्टोन के रूप में, अन्य सैण्ड स्टोन हैं, यहां कई ऐसी माइंस हैं, हमारे माइंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, इन्होंने भी रिजर्वेशन रखा है लेकिन रिजर्वेशन केवल नाममात्र का है यानी क्या, गेप एरिया । गेप एरिया होगा तो हम आदिवासियों को दे देंगे । आदिवासियों को वास्तव में केवल यह नहीं कि जूठन दे दें आप, यानी कम से कम आप बढ़िया एरिया देंगे कि हां, आदिवासियों के लिये यह बीस प्रतिशत या दस प्रतिशत आरक्षित है, मार्बल हो, चाहे व्हाइट हो, चाहे ग्रीन हो, लेकिन मन की शुद्ध भावना से कि जितना हमारा जो नोटिफिकेशन होता है, जितनी आपकी माइंस हैं, उन माइंस में से शुद्ध रूप से कि सौ माइंस दे रहे हैं या पचास दे रहे हैं, पचास में दस आरक्षित हैं या पांच आरक्षित हैं, लेकिन ईमानदारी से, शुद्ध भावना से कि हम आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए इतनी आरक्षित कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे ...

श्री कैलाश मेघवाल (खनिज मंत्री) : मेरी भावना खराब है ? मेरी भावना में आपको शंका है ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : नहीं, शंका कुछ नहीं है । लेकिन प्रेक्टिल अभी कुछ आउटपुट आया नहीं है । इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदया, हमारे दोनों मंत्रियों की इस बारे में भावना में कहीं मैं कमी नहीं पा रहा हूं लेकिन प्रेक्टिकली जब तक आउटपुट नहीं आयेगा तो भावना का तो, भावना तो हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम उसकी कद्र करते हैं, लेकिन जब तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, प्रेक्टिकली कुछ परिणाम नहीं आयेंगे तो मैं समझता हूं कि हमारे भाई बैठे हुए हैं, वह कहेंगे कि रिजर्वेशन तो रख दिया लेकिन कितने भाइयों को माइंस दे दी, कितने भाइयों को रोजगार दे दिया । तो मैं चाह रहा हूं कि उसका आउटपुट आये, प्रेक्टिकल आये, तो मैं समझूंगा कि हम क्षेत्र में जाकर कह सकें स्वाभिमान के साथ में कि हमने रिजर्वेशन में इतने भाइयों को रोजगार दिया है, इतनी माइंस दीं । तो मैं चाहूंगा इस सदन के माध्यम से कि एक परिणाम आये, परिणाम आयेंगे तो निश्चित रूप से अभी सरकार की जो छवि है, उस छवि में और निखार आयेगा । यह मैं अपनी भावनाओं से निवेदन करना चाहूंगा ।

माननीय सभापति महोदया, हमारे जनजाति क्षेत्र में वास्तव में आदिवासी जनजाति भाई जंगल में रहते थे, जंगल साफ हो गये हैं बिलकुल । जंगल के बाद में उसने अपनी कुछ कृषि योग्य जमीन निकाली, लेकिन उसमें से कहीं मार्बल निकल गया, कहीं सोप स्टोन निकल गया तो वह जमीन भी छीन ली । तो आखिर ट्राइबल रहे कहां । ट्राइबल के लिए हमें आवश्यकता है कि वास्तव में अस्तित्व उसका कहां रहे, शहर में तो रह नहीं सकता क्योंकि उसकी पाकेट अलाउ नहीं करती है, गांव में उतनी जमीन उसके पास है नहीं, थोड़ी-बहुत थी फोरेस्ट में आ गयी, थोड़ी-बहुत माइनिंग

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

एरिया में आ गयी तो मैं, माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 1980 के पहले के जो माइनिंग, हमारे फोरेस्ट एरिया में जो कब्जे आदिवासियों के हैं, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी घोषणा की थी पहले कि 1980 के पहले के जो कब्जे हैं उनको रेगुलर करेंगे, हम पट्टे देंगे उसके। लेकिन जिस तरह से विभाग का, रेवेन्यू विभाग और वन विभाग का, दोनों का लायजन, दोनों ने मिलकर काम नहीं किया उस कारण आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं वास्तव में जिनमें ट्राइबल को बेदखल किया जा रहा है फोरेस्ट से, वन क्षेत्र से। इसलिए मैं आज विशेष रूप से जनजाति मंत्रीजी को आगाह करना चाहूंगा कि आज कितने से वन क्षेत्र में आदिवासी भाइयों के कब्जे हैं और उन कब्जों का कैसे रेगुलराइजेशन हो, उनके पट्टे हों, योजनाबद्ध ढंग से प्लान बना करके निर्धारण करें। आपके पास मेन पावर है, आपके पास विभाग है, आपके पास गांवों तक पहुंचने के पूरे साधन हैं, तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि योजनाबद्ध ढंग से इनको सूचीबद्ध बना करके राज्य सरकार से प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को भेजें ताकि कम से कम उन भाइयों को, जो वास्तव में उनके मालिक हैं, हम मालिक बनाना चाहते हैं, जो वर्षों से जंगल में बैठे हैं व रोजी-रोटी उन पर निर्भर है, अगर वह आज भी बेदखल जंगल से कर दिये जायं, जंगल नहीं है, केवल जंगल भूमि है, केवल नक्शे में जंगल दिखा रहे हैं, वहां एक वृक्ष नहीं है, वह खेती कर रहे हैं। लेकिन केवल फोरेस्ट देख कर उनको बेदखल किया जा रहा है, परेशान किया जाता है। तो मैं आज इस सदन में अपनी भावना इस विभाग को व्यक्त करना चाहूंगा कि कम से कम यह बहुत बड़ी विकट समस्या है आदिवासियों के लिए कि फोरेस्ट की जमीन का उनको कब्जा मिलना चाहिए, उनको पट्टे मिलने चाहिए। आवश्यकता है कि फोरेस्ट विभाग और जनजाति विभाग दोनों मिलकर उसका एक निश्चित प्रोग्राम बना करके हमारे इन आदिवासियों की भलाई करें, उनको पट्टे दिलायें। माननीय सभापति महोदय, हमारे....(व्यवधान).... जनजाति क्षेत्र में आज पंचायतों के चुनाव हो गये, नीचे से ऊपर तक के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वार्ड पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक, अभी केन्द्र में जनजाति क्षेत्रों में पंचायतों को क्या अधिकार दिये जाएं उसके बारे में एक कमेटी बनी, भूरिया कमेटी।

(14.00)

उस भूरिया कमेटी के बारे में अभी हमारे मंत्री महोदय ने एक राष्ट्रीय सेमीनार उदयपुर में कराया था और उसमें काफी अच्छा डिस्कस हुआ, अच्छे स्पीच हुए। कई विद्वान आये थे प्रत्येक प्रान्त से और सबकी भावना भी थी, वास्तव में उस भूरिया कमेटी की जो भावना है, कि पंचायतों को वे अधिकार दिये जाएं जो पुराने पहले किसी जमाने में थे यानी पंचायत तय कर ले कि गांव में थानेदार आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, पंचायत तय कर ले कि पंचायत की भूमि सरकार को मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, पंचायत तय कर ले कि आज गांव का जो आपसी सामाजिक ढांचा

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

है उस सामाजिक ढांचे में क्या परिवर्तन होने चाहिये। आज वास्तव में आदिवासी क्षेत्र में कानून के नाम से पुलिस ने इस तरह का इन्टरफियरेंस करना शुरू कर दिया है कि उनकी मूलभूत जो संस्कृति है उसको तहस-नहस करने के लिये तुले हुए हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, सरकार को आगाह करें, उस भूरिया कमेटी को लागू करने के लिए हमारी सरकार जो हमें शिक्षा देना चाहती है वह दे करके उसको राजस्थान में भी लागू करे ताकि जनजाति क्षेत्र में जनजातियों की जो पुरानी एक सांस्कृतिक भावना चली आयी है, उनका आपसी निपटारा करना, आपसी सामाजिक रीति-रिवाजों को बैठ करके तय करना, यह अगर मान लो पंचायत को अधिकार मिल जाएंगे तो आज जो पुलिस के अधिकारी, अन्य रेवेन्यू के अधिकारी/कर्मचारी जो उनको लूटते हैं उनकी अज्ञानता के कारण, शिक्षा की अज्ञानता के कारण, वह नहीं हो पाएगा और हम पुराने जो अधिकार थे उन अधिकारों को दे पाएंगे।

माननीय सभापति महोदया, चुनाव का जैसा कि हमें बताया कि पंचायत चुनाव हो गये। हमारे चार जिले ऐसे हैं जो जनजाति क्षेत्र के आरक्षित हैं। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही और सवाईमाधोपुर, ये चार जिले हैं। इन चारों जिलों में आरक्षण के आधार पर चारों आरक्षित जिला प्रमुख एस. टी. के बनते है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही और सवाईमाधोपुर में। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, हमारा वैसे सीधा सम्बन्ध तो पंचायत राज मंत्रीजी से है लेकिन चूंकि जनजाति मंत्री अभिभावक के रूप में हैं जनजातियों के लिये इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज सिरोही जिले में वहां के जिला प्रमुख थे श्री सूरमारामजी गरासिया, उनका दिल्ली में देहावसान हो गया। जो देहावसान हुआ वह संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ है। बाथरूम में उनकी डेथ हो गयी। घंटे भर बाद उनको निकाला गया, ऐसा बताया गया है लेकिन जिस तरह का सिरोही में वातावरण है, जिस तरह का लोगों का कहना है कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है, उनका हार्ट अटैक नहीं हुआ है, उनको मारा गया है। मैं, माननीय सभापति महोदया, जनजाति का जिला प्रमुख था, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज क्या हुआ, पर्दा पड़ा हुआ है। मैं सदन के माध्यम से जनजाति मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये कि किस हालत में उनकी मृत्यु हुई है और गृह मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा। मुखिया के रूप में जनजाति मंत्रीजी को कह रहा हूं और विभागीय दृष्टि से गृह मंत्रीजी, अभी विराजमान नहीं हैं, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी जांच होनी चाहिये, वह आदिवासी जिला प्रमुख थे उनकी मौत कैसे हुई। यह जनता के सामने आना चाहिये कि वास्तव में उनकी मौत स्वभाविक थी या किन्हीं कारणों से हुई है। माननीय सभापति महोदया, मैं एक आदिवासी जिला प्रमुख होने के नाते जोर-शोर से सदन के मार्फत मांग करता हूं कि उनकी मौत के कारणों का पता लगाना चाहिये और इसमें विशेष रूप से जनजाति मंत्रीजी को पहल करनी चाहिये।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

साथ ही साथ उनकी मृत्यु हुए लगभग साल-डेढ़-साल हो गये । डूंगरपुर के जिला प्रमुख की मौत हो गयी थी, स्वाभाविक मौत थी, चुनाव हो गये । नया जिला प्रमुख बन गया । सिरोही के जिला प्रमुख की डेथ हो गई लेकिन आज तक जिला प्रमुख का चुनाव नहीं हुआ । यह दोहरी नीति किस बात की है ? माननीय मंत्री महोदय, वह आरक्षित सीट है और आरक्षित सीट होने के नाते आपका भी दायित्व बनता है कि पंचायत राज मंत्रीजी से कहें, सरकार से कहें कि चुनाव अभी तक क्यों नहीं हुए । उप-प्रमुख प्रमुख का काम कर रहा है और उप प्रमुख अपने जिला प्रमुख होने के कारण सब जगह दौरे कर रहा है और कह रहा है कि प्रमुख के चुनाव नहीं होने वाले हैं, मैं ही जिला प्रमुख रहने वाला हूं ।

माननीय मंत्री महोदय, वह आरक्षित सीट है परन्तु आदिवासियों का एक हक छीना जा रहा है । वहां का जो उप-प्रमुख है वह नॉन ट्राइबल है । वह चाहता है कि चुनाव नहीं हो । माननीय सभापति महोदया भी मेरी भावना से सहमत होंगी, क्योंकि मैं आपके जिले की बात उठा रहा हूं । माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी प्रमुख की सीट है उसका चुनाव अतिशीघ्र हो और जल्दी से जल्दी आदिवासी वहां का जिला प्रमुख बने । यह मेरी भावना है । मेरी भावना की कद्र करते हुए चुनाव जल्दी हो यह मेरी मांग है ।

माननीय सभापति महोदया, जनजाति क्षेत्र उदयपुर सम्भाग में जनजाति विकास के हिसाब से टाडा में आता है । राजस्थान में कई ऐसे भाग भी हैं जहां आदिवासी रहते हैं जो बिखरी आबादी में हैं, माडा के रूप में हैं, पाकेट्स के रूप में हैं वहां पर भी वास्तव में आदिवासियों की हालत सही है । क्षेत्र के विकास के हिसाब से उस क्षेत्र का विकास तो वहां होता है लेकिन जिस तरह से बिखरी हुई आबादी है, माडा में है, वहां भी विकास का जितना काम होना चाहिए, वहां व्यक्तिगत लाभ मिलना चाहिए, वह लाभ उस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलता है । माननीय सभापति महोदया, आपके क्षेत्र में पाकेट्स के रूप में आज ट्राइबल रहते होंगे । अन्य क्षेत्रों में भी रहते हैं । मैं समझता हूं कि राजस्थान में दो सौ विधान सभा क्षेत्रों में से लगभग आधे से ऊपर ऐसे विधान सभा क्षेत्र हैं जहां आदिवासी रहते हैं चाहे पाकेट्स के रूप में रहते हैं चाहे समूह में 5 पंचायतों, 10 पंचायतों, 15 पंचायतों के रूप में रहते हैं । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरह के क्षेत्रों में भी उतनी ही सुविधाएं मिलनी चाहिए जो कि जनजाति क्षेत्रों में मिलती हैं । उसके लिए फंड की आवश्यकता पड़ती है तो आप केन्द्र से मांगकर के, योजना बनाकर के उस क्षेत्र के लिए भी हमें उतने ही प्रयास करने चाहिए जितने हम जनजाति, जो हमारे टाडा क्षेत्र हैं, में करते हैं । मैं अपनी इस माग के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि चूंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दोनों क्षेत्र हैं, टाडा भी और माडा भी, माडा में बड़गांव क्षेत्र आता है, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो टाडा में तो लागू की जाती हैं लेकिन माडा में नहीं की जाती हैं और उस कारण से आज ट्राइबल दोनों तरफ एक जैसा है । मैं समझता हूं कि माडा में रहने वाले ट्राइबल

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

की हालत बहुत खराब है। मेरा बड़गांव क्षेत्र ऐसा है जिसमें उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है लेकिन कुछ योजनाएं जो टाडा की हैं वे माडा में मैं लागू नहीं करवा सकता हूं। अब उसके लिए कुछ मजबूरियां हो सकती हैं लेकिन मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उन योजनाओं को केन्द्र से पास करवा करके वास्तव में हम टाडा की योजनाओं को माडा में भी कैसे लागू करें, उस तरह का आप प्रयास करेंगे तो हम माडा का भी जो उत्थान कराना चाहते हैं वह करा पायेंगे।

माननीय सभापति महोदया, आज कई ऐसी योजनायें हैं जो जनजाति क्षेत्रों में चलती हैं और उनको स्टेट प्लान में बता देते हैं। स्टेट प्लान में बताने के कारण हम जितना व्यक्तिगत लाभ देना चाहते हैं, वह लाभ नहीं दे पाते हैं। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय कम से कम ऐसी योजनाएं चाहे वे बिजली की हों, चाहे बड़े तालाब बनाने की हों, उस तरह की योजनाओं को इस 12 प्रतिशत एलोकेशन में नहीं बताएं, इसके लिए चाहे मन्त्रिमण्डल में निर्णय लेना पड़े, क्योंकि होता क्या है कि बिजली माही में पैदा हो रही है वह जनजाति हैड में पैदा हो रही है लेकिन वास्तव में आज हमारे एक टापरे पर भी जो लट्टू जलने चाहिए वह नहीं जल पा रहा है। अगर वास्तव में 12% का खर्च निकाल कर हम जानते हैं कि आधारभूत सुविधाएं हम गांव-गांव में फैलाये अगर ईमानदारी से 12% खर्च किया जाये, बिजली का जितना प्लान का पैसा है उस प्लान के पैसे में से 12% निकाल करके मंत्री महोदय चाहेंगे कि जनजाति क्षेत्र में हर घर में लट्टू पहुंचा दूं तो निश्चित रूप से पहुंचा पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि हम बड़ी-बड़ी योजनाओं में इस 12% को बता देते हैं, उस कारण से हम जिस तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहते हैं, जिस तरह से आधारभूत ढांचा खड़ा करना चाहते हैं वह नहीं हो पाता है पैसे की कमी के कारण और एलोकेशन 12% बता दिया इसलिए माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम बड़ी योजनाओं में हमारा एलोकेशन न बता करके और छोटी-छोटी योजनाओं में इस तरह के पैसे को खर्च किया जाए। यह विशेष रूप से मैं अपनी भावना व्यक्त कर रहा हूं और मेरी भावना को मंत्री महोदय क्रियान्वित कराने की कोशिश करे।

माननीय सभापति महोदया, हमारे कई ऐसे दक्षिणी राजस्थान में जल स्रोत हैं चाहे माही का बेक वाटर हो, चाहे कड़ाना का बेक वाटर हो, चाहे सोम कमला अम्बा हो, सोम कागदर हो, यह कई ऐसे जल के स्रोत हैं जहां आदिवासी भाइयों को हम सिंचाई की सुविधा दे सकते हैं, दे भी रहे हैं, माही का और कडाना का जो बेक वाटर है वहां लिफ्ट के माध्यम से वहां के आदिवासियों को जो आस-पास बसे हुए हैं उनको पानी दे रहे हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदया, आज वह लिफ्ट बनाकर हम ट्राइबल कमेटी सौंप देते हैं लेकिन कई बार उस कमेटी द्वारा वह लिफ्ट सरवाइव नहीं हो पाती है और नहीं होने के पीछे बहुत बड़े कारण यह है

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

कि कई बार आर.एम ई.बी. का बिल इतना ज्यादा आता है कि वे पे नहीं कर पाते हैं। अभी मैं डूंगरपुर गया था तो मुझे बताया गया कि वहां आर.एस.ई.बी. ने पैसा बढ़ा दिया है। अब पैसा बढ़ने के कारण कई ऐसी लिफ्टें हैं जो अभी सरवाइव हो रही हैं लेकिन पता नहीं किस दिन वे बंद हो जाएं। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की लिफ्ट योजनाएं जो चल रही हैं उनको कम से कम एक निश्चित अमाउण्ट उनके सरवाइव होने के लिए दे दें कि अगर इस तरह की कोई आपके लिफ्ट बंद हो गयी किसी कारण से, कहीं सरकार ने पैसा बढ़ा दिया या कहीं और गड़बड़ी हो, तो कम से कम ऐसा निश्चित फंड उनको देंगे तो मैं समझता हूं कि ये लिफ्टें जो चल रही हैं आपकी ज्यादा सरवाइव होंगी, उससे अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। जहां लिफ्ट नहीं हैं उनका पुनः सर्वे कराकर जहां-जहां पानी है वहां अधिक से अधिक पैसा एस. सी. ए. से पास कराके, केन्द्र से पास कराके आप लिफ्ट बनाएंगे तो अधिक से अधिक हम सिंचाई की सुविधाएं दे पाएंगे और आदिवासी भाइयों को जिनके पास जमीन है, सिंचाई की सुविधा मिलेगी तो, मैं समझता हूं, आय के स्रोत बढ़ेंगे। आज आय के स्रोत बढ़ेंगे तो उसका खाली पेट भरेगा, उसको भरपेट रोटी मिलेगी तो शिक्षा के बारे में सोचेगा कि उसका बच्चा पढ़ना चाहिये, वह अपने बच्चे को पढ़ायेगा और बच्चे को पढ़ायेगा तो निश्चित रूप से उसके घर में उजाला आयेगा, प्रकाश आयेगा और आने वाली पीढ़ी पढ़ी हुई होगी। हमारी जो भावना है कि हम उनका उत्थान करना चाहते हैं, पढ़-लिखकर आदिवासी की जो नई जनरेशन आने वाली है, पढ़-लिख गया तो मैं समझता हूं आने वाले समय में हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि घर की आय को बढ़ाया जाये, परिवार की इकाई की जो आय है वह बढ़ाई जाये और परिवार की इकाई की आय बढ़ाने के लिए जब तक हम मूलभूत योजनाबद्ध ढंग से काम नहीं करेंगे तब तक हम अपनी अन्य योजनाओं को जिस गति से बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ा पायेंगे।

इसलिए, माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सारी जो सामूहिक योजनाएं हैं उन योजनाओं के मध्यनजर ज्यादा दबाव हम व्यक्तिगत सुविधाओं में दें कि ट्राइबल की व्यक्तिगत आय का सोर्स कैसे बढ़ाया जाये, व्यक्तिगत उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए ताकि उसकी जो असेट्स हैं उस असेट्स से अधिक से अधिक आय कर सकें और आय अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसकी सोच बढ़ेगी, उसके बच्चे बढ़ जायेंगे, वह प्रगति की राह पर सोचने लगेगा और मूलभूत विकास की लाइन पर आयेगा। हम जिस तरह की भावना चाहते हैं, मंत्री जी, सरकार जो आदिवासियों का उत्थान करना चाहती है, वह उत्थान कर पायेंगे।

मैं जनजाति क्षेत्र में जो माननीय मंत्री महोदय ने 45 प्रतिशत आरक्षण दिया है उसके लिए तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं लेकिन कुछ उसमें संशोधन कराने के लिए मैं निवेदन

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

करना चाहता हूं, कुछ जुड़वाना चाहता हूं। 1 से 6 स्केल तक इन्होंने आरक्षण दिया है। उन 1 से 6 में उनको नामांकरण कर दिया है चपरासी, सिपाही, फोरेस्ट गार्ड, मास्टर। 1 से 6 में अन्य पद भी नहीं आते। माननीय मंत्री महोदय को भी मैंने कुछ दिन पहले निवेदन किया था कि कम से कम 1 से 6 में जितने आपके पद आते हैं, इसमें सारे पद आ जाने चाहिए ताकि कहीं इंटरव्यू होते हैं उसमें कम से कम उनको कंसीडर किया जा सके। अभी-अभी हमारे जिला परिषद् के सचिवों का साक्षात्कार हुआ था लेकिन सचिव पद उसमें लिखा हुआ न होने के कारण हमको 45 प्रतिशत का आरक्षण नहीं मिला। आज अगर 45 प्रतिशत के आरक्षण में सचिव का नाम होता, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में कई आदिवासी जो बेरोजगार थे, उनको 12 न मिल कर 45 प्रतिशत मिलता और कई आदिवासियों को रोजगार मिल जाता। इसलिए इसमें संशोधन करके 1 से 6 स्केल के पूरे जितने आपके पद हैं, सब ले लिये जाये।

साथ ही साथ, माननीय सभापति महोदया, 1 से 6 स्केल में ही क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, सब में क्यों नहीं? कम से कम राज्य सरकार के जितने पद हैं, कहीं मैं समझता हूं, कानूनन अड़चन नहीं है। अगर कोई कानून में अड़चन हो तो मंत्रीजी मुझे बतायें लेकिन वैसा नहीं है। अगर सारे ही पद जितने हमारी राज्य सरकार के अन्तर्गत आते हैं, उनमें कम से कम जनजाति क्षेत्र के सारे पदों को अगर 45 प्रतिशत आरक्षण देंगे, माननीय सभापति महोदया, तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि आज वास्तव में हम जो सुविधाएं सरकार के द्वारा जनजाति भाइयों तक पहुचाना चाहते हैं वह पहुंचेंगी। आज डाक्टर हैं, डाक्टर शहर में पढ़ते हैं, 5 साल, 7 साल वह डिग्री लेने में रहता है, सारी सुविधाएं शहर में मिलती हैं। अब उसकी पोस्टिंग कोटड़ा में होती है, जब उसकी पोस्टिंग धरियावद में होती है वहां उसको जो सुविधायें मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती हैं। वह वहां टिकता नहीं है। एक दिन रहता है और वापस आ जाता है। माननीय सभापति महोदया, अगर इसमें सारे पदों का आरक्षण हो जाएगा, वहां का डाक्टर बनेगा, वहां का ओवरसीयर बनेगा, वहां का कम्पाउण्डर बनेगा तो उस क्षेत्र में वह रहेगा और आज जो सरकार की सेवाएं हैं जो उन ट्राइबल क्षेत्रों तक पहुंचाना चाहते हैं उन सुविधाओं को हम पहुंचा पाएंगे। इसलिए माननीय सभापति महोदया, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि केवल 1 से 6 तक ही हमारा लक्ष्य नहीं रहे, हम सारे पद जो राजस्थान सरकार के अन्तर्गत आते हैं, उनमें 45 प्रतिशत आरक्षण दिलायें, ऐसी मेरी भावना हैं।

माननीय सभापति महोदया, हमारा जनजाति क्षेत्र है और सारे राजस्थान में कुछ ऐसे पद हैं जिनमें ट्रेंड लोग पड़े हुए हैं जिनमें इंजीनियर, कम्पाउंडर, उसमें आयुर्वेद के भी हैं, कुछ उसमें मेकेनिकल में भी हैं, सिविल में भी हैं, ऐसे कुछ लोग हैं वह वास्तव में वर्षों से बेरोजगार हैं। वे हमारे जनजाति मंत्री से भी मिले थे। आज बैकलॉग चल रहा है, सिंचाई विभाग में चल रहा है, पी. डब्ल्यू. डी. में चल रहा है,

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

कृषि विभाग में चल रहा है। अगर बैकलॉग को पूरा किया जाए आज तो बेरोजगार इंजीनियर हैं, बेरोजगार कम्पाउण्डर हैं, बेरोजगार कहीं आई. टी आई. के जो जनजाति लड़के बैठे हुए हैं वे आज सरकार की नौकरी में आ सकते हैं। आवश्यकता केवल इतनी है कि इनका बैकलॉग पूरा किया जाये। बैकलॉग पूरा करने के लिये जनजाति मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि प्रत्येक विभाग में से सिर्फ विभाग के सचिवों को आगाह किया जाए कि आपका कितना बैकलॉग चल रहा है, भर्ती के लिए एक निश्चित कार्यक्रम बनाया जाए कि आपका बैकलॉग चल रहा है और उसका समयबद्ध कार्यक्रम हो गया है और आप कब भर्ती करने वाले हैं। अगर इस तरह की योजना बन गयी तो, मैं समझता हूं, आने वाले समय में जितने जनजाति क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवक बैठे हुए हैं उनको रोजगार मिल जाएगा। आज परिवार में बहुत दुःख दर्द से एक इंजीनियर बनाया जाता है, यानि भूखा रहकर बनाया जाता है, खेत गिरवी रखकर बनाया जाता है और वह बेरोजगार इंजीनियर जब घूमता है तो अन्य आदिवासी भाई कहते हैं, देखो, इंजीनियर बन गया, बेरोजगार घूम रहा है, क्या करेंगे छोरों को पढ़ाकर। मैं समझता हूं, माननीया सभापति महोदय, हम कुछ इस तरह की जो ट्रेनिंग्स देकर, नवयुवकों को योजनाबद्ध ट्रेनिंग देकर अगर बैकलॉग चल रहा है तो कम से कम बैकलॉग को भरें और बैकलॉग भरेंगे तो आज जो बेरोजगार इंजीनियर घूम रहे हैं, बेरोजगार कम्पाउण्डर घूम रहे हैं उनको रोजगार मिल पाएगा। ऐसी मेरी मंशा है, भावना है। मंत्री महोदय को इस तरह के बेरोजगार जो युवक हैं, उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, गत वर्ष यहां हड़ताल पर भी बैठे थे कि साहब, हमको रोजगार मिले, बैकलॉग पूरा हो। मैं समझता हूं कि साल भर हो गया, हम उस क्षेत्र में कुछ सोचे और हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भी आपको सहयोग करेंगे सरकार से निवेदन करने के लिये आवश्यकता पड़ी। लेकिन उस दिशा में गम्भीरता से विचार करें, यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

माननीया सभापति महोदया, हमारे जनजाति क्षेत्र में कई ऐसी योजनाएं हैं जो चल रही हैं लेकिन सरवाइव नहीं हैं। बतख पालना आदिवासियों का स्वभाव ही नहीं है। अब कुछ ऐसी योजनाओं को बन्द करें।

श्री नन्दलाल मीणा : अब मुर्गियों को रखेंगे।

श्री चुन्नीलाल गरासिया : अब मुर्गियां, ठीक है, काम आएंगी अपने सबके। माननीया सभापति महोदया, मंत्रीजी चाह रहे हैं कि बतख की जगह मुर्गी पाल लें। अच्छी बात है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे जनजाति क्षेत्र में इस तरह की कई योजनाएं हैं जिनको चलाना क्षेत्र के हिसाब या जनजाति के युवकों के स्वभाव के हिसाब से ठीक नहीं है। हमारे मंत्रीजी मिनी आई. टी. आई. चलाते हैं। अब मिनी आई. टी. आई. चलाकर आप युवक को एक प्रकार से मेंटली हैण्डीकेप्ड बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? आपने आई.टी.आई. का उसमें सर्टिफिकेट दे दिया। अब

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

सर्टिफिकेट लेकर वह घूमता-फिरता है। उसके बाद एक मानसिकता बन गयी उसकी कि मुझे रोजगार मिलेगा लेकिन उस सर्टिफिकेट से उसको रोजगार नहीं मिलता है क्योंकि जिस तरह से निपुण होना चाहिए उस ट्रेड में, वह निपुण नहीं हो पाता है और उस कारण से कहीं भी उसको कोई भी संस्था एब्जार्ब नहीं करती, कोई संस्था उसको एक्सपेक्ट नहीं करती है। इसलिए माननीय सभापति महोदया, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मिनी आई. टी. आई. है तो उनको या तो आई. टी. आई. में परिणत करें या बन्द कर दें क्योंकि जब परिणत नहीं कर पाते हैं तो वहां से निकलने वाली जनरेशन, वहां से निकलने वाले एक युवक के दिमाग में विचार बन जाता है कि मुझे नौकरी मिलेगी परन्तु नौकरी नहीं मिलती है, न प्राइवेट एजेंसी एक्सेप्ट करती है। उस कारण से दर-दर भटकता है, न घर का काम करता है, न स्वयं कुछ अपने पेट भरने के लिए काम कर पाता है। इसलिए माननीय सभापति महोदया, विशेष रूप से मुझे दर्द है कि इन मिनी आई.टी.आई. को आई. टी. आई. में बदलें और नहीं बदल सकते हैं तो कृपया बन्द कर दें लेकिन उसको सही ढंग से चलाएं। उसी तरह से अन्य ट्रेडों में भी अभी कम से कम वहां का निकला हुआ जो युवक है, इतना बढ़िया निपुण होकर निकले कि सरकार के साथ-साथ में प्राइवेट संस्थाएं भी उसको एक्सेप्ट कर लें। उस तरह का उनको तैयार करके निकालें। उस तरह की योजनाएं बनायें। यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदया, मैं बहुत कुछ बोल गया हूं, कुछ भावनाएं और भी थीं लेकिन समय कम होने के कारण से अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।

श्री सभापति : श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : माननीय सभापति महोदया, जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए संविधान के अन्दर संविधान के निर्माताओं ने कुछ विशेष प्रावधान किये हैं जो बाकी लोगों के लिए नहीं हैं। संविधान के अन्दर महामहिम प्रेसीडेंट महोदय को जिम्मेदारी दी है कि जिस प्रकार के जितने भी जनजाति क्षेत्र के लोग हैं उनकी बहबूदी हो, उनकी समृद्धि हो, उनकी देख-भाल हो, उनके हितों की रक्षा हो। इसी प्रकार से राज्य के अन्दर संविधान में राज्यपाल महोदय को यह जिम्मेदारी सौंपी है। मैं समझता हूं कि संविधान के निर्माताओं ने जो भविष्य के सपने देखे थे, संविधान के निर्माताओं ने एक यह सोचा था कि हम जो कुछ लिख रहे हैं जो कुछ प्रस्ताव दे रहे हैं, जो हम आगे की पीढ़ी के लिए निर्देशन दे रहे हैं, वह वैसा ही होगा। परन्तु दुःख की बात है कि यह बात संविधान में वहीं लिखी ही रह गयी और संविधान निर्माताओं की जो भावना थी वह ग्राउण्ड लेवल पर नहीं पहुंची। एक बहुत लम्बी लाइन है गुजरात से लेकर, गुजरात है, उसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उड़ीसा है, एक ही प्रकार की जनजातियां रहती हैं। यह जो जनजातियां हैं ये अरावली–विंध्य प्रदेश जो पहाड़ हैं, इन पहाड़ों के आस-पास बसी हुई हैं, पहाड़ों

(श्री रमाकान्त शर्मा)

के ऊपर बसी हुई हैं। मैं यह कहना चाहूंगा दुर्भाग्य की बात है कि और प्रदेशों में जितना ख्याल रखा जाना चाहिए था, वह नहीं रखा। राजस्थान में 1990 के बाद इस बारे में ध्यान दिया गया। 40 वर्ष तक ध्यान नहीं दिया गया। 40 वर्ष तक इस बारे में कुछ नहीं सोचा गया। मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो "धोखाधड़ी" हुई है। जब ऊपर से इस बात की चर्चा हुई पार्लियामेन्ट में कि महामहिम प्रेसीडेंट की भी कुछ जिम्मेवारियां है, तो राज्यों को निर्देश गये कि जो ट्राइबल क्षेत्र है, जो ट्राइबल है उनके लिए प्लान में कुछ प्रावधान करना चाहिए और प्लान में विशेष प्रावधान कर उसके बारे में कुछ विकास दर बढ़ानी चाहिए। सामान्य दर ही नहीं, क्यों कि वे बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत अपेक्षित हैं। इसलिए उनके लिए प्लान में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। उसका नतीजा यह हुआ कि जो ट्राइबल सब-प्लान बनाया गया और जो नार्मल प्लान बनाये जाने थे, ट्राइबल सब-प्लान क्षेत्र के जितने जिले हैं, जितनी तहसीलें हैं उनमें जो काम होने वाले थे उनको एक तरफ अलग दिखाकर प्लान में दिखा दिया गया कि ट्राइबल सब-प्लान में इतना रुपया खर्च हुआ। उस दिशा में कोई विचार नहीं किया गया। ट्राइबल लोगों को अपनी निगाह में नहीं रखा गया। उनकी क्या खामियां हैं, उनको क्या तकलीफें हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, यह बिलकुल नहीं किया गया। मैं आपको स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं इस मामले में कि आज तक वही स्थिति है। जैसे विद्युत में 1996–97 में 46.46 करोड़ रुपये दिये। उस विद्युत से कौनसे ट्राइबल लोग फैक्ट्रियां लगाने वाले थे, कोई उनके उद्योग लग रहे हैं, कोई-उनको घरों में बिजली पहुंच गयी है ? ट्रांसमिशन लाइन डाली जा रही है। आप प्रति वर्ष के प्लान में देखेंगे तो सैकड़ों करोड़ों रुपये का प्रावधान है। 220 की जो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन डाली जाती है वह भी ट्राइबल सब-प्लान में डाल दी जाती है। माही में कम से कम 100 करोड़ रुपये का खर्चा हुआ है, वह सारा का सारा ट्राइबल सब-प्लान में डाल दिया गया क्यों कि ट्राइबल एरिया में है। ट्राइबल सब-प्लान में चाहे कोई नेशनल हाई-वे बने, चाहे ट्राइबल सब-प्लान क्षेत्र में कोई बिजली का काम हो, चाहे कोई पर्वत तोड़े जा रहे हों, जितना रुपया उदयपुर में या सिरोही के हिस्से में या बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में खर्च होता है, साधारणतः जो खर्च होता हैं और सारे के सारे राज्य में जो खर्च हो रहे हैं, चाहे वहां पर स्कूल खुलें उन नीतियों के मुताबिक, चाहे सड़क बने, सारे के सारे उस रुपये को कंसोलिटेट करके यह कह देते हैं कि ट्राइबल सब-प्लान बना दिया। यह मंशा नहीं थी, संविधान के निर्माताओं की यह मंशा नहीं थी। मंशा यह थी कि उस क्षेत्र के लिए विशेष योजना बनायी जाए उस क्षेत्र की फैल्ट नीड को देखते हुए, उस क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं, उनको किस तरीके से जो मैनस्ट्रीम है, जो बाकी के लोग हैं, उन लोगों के साथ कैसे लाया जा सकता है। उनकी उपेक्षा जो आज तक हुई है, विशेष उपेक्षा हुई है। दूसरे लोग भी पिछड़े लोग हैं वे मैनस्ट्रीम में हैं, दलित रहे हैं परन्तु मैनस्ट्रीम में हैं परन्तु जो ट्राइबल के लोग हैं वह तो एक आइसोलेटेड कार्नर पर रह गये। उनकी बाकी लोगों से संवादहीनता

(श्री रमाकान्त शर्मा)

रही है कम्पलीटली। इसलिए उनके साथ यह आवश्यकता थी कि हम उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति किस तरह से करें।

सभापति महोदया, मुझे इस क्षेत्र की सेवा करने का मौका मिला। मैं उस समय ट्राइबल सब-प्लान का आयुक्त था, 17,18, 20 वर्ष पहले। मेरे दिमाग में यह बात उपजी कि आखिरकार इनकी भाषा भी साधारण लोग नहीं समझ पाते हैं। शहर में आते हैं डरते-डरते, पांच-पांच, छह-छह लोग एक दूसरे के बगल में हाथ डालकर आते हैं। तो इनसे कुछ नजदीक से मिलकर बात की जाए कि चाहते क्या हैं। मैंने अम्बा माताजी से लेकर उदयपुर तक पद यात्रा की और पद यात्रा भी मैंने सड़क पर नहीं की, मैंने पद यात्रा बाकायदा छोटी-छोटी पगडंडियां हैं जो एक गांव से दूसरे गांव में जाती हैं, उन गांवों में जाकर रात में किसी मकान में नहीं सोया, बराबर पेड़ के नीचे, बड़ के नीचे बैठकर उन लोगों से बात-चीत की। इसलिए मुझे प्रथम व्यक्ति के नाते उनकी भावनाओं का, उनकी तकलीफों का अनुभव है। इसलिए मैं उस नाते आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जहां संस्कृति में वे किसी से पीछे नहीं हैं, उनकी संस्कृति इतनी अच्छी है इन सब मामलों में, जिस तरीके की आप बात कर सकते हैं, संस्कृति के मामले में वे मोस्ट माडर्न हैं। आज महिलाओं के लिए हम सब लोग कहते हैं कि महिलाओं की हालत बड़ी खराब हो रही है। ट्राइबल सब-प्लान एरिया में महिलाओं की वह स्थिति नहीं है। वहां महिलाओं की इतनी बड़ी इज्जत है कि 80 वर्ष की महिला भी यदि बीमार हो जाए तो उसके पीहर को तत्काल इत्तला करनी पड़ती है। उनको तत्काल इत्तला किये बिना यदि वह मर जाए तो पूरा का पूरा मकान जला देते हैं वहां के लोग। इतनी बड़ी पेनल्टी लगाते हैं। इसलिए वहां महिलाओं की जो इज्जत है वह बाकी हमारे क्षेत्र में, साधारण जनता में नहीं है। ट्राइबल लोगों का सारा का सारा जनजीवन संस्कृति के नाते बहुत उत्तम है पर जिसके पास पहनने को कपड़े नहीं हों, जिसको खाने को भोजन नहीं हों, जिसको रहने को मकान नहीं हों, जिसके पास दो हाथों को काम नहीं हो वह उस संस्कृति को क्या चाटेगा? उस संस्कृति की बाद में हम बातें बनाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि वे कंट्री में एक तरह से आइसोलेटेड रहे हैं, दूर रहे हैं इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम कोई ऐसी चीज, ऐसा प्लान करें जिसके नाते हम उनका विकास कर सकें।

क्या कर रहे हैं आप?

सभापति महोदया, आप मेरे से पूछेंगी तो मैं बताना चाहता हूं कि यदि आन्तरिक इच्छा हो, यदि हमारे अन्दर यह सोच सही दिल से हो, जो अरब देशों के लोग थे, जिस समय वहां तेल नहीं निकला था उससे पहले उन लोगों के यही हालत थे। चाहे यूनाइटेड अरब रिपब्लिक हो, चाहे वह सऊदी अरेबिया हो, चाहे वह इराक हो, ये जितने मुल्क हैं, इन सबमें तेल नहीं निकलने से पहले लोगों के शरीर पर कपड़े नहीं थे, बिलकुल भी। मकान का सवाल नहीं। इधर-उधर डाका डालकर अपना पेट भरा

(श्री रमाकान्त शर्मा)

करते थे। जिस समय वहां की सरकार के पास धन आया तो उन्होंने कहा कि इस धन का लाभ हमारे लोगों को मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा? अभी तो इनको पढ़ाने-लिखाने में बहुत टाइम लग जायेगा। अभी तो इनको इस योग्यता में लाने में बहुत टाइम लग जायेगा। उन्होंने कानून बना दिया कि हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यापार करेगा, चाहे वह हिन्दुस्तान से आने वाला हो, चाहे पाकिस्तान से, चाहे जर्मनी से, चाहे जापान से, हमारे इस देश में कोई भी फैक्ट्री लगायेगा उसका पार्टनर अरब के आदमी को बनाना पड़ेगा चाहे वह घर बैठा रहे। उसको बराबर मैनेजिंग डायरेक्टर, सह-मैनेजिंग डायरेक्टर बनाना पड़ेगा। आज उसका नतीजा यह है कि 20 वर्ष के थोड़े से अन्तराल में यूनाइटेड अरब रिपब्लिक में साधारण आदमी जो बिना पढ़ा-लिखा था, जिसे दुनिया का कुछ पता नहीं था, वह बहुत अच्छी तरह से जागरूक ही नहीं, दुनिया के इतिहास और भूगोल को समझने लगा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि यहां जो भी उद्योग लगेगा, आज यही स्थिति वहां जितने भी 10–15 देश हैं उन 10–15 देशों में है। मैं निवेदन करना चाहूंगा केवल मात्र कुछ डोलर्स दे देने से, आरक्षण दे देने से कुछ नहीं होने वाला है। आरक्षण तो बहुत दिनों से है। पहले कम था, अब ज्यादा हो गया। कितने थानेदार बना दिये आपने यहां के लोगों को? कितने तहसीलदार बन गये? कोई आई. ए. एस., एस. डी. ओ. का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अभी तो बी. डी. ओ. भी नहीं बन पाये वहां के लोग। हमें आरक्षण दिये हुए आज 50 वर्ष का समय हो गया। उस आरक्षण से क्या मिलने वाला है? आरक्षण दीजिये, अत्यन्त आवश्यक है। मैं आरक्षण के विरोध में नहीं हूं। आरक्षण तो आवश्यक है ही, आरक्षण और बढ़ना चाहिए उस क्षेत्र के लोगों के लिए परन्तु मेरे कहने का मतलब यह है कि उनके लिए हमारे सामने ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे उनको सम्मान मिले और वे यह महसूस कर सकें कि इस देश के जो अन्य देशवासी जिस स्थिति में है उस स्थिति में भी अब हम कालांतर में पहुंच जायेंगे।

कुछ दिनों पहले भील कोर की स्थापना हुई, बहुत अच्छी बात हुई। कश्मीर में भी यह किया जा रहा है। जो कश्मीर का जवान है, वह इधर-उधर डिरेल हो जायेगा इसलिए इनको भारी संख्या के अन्दर लेकर, जितने आ सकते हैं, उनकी पुलिस की कोर बना दी जाये। भर्ती हो रही है, आर्मी के अन्दर भी भर्ती हो रही है, नार्थ-ईस्ट क्षेत्र के अन्दर भी यह बात की हुई। हम कुल मिलाकर के सवा सौ आदमी एक भील कोर के अन्दर लगाकर, इतने बड़े ट्राइबल क्षेत्र का भला नहीं कर सकते हैं। हमको वहां पर यह कहना चाहिए कि वहां जितने जवान हैं, उन सबको पुलिस के अन्दर भर्ती कर दें 45 प्रतिशत और 25 प्रतिशत का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वहां के लोग पुलिस के अन्दर भर्ती होंगे तो उनका दूसरे लोगों से एक सम्पर्क बनेगा। उनके अन्दर एक सम्मान आयेगा, उनके पास सत्कार आयेगा, उनके पास एक शक्ति आयेगी। सत्कार और शक्ति का परिणाम यह होगा कि वे अपने आपको जो दलित समझते हैं, अपने को हीन भावना से ग्रसित समझते हैं, उस

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हीन भावना ऊपर आ जाएंगे। मैं पुलिस की बात नहीं करता। राज्य सरकार को चाहिए कि वह भारत सरकार को लिखे कि मिलिट्री के अन्दर राजपूत कोर है, जाट कोर है, गोरखा कोर है, हिन्दुस्तान भर के अन्दर जितनी जातियां हैं, उन सबकी कोर है। ये तो महाराणा प्रताप के साथ उस जमाने के लड़ने वाले वीर हैं, आखिरकार उनकी एक कोर आर्मी के अन्दर क्यों नहीं बनायी जा सकती ? आर्मी के अन्दर उनकी भी एक पलटन बनाई जा सकती है। इसलिए हमें इस बात के लिए जोर देना चाहिए। हमें भारत सरकार से कहना चाहिए कि ट्राइबल क्षेत्र के अन्दर रहने वाले लोगों के लिए एक स्पेशल कोर बनाई जाये, एक स्पेशल डिवीजन बनायी जाये।

माननीय सभापति महोदया, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के लिए, जिनके लिए राष्ट्रपति को स्वयं को जिम्मेदार बनाया है, भारत सरकार के पास बहुत धनराशि है। जो साधारण धनराशि हमको प्लान के अन्दर अलाट हुई है, उस बात की मुझे स्वयं को व्यक्तिगत जानकारी है, इसके अलावा और भी धनराशि है। हमें एक प्रोग्राम बनाना चाहिए, हमें इस ट्राइबल सब-प्लान क्षेत्र के अन्दर 10–15–20 कालोनियों का प्रोग्राम बनाकर के रूरल डवलपमेन्ट में भेजना चाहिए और वहां से स्वीकृति लेकर के विशेष इन्दिरा आवास योजना के तहत वहां 10–15 कालोनियां बनानी चाहिए जिससे कि एक जो पुरानी प्रवृत्ति थी कि आइसोलेशन में आइसोशन होता था, एक तो स्वयं ट्राइबल आदमी आइसोलेटेड है और फिर उसके अन्दर एक आदमी अपना घर बसाता था, किसी न किसी पहाड़ी के किनारे पर, पहाड़ी की ऊंचाई पर, किसी टीबड़े पर या टीबड़ी पर, उससे निकलकर के उसके अन्दर साथ में रहने का एक तरीका पैदा हो। इसलिए हमें अलग-अलग मकान नहीं बनाकर वहां पर कालोनीज का निर्माण करना चाहिए। मैं समझता हूं कि पैसे की कमी नहीं रहेगी। मैं यह भी....

श्री महावीर भगोरा : वह स्कीम फेल है।

श्री रमाकान्त शर्मा : फेल है तो दुबारा करनी चाहिए, तिबारा करनी चाहिए, सत्रह बार करेंगे, अवश्य सक्सेस होगी। फेल के अन्दर हमारे कुछ न कुछ कारण रहे होंगे। फेल है, इसलिए उस फेल के बजाय बार-बार पहल करनी चाहिए, यह निवेदन है। यह सोचकर कि एक बार फेल हो गयी, इसलिए हम दुबारा नहीं करें, यह बात उचित नहीं है। उनके अन्दर जो सदियों से उनकी प्रवृत्तियां आ रही हैं, आप समझते हैं कि एक साल में बदल जाएंगी ? नहीं बदल सकती हैं। हमको प्रयास करना होगा। मैं समझता हूं कि फेल इसलिए हो गयी होंगी कि आपने ऐसे मकान बनाये होंगे जिनकी छत ही नहीं होगी, छत पड़ गयी होगी तो बरसात में चू रही होगी। उसमें 8 बाई 6 फुट का कमरा बनाया होगा, उसके अन्दर खाट ही अच्छी तरह से नहीं बिछी होगी। उसमें ऐसे कुछ अट्रेक्टिव मकान बनाते तो भागे चले आते।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदया, कि राजस्थान

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सरकार ट्राइबल सब-प्लान की बात करती है तो ट्राइबल के जितने भी लोगों के घर हैं, उनके अन्दर मुफ्त बिजली का कनेक्शन, बिजली रोशनी के लिए देना चाहिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ चन्द लाखों के प्रावधान के आधार पर यदि आपने एक दफा उन घरों के अन्दर सब जगह पर बिजली दे दी तो आपने जो बात कही कि वह फेल हो गयी, वह फेल नहीं होगी। उनकी सोच में परिवर्तन आ जायेगा। घर के अन्दर बिजली एक ऐसी चीज है, बिजली हो, यातायात में बैठने लगे, दुनिया को देखने लगे तो उनकी बेसिक सोच के अन्दर परिवर्तन आ जाता है।

हमने अभी कहा कि अनिवार्य शिक्षा हम दो जिलों के अन्दर देंगे। मैं यह तो नहीं कह सकता कि अभी हमको वहां पर अनिवार्य शिक्षा कर देनी चाहिए क्योंकि अनिवार्य शिक्षा के अन्दर कानून बीच में आ जायेगा और कानून के अन्दर केसेज प्रारम्भ हो जाएंगे परन्तु अनिवार्य शिक्षा कानूनी रूप से हटकर के और एक व्यवहारिक रूप से वहां पर प्रारम्भिक अनिवार्य शिक्षा प्रारम्भ कर देनी चाहिए। इसका अर्थ यह है कि जहां पर 40 लड़के-लड़कियां पढ़ने के लिए तैयार हों, वहां पर राज्य सरकार की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर तत्काल स्कूल खुल जाने चाहिए। ये वे खर्च हैं जो हमको ट्राइबल सब-प्लान के अन्दर डालने चाहिए। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यह नियम बन जाना चाहिए, आपने कहा कि खनिजों के अन्दर हमने 10–15–20 प्रतिशत रिजर्वेशन कर रखा है, अव्वल तो उन सब में खनिज खान चलाने की काबिलीयत नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, सोच नहीं है। इसका सीधा-सीधा अर्थ यह हो जाता है कि उनके नाम पर कोई आदमी आकर के खान ले लेता है। ट्राइबल मंत्रीजी भले ही यह खान चला लें, पर सभी तो ट्राइबल मंत्री नहीं हैं। अगर सभी लोगों को इस स्तर पर ला दिया जाये तब तो फिर प्लान की आवश्यकता ही नहीं है। फिर तो सारा का सारा अपने आप ही हो जायेगा। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि मैंने अरब देशों के लिए जो बात कही थी, माइनिंग डिपार्टमेन्ट को यह सोचना चाहिए कि वहां पर जो भी खान चलायेगा या चला रहा है, उसके अन्दर वहां के ट्राइबल के व्यक्ति की पार्टनरशिप होनी अत्यन्त आवश्यक है। एक दफा वह पार्टनरशिप के अन्दर खान चलाना सीख गया तो फिर 10 बरस के अन्दर वह अपने आप आगे आ जायेगा और बाकी लोगों को बाहर निकाल देगा। वह, सन आफ द सोइल, जितनी अच्छी तरह से काम चला सकेगा, दूसरे लोग नहीं चला सकेंगे। मैं तो यह कहता हूं कि वहां पर कोई भी उद्योग लगाया जाए तो उन उद्योगों के लिए विशेष अट्रेक्शन दिया जाये, विशेष सुविधा दी जाये, विशेष सब्सिडी दी जाये जिससे लोग अट्रेक्ट हों और वहां उद्योग लगाएं। फिर उस उद्योग के अन्दर वहां के ट्राइबल आदमी की पार्टनरशिप होनी चाहिए। इस प्रकार यदि आप उद्योगों के अन्दर, खनिजों के अन्दर, वहां के लोगों की पार्टनरशिप रख देंगे, कम्पलसरी पार्टनरशिप रख देंगे तो यह उनके लिए एक बहुत बड़े प्रशिक्षण का मामला होगा तथा बहुत ही शीघ्र 20

(श्री रमाकान्त शर्मा)

साल 10 साल के अन्दर ही, मैं तो कहता हूं कि आपको ऐसा ट्राइबल सब-प्लान नजर आयेगा जिसकी अभी हम कल्पना नहीं कर सकते।

माननीय सभापति महोदया, मैं एक सुझाव और दूंगा कि हमको इस बात की अत्यन्त आवश्यकता है, क्योंकि उनकी आकांक्षायें हैं, उनकी आदतें हैं, उनकी इच्छाएं हैं, कुछ भिन्न हैं इसलिए ये डी.आर.डी.ए. आदि। समाप्त करके ट्राइबल सब-प्लान की एक डवलपमेन्ट काउंसिल अलग से बना देनी चाहिये। डी. आर. डी. ए. के माध्यम से वहां पर जितनी भी प्रगति होती है, वह डवलपमेन्ट काउंसिल पूरे क्षेत्र के लिए करे। चाहे वहां सड़क बनाने की बात हो, चाहे एनीकट बनाने की बात हो, चाहे ग्रामीण सड़क बनाने की बात हो, जो डी. आर. डी. ए के तहत, जवाहर रोजगार योजना के तहत, सुनिश्चित रोजगार योजना के तहत, अनेक योजनाओं के तहत आप काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र की एक डवलपमेन्ट काउंसिल बनाकर के उससे उन कार्यों को कराएं। उसकी क्रियान्विति का डायरेक्ट सुपरविजन उन लोगों के पास हो तो फिर हम जो ट्राइबल सब-प्लान की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली, निश्चित रूप से उसके अन्दर आगे हम प्रगति कर सकेंगे।

मेरा एक छोटा-सा सुझाव और है कि जब तक आदमी देख नहीं पाता कि दूसरी दुनिया में क्या हो रहा है, तब तक अपने ही कुए में पड़ा रहता है और उसकी मानसिकता में परिवर्तन नहीं होता है। माननीय मंत्री महोदय को ऐसा कोई प्रोग्राम बनाना चाहिए कि वहां से 20–25–30 लोगों को, प्रति माह भारत भ्रमण कराएं। महिलायें भी साथ में हों, चाहे एक बस के अन्दर बैठाकर कराएं। उसके अन्दर कोई करोड़ और लाख रुपये खर्च होने वाली बात नहीं है परन्तु वे जाकर देखेंगे कि दिल्ली क्या है। वहां लाखों ऐसे आदमी हैं जिन्होने अभी तक ट्रेन नहीं देखी, महिलाओं ने ट्रेन नहीं देखी, कुछ लोगों ने तो बस ही नहीं देखी होगी। इस तरह के लोगों को आप यदि ट्रांसपोर्ट के अन्दर बैठाकर के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, औद्योगिक क्षेत्र, बहुत दूसरी-दूसरी चीजें, जो देश के अन्दर चल रही हैं, दिखायेंगे तो मैं सोचता हूं कि उनकी सोच के अन्दर बहुत बड़ा परिवर्तन आयेगा।

सभापति महोदया, मैं अब मांग संख्या 28, ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। पहली बात तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि किसी ऐतिहासिक तरीके से, ऐतिहासिक कारणों से हमारे यहां पंचायती राज को, यद्यपि कहते तो यह है कि पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग, परन्तु ग्रामीण विकास का सारा का सारा काम विशिष्ट योजना संगठन को दे रखा है। इस तरह की स्थिति देश के किसी और दूसरे प्रान्त में नहीं है कि एक ही काम के लिए दो विभाग बने हुए हैं–विशिष्ट सेवा संगठन और दूसरा, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। अब होता क्या है कि जितना स्टाफ लगता है, जूनियर इंजीनियर लगाया जाता है, बी डी ओ. लगाया जाता है, कोई दूसरा कर्मचारी लगाया जाता है, वह तो लगाते हैं पंचायती राज विभाग वाले और

(श्री रमाकान्त शर्मा)

जो काम कर रहा है, वह विशिष्ट योजना संगठन के तहत कलक्टर कहता है कि आप यह एनीकट बना दें। अब वहां पर वह एनीकट नहीं बनता है और उसके अन्दर सीमेन्ट की जगह चूना लगता है। वह चूना पत्थरों से बनता नहीं। वह चूना वास्तव में दुनिया जो एक-दूसरे के चुना लगाती है, इस तरह का चूना लगाता है। अब वहां पर सवाल यह आता है कि विशिष्ट सेवा संगठन तो कहता है कि नहीं, काम ठीक चल रहा है। हम कहते हैं कि खराब चल रहा है, इसको बदल दो। ग्रामीण पंचायती राज विभाग यह कहेगा कि वहां से कोई इन्क्वायरी करवा कर बताओ। यह डाइकोटोमी जो प्रशासन के अन्दर है, इससे बड़ा बेड मैनेजमेन्ट दुनिया के अन्दर नहीं मिल सकता। जितनी मैनेजमेन्ट की पुस्तकें हैं, उन सबके अन्दर स्पष्टतया यह बात लिखी है कि dichotomy, that should be completely avoided. यहां डाइकोटोमी जो चल रही है, इसकी वजह से हमारी पंचायतों के अन्दर, हमारी पंचायत समितियों के अन्दर, जिस प्रकार से प्रशासनिक ढंग से, उचित ढंग से, बढ़िया, एक एफिशिएन्ट ढंग से काम चलना चाहिए, वह नहीं चल रहा है। इस बात के लिए अत्यंत आवश्यक है कि राज्य सरकार विशिष्ट सेवा संगठन के अन्दर यदि कोई स्कीम बनाने का कार्यक्रम, जिसके लिए विशिष्ट सेवा संगठन बना था, अच्छा बना था और बना रहना चाहिये, आप अपने क्षेत्र के लिए ऐसी स्कीम बनाकर सारे राजस्थान के लिए शेल्फ में रखें, जिसको सिंचाई विभाग चाहे तो वह ले, जिसको सार्वजनिक निर्माण विभाग चाहे तो वह ले ले, पंचायती राज विभाग चाहे तो ले ले, इन स्कीम्स को आप बना बनाकर रखते चले जाइयेगा। वह काम तो उनका होना चाहिये, करना चाहिये परन्तु उसमें उनको मजा नहीं आता। कौन किताब लिखे, कौन प्रोजेक्ट बनाये, कौन प्रोग्राम बनाये और हुक्म देने के अन्दर, क्रियान्विति के अन्दर जो मजा आता है, छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए राज्य सरकार के लिए मेरी हृदय से सिफारिश है. आन्तरिक रूप से सिफारिश है कि इन दोनों विभागों को, अर्थात् विशिष्ट सेवा संगठन के पास जितने भी विशिष्ट रोजगार योजनाएं या सारे के सारे ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम हैं, वे पंचायती राज विभाग के पास आने चाहिए। तो आप स्वयं देखेंगे कि इससे विकास की जो गति है, वह निश्चित रूप से बढ़ जायेगी क्योंकि जिसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं वही काम कर सकता है। जिसके पास में फायर है, वही हायर कर सकता है, वही उस काम को करवा सकता है। यह मेरा आपसे एक निवेदन है।

मैंने पिछले दिनों एक प्रश्न के माध्यम से सुनिश्चित रोजगार योजना के सिलसिले में निवेदन किया था। पुनः निवेदन करना चाहता हूं। अब यह जो कलेक्टर्स हैं, इस योजना को ठीक तरह से नहीं चला रहे हैं। इस योजना के पीछे जिन लोगों की आन्तरिक भावना रही है, वे जानते हैं कि यह पिछड़े इलाके हैं। इन पिछड़े इलाकों के अन्दर लोगों के पास में किसी प्रकार की रोजी-रोटी का साधन नहीं है। इन लोगों के पास में कोई तरह का व्यापार नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं है उनके पास। वहां पर कोई दूसरी प्राइवेट

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सैक्टर के अन्दर इकॉनोमिक एक्टीविटीज नहीं चल रही कि जिन एक्टीविटीज के अन्दर यह लोग काम कर सकें। ऐसे लोगों के लिए इन्होंने कहा कि वर्ष के अन्दर कम से कम सौ दिन तो उनको रोजगार मिलता रहे, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। आज अलवर के अन्दर करीबन ढाई करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तीन वर्ष से पहले का सैंक्शंड और उन्होंने स्वीकृतियां देनी जारी की हैं और फिर उसको डिफेंड किया जाये, यहां पर! उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाये इस बात का? उनसे पूछा क्यों नहीं जाये कि आपको 1993–94 के अन्दर जो 75 लाख रुपया दिया गया था, आपने क्यों नहीं खर्च किया?

(14.43)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आप यह किससे पूछ रहे हो।

श्री रमाकान्त शर्मा : किससे पूछ रहें हैं? कलक्टर्स से पूछ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वे तो आपके भाई-बन्ध हैं न।

श्री रमाकान्त शर्मा : मेरे भाई-बन्ध तो थे। आप किसी जमाने में टीचर थे, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि वे सारे के सारे टीचर आज आपके भाई-बन्ध हैं। भाई-बन्ध थे। यह सवाल नहीं है और आपने मजाक में यह बात कही है इसलिए मैं जवाब देना नहीं चाहता परन्तु मेरा नम्र निवेदन है कि जो स्कीम, जिस योजना को, जिन उद्देश्यों से योजना बनाई जाती है, जिस समय ग्राउण्ड लेवल पर क्रियान्विति के लिए जाती है, वह उद्देश्य समाप्त हो जाता है और उसका बिलकुल एकदम विकृत स्वरूप आ जाता है। उस विकृत स्वरूप के कारण से ही हमारी जो विकास दर है, हमारी ग्रोथ रेट, सबकुछ भावनाएं ठीक होते हुए भी बढ़ नहीं पा रही है। हम पांच पर्सेन्ट से आगे जा नहीं पा रहे हैं। दुनिया के बड़े-बड़े पिछड़े देश, कोई 21 पर्सेन्ट चल रहे हैं, जो हमसे बहुत पिछड़े हुए थे, कोई 22 पर्सेन्ट पर चल रहे हैं। हम पांच पर्सेन्ट, साढ़े चार पर्सेन्ट से आगे जा नहीं पाते। उसका मुख्य कारण यह है। आवश्यकता इस बात की है कि उनसे यह पूछा जाये कि एक तरफ तो खर्चा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, शायद बच गया है, देश के पास बच गया है, परन्तु उन गरीब आदमियों के लिए, जिनके लिए उद्देश्य रखा गया था कि उनको काम दिया जायेगा, उसे रोजी-रोटी दी जायेगी, जिसके आधार पर रोटी खा सकेगा, कितने लोगों ने अपने बच्चे बेच दिये होंगे, कितने लोगों ने अपने घरों को रहन रख दिया होगा, कितने लोग वहां से छोड़कर के दिल्ली और मुम्बई जाकर रिक्शा पुल कर रहे होंगे, कितने लोग इन्ह्यूमन हो रहे होंगे, इन सबका कारण कौन है? वे लोग हैं जिनको प्रावधान कर दिया गया था, जिनको बताया गया था कि साल के अन्दर सौ दिन नौकरी मिलनी चाहिए और उन्होंने सौ दिन नौकरी नहीं दी उन लोगों के लिए। यह बड़ी गम्भीर चीज है, इसको राज्य सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए। बड़े दुःख की बात है कि

(श्री रमाकान्त शर्मा)

राज्य सरकार कभी-कभी इन चीजों को बड़ी हंसी और मजाक में ले लेती है और उसी का कारण है कि हम आगे इन चीजों के मामले में एफिशिएंसी नहीं ला पाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल बात हो रही थी, माननीय समाज कल्याण मंत्री कह रहे थे कि गाड़िया-लुहारों को 100 स्क्वायर यार्ड बता रहे थे, 150 बता रहे थे, मुझे एग्जेक्ट ध्यान नहीं है, परन्तु वे अलग-अलग बता रहे थे कि म्युनिसिपैलिटी क्षेत्र में यह होगा और नगर निगम क्षेत्र में यह होगा और पंचायत में, अलग-अलग बता रहे थे कि पंचायत में यह होगा।

श्री शम्भूदयाल बडगूजर (केकड़ी) : पंचायत में 150.

श्री रमाकान्त शर्मा : यह कार्यक्रम नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होने वाला है कि जहां पंचायतों को पहले से ही यह आदेश है कि शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को आप 100 स्क्वायर यार्ड जरूर आवंटित करेंगे। कितनी पंचायतों ने कर दिये ? कम से कम मेरे क्षेत्र में तो नहीं हुआ। इस बात का कम से कम अलवर के अन्दर तो नहीं हुआ।

श्री मदन दिलावर (राज्य मंत्री, समाज कल्याण) : बहुत सारे काम हो गये हैं और काफी प्रगति पर है।

श्री रमाकान्त शर्मा : बहुत अच्छी बात है। बड़ी खुशी की बात है। यदि आप सैटिस्फाइड हैं तो मैं भी सैटिस्फाइड हूं। यदि आप इस बात से सैटिस्फाइड हैं तो मुझे तो क्या दिक्कत की बात है ? आप तो मंत्री भी समाज कल्याण विभाग के हैं और स्वयं उस जाति से आ रहे हैं और आप यदि उनके कल्याण के लिए प्रसन्न हैं तो मैं अति प्रसन्न हूं।

मेरा निवेदन यह है कि पंचायतें गाड़िया-लुहारों के लिए तब ही काम कर सकेंगी जब कि यहां एक-एक मानीटरिंग का मामला हो और यह निर्देश पहुंचे कि आपके क्षेत्र के अन्दर यदि कोई गाड़िया-लुहार पिछले 6 महीने से वहां कैम्प कर रहा है तो उनसे आप सम्पर्क करके, उनके लिए आप प्लाट देंगे और प्लाट देकर के जो पांच हजार रुपये की बात बतायी है, उसके अन्दर उनसे मिलकर के मकान बनाएंगे। फिर उसके बाद में इस प्रकार का हम उद्देश्य, लक्ष्य रखकर के मानीटरिंग करें तब तो कुछ हो पायेगा परन्तु हम यहां पर केवल मात्र कह देने के आधार पर ही करवा देंगे तो मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा शंका है कि यह काम हो सकेगा या नहीं हो सकेगा।

मैं आपसे निवेदन करूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र के अन्दर करीबन सात-आठ हजार बंजारें वहां पर पन्द्रह वर्षों से रह रहे हैं। कोई बीस वर्ष से रह रहे हैं, कोई पन्द्रह वर्ष से रह रहे हैं। न तो उनका नाम किसी वोट देने के मामले के अन्दर है, न उनका नाम कैरोसीन आयल या चीनी देने के मामले के अन्दर, राशन कार्ड के अन्दर नाम नहीं है। वे वहां पर गलत तरीके से बसे हुये हैं। आ गये, किसी न किसी ने डाल दिया उनको, जैसे मिट्टी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

को कहीं ढेर में डाल देते हैं, वैसे उनको डाल दिया। अब उनको भी बसाने की जरूरत है, उनके लिए भी यही चीज है। कोई दिक्कत नहीं है, राज्य सरकार के आदेश हैं परन्तु क्रियान्विति के स्तर पर किसी के मन के अन्दर यह नहीं है। आखिरकार कोई अन्तर नहीं है कि वे बंजारे हैं या वे गाड़िया लुहार हैं। मैं तो और भी बात कहूंगा कि सांसी भी इसी तरह से नोमेड हैं, कंजर भी इसी तरह से नोमेड हैं, कालबेलियें भी इसी तरह से नोमेड हैं। इन सब लोगों को जब तक अच्छी तरह से नहीं बसा पाएंगे, यह लोग जब तक ताकतवर नहीं होंगे, तब तक आपका राज ताकतवर नहीं हो सकता, तब तक देश ताकतवर नहीं हो सकता और जब तक आपकी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ सकती। आप दिल्ली के अन्दर अपनी ग्रोथ रेट बढ़ाकर के या जयपुर की सड़कों को चौड़ा कर करके उसके ऊपर डामर पर डामर चढ़ाते चले जाये, उससे देश आगे बढ़ने वाला नहीं है। देश तब आगे बढ़ने वाला है, जब छोटे-छोटे लोगबाग जो आज भी पचास वर्ष से कभी इस जगह पर सो जाते हैं, कभी उस जगह पर सो जाते हैं, गाड़िया-लुहारों से तो ज्यादा स्थिति इन कंजर, कालबेलियों की है. इन लोगों को भी आपको आगे लाना होगा। इसलिए यह जो प्रोग्राम बनाया है हमने जमीन देने का, प्लाट बनाने का, इसको समयबद्ध तरीके से, यह कहकर के कि डेढ़ साल के अन्दर या दो साल के अन्दर, 1998 की समाप्ति से पहले-पहले यह आदेश दिये जाएं कलक्टरों को कि सबको बसा दिया जायेगा और आपको यह सर्टिफिकेट देना होगा कि कोई भी आदमी बिना बसे हुए नहीं रह गया।

श्री उपाध्यक्ष : अब कितनी तैयारी है आपकी ?

श्री रमाकान्त शर्मा : अब मैं लास्ट बात कहकर, बातें तो बहुत लिखी हैं, पढ़ाई-लिखाई की बात कह रहा हूं। मैंने एक प्रश्न पूछा था जो यहां पर डिस्कस नहीं हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने उसमें निवेदन किया था कि मेरे क्षेत्र के अन्दर इतने कितने गांव हैं जिनकी पापूलेशन 250 की है और वहां पर स्कूल नहीं है। क्योंकि राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया था, पंचायती राज ने बड़ा ऐलान किया था कि 250 की पापुलेशन के जो गांव हैं उन सब के अन्दर प्राथमिक शालाएं खोल दी जायेगी। मुझे उत्तर के अन्दर प्राप्त हुआ कि 50 ऐसे गांव हैं। दो गांवों के लिए दिया है। मैं माननीय मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि कल ही इन्होंने दो गांवों के लिए और दे दिया, चार गांव के लिए दे दिया परन्तु 50 गांव ऐसे हैं जो 250 की पापुलेशन से ऊपर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हम गरीब क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, हमारे यहां तो लोग ढाणियों में रहते हैं, हमारे तो दो-दो कदम पर ढाणियां बसी हुई हैं। एक-एक ढाणी में चार-चार घर हैं, पांच-पांच घर उसमें हैं। आपकी जो सेंसस रिपोर्ट है उसके अनुसार वह ढाणी 250 की पापूलेशन में नहीं आती। तो ऐसी जो पांच-पांच, छह-छह ढाणियां हैं उन ढाणियों से 10–10 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल है। कब आयेगी शिक्षा ? क्यों इस शिक्षा पर आप कभी सम्पूर्ण शिक्षा का नाम लेते हैं, कभी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

सम्पूर्ण साक्षरता का नाम लेते हैं, कभी प्रौढ़ शिक्षा का नाम लेते हैं, कभी अनौपचारिक शिक्षा का नाम लेते है ? इसमें करोड़ों रुपये बरबाद कर रहे हैं। इन रुपयों से क्यों नहीं जहां 40 लड़कें हों वहां जल्दी से जल्दी स्कूल खुले ? यदि इस चीज के बारे में और शिक्षा के बारे में हमने ध्यान नहीं दिया तो आगे हमारे कोई कार्यक्रम सफलीभूत नहीं होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री फूलचन्द मीणा।

श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30 विशेष तौर से ट्राइबल सब-प्लान की चर्चा इस पवित्र सदन में हो रही है और इसमें मैं भी सम्मिलित होकर अपने सुझाव और विचार रखना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में तब मजा आता जब सामने वाले होते क्योंकि सामने वालों ने ही 40 वर्षों तक यह ठेका ले रखा था कि उस आदिवासी एरिया का विकास कैसे हो। उसी के आधार पर उनकी सरकार बनती थी, उसी क्षेत्र से सदस्य आते थे और वहीं का मुख्य मंत्री बनता था और वहीं की सरकारें इस सदन में बैठती थीं और विकास होना था। वे आज मूल्यांकन करते, आज अपनी जबान से कहते हैं कि आज हमारा मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत, आज राज्य मंत्री, नन्दलाल मीणा किस प्रकार आदिवासियों की पीड़ा को समझ कर, आदिवासियों को अपना समझ कर और आदिवासी होकर विकास कर रहे रहे हैं और विकास के प्रयासों में निरन्तर सफलता मिल रही है।

इसके साथ-साथ आज हमने कमेटी बनाई सब-कमेटी बनाई और आज इन 50 सालों के बीच में हम अध्ययन करने जा रहे हैं गुजरात का पैटर्न, महाराष्ट्र का पैटर्न, गुवाहाटी का पैटर्न। आज पैटर्न की कहां जरूरत है ? इस किताब में जब स्पष्ट है यह प्रगति रिपोर्ट कम से कम 1975 से तो अलग से मिलती ही होगी, 1975 से 1990 तक कुछ नहीं कर पाये। 1990 से यह सरकार आयी तो सोचा कि उस गरीब और गणेश का विकास कैसे हो, उस पिछड़े इलाके का उत्थान कैसे हो। उस पिछड़े व्यक्ति का उत्थान कैसे हो, यह जिम्मा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने लिया और माननीय मुख्य मंत्रीजी जब भी उस एरिये का दौरा करते थे तब स्वयं कहते थे कि जमीन, जंगल और जल अगर आदिवासी एरिये में पूरा मिल जाये तो निश्चत रूप से आदिवासी का विकास हो सकता है, यह आदिवासी हमारे समकक्ष आ सकता है। इसकी आर्थिक, इसकी सामाजिक, इसकी सांस्कृतिक और इसकी शैक्षणिक उन्नति हो सकती है। आदवासी भूख के लिए भटकता है। सबसे पहले रोटी का इंतजाम करता है और रोटी नहीं होने से सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। आप योजना उसके पास 50 ले जाओ, 100 ले जाओ, आप सोना ले जाओ पर उसको तो पहले पेट भरना है, बच्चों को खिलाना है। इस चिन्ता में लगा रहता है। इसीलिए घर छोड़कर के भागता रहता है कि मैं कहां

(श्री फूलचन्द मीणा)

रोटी कमाने जाऊं। फसल पकती नहीं है, अकाल पड़ते रहते हैं। इस चिन्ता में सड़क पर जाता है, अपने बच्चों को सड़क पर भेजता है। वह स्कूल में नहीं गया। स्कूल में नहीं जाने के भी वे ही दोषी हैं, उन्होंने समान रूप से स्कूलें नहीं खोलीं और ना ही पढ़ाने का सोचा। क्यों नहीं सोचा ? उन्होंने तो उस आदिवासी को, उस जनजाति के व्यक्ति को आलसी बना दिया कि सारी योजना सरकार देगी, तेरे को तो गेहूं दे देंगे, तेरे को रोजगार दे देंगे, इस प्रकार से उसको कामचोर बनाया और कामचोर बनाकर उस आदमी को आदमी नहीं रखकर बिगाड़ दिया। उसको कच्चा कर दिया, उसको खराब कर दिया। आज यह पीड़ा समझी, हमारे मंत्री नन्दलालजी, मीणा ने सोचा कि अब उसके पास बिजली कैसे पहुंचायें, अब उसको शिक्षा कैसे दें, अब उस आदमी का विकास कैसे हो सकता है। क्षेत्र का नहीं, आदमी का विकास कैसे हो सकता है और वह जनजाति का व्यक्ति किस प्रकार कमा कर खा सकता है। तब जाकर वह सब योजना अपने दिमाग में बनाएगा कि सरकार हमारे लिए क्या करने जा रही है, सरकार हमारे प्रति क्या सोच रही है, सरकार हमारा क्या उत्थान करना चाहती है, सरकार हमारा विकास कैसे करना चाहती है। इस प्रकार की आज उनके मन में दृढ़ता बनी है, इन मंत्री महोदय का कठोर प्रयास है। यह बाहर बैठे हुए, हमारे साथ जो उधर बैठते हैं, वे भी बाहर चर्चा करते हैं कि नन्दलाल मीणा अच्छा काम कर रहा है और अच्छी तरह से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। आज यहां नहीं बाहर बैठकर वे चर्चा करते हैं कि वास्तव में काम कर रहा है। वास्तव में बांसवाड़ा में काम किया है, वास्तव में डूंगरपुर में काम कर रहे हैं। ट्राइबल विभाग में पचासों मीटिंग करके इस बारे में सोच रहे हैं। यह सारे अधिकारी बैठे हैं, इनकी हमेशा कसरत करते हैं कि इसमें क्या हुआ, एनीकट में क्या हुआ, लघु सिंचाई योजना में क्या हुआ, बिजली उस लिफ्ट परियोजना में पहुंची कि नहीं पहुंची, नहीं पहुंची तो कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदार के प्रति क्या कार्यवाही की। इस प्रकार से सारी मशीनरी को सक्रिय किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रकार से इनको पीड़ा है। इन सबको सक्रिय करने से उस आदिवासी को लाभ होगा। आज पानी रोकने के लिये छोटे-छोटे एनीकट बना रहे हैं और बनाने चाहिये। आज योजना बनाकर दिल्ली भेजी है। आज यह मन में रोज चर्चा करते हैं कि अपने सारे अधिकारी वहां दिल्ली में बैठ जाओ। अगर विधान सभा की तरफ से या इनकी तरफ से वहां खर्चा भी करना पड़े तो करिये। उनको बैठाकर सोचो। कल्याण विभाग में बहुत पैसा है उस पैसे को लाइये और उस आदिवासी एरिया में लगायेंगे। ऐसी पीड़ा लेकर इसको देखते हैं, ऐसा मन में विचार रखते हैं इसलिये यह धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिये वे बोल नहीं पाये, वे कटघरे में होते कि हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया है। आज वे नहीं हैं, यह तो दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो,.... (व्यवधान)....

श्री नन्दलाल मीणा : वे होते तो भी यही बात कहते।

श्री फूलचन्द मीणा : होते तो भी यही बात कहते।

विभाग की तरफ से यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। इस किताब से भी यह साफ स्पष्ट है। चार ध्येय बताये हैं। जनजातियों का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बौधिक विकास। जनजातियों के विभिन्न योजनाओं में निर्माण, समन्वय, नियंत्रण और निर्देशन। नियंत्रण और निर्देशन के बारे में मेरा यह कहना है कि आज नियंत्रण कई तरीके से कई विभागों के पास है। ट्राइबल एरिया में जब उप योजना बनायी है, भारत सरकार ने बनायी या किसी ने बनायी, हम सबने सोचा कि इनका विकास कैसे हो, तो इस प्रकार योजना लागू की। नियंत्रण और निर्देशन ट्राइबल विभाग से होने चाहिये क्योंकि ट्राइबल वाले ही सोच सकते हैं कि ट्राइबल में कैसे विकास हो सकता है, ट्राइबल में कौनसी चीज की जरूरत है, किस समय में जरूरत है, किस गांव में जरूरत है। इसलिये यह नियंत्रण और निर्देशन ट्राइबल विभाग को मिलने चाहिये। इस आधार पर हमेशा हम मांग करते आ रहे हैं कि 12.44 प्रतिशत जो पैसा है वह सारा का सारा ट्राइबल मंत्रीजी के विभाग से ही अनुशंषा हो और उसके आधार पर करे। इसमें क्या गलत है? हम यह मांग हमेशा करते हैं। पहली बार इस मांग संख्या 30 पर चर्चा की मांग की तो यह भी इसी विधान सभा में गत वर्ष से ही आरम्भ हुई। पहले कभी नहीं हुई। 1995 में हुई और आज 1997 में हो रही है बाकी कभी नहीं हुई कि जनजाति विकास विभाग है भी कि नहीं। जब भी कोई माननीय सदस्य इस सदन में खड़ा होता था तो सबसे पहली पीड़ा बताता था, रोता था कि उस आदिवासी एरिये का, उस पिछड़े इलाके का, उस जगह का विकास नहीं हुआ इसलिये हमारे यह सेंक्शन होनी चाहिये, इसलिये हमारे यहां यह होना चाहिये। उनको पीड़ा पता नहीं दिखानी थी या वैसे ही बोलना था या सदन में अपने आप में भाषण देकर ऊंचा होना था कि मैं हाई-लाइट हो जाऊंगा, उस आदिवासी एरिये के लिये बोल रहा हूं उनका मसीहा बन रहा हूं, उन गरीबों की सेवा कर रहा हूं, उन गरीबों की सेवा के लिये यह सारी योजनाएं बना रहा हूं। ऐसी उनकी पीड़ा थी। परन्तु आज तो हम हकीकत में कर रहे हैं। हकीकत में कर रहे हैं तो उन लोगों के मन में भी बना कि आज हमारा विकास करने वाला कोई न कोई मुख्य मंत्री, कोई न कोई जनजाति मंत्री बना।

वह जनजाति मंत्री आज निश्चित रूप से वन विभाग में भी काम कर रहे हैं। वन विभाग की ऐसी जो कमेटियां बनायी हैं उनके लिये सारे के सारे अध्ययन किये, मीटिंग हुई है। माननीय जनजाति मंत्रीजी जब सांसद थे, इन्होंने स्वयं ने दिल्ली जाकर भी आब्जेक्शन किया कि जनजाति के लोगों को इन वनों के साथ सीधा क्यों नहीं जोड़ देते? जब इन वनों में बैठे हैं, रोजी-रोटी इनसे कमा कर खाते हैं तो सारा अध्ययन करके इनको वनों को दे दो, वनों के अधिकार दे दो। वन ये बनाएं, वन ये बेचें। क्या दिक्कत है? इस पर भी कमेटियां बनीं, आज अध्ययन हो रहा है और अभी भी गम्भीरता से विचार चल रहा है कि इनको आबंटन किया जाए या नहीं किया

(श्री फूलचन्द मीणा)

जाए। मैं तो कहता हूं कि तुरन्त या अविलम्ब इसमें निर्णय करके उन जनजाति के लोगों को जंगल का पूरा हकदार बना देना चाहिये और जंगल सारा उनको दे देना चाहिये। वे जंगल लगायें, जंगल पैदा करें और जंगल का सारा रख-रखाव वे करें। ऐसी मेरी मान्यता है।

आज हमारे यहां सिंचाई के बड़े-बड़े चार-पांच डैम बनें। माही परियोजना, कड़ाना बांध, जाखम परियोजना, सोम कमला अम्बा। यह 50 सालों में बनते-बनते बने लेकिन वहां लोग आज भी विस्थापित हैं। घर छोड़कर कहां गये? कोई तो प्रताड़ के जंगलों में बस गया, कोई धरियावद के जंगलों में बस गया, कोई कहां गया, कोई कहां गया। वहां के कलक्टर और सभी लोग कहते हैं कि हमने इनको जमीन आबंटित कर दी है और यह यहां बैठ गये। जबकि वहां जमीनें कौनसी हैं? आज की तारीख में जमीनों पर तो सब कब्जा कर रखा है। शेष लास्ट में जो

(15.00)

खराब से खराब जमीन थी, पहाड़ी थी, पथरीली थी, वह आबंटित कर दी। वहां भी आदमी पहले से कब्जा करके बैठा था। फिर आदिवासी संघर्ष करे तो कहते हैं आ जा मेरे पास, कैसे बैठता है। इस प्रकार कलक्टरों ने अपने कागजों में इति श्री कर ली। हम इसमें चाहेंगे उन विस्थापित लोगों का सही तौर पर पुनर्वास किया जाए और पुनर्वास करने में जनजाति मंत्री और वहां के स्थानीय प्रतिनिधियों को साथ में लेकर बताया जाए कि इनको यहां जमीन मिलेगी और यहां इनका पूरा विकास होगा। स्कूल होगा, अस्पताल होगा। सब कुछ होगा। इन्होंने जहां जहां पर बसाये हैं वहां कोई नहीं रह रहा है। सब खाली पड़े हैं, और भी कहीं बसाया है तो खाली पड़े हैं। खाली पड़े रहने से क्या मतलब? जहां वह रहना चाहता है, वहां जमीन दी जानी चाहिये, वहां बसाना चाहिये। बाकी जो पैसा दिया उससे उन्होंने शादियां कर लीं, किसी ने दारू पी ली, किसी ने और काम में ले लिया, सब बर्बाद हो गये। आज भी वह उसी फटीचर हालत में बैठे हैं। कहां जाऊं? जहां बैठा है खेती कर दी। कमा लिया, खा लिया फिर भटक रहा है। इसलिये गंभीरता से सोचकर उन विस्थापितों का पुनर्वास निश्चित रूप से करना चाहिये।

आदिवासी एरिये में आदिवासियों को पशुओं को पालना और पशुओं में आई. आर. डी. पी. करते हैं। उससे होता है? उसके पीछे वह सचिव साहब लग जाते हैं कि इस खूंटे से उस खूंटे बांधवा देंगे। खूंटे से खूंटे बंधवाकर न तो नस्ल सुधार हुआ और न उसे लाभ मिला। ऐसी योजनाएं हैं। उसको दूध मिलना चाहिये था, बेचना चाहिये था। उसकी जगह आपके घर से ले आया और उस घर में बेच दिया। आज गुजरात में हम जाकर देखें। एक-एक घर में छह-छह भैंसें बांध रखी हैं और अच्छी काठियावाड़ी हैं। आज हमारे यहां भी पाली और जोधपुर में अच्छी भैंसें हैं। गायें लाकर रखें तो निश्चित रूप से अच्छा होगा। परन्तु खाली इधर से उधर डॉक्टर

(श्री फूलचन्द मीणा)

साहब मिल गये, बी. डी. ओ. साहब मिल गये, लगा दिया काम में खोटी और काम हो गया, योजना आई. आर. डी. पी. की पूरी हो गयी। कहते हैं अपने तो इस बार इतने निश्चित हैं। मतलब यह है कि अच्छी जगह लगाना चाहिये था। उसके पीछे जिस-जिस मशीनरी ने काम किया, जिसके पास सिस्टम है, हम स्वायत्तशाषी की मांग क्यों करते हैं, इसलिये ही करते हैं कि आज वहां जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं है। इसलिये करते हैं कि वहां जो मशीनरी लग गयी वह गलत लग गयी। वह उसको बेवकूफ बना रहे हैं कि तेरा कुआं ऊपर से सफेद कर देंगे, तीस हजार रुपये में ले लें, आधे इसको दे दें, आधे तू ले ले। छुट्टी पाया। पर उसको वास्तविकता नहीं बता रहे हैं कि तुझे इस प्रकार से कमाकर खाना है। इस प्रकार पानी खेत में जाएगा। खेत में जाने से तू कमाकर खाएगा। फिर गेहूं होगा, मिर्ची होगी, आलू-प्याज पैदा होंगे। उसको तो बेवकूफ बनाते रहते हैं। वह सोचता है आसानी से मिल रहा है पैसा, अपने को कहां खोदना पड़ रहा है। जितने दिन चलेगा उतने दिन चला लिया, बाकी योजना का सब मटियामेट कर दिया। हम चाहेंगे उसको भी निश्चित रूप से प्रशिक्षण दिया जाए। उसको निश्चित रूप से कहेंगे कि यह कुआं तो खोद, या तो सरकार खुद खोदकर दे या वह स्वयं खोदे परन्तु उसके खेत में पानी जाना चाहिये।

जहां तक बिजली का मामला है, पानी दे दिया, बिजली दे दी, हम पूछते हैं कहां दे रहे हो तो कहते हैं उस गांव को विद्युतीकृत कर दिया। गांव के विद्युतीकरण से क्या हो, उसके कुएं पर बिजली गयी कि नहीं, उसके घर में बिजली गयी कि नहीं गयी ? हमने पैसा खर्च कर दिया करोड़ों रुपये। करोड़ों रुपये खर्च करने से लाभ नहीं है। उस आदमी के घर बिजली जानी चाहिये तभी जाकर यह योजना सार्थक बनेगी। उसके घर में बिजली हो, लट्टू लगे फिर विद्युतीकरण माना जाना चाहिये। नहीं, तो गांव के विद्युतीकरण होने से क्या लाभ ? परामर्शदात्री समिति की हमारे यहां व्यवस्था है....

प्रस्ताव

डा. शंकर भानूदा, सदस्य को सदन में बैठने की अनुमति

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : आपने माननीय डा. शंकर लाल भानूदा जी को बाहर जाने के लिये कहा था। मैं प्रस्ताव करता हूं कि वह इस सदन में आ जाएं। इस व्यवस्था के लिये आप अपनी अनुमति दे दें।

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

मांग संख्या 30 व 28 पर विचार

श्री फूलचन्द मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं परामर्शदात्री समिति की बात कर रहा था। परामर्शदात्री समिति 1993 में बनायी थी। उसकी दो-तीन मीटिंग्स हो गयीं। उससे पहले कभी मीटिंग नहीं हुई। मीटिंग होती है, उसके सुझाव आते हैं। सुझाव का कभी इतने प्रभावशाली तरीके से

(श्री फूलचन्द मीणा)

क्रियान्वयन नहीं किया गया कि हमने यह तो तय किया है और यह इस प्रकार होना चाहिए। संविधान के अन्दर परामर्शदात्री समिति का प्रावधान है और बहुत बड़ी ताकत परामर्शदात्री समिति है। इसके जितने भी सुझाव आते हैं उनके अनुसार निश्चित रूप से काम करना चाहिए क्योंकि वह सारी पीड़ा उस क्षेत्र की है। उस क्षेत्र के लोगों के लिए है न कि हमारी व्यक्तिगत है। हम आज इस सदन में इसलिए निवेदन कर रहे हैं कि इस परामर्शदात्री समिति का मत बढ़ना चाहिए और परामर्शदात्री समिति जो भी सुझाव देती है, जिस प्रकार की रचना करना चाहती है, वह योजना बनानी चाहिए और वही क्रियान्विति होनी चाहिए। वहां की जो स्थानीय मशीनरी बैठी है उसके आधार पर नहीं होनी चाहिए। मैं जनजाति मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा, इसमें निश्चित रूप से जिस प्रकार की सलाह परामर्शदात्री समिति देती है उसी प्रकार से काम करना चाहिए, न कि मशीनरी के आधार पर।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री फूलचन्द मीणा : मैं थोड़ा सा निवेदन और कर दूं। हमारे पास ट्राइबल इंस्टीट्यूट है। वह सन् 60 से सन् 50 या 52 से चलता आ रहा है। वह भी अध्ययन करके या तो रिपोर्ट देता नहीं है या रिपोर्ट देता है तो उसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा होती? उस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। क्या यही अध्ययन करते हैं कि आदिवासी फावड़े चलाता है, पहाड़ों में रहता है, खेती करता है, बैलगाड़ियां चलाता है, बकरियां पालता है, यही रिसर्च करते हैं? आखिर हम बोल रहे हैं तो हमें भी इसकी पीड़ा है कि आदिवासी का विकास कैसे होवे। पूरी रिसर्च संस्था खोल रखी है। वह न आई. ए. एस. बना सकी, न वह तहसीलदार बना सकी, न वह एस. डी. ओ. बना सकी, न शिक्षा में बन सकी, न खेल का कोई बना सकी। खेल में वैसे जो नाम आये हैं लिम्बाराम, धूलचन्द और श्यामलाल वे भी जंगलों से उठाकर लाये हैं और दूसरी संस्था लायी है इनको। यह रिसर्च करने वाली संस्था सोती रहती है जबकि दूसरी संस्थाएं वहां इतनी सक्रिय हैं। स्वयं सेवी संस्था उनको निकालकर लायी और देश का नाम रोशन किया।

इस प्रकार मैं एक आग्रह करूंगा कि खेल की दृष्टि से हमारे वहां बहुत विद्वताएं छिपी हुई हैं, उनको निकालने का ही जिम्मा ले लें, रिसर्च संस्था में तो वहां हजारों खिलाड़ी मिल सकते हैं और देश का नाम रोशन कर सकते हैं। उनमें इतना स्टेमिना है, इतनी ताकत है, इतना शौर्य है परन्तु वह ट्राइबल रिसर्च वाले अपना कर्त्तव्य निभाते नहीं हैं। इसका तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है, सारी किताबें लिख देते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं। दूसरे पढ़कर आई. ए. एस. बन जाते हैं, आर. ए. एस. बन जाते हैं पर ट्राइबल वाले वहीं के वहीं रहते हैं। वहीं के वहीं रहने का कारण क्या है, क्यों कि इनको पीड़ा ही नहीं है। पीड़ा किस बात की? पीड़ा होती तो आज यह बता देते कि हमने परिश्रम करके, हमने खर्चा करके हमारी इस संस्था ने यह योजना बना कर पचास आदिवासी आर.ए.एस.बनाये हैं,

(श्री फूलचन्द मीणा)

यह पांच आदमी एस.डी.ग्रो. बनाये हैं, यह पांच आदमी डाक्टर बनाये हैं, यह पांच आदमी इंजीनियर बनाये हैं, यह पांच आदमी और अच्छी जगह लगे हैं, पांच गांवों में भी हमने सुधार कर दिया, इन पांच गांवों को मॉडल बना दिया। हम वहां जाकर मॉडल को देखें, काम को देखें। ट्राइबल रिसर्च द्वारा इन गांवों को तैयार किया गया। आज इनकी अच्छी खेती हो गयी। आज इनके अच्छे घर बन गये। आज इनका अच्छा रहन-सहन हो गया। आज वह पैसे वाले हो गये। यह करते क्या हैं, पता नहीं किधर बैठते हैं, कहां रिसर्च करते हैं ? किताबें भर देते हैं, किताबें भर-कर सबको बताते हैं और खतम कर देते हैं। हमने यह बना दिया, कोई और कर देते हैं, जो मर्जी आये सो करते हैं।

मैं इस बारे में सदन के माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हम सारी संस्थाएं खोलते कहां हैं ? उदयपुर मुख्यालय पर खोल देते हैं। इंजीनियर कॉलेज कहां खोलना चाहिये, कि उदयपुर में खोल दो। मेडिकल कॉलेज कहां पर खुले, कि उदयपुर मुख्यालय या जयपुर मुख्यालय पर खोलना चाहिये। गांवों में क्यों नहीं खोले जाते ? गांवों में अच्छे आदमी का बच्चा जाकर पढ़ेगा, उस ट्राइबल एरिये में जाकर पढ़ेगा तो वह देखेगा कि आदिवासी का बच्चा बढ़ रहा है और आदिवासी एरिया इस प्रकार का है, ट्राइबल एरिया इस प्रकार का है वह निश्चित रूप से वहां पैसा लगायेगा और अपनी खुद की औलाद वहां पढ़ेगी तो वह देखेगा कि मेरे यहां कमी है तो मैं पंखा लगा दूं, फव्वारा लगा दूं, मैं बिजली लगा दूं। वह उन संस्थाओं को सहयोग करेंगे। वह पकी-पकाई रोटी खाकर तैयार होता है। फिर उनको कहता है कि डाक्टर साहब आप तो धोरिया जाना, पंडावा जाना, वह कहे कि मैं जाता हूं एक दिन दस्तखत करूंगा महीने के और उदयपुर रहूंगा। उदयपुर से पंडावा 120 किलोमीटर है, वह क्या इलाज करेगा ? धोरिया जाकर इलाज करेगा, यह सम्भव नहीं है। इस प्रकार सारे अस्पताल खाली रहते हैं। हमने अस्पताल खोल दिये। स्कूल खोल दिये। रोज डेली अप-डाउन कर रहे हैं। उदयपुर से धरियावद बहनजी जा रही है बच्चा लेकर, वापस चार बजे चली आती हैं। सुबह उठकर जाती हैं और सप्ताह में तीन दिन जाती हैं, तीन दिन आती नहीं। हम कहते हैं कि वह बच्चा पढ़ना चाहिये तो वह कहां से पढ़ेगा ? इसलिए मेरा इसमें सुझाव है, नम्र निवेदन है स्कूल जरूर खोलने चाहिए पर जहां भी स्कूल खोलते हो उसके साथ आवासीय भवन भी बनाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आज स्कूलों की मांग नहीं है। यह अनुदान की जो मांग है इसके हैडिंग को आप अच्छी तरह पढ़िये और फिर आप बोलिये।

श्री फूलचन्द मीणा : माननीय जन-जाति मंत्री महोदय के पास इतना पैसा है और ऐसा प्रोग्राम बना दें कि आदिवासी एरिये में ट्राइबल सब-प्लान में स्कूलों के साथ-साथ उन मास्टरों के लिए आवासीय भवन बना दिये जायें और वह वहां रहकर वास्तव में हमारे छात्रों को तैयार करें, बालकों को तैयार करें तो निश्चित रूप से

134

(श्री फूलचन्द मीणा)

अच्छा होगा । अप-डाउन में कहां से तैयार करेगा ? हम रोज कह रहे हैं पचास स्कूलें खोलो, हम कह रहे हैं मिडल करो, स्कूलें तो खुल जाती हैं परन्तु वहां अध्यापक हैं नहीं, छोरे आते हैं और चले जाते हैं और रिजल्ट जीरो का जीरो आता है । वह क्यों नहीं सत्तर पर्सेन्ट मार्क्स ला सकता, अस्सी पर्सेन्ट मार्क्स ला सकता ? कारण यह है कि उनका पूरा अध्ययन तो होता ही नहीं है । कोर्स पूरा करा देते हैं धड़ाधड़ से, किताब आ गयी, किताब पढ़ा दी और हो गया पूरा कोर्स । वह संवेदनशील इलाका है, वहां बच्चे तैयार नहीं होंगे तो आदिवासी सुधर नहीं सकते । उसको विधान सभा में लाओ, यह जानता ही नहीं है कि किस गेट से प्रवेश करें । वह नासमझ है इसलिए नहीं जानता है । इसलिए हमारा आग्रह है कि शिक्षा के लिए माननीय मंत्रीजी ने बहुत कुछ किया है, सलूम्बर में आवासीय विद्यालय खोला, प्रतापगढ़ में आवासीय विद्यालय खोला और दो हास्पिटल खोले हैं, कन्याओं के लिए छात्रावास खोले, कॉलेज के लिए एक करोड़ रुपये का छात्रावास बनाया । कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं लेकिन जहां बिलकुल ग्रामीण एरिया है, जहां सड़क पर बिलकुल नहीं जा सकते वहां भी इस प्रकार की संस्थायें या आवासीय व्यवस्था करनी चाहिए । आपने समय दिया, धन्यवाद ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भवानी जोशी ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : शार्ट बोलो, साढ़े चार बजे मुखबन्द है ।

श्री भवानी जोशी (बांसवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास में मैं अपने आपको सम्मिलित करते हुए सर्वप्रथम माननीय जनजाति मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे क्षेत्र पर पूरा ध्यान देते हैं । बांसवाड़ा और डूंगरपुर सम्पूर्ण जनजाति क्षेत्र है और उस जनजाति क्षेत्र में अगर कोई भी झण्डी वाली गाड़ी घूमती है तो वहां के क्षेत्र के लोग यह समझ जाते हैं कि माननीय नन्दलालजी मीणा घूम रहे हैं । नन्दलाल जी मीणा ने उस क्षेत्र के विकास के लिए वहां होस्टल, आश्रम, छात्रावास एवं काफी सुख-सुविधायें मुहैया करायी हैं लेकिन इन पचास सालों में उस क्षेत्र का जो विकास होना चाहिए था वह विकास हो नहीं पाया । आज भी आप हमारे क्षेत्र में आकर देखें तो वहां की महिलाओं को तन ढकने का कपड़ा नहीं अपने तन को यदि एक तरफ से ढकती हैं तो दूसरी तरफ से कपड़ा सरक जाता है । बच्चों को पहनने के कपड़े नहीं हैं, खाने के अन्न नहीं है, पशुओं को देने के लिए चारा नहीं है । इन विषम परिस्थितियों में समय-समय पर वहां का आदिवासी पलायन कर जाता है और रोजगार के लिए गुजरात में चला जाता है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी राज्य सरकार ने आदिवासियों के जन-कल्याण के लिए कई प्रकार की योजनायें लागू की हैं लेकिन कोई योजना उनके आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए लागू की जाती तो निश्चित रूप से जनजाति क्षेत्र का व्यक्ति अन्य राज्यों में न जाकर अपने क्षेत्र में ही

(श्री भवानी जोशी)

रहकर उद्योग लगाता, रोजगार पर रहता। कई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं लेकिन बड़ी विडम्बना है कि वहां के स्थानीय लोगों को नहीं रखा जाता। माननीय जनजाति मंत्री श्रम मंत्री भी हैं। मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि कम से कम उन फैक्ट्री वालों को, उद्योग वालों को और माइंस वालों को बाध्य किया जाये कि 75 प्रतिशत लोग वहां के एरिये के स्थानीय लिये जायें। जब तक वहां पर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम वहां चलायें या अन्य किसी प्रकार का कार्यक्रम चलायें, वह पूर्णत: क्रियान्वित नहीं हो पायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास के तहत कई प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं। उनमें एक मत्स्य पालन विभाग भी है और मत्स्य पालन में माही का, कड़ाना का काफी बैंक वाटर भी आता है। वहां के आदिवासियों को मछलियों को पकड़ने के लिए जाल और नाव सुलभ करवाये जायें। इनको ट्रेनिंग करवाई जाती है टी. ए. डी. से और ठेके दिये जाते हैं तो बड़े-बड़े ठेकेदारों को दे दिये जाते हैं। उन ठेकों में हमारे यहां के जनजाति का व्यक्ति अपने आपको खड़ा नहीं कर पाता इसलिए ठेके दूसरों को दिये जाते हैं। मेरा जनजाति मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि वहां के जितने भी ठेके हैं, वहां के स्थानीय आदिवासियों को ही दिये जायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप कभी हमारे क्षेत्र में नहीं पधारे, हमारे क्षेत्र के अन्दर आकर आप पशुओं की नस्ल को देखें तो आप आधे घण्टे तक हंसते ही रहेंगे। आप कहेंगे कि क्या वास्तव में इस तरह की नस्लें हैं आपके क्षेत्र में। नस्ल सुधार कार्यक्रमों के लिए करोड़ों रुपया खर्च राज्य सरकार कर रही है लेकिन वहां आज तक भी उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो रहा है। उस पर जो मानीटरिंग होनी चाहिए थी वह नहीं हो रही है। वहां के लोग शिक्षित नहीं हैं, योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रखते। इस तरह से उनका शोषण होता है और वहां के जनजाति क्षेत्र के जो लोग हैं, मैं कहना नहीं चाहूंगा लेकिन उनका शारीरिक शोषण भी इतना होता है। आप कहीं देखें, माइंस एरिया में देखें या हाई-वे पर देखें तो बड़ी दयनीय स्थिति है। आपसे निवेदन नहीं करना चाहता लेकिन इस कार्यक्रम को येन-केन-प्रकारेण सुधारना चाहिए वरना आने वाले समय में दिक्कत होगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धर्मान्तरण में हो रही है और वे अपने पैसे के लिए, लालच के कारण अपना धर्म बदल कर दूसरे धर्म में परिवर्तित होते जा रहे हैं। अगर उस धर्मान्तरण को रोका नहीं गया और उसके बारे में कोई योजना नहीं बनाई गयी तो आने वाले समय में बांसवाड़ा में और डूंगरपुर में आदिवासी का नाम ही खो जायेगा और कोई अन्य जाति की उत्पत्ति हो जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं टी.ए.डी. मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि उस क्षेत्र में अधिक से अधिक विद्यालय खोले जायें, उनको सुधारने के कार्यक्रम भी किये जायें। आर्थिक दृष्टि से उनको मजबूत किया जाये।

(श्री भवानी जोशी)

राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि आदिवासियों को खनन पट्टे जारी किये जायेंगे। पर मुझे कहने में बड़ा खेद महसूस होता है कि घोषणा के बाद बांसवाड़ा जिले में एक भी आदिवासी को अभी तक खनन पट्टा जारी नहीं किया गया। वहां की आम जनता यह सोचती है कि राज्य सरकार मात्र घोषणा करना जानती है, अमल करना नहीं जानती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से टी.ए.डी. मंत्री महोदय को यह निवेदन करूंगा कि वहां के लोगों को तत्काल माइंस मुहैया करवायी जायें, आवंटित की जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां यातायात की इस तरह की व्यवस्था है कि आप गाड़ी पर देखें तो 250–250 लोग ऊपर बैठकर जाते हैं। यातायात की व्यवस्था नहीं है। कभी-कभी इतने भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं जिसे हमारे जनजाति क्षेत्र के सारे एम.एल.ए. जानते हैं। पच्चीस श्रमिक आज मर गये, पच्चीस सवारी आज मर गयीं। इस तरह की घटनायें होती हैं। आदिवासियों के लिए यदि राज्य सरकार अधिक से अधिक गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकती है तो यह बड़ा खेदजनक है। मैं आपके माध्यम से टी. ए. डी. मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वहां की यातायात व्यवस्था को, विद्युत व्यवस्था को, टी. ए. डी. ने अपना सम्पूर्ण बजट आर. एस. ई. बी. को ट्रांसफर कर दिया लेकिन पिछले एक साल के भी टारगेट आर.एस.ई.बी. के अधिकारी अभी तक पूरे नहीं कर पाये हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि उन पर बराबर वाच रखें। जिन ट्राइबल्स के लिए विद्युत के पैसे दिये थे, वहां पर विद्युत अभी तक गई नहीं है, उसको भी आप देखें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : टी.ए.डी. की सड़कें तो बन रही हैं।

श्री भवानी जोशी : हां, बन रही हैं, साहब। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन मंत्रीजी ने चार दिन पहले फिर एक नयी घोषणा की कि 1980 के पहले जो भी वनवासियों के कब्जे हैं, उनको नियमित कर दिया जायेगा लेकिन फोरेस्ट वालों की इतनी दादागिरी है कि उनके कुओं को तोड़ देते हैं, उनके मकानों को तोड़ देते हैं, उनको बेघर कर देते हैं। एक आदिवासी चार-चार बार अपना घर छोड़कर अन्य जगह अपना नया मकान बनाता है। व्यक्ति जीवन में एक बार मकान बनाता है और यदि उसका मकान टूट जाता है तो उसका जीवन टूट जाता है। तो आपके माध्यम से मेरा यह निवेदन है कि जब तक उनको नियमित नहीं किया जाये तब तक उनको तोड़ा भी नहीं जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आश्रम छात्रावासों में जो चौकीदार और स्वीपर्स काम करते हैं, उनको भी नियमित किया जाये।

माननीय जनजाति क्षेत्र मंत्री ने एक से आठवीं कक्षा के छात्रों को विद्यालय में आने-जाने हेतु निःशुल्क बस पास जारी किया। मेरा निवेदन है कि हायर सैकण्डरी तक के बच्चों को भी निःशुल्क बस पास

(श्री भवानी जोशी)

दिये जायें। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

श्री भंवरसिंह डांगावास : शार्ट बोलें।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : बिलकुल शार्ट ही बोलूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30 और मांग संख्या 28 पर चर्चा हो रही है। मैं भी उसमें अपने आपको सम्मिलित करते हुए अपना पक्ष रखना चाहूंगा। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का गठन हमारे भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति के कल्याणार्थ जो अनुच्छेद किये गये हैं, उनके तहत इसका गठन किया गया है और हमारे राज्य में यह विभाग 1975 से काम कर रहा है। 1975 से अब तक उन क्षेत्रों और जनजाति के विकास के लिए जो व्यय किया गया है, उसका उल्लेख तो मैं यहां नहीं करना चाह रहा हूं परन्तु यह बात मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूं कि जितनी राशि व्यय हुई है, उस राशि का वास्तव में सदुपयोग होता तो आज जो जनजाति की हमारी स्थिति है वह बिलकुल भिन्न होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1977 में जब जनता पार्टी का शासन था, माननीय नन्दलाल जी मीणा जनजाति विकास विभाग के मंत्री थे। उस समय जो योजनाएं और कार्यक्रम तय किये गये, इसके बाद 1990 तक उनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं किया गया। कार्यक्रम और योजनाएं समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बदलती रहनी चाहिए। यह मेरी अपनी विचारधारा है। बीच में राष्ट्रपति शासन आया, कुछ कार्यक्रम हमारे जो चल रहे थे, जिनसे हमारे आदिवासी लोगों को रोजगार मिलता था, बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण दिया जाता था वह कार्यक्रम भी बीच में बन्द कर दिये गये। जैसे ही माननीय मंत्री महोदय ने 1993 में वापस जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का कार्यभार सम्भाला, पुनः ये कार्यक्रम शुरू किये, उसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।

अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट का जो प्रावधान किया गया है, कमोबेश जो पिछले वर्ष हमारा बजट का प्रावधान था करीब उतना ही इस वर्ष भी इस तरह का प्रावधान किया गया है। परन्तु केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में जो राशि रखी गई है, करीब 38 करोड 60 लाख, तो इसमें कुछ नयी स्कीमें इन जातियों के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए रखी गई हैं जिसमें विशेष रूप से 14 नये आश्रम छात्रावास हैं, पांच आश्रम छात्रावासों की क्षमता बढ़ाने का है। बच्चों के लिए शिक्षा में जो साढ़े तीन सौ रुपये आश्रम छात्रावासों को दिये जाते थे उसमें पोशाकें, किताबें, स्टेशनरी यह भी सम्मिलित थीं। इस वर्ष से इसको परिवर्तित करके एक हजार रुपये प्रति छात्र, प्रति कलैण्डर ईयर और रखा गया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह से साइंस के बच्चो के लिए 1200 रु. किये हैं। कुछ व्यवस्थाएं और इस प्रावधान के तहत रखी गयी हैं जिनमें एनीकट हैं,

(श्री महावीर भगोरा)

जलोत्थान की परियोजना है, डीजल पम्प सैट के वितरण का है और कुएं गहरे करने का है।

श्री उपाध्यक्ष : आप साढ़े तीन बजे तक अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री महावीर भगोरा : कर दूंगा मैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो वर्तमान में व्यवस्थाएं की गयी हैं उनके लिये तो हृदय से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं परन्तु जो बजट का प्रावधान पिछले वर्ष किया गया था उस बजट के प्रावधान में जैसा कि हम सभी लोगों की यह मांग है कि राज्य आयोजना मद म हमारी जनसंख्या के अनुपात में 12.44 की राशि सभी विभाग व्यय करें। आपके सामने मैं यह व्यय का आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि किस तरह से इसमें कमी रखी गयी है।

कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए राज्य आयोजना मद में 2741.72 का लक्ष्य था, उसके अनुपात में 1106.90 की राशि ही खर्च की गयी, मतलब फिफ्टी पर्सेंट भी खर्च नहीं हुआ। इसी तरह से आगे आंकड़ा मैं बता रहा हूं ग्रामीण विकास में आबंटन था 2881.36, व्यय हुआ 1115.85, सिंचाई पर 6337.05 था उसमे खर्च हुआ 4262.93, विद्युत पर 9188.22 के अगेंस्ट में 4646.61, उद्योगों में था 1224.73 उसमें खर्चा हुआ सिर्फ 460.80, परिवहन एवं संचार 2146.76 व्यय हुआ 741.64, वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान, इसका आप अन्दाज लगाओ, 42.98 के अगेंस्ट में 9.73, इसी तरह से सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं में 9504.79 के अगेंस्ट में 5196.39, आर्थिक सेवाओं में 151.53 के अगेंस्ट में 27.65 मात्र और सामान्य सेवाओं में आबंटन के विरुद्ध एक पैसा खर्च नहीं किया गया है। मुझे यहां यह कहते हुए अत्यन्त दर्द है कि एक तरफ तो हम इन जातियों के उत्थान के लिए और कल्याण के लिए बात कर रहे हैं दूसरी तरफ जो खर्च होना चाहिए वह नहीं हो रहा है जिससे इन जातियों के विकास में बड़ी बाधाएं आ रही हैं। जिस तरह से इनके लिये जो राशि आबंटित की गयी है उसका सही रूप में प्रवाह होना चाहिये।

इसी तरह से मैं उल्लेख करना चाहूंगा जनजाति विकास विभाग के अन्तर्गत ही हमारा एक राजस संघ चल रहा है। उसकी स्थिति मैं बताना चाहूंगा कि वहां बैठे हुए अधिकारी हमारा क्या कर रहे हैं, यह आप अन्दाजा लगा सकते हैं। उसमें वित्तीय और भौतिक लक्ष्य हैं। आप मेहरबानी करके देखें ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता सामग्री का वितरण, बीस लाख का प्रावधान किया था और कम से कम सौ यूनिट्स को लाभान्वित करना था। उसके अगेंस्ट में खर्चा किया 4.80 और उपलब्धि है 0.10। इसी तरह से लंच की व्यवस्था, प्रति अनुदान 15 के अगेंस्ट में 11.16, बी आई. आर. सर्विस चार्जेज चार, उसके अगेंस्ट में जीरो, डी. आर. आई छह के अगेंस्ट में जीरो। इसी तरह से संघ को व्यवस्थापकीय अनुदान 33 के अगेंस्ट में सिर्फ 25, वन एवं अन्य औद्योगिक समितियों को व्यवस्थापकीय अनुदान में 5.52 के अगेंस्ट में 0.18।

(श्री महावीर भगोरा)

इस तरह से पूरा आंकड़ा यह है । उस मद में जो खर्चा है वह मैं बता रहा हूं । नाव जाल क्रय करने का अनुदान, उसमें प्रावधान किया था 8.50 और खर्चा हुआ है जीरो । अभी हमारे बांसवाड़ा के माननीय सदस्य यह मांग कर रहे थे कि नाव और जाल के लिये आदिवासी इधर–उधर भटक रहे हैं । जनजाति क्षेत्रों में जितने जलाशय हैं, मत्स्य आखेट के जरिये व्यवस्थापकीय एक प्रावधान रखा है पर स्थिति क्या है इन संस्थाओं की, यह पक्ष आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की है ।

दूसरी व्यवस्था मैं आपके सामने करने के लिये कोशिश कर रहा हूं कि तीसरा संस्थान जो इस विभाग के अन्तर्गत चल रहा है, ट्राइबल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसका नाम है शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान । भाई फूल जी ने इस सम्बन्ध में बात रखी थी । मुझे यह कहते हुए बड़ा दर्द है कि यह संस्थान 1952 से चल रहा है । पहले समाज कल्याण विभाग के पास था और जब से जनजाति उपयोजना में जनजाति विकास विभाग का गठन हुआ है तब से इस विभाग के पास चला गया । प्रति वर्ष शोध के नाम पर अब तक करोड़ों रुपये व्यय हो गये परन्तु उस शोध के जो परिणाम आये हैं, कईयों ने तो आज तक रिपोर्ट नहीं दी और रिपोर्ट दी है तो उन रिपोर्ट्स का क्या उपयोग हमारे योजना निर्माण में आया या क्या उस आधार पर हमारे कार्यक्रम बने हैं, इसकी आज तक किसी ने मानीटरिंग नहीं की, न कोई कार्यक्रम हुआ है । जहां तक प्रशिक्षण का विंग है, बिलकुल बन्द सा है । अभी माननीय मंत्री महोदय के दूसरी बार कार्यभार ग्रहण करने के बाद कुछ कार्यक्रम हाथ में लिये गये । हमारे प्रशिक्षण संस्थान के लिए, आदिवासी बच्चों के ठहरने के लिये होस्टल निर्मित कर रखा है । इस होस्टल में स्वच्छता कार्यालय ही चल रहा है । हमारे बच्चे बाहर भटक रहे हैं । मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि स्वच्छ परियोजना आप चलाएं, अभी वह करीब–करीब बन्द है । आप उसको कहीं और स्थानांतरित करिये और हमारे यहां निरन्तर प्रशिक्षण की व्यवस्था करिये । निश्चित रूप से रमाकान्त जी ने अभी कहा था कि ट्राइबल एरिये से एक भी आई.ए.एस. आफिसर नहीं निकला । हमारे वर्तमान में जो एकमात्र आई. ए. एस. आफिसर हैं माननीय जामोडसा, वे भी पहले आर.ए.एस. में आये और प्रमोशन से अब आई. ए. एस. बने हैं । दो के करीब आर. जे. एस. बने हैं, दो के करीब अकाउण्ट्स आफिसर बने हैं । मतलब इस तरह की स्थिति है ।.... (व्यवधान)..... डायरेक्टर आफ कालेज एजूकेशन आपके और हमारे द्वारा बनाया हुआ नहीं है । वह अपनी मेहनत से बना हुआ है और वह उसी जमाने का बना हुआ है । इसलिये अपने को इस चीज को लेना ही नहीं चाहिये । हम यहां भाषण देते हैं कि हमने एक वी. सी. बना दिया शिड्यूल्ड कास्ट का । किसने बनाया, वह अपनी योग्यता से बना है । इसलिये हमें ऐसा नहीं कहना चाहिये ।

लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होने के बाद हमने क्या किया है, यह मैं पक्ष आपके सामने रखना चाहता हूं । हमने माननीय मंत्री महोदय से आग्रह किया है, अभी

(श्री महावीर भगोरा)

बी. एफ. सी. में दो पोस्टें रखी गयी हैं उसमें किस तरह के स्टाफ की मांग की गयी है, किस तरह के अधिकारियों की मांग की गयी है, किस तरह के स्केल्स इसमें रखे गये हैं, इस पर आपको विचार करना होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सारा का सारा खर्चा अधिकारियों की तनख्वाह पर, टी. ए. बिल्स पर हो रहा है। हमारा जो प्रशासनिक ढांचा है जनजाति विकास विभाग का उस पर प्रकाश डालना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये। श्री ओम प्रकाश शर्मा।

श्री महावीर भगोरा : एक बात कह कर मैं मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दूसरा नाम पुकार लिया, आप विराज जाएं। कृपया बैठें।

श्री महावीर भगोरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जितना समय दिया उसके लिये आपका आभार। परन्तु मेहरबानी करें, अदर देन ट्राइबल्स ज्यादा बोलते जाएंगे तो हमारा पक्ष कौन रखने वाला होगा? यह मेरी बात आपके सामने रख रहा हूं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनजाति मंत्री महोदय एवं विशिष्ट योजना संगठन मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने विशिष्ट योजना संगठन में 1980 में जहां केवल 7 योजनाएं थीं, राजस्थान की 75 प्रतिशत आबादी आज गांवों में रहती है और उसी को मद्देनजर रख कर राजस्थान के मंत्रिमण्डल ने जहां केवल 7 योजनाएं थीं, वर्तमान में 20 से अधिक योजनाएं उसमें शामिल की हैं। राज्य सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में कुल मिला कर 473 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी थी वहीं पर आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम चार वर्ष में 1815 करोड़ की राशि उपलब्ध करवायी एवं 1997-98 में 8 सौ करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार की मंशा है कि गांवों का विकास करें, गांवों की सारी रूपरेखा डी. आर. डी. ए. बनाये और वहां पर योजनाएं बनें। यह मंशा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक वहां जो बैठे हुए अधिकारी हैं, वे मीटिंग समय पर बुलाये, समय पर निगरानी रखें, ध्यान दें और काम करें तब तो काम पूरा होगा। दुर्भाग्य यह है, उपाध्यक्ष महोदय, जो आज अधिकारी बैठे हैं वह न तो मीटिंग बुलाते हैं, मीटिंग बुलाना चाहते ही नहीं है। डी. आर. डी. ए. से जो ग्रामीणों का पैसा है, गांवों का पैसा है उस पैसे का दुरुपयोग अलग करते हैं। मेरी जानकारी में आज तक ऐसा नहीं है कि कभी इसकी आडिट रिपोर्ट दी हो, आडिट की गयी हो। वहां जाकर आडिट तो करें। राजस्थान के मंत्रिमण्डल के सदस्य या जो सचिव हैं ये जाकर वहां देखें कि कौन-कौनसी योजनाएं चालू हैं, उन पर क्या हो रहा है, पैसे कहां खर्च हो रहे हैं।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

मैं बूंदी जिले का उदाहरण दे रहा हूं कि सिंचाई विभाग ने, पी. डब्ल्यू. डी. ने डी. आर. डी. ए. के पास 6 महीने पहले फाइल भेज दी 10 एनीकट की स्वीकृति के लिये, परन्तु डी. आर. डी. ए. से आज तक भी वह स्वीकृति नहीं हुई। 31 मार्च को पूरा साल हो जाएगा, योजनाएं बना दी गयीं, पैसा राज्य सरकार दे रही है, परन्तु जो अधिकारी काम नहीं करते उसके विरुद्ध क्या करने जा रहे हैं ? जब तक इन पर कार्यवाही नहीं होगी, काम नहीं होगा। आज मेरे बूंदी जिले का विकास रुका हुआ है। आश्वासित योजनाएं, उसका पैसा नहीं दिया गया है। वहां पर कई योजनाएं हैं– जवाहर रोजगार योजना, सूखा सम्भावित कार्यक्रम, आई. आर. डी. पी., ड्वाकरा योजना, लघु सिंचाई योजना, तीस जिला तीस काम योजना, निर्बन्ध योजना, डांग क्षेत्र विकास योजना, अपना गांव अपना काम योजना और माडा क्षेत्र योजना। उपाध्यक्ष महोदय, यह बातें मैंने इसलिये निवेदन की है कि इन योजनाओं को चलाने के लिये जब तक जिम्मेदारी के साथ इन योजनाओं को देखेंगे नहीं तब तक काम होने वाला नहीं है। आज बूंदी जिले की जो पंचायतें हैं वे पंचायतें काम करवाती हैं। काम करवाने के बाद जब पैसा मांगती है तो दुर्भाग्य यह है कि, उपाध्यक्ष महोदय, उनको पैसा नहीं दिया जाता। आज 19 तारीख हो गयी। आज तक उनको पैसा नहीं दिया। अब वहां काम कौन करेगा ? सरपंच जाता है गांव में, कहते हैं पैसा लाओ, पैसा देते नहीं है। सिंचाई विभाग की तो हालत यह है कि उन्होंने जो योजनाएं बना कर भेजी हैं उन पर कोई कार्य नहीं हुआ।

मैं जनजाति मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, आपके माध्यम से उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि जिस प्रकार की हमने योजनाएं बना कर दीं उन पर उन्होंने कुछ कार्य किया है। वैसे उदयपुर विभाग में जनजाति क्षेत्र की यह सारी परियोजनाएं मानते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, वैसे दिल्ली से सारी योजनाएं बनती हैं परन्तु जो पिछड़ी हुई जाति है, जनजाति है उसके बारे में कौन ख्याल करेगा ? बूंदी जिला है जहां पर एक सीधी लाइन में तो नहीं है लेकिन घूमकर एक ही सर्कल में लगभग 15 पंचायतें हैं जहां आदिवासी लोग रहते हैं। उनके साथ मीणा लोग भी रहते हैं। जनजाति और आदिवासी दोनों एक साथ रहते हैं लेकिन गांव थोड़े, दूर-दूर हैं। आबादी गांव की कम है। गांव बहुत हैं, कुछ गांव बड़े भी हैं परन्तु वहां पर यह योजना चालू नहीं है। जनजाति-आदिवासी, यह सारी की सारी आबादी में एक साथ अगर लागू की जाए तो जो हम चाहते हैं कि पिछड़े हुए वर्ग का विकास हो तब तो विकास हो पाएगा। बड़े ब्लाक में नहीं आते हैं तो छोटे-छोटे ब्लाक बनाये जाएं। केवल उदयपुर डिवीजन तक सीमित न रहें, इसको जहां पर भी आदिवासी हैं, जहां पर भी जनजाति के लोग रहते हैं उन सबको उसमें शामिल किया जाए। छोटे-छोटे ब्लाक बनाये जाएं। मैं निवेदन करूंगा एक-एक आश्रम स्कूल खोले जाएं।

मैं एक छोटी सी बात कह कर मेरी बात समाप्त करूंगा। बूंदी जिले में नदी

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

और नाले बहुत हैं। ये नदी और नाले आदिवासी इलाकों में हैं। आदिवासी एरिया जो है वहां पर नदी नाले हैं परन्तु इन आदिवासी गांवों में एनीकट्स नहीं हैं। इन आदिवासियों के साथ ही गूजर लोग भी रहते हैं। गूजर, भील जाति के लोग, मीणा लोग एक साथ रहते हैं। वहां पर नदी नाले हैं, अगर वहां एनीकट बना दिये जाएं जैसे दलेश्वर, लाम्बा खो, कंवरपुरा, डोरा, सम्बपुडिया महादेव करोंदी, पटियाल, दाधी यह क्षेत्र ऐसे हैं जो पूरे के पूरे क्षेत्र जनजाति में आते हैं। मैंने कुछ सुझाव दिये हैं, मैंने पत्र भी दिया है। पहले डी. आर. डी. ए. के माध्यम से दिये, फिर मंत्री महोदय को दिया है। सम्बपुडिया में गोडक पुल के नाम से अगर एनीकट बनता है तो उसका आदिवासियों को बहुत लाभ होगा। मैंने उपरोक्त जो नाम बताये वहां सभी जगह एनीकट की आवश्यकता है। एनीकट बना दिये जाएं तो नदी का पानी जो बेकार जाता है, बेकार नहीं जाएगा। नाले 12 महीने बहते हैं।

इसी के साथ एक निवेदन इसलिये करूंगा कि बरधा बांध है मेरे यहां। बरधा बांध में दो फीट से पांच फीट का पानी ओवर फ्लो हो करके जाता है। ऊपर आदिवासी लोग रहते हैं। अगर वहां एनीकट बन जाते हैं तो पानी वहां रुकेगा, इस बांध का पानी नदी में नहीं जाएगा और गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। मेरा निवेदन है कि माडा में और टाडा जनजाति क्षेत्र की सुविधाएं एक साथ दी जाएं। उनको एक साथ लाभ पहुंचाएं और एक साथ नहीं भी दी जाए तो छोटे-छोटे ब्लाक बना कर दी जाए। पहले 60–40 का रेश्यो था। अब 50–50 का रेश्यो किया है। डी. आर. डी. ए. पक्के नाले नहीं बना सकता, पक्के एनीकट नहीं बना सकता। पक्के एनीकट तो टी. ए. डी. के माध्यम से ही बन सकते हैं। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पुनः आपके माध्यम से निवेदन है कि वहां पर एनीकट बनाये जाएं और सुविधाएं दी जाएं। आश्रम खोले जाएं। आपने जो समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : अब चूंकि साढ़े चार बजे मुखबंद का प्रयोग किया जाएगा और सरकार की ओर से दोनों माननीय मंत्रियों का जवाब आना भी अपेक्षित है इसलिये इस वाद-विवाद का उत्तर सरकार दे।

श्री नन्दलाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 पर आज माननीय सदस्यों ने विचार, सुझाव सदन में प्रस्तुत किये। मैं भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों का विभाग की ओर से और मेरी ओर से आभार प्रकट करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति उप योजना क्षेत्र उदयपुर संभाग के पांच जिलों की 23 पंचायत समितियों के माध्यम से गठित किया गया है। 197ु में इस उप योजना का कार्य प्रारम्भ हुआ और 1977 में जब राजस्थान में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भैरोंसिंहजी शेखावत

(श्री नन्दलाल मीणा)

ने मुख्य मंत्री का पद ग्रहण किया, सर्वप्रथम इस इलाके का कार्य समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलता था, उन्होंने एक नये विभाग का गठन किया जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और सर्वप्रथम इस विभाग के कार्य को देखने का सौभाग्य गृह मंत्री महोदय श्रीमान् मेघवाल साहब को मिला।

उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 37 वर्ष बाद आदिवासी क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासी समाज पर सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो हमले हुए, उन हमलों का योजनाबद्ध तरीके से किस हिसाब से मुकाबला किया जाये, इसके लिए कार्यक्रम बनाया गया। यह एक ऐसा विषय है जिसकी क्रियान्विति योजनाओं से नहीं हो सकती। क्रियान्विति करने वाले लोगों की नीयत क्या है, भावना क्या है, इस पर निर्भर करता है और इसी का परिणाम है कि आजादी के 37 वर्ष तक लोकशाही के बावजूद आदिवासी उप योजना क्षेत्र में उदयपुर सम्भाग के पांच जिलों में जिस गति से सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास होना चाहिए था, नहीं हुआ। राजनैतिक संरक्षण के तौर पर संसद और विधान सभा में लोग चुनकर जाते रहे परन्तु जहां समस्याओं के निदान और प्रकाश डालने का सवाल है उस पर वह लोग मुखबन्द की तरह यहां देखते रहे। कार्यक्रम बना योजना बनी, पैसा व्यय हुआ परन्तु आज यदि हम उस परिणाम की ओर जाते हैं तो जैसा गोगुन्दा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, परिणाम कुछ भी नहीं निकला। न आज आई.ए.एस. अफसर, न आई.पी.एस. अफसर, न आर.ए.एस. अफसर है और न आर.पी.एस. अफसर हैं। सामान्य नौकरियां, चपरासी, क्लास फोर्थ, यह छोटी-छोटी सर्विसेज में वे लोग हैं, इसको हमने ध्यान में रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, वह समाज जिसमें शिक्षा नहीं होती है, वह समाज जिसमें सामाजिक चेतना नहीं होती है, वह आगे नहीं बढ़ सकता, समाज, प्रदेश और देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ सकता। उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं सबसे पहले शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि आजादी के बाद से इस क्षेत्र के शैक्षणिक उत्थान के लिए तत्कालीन सरकारों ने क्या-क्या कार्य किया। एक कम्पेरेटिव स्टेटमेंट है जिससे यह साबित होता है कि जिन-जिन सरकारों के हाथ में काम था, उन्होंने इस इलाके के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए कितनी उदासीनता बरती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जिसको जब-जब भी समय मिला एक जिम्मेदारी समझ करके, मानवीय दृष्टिकोण से उनका विकास करने की दृष्टि से कदम उठाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि साढ़े चार बजे आप मुखबंद भी चाहते हैं, अतः मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह पहाड़ी इलाका है। जाखम, माही, सोम कमला अम्बा, सोम कागदर, वृहत् सिंचाई परियोजनायें हैं। मध्यम सिंचाई परियोजनायें भी यहां पर हैं और इसी तरह से लघु सिंचाई परियोजनायें भी हैं। माही से लगभग साढ़े सात हजार आदिवासी प्रभावित हुए। कड़ाणा से भी इसी प्रकार लोग प्रभावित हुए। सोम कमला अम्बा से प्रभावित हुए।

(श्री नन्दलाल मीणा)

राज्य सरकार ने उनका सही रूप से पुनर्वास नहीं किया। उनको मुआवजा दे दिया गया और उनको अनाथ की तरह जंगल में छोड़ दिया गया। आज जंगलात की जो समस्या उदयपुर सम्भाग में है उसके लिए पूर्व राजस्थान सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है। यह सारे लोग डूब में आये, मुआवजा ले लिया। उनको जो जमीनें दी गयीं, वह जमीनें ऐसी अनउपजाऊ हैं जहां पर खेती नहीं हो सकती, हल भी नहीं चल सकता। उनको तत्कालीन राजनैतिक लोगों ने प्रोवोक किया कि वे वन भूमि पर कब्जा कर लें। सीतामाता की जमीन, धरियावद का इलाका, इस तरह से सारे उप योजना क्षेत्र में जो उपजाऊ वन भूमि थी, उसको उपजाऊ बना कर खेती का कार्य प्रारम्भ कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह स्पष्ट मत था कि इन योजनाओं से और बारह महीनों बहने वाली नदियों से यदि आदिवासियों की जमीन को सिंचित किया जाये तो उनकी माली हालत में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है और इसके लिए माही पर कड़ाणा के बैक वाटर पर और छोटे-छोटे नाले जो इस क्षेत्र में बहते हैं, वहां पर जलोत्थान सिंचाई योजना हमने लागू की। जलोत्थान सिंचाई योजना का तत्कालीन कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह प्रावधान किया था कि लागत का 20 प्रतिशत, लागत का 10 प्रतिशत पैसा जनजाति कृषकों को इकट्ठा करना पड़ता था। उपाध्यक्ष महोदय, आप उनकी हालत अच्छी तरह जानते हैं, नतीजा यह हुआ कि न उनके आर्थिक हालात ठीक है, न उनकी उपजाऊ जमीन है, प्राकृतिक स्रोत पानी बह रहा है परन्तु उसका वे दोहन नहीं कर सकते। पिछले वर्ष जो 10 प्रतिशत राशि हिस्से के रूप में जनजाति काश्तकारों के माध्यम से वसूल की जाती थी, उस राशि को जनजाति विकास विभाग ने वहन करना प्रारम्भ किया जिसका नतीजा आज यह है कि सन् 1989 तक ट्राइबल सब-प्लान एरिया में केवल 33 जलोत्थान सिंचाई परियोजनाएं थीं, वह आज बढ़कर 146 जलोत्थान सिंचाई परियोजनाएं 23 पंचायत समितियों में चल रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से बांसवाड़ा जिले में हमने लगभग 72 ऐसी लिफ्ट स्कीम्स आइडेंटिफाई करवा ली हैं जिनसे वहां के काश्तकारों को सिंचाई के लिए लिफ्ट स्कीम का लाभ दिया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, पहाड़ी क्षेत्र में लघु सिंचाई की काफी योजनाएं वहां लागू की जा सकती हैं। छोटे-छोटे एनीकट्स के ज़रिये वहां की जमीन सिंचित की जा सकती है, वहां के वाटर लेवल को ऊपर उठाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में गुजरात की सतगुरु वाटर डवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से हमने पिछले साल पूरे ट्राइबल सब-प्लान एरिये में इस बात का सर्वे कराया कि कहां-कहां एनीकट्स और तालाब बन सकते हैं। बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले का पूरा सर्वे हो चुका है, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही का बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जून तक यह सारा कार्य सम्पन्न हो जायेगा और सारे उप योजना क्षेत्र की लघु सिंचाई योजना भारत सरकार को प्रस्तुत करके, वहां से पैसा प्राप्त करके, गरीब आदिवासी

(श्री नन्दलाल मीणा)

जो रोजी-रोटी के लिए गुजरात और मध्य प्रदेश की ओर पलायन करते हैं, उनका वहीं पर रोजी-रोटी का इंतजाम होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह कुओं की ब्लास्टिंग का काम वर्ष 1989 तक ट्राइबल सब-प्लान के 19,546 परिवारों को ब्लास्टिंग करने के 72 होल प्रति व्यक्ति के के हिसाब से कुएं गहरा कराने की योजना बनाई थी परन्तु अब तक हमने 24,822 परिवारों को यह लाभ दे दिया है और हमने विचार-विमर्श के बाद, परामर्शदात्री समिति के बैठक के बाद यह निर्णय लिया कि 72 होल का वर्तमान में इन लोगों को जनजाति विकास विभाग के माध्यम से लाभ दिया जाता है, ब्लास्टिंग का पैसा खर्च किया जाता है, वह अपर्याप्त है और इसलिए अब आने वाले वर्ष से प्रत्येक कुएं को गहरा कराने के लिए 72 का दुगुना 144 होल की व्यवस्था की जायेगी ताकि काश्तकार सही ढंग से पानी को प्राप्त करके सिंचाई कर सकें।

इसी तरह से गांवों का विद्युतीकरण। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि मैं सदन में और बाहर भी इसी बात को कहता हूं कि जब पहली बार घरियावद में बिजली लगी, तत्कालीन मुख्य मंत्री हरिदेवजी जोशी ने बटन दबाया तो अखबारों में छपा कि पूरा आदिवासी इलाका जगमगा गया। मैं उस समय जनसंघ का कार्यकर्त्ता था, मैं वहीं था। एक भी आदिवासी परिवार में लट्टू नहीं जला और सारा जनजाति विकास विभाग के पैसे का जनजाति क्षेत्र के नाम से गैर आदिवासियों को लाभ मिलता था। हमने पहली बार इस बात की व्यवस्था की है कि जनजाति की बस्तियों में, जनजाति के कुओं पर मोटर लगे। इसके लिए प्रावधान किया और इसी का परिणाम है कि आज आप गांवों में चले जाएं जहां भी पहाड़ी इलाका था, मैं केवल प्रतापगढ़ का उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि चित्तौड़ से रतलाम को जो सड़क जाती है, उस सड़क के पूर्वी हिस्से में गैर आदिवासी लोग रहते हैं और वहां पर बिजली की समस्या नहीं है और उसी चित्तौड़ से रतलाम रोड पर प्रतापगढ़ सब-डिवीजन में यदि पश्चिम के हिस्से में आप चले जायें तो कहीं खम्भा देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 3 वर्ष में उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह साफ कहा था कि एक-एक व्यक्ति के डागले जब तक दीवा नहीं लगेगा तब तक भारतीय जनता पार्टी का सपना साकार नहीं हो सकता और इसी का नतीजा है कि पूरे आदिवासी इलाके में हमने विद्युतीकरण किया। माननीय कौशल साहब यहां नहीं बिराज रहे हैं, हम हर मामले में इनको पैसा देते हैं। आर.एस.ई.बी. के माध्यम से नहीं होकर के जनजाति विकास विभाग अपने ट्राइबल एरिये के लिए पैसा देकर उससे काम ले रहा है। हमारा जो पहले 1989 तक विद्युत का प्रतिशत 44 था, वह आज बढ़कर 75 प्रतिशत गांव वहां पर इलैक्ट्रिफाइड हो गये हैं। इस तरह से कुल 4437 गांवों में से 3398 गांवों को हमने बिजली पहुंचा दी है।

इसी तरह से सड़क का काम। माननीय चतुर्वेदी जी यहां बिराजे हुए हैं, राजस्थान में सबसे ज्यादा सड़कें डूंगरपुर जिले में हैं परन्तु यह सारा आदिवासी इलाका अन्तरराज्यीय

(श्री नन्दलाल मीणा)

सड़क से जुड़ा हुआ नहीं था। मध्य प्रदेश से और गुजरात से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही का हिस्सा, गुजरात से प्रतापगढ़ का हिस्सा, मध्यप्रदेश से रास्ते खुले हुए नहीं थे। हमने पिछले 2-3 वर्षों में इस बात का प्रयास किया है। राज्य मद से भी और विशेष केन्द्रीय सहायता से भी इन जिलों को अन्तरराज्यीय स्तर पर मध्यप्रदेश और गुजरात से जोड़ने का प्रयास किया है और आज हम यह कह सकते हैं कि 1989 के पहले यहां पर 3970 किलोमीटर की सड़कें थीं वह आज बढ़कर जनवरी, 1996 में 5533 किलोमीटर का डामरीकरण हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा राजनीतिक खिलवाड़ इस आदिवासी समाज से करती थी। उनका यह स्पष्ट मत था कि यदि इन लोगों में शिक्षा आ गयी, यदि इनमें चेतना आ गयी, ये पढ़ लिखकर के होशियार हो गये तो हमारे कब्जे से निकल जाएंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 1972 में जब मुझे सर्विस छुड़ाकर जनसंघ का धरियावद से उम्मीदवार बनाया गया था तो उस वक्त भी मेरे ऊपर यही डोरे डाले गये थे कि मैं कांग्रेस में क्यों नहीं आता, जनसंघ में क्या रखा है, कुछ नहीं, जिन्दगी भर सड़ जाओगे। कांग्रेस में आओ, टिकट दे देंगे, एम. एल. ए. बना देंगे, फलां कर देंगे। हम जो-जो भी पढ़-लिखकर होशियार निकले, उन पर, उनकी गतिविधियों पर, उनकी भावनाओं पर, उनकी विचारधारा पर बराबर इनकी गिद्ध दृष्टि लगी रहती थी। यह सोचते थे कि हमसे यह बागी बनकर दूसरे राजनीतिक दल में नहीं चले जाएं और उनको कांग्रेस में डालते थे। इसी कारण शिक्षा का विस्तार नहीं हुआ, छात्रावासों का विस्तार नहीं हुआ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि आज राज्य सरकार ने आदिवासी उप योजना क्षेत्र में 150 तक की आबादी वाले मजरे, ढाणी और राजस्व गांवों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करा दी है। उपाध्यक्ष महोदय, 1980 के पहले 2223 प्राथमिक विद्यालय थे, 1989 में यह संख्या बढ़कर के 2728 हुई और जनवरी, 1996 में 3403 प्राथमिक विद्यालय हमारे वहां पर चल रहे हैं। इसी तरह से माध्यमिक विद्यालय 1989 तक 715 थे और आज 987 माध्यमिक विद्यालय चल रहे हैं।

इसी तरह से जहां तक सवाल उठता है शैक्षणिक सुविधाएं मुहैया कराने का, यह सत्य है कि इस समाज की क्रय शक्ति नहीं है। पुस्तकें नहीं खरीद सकते कापियां नहीं खरीद सकते, उनके लिये छात्रावासों की आवश्यकता पड़ती है। सन् 1979-80 तक इस ट्राइबल सब प्लान एरिये में केवल तीन आश्रम छात्रावास थे। उसके बाद इस साल 1996-97 तक आपको आश्चर्य होगा कि किसी प्रकार इस संवेदनशील सरकार ने इन बच्चों, बच्चियों को पढ़ाने की व्यवस्था की है, आज की तारीख में 114 आश्रम छात्रावास हमारे चल रहे हैं, उनमें 7200 बालक और बालिकाएं लाभान्वित हो रहे हैं और आने वाले वर्ष में 1997-98 में 14 नये छात्रावास और खोले जाएंगे जिससे लगभग 1400 बालक-बालिकाओं को और यह सुविधा मुहैया होगी। उपाध्यक्ष महोदय, केवल छात्रावास खोलने से काम चलने

(श्री नन्दलाल मीणा)

वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने भी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से और समाज कल्याण विभाग के माध्यम से छात्रावास चलाये थे परन्तु रिजल्ट ओरिएंटेड छात्रावास नहीं हुए। लड़के दसवीं तक जाते और फेल होकर के घर चले जाते। वे न घर का काम कर सकते थे और न पढ़ाई कर सकते थे। वह चोरियां करने में लग जाते या ऐसे गलत कामों में लग जाते। हमने इनको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया और जैसा कि मगोरा साहब कह रहे थे कि एक भी आई. ए. एस. और आई. पी. एस. नहीं बना,

(15.50)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

उसका मुख्य हेतु यह था कि उन प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले बालक और बालिकाओं के बारे में, उन प्रतिभाओं के बारे में किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस बार हमने पांचों जिलों में लड़कों और लड़कियों के लिये 100-100 लड़कों और 100-100 लड़कियों का प्रत्येक जिला मुख्यालय पर प्रतिभावान छात्रावास की स्थापना की है जिससे जो प्रथम श्रेणी में आने वाले बालक हैं, उनकी उसी प्रकार की सारी व्यवस्थाएं की हैं जो एक सामान्य परिवार में पढ़ने वाले बालक को परिवार द्वारा मुहैया करायी जाती हैं।

इसी तरह से लिम्बाराम का नाम भी यहां पर आया। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमने एक खेल छात्रावास बांसवाड़ा में खोला है। सारे सब प्लान के प्रतिभावान खिलाड़ी जो कि राज्य स्तर पर खेले हैं या जिन्होंने राज्य का प्रतिनिधित्व किया है या देश का प्रतिनिधित्व किया है, ऐसे खिलाड़ियों का चयन करके बांसवाड़ा में एक आश्रम छात्रावास में उनको सारी खेल की सुविधा दी जाएगी। यह सारी व्यवस्था हमने की है और अब हमारा मत है कि आने वाले वित्तीय वर्ष में लड़कियों के लिये, प्रतिभावान जो खिलाड़ी लड़कियां निकल रही हैं, हाकी में, बास्केटबाल में, आउटडोर गेम्स में और इंडोर गेम्स में भी, उनके लिये 100 लड़कियों का प्रतापगढ़ में भी खेल छात्रावास प्रारम्भ किया जाएगा। आवासीय विद्यालय,

(16.00)

अध्यक्ष महोदय, दो-दो सौ छात्रों की संख्या थी। दो आवासीय विद्यालय थे। अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक पंचायत समिति में जो ट्राइबल सब प्लान की 23 पंचायत समितियां हैं आने वाले वित्तीय वर्ष में कोई पंचायत समिति ऐसी नहीं रहेगी जहां पर 100 लड़के और 100 लड़कियों का छात्रावास नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से परिचित हैं कि आज बांसवाड़ा का कुशलगढ़ का इलाका, पीपलखूंट का इलाका, बागीदोरा का इलाका, चित्तौड़गढ़ जिले का प्रतापगढ़ और अरगोद, उदयपुर जिले का घरियावद, सलूम्बर, सराड़ा, झाड़ोल, कोटड़ा और सिरोही जिले का आबू रोड का इलाका ऐसा इलाका है जिसके कांग्रेस गवर्नमेंट ने राजनैतिक भेदभाव किया। जो आप कह रहे हैं कि प्रतापगढ़ से आगे उठो, मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहता हूं कि आज जो कुछ मैं कर रहा हूं उनके पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं जिन्होंने विकास के मामले में राजनीतिक खेली है। इसका यह नतीजा है कि आज

(श्री नन्दलाल मीणा)

इन इलाकों के बारे में हमें सोचना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, पिछले टाइम, 1980 के पहले केवल तीन कालेज थे ट्राइबल सब प्लान एरिया में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें, टोका-टोकी नहीं करें। मुखबंद का समय आने वाला है।

श्री नन्दलाल मीणा : डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में और प्रतापगढ़ में। अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी ने तीन साल में रिकार्ड तोड़ दिया और अभी कुछ समय पहले प्रतापगढ़ पधारे थे, प्रतापगढ़ में लड़कियों के लिए महाविद्यालय नहीं हैं, वे लोग मध्य प्रदेश, मंदसौर, नीमच, रतलाम, जावरा पढ़ने के लिए जाते हैं, आपने सहृदय उदार दिल से घोषणा की कि यदि प्रतापगढ़ की जनता भवन का निर्माण कर देगी तो तत्काल महाविद्यालय कन्याओं का खोल दिया जाएगा। मैंने उनके प्रति आभार प्रकट किया, यह बहुत अच्छी बात है। इस बारे में मन्थन चल रहा है। परन्तु, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के क्षेत्र में 1989... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं बोलें। कृपया टोका-टाकी नहीं, बस हो गया।

श्री नन्दलाल मीणा : 1989 तक केवल चार महाविद्यालय थे और आज ट्राइबल सब प्लान में 10 महाविद्यालय चल रहे हैं, यह है सोच। महिला शिक्षा, बालक और बालिका सह शिक्षा के आधार पर नहीं, पृथक-पृथक महाविद्यालय खोल करके उन इलाकों में शिक्षा की एक अलग से अलख जगायी है, इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से इनका आभार प्रकट करता हूं।

पेयजल व्यवस्था के लिए, अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर जिला, बांसवाड़ा जिला नारू से पीड़ित इलाका है। यहां गर्मियों में लोग अपनी खटिया पर घर में बन्द सिसकते हुए अपना जीवन यापन करते थे, कोई उनकी परवाह नहीं करता था। नालों से, नाड़ों से पानी पीते थे। नारू से मरते थे। एक उदाहरण रखूं, हमारे यहां सदस्य हैं सदन में जो नारू की वजह से अपाहिज भी हो गये पर किसी की इस बात पर जूं तक नहीं रेंगी। स्वच्छ परियोजना के माध्यम से इस नारू से मुक्ति दिलाने के लिए सबसे पहला अभियान डूंगरपुर और बांसवाड़ा में प्रारम्भ किया और ये जिले आज नारू मुक्त हैं। आज फ्लोराइड की समस्या है, उसके बारे में हमारी एक नयी योजना स्वच्छ योजना है उसके माध्यम से फ्लोराइड की समस्या का भी हम समाधान कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले डेढ़-दो वर्ष में वहां पर फ्लोराइड की समस्या का भी समाधान होगा।

श्रीमती तारा भण्डारी : दारू मुक्ति भी कर दो।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, ताराजी कह रही थीं कि दारू मुक्ति भी कर दो। अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया है कि आदिवासी इलाके में जिस तरह से बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आन्ध्रा में है उसी तरह

(श्री नन्दलाल मीणा)

से आदिवासियों की परम्परा के आधार पर, उनकी सामाजिक मान्यताओं के आधार पर यहां पर भी शराब की बिक्री बन्द होनी चाहिये और यह प्रस्ताव करके हमारी परामर्शदात्री की बैठक जो पिछले अगस्त में बांसवाड़ा में हुई थी, उसमें हमने यह निर्णय लिया है कि आदिवासी इलाके में देशी, अंग्रेजी, शराब, गंगानगर शुगर मिल की शराब बन्द होनी चाहिये।

श्री टीकमचन्द कांत : हाथ से निकालते हैं वह। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें। अभी एक माननीय मंत्रीजी को और बोलना है और साढ़े चार बजे मुखबंद का समय है।

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, 1977 में राजस्थान में शराब बन्दी हुई। एक सर्वोदयी नेता बांसवाड़ा जिले के सखन गांव में पहुंचे, वहां पर वह रुके तो एक आदमी की पत्नी ने कहा कि मेरा पति भयंकर शराबी है, मैं उससे बहुत दुःखी हूं, फटे हाल और पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए झोंपड़ी नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है। तो उन्होंने उसको समझाया कि आप दारू छोड़ दो, आपकी हालत खराब है, यह है, वह है। उसने हां कर ली। हां करने के बाद वह वापस जयपुर चला आया, वह भट्ट किसी के चेले थे। दो साल बाद जब वापस गये जब जनता पार्टी की सरकार थी तो उस झोंपड़ी की जगह पक्का मकान मिला और जो महिला फटे हाल थी, वह साड़ी में, ब्लाउज में व्यवस्थित कुछ सोने चांदी के जेवर सहित थी। तो सर्वोदयी नेता बड़े प्रसन्न हुए और उनसे पूछा कि भई मजा आ गया, आखिर तेरे पति ने मेरी बात मान ली, तेरी माली हालत सुधर गयी, घर की स्थिति सुधर गयी, झोंपड़ी की जगह पक्का मकान मिल गया। उन्होंने कहा, भाई साहब, मैं भैरोंसिंहजी शेखावत को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने यहां पर शराब बन्दी लागू कर दी। मेरे पति शराब तो पीते पर कभी-कभी एक-दो पैग ले लेते पर वह धंधा शराब का करते थे, महुआ का धंधा करते थे। इस वजह से यह मेरी कच्ची झोंपड़ी की जगह पक्की हो गयी। तो यह कुटीर उद्योग है, हाथ को रोजगार मिले, आदिवासी विलेज में व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री मदन दिलावर : बिलकुल बन्द हो जाए इस प्रकार का निर्णय क्यों नहीं लिया ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा माडा इलाका, राजस्थान के 16 जिले.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री नन्दलाल मीणा : माडा क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह से सहरिया क्षेत्र है, वहां इसी तरह से बिखरी हुई आबादी है। पहले योजनाएं शासन सचिवालय में एयर कंडीशनर में बनती थीं जो व्यावहारिक थीं या नहीं थीं इस पर प्रश्न चिह्न लगा हुआ रहता था, हमने निर्णय किया कि अब योजना स्थानीय स्तर पर स्थानीय आवश्यकता के हिसाब से करेगी ताकि

(श्री नन्दलाल मीणा)

जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के माध्यम से मिलने वाला पैसा उस क्षेत्र के लोगों को लाभ पहुंचाने वाला हो, माली हालत सुधारने वाला हो। इसलिये ओमजी शर्मा, जो बूंदी से आने वाले सदस्य हैं, उन्होंने एक गड़दा का कहा है और मैं इनको आश्वस्त करता हूं कि भारत सरकार से पैसा प्राप्त होने पर इसी वित्तीय वर्ष में, आने वाले वित्तीय वर्ष में इसका प्रावधान किया जाएगा ताकि इनकी भावना बनी रहे।

अध्यक्ष महोदय, आश्रम छात्रावासों के बारे में जिस तरह से समाज कल्याण मंत्रीजी ने एक आमूलचूल परिवर्तन किया, उसी तरह से जनजाति विकास विभाग द्वारा भी इन जनजाति के बालक और बालिकाओं का शैक्षणिक स्तर बढ़े, शैक्षणिक सुविधा मिले, काम्पीटीशन का अवसर मिले, उनको प्रोत्साहित किया जाए, इसको लेकर कुछ नयी योजनाएं और कुछ नये प्रावधान किये हैं जो आपको निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, छात्रावासों में रहने वाले आदिवासी छात्रों पर होने वाले मासिक व्यय को निरन्तर बढ़ाया जाता रहा है। गत वर्ष यह राशि 330 रुपया प्रति छात्र प्रति माह थी, अब इसको बढ़ा कर 350 रुपया प्रति छात्र प्रति माह कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से छात्रावास में रहने वाले बालक-बालिकाओं को पोशाक और दैनिक उपयोग के लिए सामग्री क्रय करने के लिए 800 रुपये प्रति छात्र प्रति वर्ष व्यय किया जाता था, इसको बढ़ा कर 1000 रुपया प्रति छात्र आर्ट्स का और 1200 रुपया प्रति छात्र विज्ञान पढ़ने वालों को मुहैया कराया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, आवासीय छात्रों के बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन हेतु अंग्रेजी, विज्ञान एवं गणित जैसे कठिन विषयों हेतु कोचिंग की व्यवस्था की गयी है जिसके परिणाम काफी उत्साहजनक रहे हैं। उपयोजना क्षेत्र के विभिन्न जिलों में वर्ष 1996 में सैकण्डरी के परिणाम 49 से 80 प्रतिशत तथा सीनियर सैकण्डरी के परिणाम 41 से 71 प्रतिशत के मध्य रहे हैं और इसका मुख्य कारण है छात्रावासों का नियमित निरीक्षण। दूरदराज में छात्रावास हैं, आयुक्त से लेकर नीचे तक के सारे अधिकारियों को हमने इस रोटेशन से बांधा है कि प्रत्येक छात्रावास का साल में कम से कम तीन बार निरीक्षण अलग-अलग अधिकारियों के माध्यम से हो सके।

अध्यक्ष महोदय, बोर्ड परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्र-छात्राओं को वर्तमान में 150 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, आगामी वर्ष से यह छात्रवृत्ति बढ़ाकर सैकण्डरी तक 2500 रुपये एवं सीनियर सैकण्डरी तक 3500 रुपये की व्यवस्था की गयी है, साल भर में।

राज्य में उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले जनजाति के छात्रों हेतु एक हजार रुपये की वर्तमान सहायता को बढ़ाकर अगले वर्ष से दो हजार रुपये किया गया है। राज्य के बाहर उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए, वे राजस्थान की शान भी बनते हैं, आगामी

(श्री नन्दलाल मीणा)

वर्ष से एक नई योजना शुरू की जा रही है जिसके अन्तर्गत मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कोर्स हेतु पांच हजार रुपये एवं अन्य कोर्स हेतु तीन हजार रुपये प्रति छात्र आर्थिक सहायता दी जाएगी, स्कॉलरशिप के अलावा।

श्री टीकमचन्द कांत : क्या कहने, वाह भा. जा. पा., वाह नन्दलालजी।

श्री नन्दलाल मीणा : इसी तरह आई. टी. आई. की बात आई। हमने भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है कि प्रत्येक पंचायत समिति पर जहां–जहां भी मिनी आई. टी. आई. हैं उनको अपग्रेड करके आई. टी. आई. में बदला जाए, उनके सर्टीफिकेट को मान्यता हो। इस प्रकार मैं समझता हूं कि आने वाले वित्तीय वर्ष से कोई भी मिनी आई. टी. आई. इस क्षेत्र में नहीं रहेगी।

अध्यक्ष महोदय, यहां पर स्वायत्त परिषद् के बारे में और महाराष्ट्र मॉडल के बारे में भी चर्चा हुई। यह सही है कि मांग संख्या 30, जनजातीय क्षेत्र विकास, हर विभाग के खाते में एक अलग से खाता बना हुआ है और इस खाते का निर्धारण और उसकी क्रियान्विति सम्बन्धित विभाग के माध्यम से होती है। भारत सरकार का बराबर दबाव रहा और पिछले वर्ष मेरी अध्यक्षता में माननीय सदस्य और आई. ए. एस. अधिकारियों की एक टीम गुजरात और महाराष्ट्र गयी, वहां पर अध्ययन किया और अध्ययन के फलस्वरूप यह बात आई कि यदि यह सारा पैसा जो राज्य मद का है, जनजातीय उप योजना क्षेत्र के लिए निर्धारित है, इन पैसों को जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग के माध्यम से अगर खर्च किया जाएगा तो योजनाएं सही बनेंगी, उनकी समय पर क्रियान्विति होगी और समय पर उनका नियंत्रण भी रहेगा। यह महाराष्ट्र पैटर्न राज्य सरकार ने पिछले वर्षाकालीन सत्र में राजस्थान में अडाप्ट करने के लिए स्वीकृति दी है और आने वाले वित्तीय वर्ष से, 1997-98 से यह प्रावधान राजस्थान में लागू होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी पधार गये हैं, मैं इस सम्बन्ध में उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका एक सीधा-सा डायरेक्शन सभी अधिकारियों को हो जाए, मेरी भी हाइट बढ़ेगी और सारा काम उसकी भावना के अनुसार ठीक होगा। मैं यह नहीं कहता फिरूंगा कि ललितजी भाई साहब, मेरे यहां इंटरस्टेट सड़क बना दो, फिर अंधा बांटे रेवड़ी और अपने को देय, ऐसा चरितार्थ होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि परामर्शदात्री समिति भारतीय संविधान के शिड्यूड 5 के अंतर्गत राजस्थान में गठित की। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि यह पहला समय है कि हमने कोशिश की है कि सारे छोटे-से-छोटे मुद्दे जो आदिवासियों के शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं, उन सारे मुद्दों को हमने इस परामर्शदात्री समिति के सम्मुख रखा है और इस परामर्शदात्री समिति के सम्मुख रखने के बाद समिति ने जो-जो भी निर्णय लिए हैं, त्वरित गति से राज्य सरकार ने उनको कार्यान्वित करने की कोशिश की है। और जो-जो भी मीटिंगें, पहले भारत सरकार और कल्याण मंत्रालय

(श्री नन्दलाल मीणा)

से रिमाइण्डर आते थे कि समिति की मीटिंगें साल में दो बार होनी चाहिए क्यों नहीं हुई, अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम प्रति वर्ष तीन मीटिंगें हों, यह हमने निर्धारित किया और इस तरह की व्यवस्था चालू है। इसके बावजूद भी मेरी हरदम इस बात की कोशिश रहती है कि आदिवासी इलाकों में कोई भी काम खोलना हो, कोई भी आश्रम छात्रावास की व्यवस्था करनी हो, कहीं एनीकट, तालाब बनाने हों, मैं माननीय सदस्यों से बगैर विचार विमर्श के किसी भी स्कीम या योजना को चालू करने की स्वीकृति नहीं देता हूं और इसी का परिणाम है कि आज सभी माननीय सदस्य धन्यवाद दे रहे हैं।

श्री टीकमचन्द कांत : व्यवधान वाले तो सारे बाहर हैं।

श्री नन्दलाल मीणा : व्यवधान वाले भी, अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम होगा कि जब चोखी ढाणी में, आप तो नहीं थे पर हम लोग थे, शशीदत्ताजी ने वहां पर कहा कि शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों पर अत्याचार और शोषण हो रहा है, इससे दुःखी होकर मैं बगावत करने चली आई। उस समय टी. वी. के सामने मैंने इन्टरव्यू दिया था और मैंने साफ कहा था कि मुझे कहते हुए गर्व है इस बात का कि माननीय शेखावत साहब के नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का जो अवसर मिला है और हमने राजस्थान की जनता को बता दिया है कि जो योजनाएं कांग्रेस के टाइम में उस इलाके में लागू नहीं थीं, वे योजनाएं हमने लागू कीं और कांग्रेस की बैंचों ने, पिछली बार जब वित्तीय वर्ष में जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग की मांगों पर वाद-विवाद हुआ तब प्रतिपक्ष ने भी तालियां बजाकर सराहना की थी कि यह सारी योजनाएं बढ़िया चल रही हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में दुनिया में राजनीतिक षड्यंत्र कर अपना उल्लू सीधा करने का काम है, शक्लें बदल गयीं हैं आजकल।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : शक्लें बदल गयीं ?

श्री नन्दलाल मीणा : मेरी, मेरी, उनकी नहीं। अध्यक्ष महोदय, कहने को तो बहुत कुछ है किन्तु मैं माननीय सदस्यों को इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि जनजाति विकास विभाग का काम एक ऐसा संवेदनशील काम है जो केवल एक व्यक्ति के निर्णय से सम्भव नहीं हो सकता, इसलिए मैं माननीय सभी सदस्यों से सहयोग चाहूंगा कि वे समय-समय पर मार्गदर्शन देते हुए, उन गरीब लोगों को, जो लोग लम्बे समय तक शोषित, पीड़ित और प्रताड़ित रहे हैं, उनको समाज की मुख्यधारा से जोड़ने में सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय अनंग कुमारजी।

सदन की कार्यवाही

मुखबंद के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ग्रामीण विकास मंत्री महोदय का जवाब होने तक मुखबंद का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

मुखबन्द का समय मंत्री महोदय का जवाब होने तक बढ़ाया जाता है ।

मांग संख्या 30 व 28 पर विचार

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, एकीकृत ग्रामीण विकास) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं कि मांग संख्या 28 पर उन्होंने चर्चा की । वैसे तो इस विभाग के बारे में अधिकांश सदस्यों ने कोई शिकायत नहीं की और न चर्चा में भाग लिया, सिर्फ दो सदस्यों ने इसके बारे में कुछ सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं । इससे यह भी पता चलता है कि इस विभाग का कार्य सफलता-पूर्वक कार्यान्वित हो रहा है और सफलता-पूर्वक इस विभाग का संचालन हो रहा है ।

अध्यक्ष महोदय, 1977 में जब श्रीमान् भैरोंसिंह शेखावत राजस्थान प्रदेश के मुख्य मंत्री बनें तो पहली बार उन्होंने सोचा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो गरीब हैं या अपना जीवन यापन ठीक तरह से नहीं कर पाते हैं, उनके बारे में कोई योजना बनायी जाये । 1977 में पहली बार उन्होंने अन्त्योदय योजना चालू की । मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय शेखावत साहब द्वारा 1977 में जो अन्त्योदय योजना चालू की गई, उस योजना से प्रेरणा लेकर पूरे देश में केन्द्र सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए आई. आर.डी.पी. कार्यक्रम प्रारम्भ किया । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 1977 के बाद जब प्रदेश पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी तो यह सोच बना कि वास्तव में जो व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं या वह अन्तिम व्यक्ति जिसके बारे में पिछले 30 वर्षों में सरकार ने नहीं सोचा जब कांग्रेस शासन में रही तो श्रीमान् शेखावत साहब ने पहली बार इस बारे में सोचा और अन्त्योदय योजना के माध्यम से उन लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास प्रारम्भ किया । इसके बाद एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लागू किया गया । इसके अन्दर 1992 में, माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 लाख 49 हजार परि-वारों को चयनित किया गया और उनको क्रमबद्ध तरीके से लाभान्वित करने का कार्यक्रम हाथ में लिया गया । मुझे यह बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष तक 4 लाख 18 हजार परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है और इस वर्ष भी काफी बड़ी संख्या में परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है । विभाग के माध्यम से विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाकर केन्द्र सरकार से भी उन योजनाओं पर सहायता प्राप्त की जाती है और राज्य सरकार द्वारा भी कई प्रकार की योजनाएं सचालित की जाती है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वक्त हमारे प्रदेश के अन्दर तीन प्रकार की योज-नाएं चल रही है । कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं जो हंड्रेड पर्सेन्ट सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम्स हैं, जो केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, उसमें डेजर्ट डवलपमेंट स्कीम, बोर्डर एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम, एम. पी. लोकल एरिया

(श्री अनंग कुमार जैन)

डवलपमेंट प्रोग्राम, वेस्टलैंड डवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम हैं। ये चारों योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध धनराशि या सहायता के द्वारा चलाई जाती हैं।

इसके अलावा 10 योजनायें ऐसी हैं जिनमें केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा है और राज्य सरकार भी उसके अन्दर पैसा प्रदान करती है। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है और 20 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। इंदिरा आवास योजना, मिलियन वैल्स स्कीम, एम्प्लायमेंट एश्योरेंस स्कीम, गंगा कल्याण योजना, इन पांच योजनाओं में 80 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा होता है और 20 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार का होता है।

इसके अलावा पांच योजनाएं और हैं जिसके अन्दर 50 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र सरकार द्वारा दिया जाता है और 50 प्रतिशत हिस्सा राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ये योजनाएं हैं, इन्टीग्रेटेड रूरल डवलपमेंट प्रोग्राम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फोर सेल्फ एम्प्लायमेंट, ड्रोट प्रोन एरिया प्रोग्राम, बायो गैस योजना, बाउंडेड लेबर स्कीम, ये योजनाएं ऐसी हैं जिनमें कुछ हिस्सा राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है और 50 प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय का सोच था कि राजस्थान प्रदेश की विशेष भौगोलिक परिस्थितियां हैं और अलग-अलग क्षेत्र की अपनी-अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए तथा और भी क्षेत्र थे जहां की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ और योजनाएं हाथ में लेना आवश्यक था। इसलिए राज्य सरकार ने आठ योजनाएं और चालू कीं जिनका शत-प्रतिशत पोषण राज्य सरकार के बजट से होता है। उन योजनाओं के बारे में भी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा। तीस जिला तीस काम, अनटाइड फण्ड स्कीम, अपना गांव अपना काम योजना, रूरल ग्रोथ सेंटर, डांग एरिया डवलपमेंट प्रोग्राम, मेसिव योजना, मेवात योजना, कम्युनिटी लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ये आठ योजनाएं राज्य सरकार के बजट से पोषित की जाती हैं और इन पर शत-प्रतिशत खर्चा राज्य सरकार के बजट से ही किया जाता है।

पिछले वर्ष एक नई योजना चलाई गयी, डांग एरिया विकास योजना। इसके अन्दर प्रदेश का कुछ हिस्सा ऐसा था जो बहुत पिछड़ा हुआ था, वहां की शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसलिए वहां की स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की दृष्टि से एक सर्वे कराकर जो डांग एरिया या चम्बल के बीहड़ों से लगा हुआ एरिया था उसके अन्दर डांग विकास योजना को प्रारम्भ किया गया। इसके अन्दर आने वाले वर्ष में और भी पंचायत समितियों का सर्वे कराया जा रहा है और उसके माध्यम से नये क्षेत्र को भी इसमें जोड़े जाने का प्रावधान है।

इन तमाम् योजनाओं के माध्यम से राजस्थान प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने की राजस्थान सरकार की इच्छा है और

(श्री अनंग कुमार जैन)

राज्य सरकार चाहती है कि अलग-अलग क्षेत्र के अन्दर जो वहां की स्थानीय परिस्थितियां हैं उनके आधार पर योजनाएं बनें और उन योजनाओं के माध्यम से उस क्षेत्र का विकास हो। वैसे तो राज्य सरकार के अलग-अलग विभाग हैं जिनके माध्यम से विकास का कार्य किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसा विभाग है जिसका सम्पूर्ण पैसा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए खर्च होता है और इसका अधिकांश पैसा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति या गरीब व्यक्तियों के लिए खर्च किया जाता है।

अभी थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि इसका क्रियान्वयन पंचायत विभाग के द्वारा किया जाता है और योजना यहां से जाती है, इसलिए विशिष्ट योजना संगठन का काम इतना ही होना चाहिए कि वह योजना बनाये और योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन दूसरे विभाग से करवाये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि विशिष्ट योजना संगठन का यही काम है कि वह योजनाएं बनाता है, जो उसके ध्यान में लाई जाती है या राजस्थान की विषम परिस्थिति के अनुसार, जिस क्षेत्र के अन्दर जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं उसके आधार पर योजनाएं बनाते हैं, जो योजनाएं राजस्थान सरकार द्वारा चलवाई जानी हैं वे राजस्थान सरकार के बजट से चलवाई जाती हैं और कुछ योजनाओं को केन्द्र सरकार में भेजा जाता है और उसके लिए लगातार यह प्रयास किया जाता है कि उस पर अधिक से अधिक राशि केन्द्र सरकार से मिले। जितना हिस्सा केन्द्र सरकार देती है उसके प्रतिशत में जो हिस्सा राज्य सरकार द्वारा देना है वह हिस्सा उसमें शामिल करते हैं और उसके माध्यम से उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक दूसरी योजना के बारे में आपसे निवेदन करना चाहूंगा। यहां सदन में माननीय सदस्यों की लगातार यह मांग रहती है कि आश्वासित रोजगार योजना कुछ पंचायत समितियों में लागू नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार यह योजना 1993 में 122 पंचायत समितियों में प्रारम्भ की गई। बाकी पंचायत समितियों में यह योजना नहीं थी। पिछले तीन वर्षों में हमने विभागीय स्तर पर लगातार प्रयास करके जहां जरूरत हुई वहां माननीय मुख्य मंत्री महोदय के प्रभाव का उपयोग करके 82 ब्लाकों में इस योजना को पिछले दो वर्षों में मंजूर कराया। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि पूरे प्रदेश के अन्दर 239 पंचायत समितियां हैं उनमें से 204 पंचायत समितियों में यह योजना लागू है और 33 में इसे लागू करना बाकी है। पूरे देश में किसी भी प्रदेश के अन्दर इस प्रतिशत में पंचायत समितियों में यह योजना लागू नहीं है। यह हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी के प्रभाव का उपयोग है और माननीय मुख्य मंत्रीजी हमेशा इस बात के लिए सतत् प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने स्वयं ने इस मामले में पत्र लिखे, केन्द्र सरकार के इस विभाग के जो मंत्री हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित किया और उसके आधार पर पिछले दो वर्षों के

(श्री अनंग कुमार जैन)

अन्दर 82 ब्लाकों के अन्दर हम यह योजना लागू करा सके हैं। उसकी वजह से राजस्थान प्रदेश की अधिकांश पंचायत समितियों में यह योजना लागू है और जो बचे हुए ब्लॉक हैं उनके बारे में भी विभागीय स्तर पर लगातार यह प्रयास किया जाता है कि आने वाले एक या दो वर्षों में प्रत्येक पंचायत समिति में यह योजना लागू हो जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं स्वीकृत की जाती है उन योजनाओं के बारे में कुछ नोर्म्स व गाइड लाइंस फिक्स की जाती है और उन गाइड लाइंस के आधार पर केन्द्र सरकार उन योजनाओं पर विचार करती है। यद्यपि कई ब्लॉक उन नोर्म्स या गाइड लाइंस के अन्दर नहीं आते थे लेकिन उसके बावजूद भी लगातार प्रयास करने से केन्द्र सरकार के द्वारा उन ब्लॉक्स को इस योजना के अन्दर सम्मिलित किया गया है। अब जो बचे हुए ब्लॉक हैं उसमें यही दिक्कत आ रही है कि जो केन्द्र सरकार द्वारा गाइड लाइन दी गयी है उस गाइड लाइन में वे नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके लिए हम एक नई योजना बनाकर भेज रहे हैं और उसके आधार पर हमें विश्वास है कि आने वाले एक-दो वर्ष के अन्दर, कुछ ब्लॉक 1997–98 के अन्दर और कुछ ब्लॉक 1998–99 के अन्दर, हम केन्द्र सरकार से मंजूर कराने में सफल हो जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र की दृष्टि से जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इस विभाग के द्वारा चलाई जा रही है, वैसे तो सभी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए है, लेकिन विशेष रूप से इस योजना के ऊपर विभाग के द्वारा बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है, बड़े-बड़े बांध का निर्माण कराया जा रहा है या छोटे बांधों का भी निर्माण किया जाता है। बड़े बांधों के निर्माण में 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं, करोड़ों रुपया राज्य सरकार का व्यय होता है और कई लोग उसकी डूब में आते हैं, कई लोगों को हटाना पड़ता है, दूसरी जगह बसाना पड़ता है। लेकिन राजस्थान प्रदेश में कुछ जिले ऐसे हैं जिनमें पानी बहकर निकल जाता है और पिछले 40 सालों में भी बहकर निकलने वाले पानी का कोई इंतजाम नहीं किया गया। कई जगह ऐसी हैं जिनमें फरवरी या मार्च तक बड़ी भारी मात्रा में पानी भरा हुआ रहता है, उस पानी का उपयोग भी आज तक नहीं किया गया। राज्य सरकार ने यह योजना अपने हाथ में ली और यह तय किया कि बहुत बड़ी स्कीम न बनाकर छोटी स्कीम को हाथ में लिया जाये और उनकी एक काअपरेटिव सोसायटी बनाकर सोसायटी के माध्यम से 100 हैक्टेयर, 200 हैक्टेयर, 250 हैक्टेयर की योजना बनाई जाये और जो काश्तकार उससे लाभान्वित होते हैं उन्हीं काश्तकारों के माध्यम से वे योजनाएं बनाई जाएं। उसमें 80 प्रतिशत पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है और 20 प्रतिशत हिस्सा वहां के स्थानीय काश्तकारों से लिया जाता है। उस 20 प्रतिशत पैसा

(श्री अनंग कुमार जैन)

लेने के बाद उसके बिजली का कनेक्शन करवाकर सारे मोटर, इंजन वगैरह उनको उपलब्ध करवाने के बाद योजना चालू करके जो लाभान्वित होने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं को यह योजना सौंप दी जाती है और दूसरे मायने में उसको उसका मालिक बना दिया जाता है। इस योजना के माध्यम से भी बड़ी संख्या में, करीब 14 जिलों के अन्दर यह कार्य चल रहा है। जहां पर पानी की उपलब्धता थी, पानी की उपलब्धता फरवरी–मार्च तक रहती है, जहां कई जगह पानी उपलब्ध था लेकिन वह बहकर निकल जाता था तो विभाग के माध्यम से उस जगह एनीकट बनाने का काम भी हाथ में लिया गया और एनीकट के माध्यम से भी उस पानी को रोका गया ताकि उस पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी हो सके और आस–पास के कुओं का जल स्तर भी बढ़े।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ एतराज बताये थे, कुछ शिकायतें उन्होंने बतायी थीं। वैसे तो करीब-करीब पूरे प्रदेश के सभी जिलों के अन्दर इस विभाग के द्वारा जो योजनाएं चलायी जा रही हैं उनका सफल क्रियान्वयन हो रहा है और उनके माध्यम से जो भी पैसा है, जिस एजेंसी को ट्रांसफर होना है वह पैसा समय पर स्थानान्तरित कर दिया जाता है। उन्होंने बूंदी के बारे में गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग समय पर नहीं होने के बारे में बताया था। तो जैसी मैंने जानकारी ली, सितम्बर, 1996 और उसके बाद दिसम्बर, 1996 में गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग हुई थी और दिसम्बर के बाद अब 29-3-97 को मीटिंग रखी गयी है। हो सकता है एक अप्रेल से सितम्बर के बीच में कोई मीटिंग नहीं हुई हो। कुछ पैसा ट्रांसफर करने के बारे में भी एतराज किया था तो दूसरी किश्त का पैसा करीब–करीब सभी पंचायतों को स्थानान्तरित कर दिया गया है। उसके बावजूद भी मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई कमी पायी गयी तो उसका निश्चित रूप से इंतजाम किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई और यदि उनके जिले में इस प्रकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी अधिकारी द्वारा ढील दी जा रही है तो मैं अपनी ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उसके सफल क्रियान्वयन में जो भी आवश्यक स्टेप लेने हों और आवश्यक निर्देश जारी करने हों, वह निर्देश जारी कर दिये जाएं। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं चलायी जा रही हैं, सम्पूर्ण योजनाएं ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर चलायी जा रही हैं, पूरी योजनाओं का सारा पैसा ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए खर्च किया जाता है और उसका भी बहुत बड़ा भाग जो समाज का अन्तिम व्यक्ति है, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति है, उसके उत्थान के लिए खर्च किया जाता है और उसके उत्थान के लिए जो योजनाएं बनायी जाती हैं उनके माध्यम से वह पैसा खर्च किया जाता है।

इसी प्रकार विभाग के द्वारा दूसरी योजना इन्दिरा आवास योजना चलायी जाती है। उसके बारे में थानागाजी से

(श्री अनंग कुमार जैन)

आने वाले माननीय सदस्य ने बताया था इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत एक ग्रुप के अन्दर आवास बनाये जाएं। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत ग्रुप के माध्यम से ही आवास बनाये जाते थे लेकिन शुरू के 4-5 सालों के अन्दर जो ग्रुप के माध्यम से आवास बनाये गये, अधिकांश गांवों के अन्दर वह आवास खाली पड़े रहे और उन आवासों को जिन लोगों को आबंटित किया गया था उन्होंने नहीं लिया। इसलिए फिर सभी क्षेत्रों से यह मांग आयी कि व्यक्तिगत रूप से, पर्टिकुलर व्यक्ति का चयन किया जाए और उस चयनित व्यक्ति को सीधा पैसा दिया जाए। वह स्वयं का मकान निर्मित करे। उसकी स्वयं की जमीन है तो उस पर मकान निर्मित कर सके। पिछले 8-10 वर्षों में यह अनुभव हुआ कि इंडिविजुअल व्यक्ति को इन्दिरा आवास के लिए पैसा दिया जाता है तो वह व्यक्ति स्वयं उसमें रुचि रखता है, उसकी स्वयं की जमीन होती है और कुछ पैसे की और भी जरूरत हो तो अपने पास से भी खर्च करता है। जब वह जानता है कि यह मकान मेरी सुविधा के लिए अपने चाहे हुए स्थान पर बना रहा हूं तो उस स्थान पर वह बनाता है और उसके आधार पर मकान भी सुन्दर निर्मित हो रहे हैं और वह स्वयं भी उसके अन्दर जाकर के रहता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि यह स्कीम इसलिए विभाग के द्वारा बदली गयी।

उन्होंने विशेष रूप से ट्राइबल बेल्ट की बात कही थी। अगर ट्राइबल बेल्ट में यह इस प्रकार की स्कीम लागू करना चाहें तो माननीय मंत्री महोदय श्री नन्दलाल जी मीणा साहब से इस बारे में सम्पर्क करूंगा और इस प्रकार की योजना वहां उस क्षेत्र में सक्सैसफुल हो सकती हो तो हमारे विभाग द्वारा उन विभागों के साथ बैठकर के इस प्रकार की योजना बनायी जा सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विभिन्न पंचायत क्षेत्र में काम करवाये जाते हैं। 1977 में जब श्रीमान् शेखावत साहब पहली बार मुख्य मंत्री बने तब उन्होंने इस बात को सोचा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। जो सत्ता जयपुर के अन्दर केन्द्रित थी उसका विकेन्द्रीकरण होकर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो व्यक्ति रह रहा है और जो चुनी हुई संस्थाएं हैं उनका सरपंच, पंचायत समिति में प्रधान और जिला प्रमुख जो बनकर आता है वह निश्चित रूप से यह जानता है कि उनके क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकता क्या है, मूलभूत आवश्यकता गांव की क्या है, उसके आधार पर उन्होंने ग्राम पंचायतों को अधिकार दिये। धीरे-धीरे उन अधिकारों में वृद्धि की गयी और पिछले 4-5 वर्षों में उन अधिकारों को और अधिक दिया गया और इन ग्राम पंचायतों के माध्यम से बड़ी मात्रा में निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाये गये। जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत जितना भी पैसा आता है वह 80 प्रतिशत सीधा पंचायतों को दिया जाता है और वहां के सरपंच, वहां की ग्राम सभा के अन्दर यह तय किया जाता है कि इस क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकता क्या है उसके आधार पर कौनसा निर्माण कार्य करवाना चाहिए और स्वयं सरपंच स्तर

(श्री अनंग कुमार जैन)

पर, पंचायत के स्तर पर भी उसका कार्य प्रारम्भ हो जाता है। उनको कहीं स्वीकृति लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं इस कार्य में सक्षम हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार इसी वर्ष फरवरी माह में केन्द्र सरकार के द्वारा एक नयी योजना लागू की गयी है, गंगा कल्याण योजना। यद्यपि उसका जो उद्देश्य है वह ऐसे क्षेत्र में लागू करना है जहां पानी की अधिकता हो। वहां ट्यूबवैल बनाये जाएं और जो साधारण व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको उससे लाभान्वित किया जाए। राजस्थान प्रदेश के अन्दर ऐसा कोई भू-भाग नहीं है जहां पर पानी की बहुत उपलब्धता हो लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने प्रयास करके राजस्थान प्रदेश को भी इस योजना में शामिल किया है और इस साल फरवरी में 3.59 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से प्राप्त करने में सफल रही है और 90 लाख रुपये राजस्थान प्रदेश का उसके अतिरिक्त कंट्रीब्यूशन है। इस प्रकार यह नयी योजना इसी वर्ष केन्द्र सरकार के द्वारा चालू की गयी है जिसके अन्दर भी राजस्थान प्रदेश को सम्मिलित कर लिया गया है।

मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस विभाग के द्वारा जो भी योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं उनका विभिन्न एजेंसियों के द्वारा काम करवाया जाता है। जहां सड़क के निर्माण का कार्य है वह पी. डब्ल्यू. डी. के द्वारा करवाया जाता है, जो वन से सम्बन्धित कार्य है वह वन विभाग के द्वारा करवाया जाता है, जल ग्रहण से सम्बन्धित कार्य है वह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा करवाया जाता है और उनको जो योजना उनके द्वारा भेजी जाती है उसके अनुसार जो राशि उनको आवश्यक होती है वह राशि डी. आर डी. ए. द्वारा उनको स्थानान्तरित की जाती है और समय पर गवर्निंग कौंसिल की मीटिंग में और अधिकारियों के स्तर पर भी उन योजनाओं पर निगरानी रखी जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है, उनके कार्यों की प्रोग्रेस के बारे में भी ध्यान रखा जाता है।

कुछ माननीय सदस्यों ने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनमें अधिकांश कटौती प्रस्ताव या तो पंचायत विभाग से सम्बन्धित हैं या महिला बाल विकास से सम्बन्धित हैं या दूसरे विभागों से सम्बन्धित हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि उन कटौती प्रस्तावों का जवाब उन विभागों से सम्पर्क करके या तो उन विभागों से उनको भिजवा दिया जाएगा या मैं अपने विभाग के अधिकारियों के द्वारा उनसे सम्पर्क करके उनका जवाब माननीय सदस्यों को अपनी ओर से भिजवा दूंगा।

एक बार पुनः माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहूंगा कि जो सुझाव उन्होंने दिये हैं उन सुझावों से विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्विति में और तेज गति लायी जाएगी और उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा। इतना ही निवेदन करते हुए एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूं।

160

मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या–30 जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,83,88,46,000/- (दो अरब तिरासी करोड़ अठासी लाख छियालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या 28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-28 ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 45,75,40,000/- (पैंतालीस करोड़ पिचहत्तर लाख चालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

शेष मांगों का मुखबन्द के द्वारा पारण।

मुखबन्द

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या–1

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-1 राज्य विधान मण्डल के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 7,27,51,000/- (सात करोड़ सत्ताइस लाख इक्यावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–2

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-2 मंत्री परिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,55,00,000/- (दो करोड़ पचपन लाख) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–3

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-3 सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री अध्यक्ष)

निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 35,01,17,000/- (पैंतीस करोड़ एक लाख सत्रह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–4

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-4 जिला प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,08,40,31,000/- (एक अरब आठ करोड़ चालीस लाख इकतीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–5

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–5 प्रशासनिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,36,21,000/- (बीस करोड़ छत्तीस लाख इक्कीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–6

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–6 न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 56,84,77,000/– (छप्पन करोड़ चौरासी लाख सतहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–7

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–7 निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,21,67,000/– (छह करोड़ इक्कीस लाख सड़सठ हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–8

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–8 राजस्व के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,14,17,92,000/– (एक अरब चौदह करोड़ सत्रह लाख बानवे हजार) तक की

(श्री अध्यक्ष)

राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–9

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–9 वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,33,81,58,000/– (एक अरब तैंतीस करोड़ इक्यासी लाख अठावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–10

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–10 विविध सामान्य सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,74,000/- (दस लाख चौहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–11

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–11 विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,94,23,000/- (तेरह करोड़ चौरानवे लाख तेइस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–12

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–12 अन्य कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,62,58,000/– (बाइस करोड़ बासठ लाख अठावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–13

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–13 आबकारी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को

(श्री अध्यक्ष)

रुपये 82,20,06,000/– (बयासी करोड़ बीस लाख छह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–14

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,88,44,000/– (तैंतीस करोड़ अठासी लाख चवालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–15

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-15 पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,12,73,31,000/– (पांच अरब बारह करोड़ तिहत्तर लाख इक्तीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–16

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–16 पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,49,93,94,000/– (चार अरब उनचास करोड़ तिरानवे लाख चौरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–17

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–17 कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 22,34,69,000/– (बाइस करोड़ चौतीस लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–18 जन सम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,37,96,000/– (छह करोड़ सैंतीस लाख

(श्री अध्यक्ष)

छियानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-19 लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,54,27,25,000/- (एक अरब चौवन करोड़ सत्ताइस लाख पच्चीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-20 आवास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,16,47,000/- (चौरासी करोड़ सोलह लाख सैंतालीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-22

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-22 क्षेत्र का विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,11,62,87,000/- (दो अरब ग्यारह करोड़ बासठ लाख सतासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-23

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-23 श्रम और रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 36,43,75,000/- (छत्तीस करोड़ तियालीस लाख पचहत्तर हजार तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या-24

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,60,10,02,000/-

(श्री अध्यक्ष)

(इक्कीस अरब साठ करोड़ दस लाख दो हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–25

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–25 कोषागार व लेखा प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,34,01,000/- (अठाइस करोड़ चौंतीस लाख एक हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार का गयी ।

मांग संख्या–26

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,98,38,52,000/– (छह अरब अठानवे करोड़ अड़तीस लाख बावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–31

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–31 पुनर्वास एवं सहायता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,69,000/– (तेरह लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–32

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–32 नागरिक आपूर्ति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,33,20,000/– (तेरह करोड़ तैंतीस लाख बीस हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–35

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–35 विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये गये व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 49,25,41,000/– (उनचास करोड़ पच्चीस लाख इकतालीस

(श्री अध्यक्ष)

हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–36

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–36 सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 55,17,83,000/– (पचपन करोड़ सत्रह लाख तिरासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

सदन की कार्यवाही

सदन की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज की कार्य सूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

कार्य सूची समाप्त होने तक सदन का समय बढ़ाया जाता है।

अनुदान की शेष मांगों का पारण

मांग संख्या–38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–38 लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,47,78,83,000/– (एक अरब सैंतालीस करोड़ अठहत्तर लाख तिरासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–39

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–39 पशु पालन एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 84,41,51,000/– (चौरासी करोड़ इकतालीस लाख इक्यावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या–40

प्रश्न यह है कि मांग संख्या–40 राजकीय उपक्रम के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये

(श्री अध्यक्ष)

जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,13,09,000/- (तीन करोड़ तेरह लाख नौ हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–41

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-41 सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,75,57,06,000/- (एक अरब पचहत्तर करोड़ सत्तावन लाख छह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–42

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-42 उद्योग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,29,70,88,000/- (एक अरब उनतीस करोड़ सत्तर लाख अट्ठासी हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–43

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-43 खनिज के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,68,51,000/- (इक्कीस करोड़ अड़सठ लाख इक्यावन हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

मांग संख्या–44

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-44 लेखन सामग्री एवं मुद्रण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 12,91,93,000/- (बारह करोड़ इक्यानवे लाख तिरानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या—47

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-47 पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 14,66,11,000/- (चौदह करोड़ छियासठ लाख ग्यारह हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—48

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-48 विद्युत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,94,38,02,000/- (चार अरब चौरानवे करोड़ अड़तीस लाख दो हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—49

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-49 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और समनुदेशन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,36,91,000/- (अठारह करोड़ छत्तीस लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

मांग संख्या—50

प्रश्न यह है कि मांग संख्या-50 ग्रामीण रोजगार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1998 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,26,62,50,000/- (दो अरब छब्बीस करोड़ बासठ लाख पचास हजार) तक की राशि, जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

(17.00)

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या—3) विधेयक, 1997

श्री हरिशंकर भाभड़ा, प्रभारी मंत्री राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1997 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 1997 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 20 मार्च, 1997 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तद्नन्तर सदन की बैठक 17.02 बजे गुरुवार; 20 मार्च, 1997 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 188 का पूर्ण प्रश्न एवं उत्तर

सवाई मानसिंह चिकित्सालय (जयपुर) का पदोन्नति प्रकरण

188. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जनवरी, 1995 में सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसियेट प्रोफेसर की रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई थी ? यदि हां, तो इसमें पदोन्नति के लिए क्या आधार और पात्रता निर्धारित की गयी ? विवरण सहित की गयी कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि चरण नम्बर एक में वर्णित मानदण्ड तथा पात्रता के अनुसार डी. पी. सी. में चयन किया गया था ? यदि हां, तो किन-किन का किस पात्रता एवं मानदण्ड के अनुसार ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त रिव्यू डी. पी. सी. में प्रक्रिया और मानदण्ड के विरुद्ध चयन किया गया है ? यदि हां, तो नियमों के उल्लघंन के क्या कारण हैं ? इस सम्बन्ध में प्राप्त ज्ञापनों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) क्या यह सही है कि डॉ. बी. डी. माहेश्वरी की 4 वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ए. सी. आर.) में विपरीत टिप्पणी होते हुए भी उनका चयन कर लिया गया जिससे अन्य आशार्थी प्रभावित होते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कर वरिष्ठता की पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए इसमें रही विसंगति को दूर कर वरिष्ठता को पदोन्नति में प्राथमिकता देगी ?

(5) क्या यह सही है कि इस बाबत सरकार को ज्ञापन/प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो किसके द्वारा क्या ज्ञापन दिया गया और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन के पदों से एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन के पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की पूर्व की सिफारिशों को रिव्यू करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 13-1-1995 को सम्पन्न हुई थी। नियमानुसार 50 प्रतिशत पद वरिष्ठता सह-योग्यता से तथा 50 प्रतिशत पद योग्यता के आधार पर भरे जाने थे। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियमित नियुक्ति के बाद 4 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेने वाला चिकित्सक पदोन्नति हेतु पात्र होता है। रिव्यू विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश के आधार पर जारी किए गए आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

(2) जी, हां। विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) जी, नहीं। प्रक्रिया और मानदण्ड के विरुद्ध चयन नहीं किया गया।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रक्रिया एवं नियमों के आधार पर अभिलेखों का परीक्षण कर डॉ. वी. डी. माहेश्वरी का पदोन्नति हेतु चयन किया गया है।

(5) डॉ. वी. डी. माहेश्वरी के चयन से प्रभावित होने वाले चिकित्सक डॉ. एल. के. भटनागर द्वारा डॉ. माहेश्वरी के चयन के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी है जो माननीय न्यायालय के विचाराधीन है।

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT, JAIPUR

No. F. 1 (31)/ME/Gr. I/88 Jaipur, dated 23-1-1995

ORDER

In persuance of the recommendations of the Departmental Promotion Committee, meeting held on 13-1-1995 to review the earlier proceedings of the Committee dated 18-10-1993, the following Asstt. Professor of Medicine are hereby promoted and appointed to the post of Associate Professor, Medicine under Rule 24 (A) of Rajasthan Medical Service Collegiate Branch, 1962 against the vacancies mentioned against their names :—

S. No.	Name of the Doctor	Present post and place of posting	Year of vacancy	Basis of selection
1.	Dr. V. D. Maheshwari	Associate Professor Medicine, S.M.S. Medical College, Jaipur.	1989-90	Merit.

This department order of even number Dated 2-11-1993 may be treated as amended accordingly.

By Order,
Sd/-
(Rajeshwar Singh)
Dy. Secretary to Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT, JAIPUR

No. F. 1 (31) ME/Gr. I/88   Jaipur, dated 23-1-1995

ORDER

In persunace of the recommendation of the Departmental Promotion Committee, meeting held on 13-1-1995 to review the earlier proceedings of the Committee held on 18-10-1993. Dr. L. K. Bhatnagar, Asstt. Professor, Medicine Medical College, Udaipur is hereby promoted as Associate Professor, Medicine purely on temporary basis against the lien vacancy till further orders. On promotion Dr. L. K. Bhatnagar is posed as Associate Professor, Medicine in the Medical College, Udaipur against the vacant post of Associate Professor, Medicine.

This Deptt. Order of even number Dated 2-11-1993 may be treated as amended accordingly.

By Order,

Sd/-

(Rajeshwar Singh)

Dy. Secretary to Government

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

MEDICAL & HEALTH DEPARTMENT, JAIPUR

No. F. 1 (31) ME/Gr. I/88   Jaipur, dated 2-11-93

ORDER

In persuance of the recommendations of the Departmental Promotion Committee Review, the following doctors are hereby Promoted and appointed on the post of Associate Professor, Medicine under Rule 24 (A) of the Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962. The basis of their selection and the year of vacancy against which they have been selected and the year of their names. Their posting orders are being issued separately :—

S. No.	Name of Doctor	Present post and place of posting	Year of vacancy against which promoted	Basis of selection
1	2	3	4	5
1.	Dr. J. P. Rishi	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Jaipur.	1987-88	Seniority-cum-merit.
2.	Dr. A. A. Sulemani	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Bikaner.	1987-88	Seniority-cum-merit.
3.	Dr. R. K. Madhok	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Jaipur.	1987-88	Merit.
4.	Dr. S. R. Mittal	Asso. Professor, (Medicine) Medical College, Ajmer.	1987-88	Merit.
5.	Dr. R. K. Goyal	Asso. Professor, (Medicine) Medical College, Ajmer.	1988-89	Seniority-cum-merit.
6.	Dr. Abdul Hakim	Asso. Professor, (Medicine) Medical College, Jodhpur.	1988-89	Seniority-cum-merit.
7.	Dr. J. S. Ujjawal	Asso. Professor, (Medicine) Medical College, Jodhpur.	1988-89	Seniority-cum-merit.
8.	Dr. B. S. Gupta	Asso. Professor, (Medicine) Medical College, Jaipur.	1988-89	Merit.

1	2	3	4	5
9.	Dr. Ashok Pangaria	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Jaipur.	1988-89	Merit.
10.	Dr. D. S. Mathur	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Jaipur.	1989-90	Seniority-cum-merit.
11.	Dr. R. P. Kothari	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Jaipur (abroad) at present.	1989-90	Seniority-cum-merit.
12.	Dr. S. S. Haldia	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Jaipur.	1989-90	Seniority-cum-merit.
13.	Dr. D. K. Kochar	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Bikaner.	1989-90	Seniority-cum-merit.
14.	Dr. R. C. Gupta	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Ajmer.	1989-90	Seniority-cum-merit.
15.	Dr. L. K. Bhatnagar	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Udaipur.	1989-90	Seniority-cum-merit.
16.	Dr. R. R. Rai	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Jaipur.	1989-90	Merit.

1	2	3	4	5
17.	Dr. S. K. Arora	Asso. Professor (Medicine) Medical College, Ajmer.	1989-90	Merit.
18.	Dr. Raja Babu Panwar	Asstt. Professor (Medicine) Medical College, Bikaner.	1989-90	Merit.
19.	Dr. P. D. Khandelwal	Asstt. Professor (Medicine) Medical College, (At present on Foreign Assignment Abroad).	1989-90	Merit.
20.	Dr. Rampal (S/C)	Asstt. Professor (Medicine) Medical College, Udaipur.	1989-90	Seniority-cum-merit.

By Order,
Sd/-
(P. S. MEHRA)
Dy. Secretary to Government

(175)

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 191 का पूर्ण प्रश्न एवं उत्तर

तहसील भादरा व नोहर क्षेत्र की भाखड़ा नहर

191. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील भादरा व नोहर क्षेत्र की भाखड़ा सिस्टम से जुड़ी अमरसिंह ब्रांच व जसाना मेजर नहरों में प्रत्येक बारी के लिए निर्धारित क्यूसेक पानी की आपूर्ति तय की गयी है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त नहरों में प्रत्येक बारी में हरियाणा सरकार द्वारा पानी रोक लिया जाता है, जिससे क्षेत्र के किसान सिंचाई सुविधा से वंचित रह जाते हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस रोक के क्या उपाय किये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त सिंचाई के लिये निर्धारित 180 क्यूसेक पानी की आपूर्ति हेतु तत्काल कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। (16 अक्टूबर, 1996 से 16 जनवरी, 1997 तक का विवरण संलग्न है)

(2) संलग्न विवरण के अनुसार अमरसिंह ब्रांच में हरियाणा से प्राप्त हुए पानी में विशेष कमी नहीं है, परन्तु जसाना ब्रांच में अधिक कमी रही है। इस कमी को पूरा कराने के लिए एक वृत्त कार्यालय चण्डीगढ़ में कार्यरत है जो हरियाणा अधिकारियों से बराबर सम्पर्क कायम कर पूरा पानी प्राप्त करने का प्रयास करता है तथा विभाग द्वारा हर स्तर पर पूरा पानी प्राप्त किये जाने का प्रयास किया जाता है।

(3) 180 क्यूसेक पानी का कोई भी मामला विभाग के समक्ष विचाराधीन नहीं है। विभाग द्वारा उक्त दोनों ब्रांचों में पूरा पानी प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाते रहे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट – 3

तारांकित प्रश्न संख्या 215 का पूर्ण प्रश्न एवं उत्तर

विधान सभा क्षेत्र मकराना की सम्पर्क सड़कों पर व्यय

215. **श्री रूपाराम** (मकराना) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अधिशाषी अभियन्ता खण्ड डीडवाना को जिला विकास अभिकरण नागौर द्वारा गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मकराना में सम्पर्क सड़कें बनाने हेतु कितनी धनराशि दी गयी ? विगत दो वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अधिशाषी अभियन्ता खण्ड डीडवाना द्वारा गत 2 वर्षों में किस-किस सम्पर्क सड़क पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अधिशाषी अभियन्ता खण्ड डीडवाना द्वारा विगत 2 वर्षों में जिन सम्पर्क सड़कों पर कार्य करवाया गया उनकी अलग-अलग तखमीना रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सम्पर्क सड़कों का तखमीना के अनुसार कार्य नहीं हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) अधिशाषी अभियन्ता खण्ड डीडवाना को जिला विकास अभिकरण नागौर द्वारा गत 2 वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मकराना में सम्पर्क सड़कें बनाने हेतु 190.55 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी जिसके विरुद्ध 87.87 लाख रुपये की धनराशि दी गयी। विगत 2 वर्षों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) अधिशाषी अभियन्ता खण्ड डीडवाना द्वारा विगत 2 वर्षों में सड़कवार जो राशि व्यय की गयी है उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(3) अधिशाषी अभियन्ता खण्ड डीडवाना द्वारा विगत 2 वर्षों में जिन सम्पर्क सड़कों का कार्य करवाया गया। उनकी अलग–अलग सड़कवार तखमीना रिपोर्ट संलग्न परिशिष्ट "ब" के अनुसार है।

(4) जी, नहीं। सम्पर्क सड़कों का निर्माण सा. नि. वि. सक्षम अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों की सीमा में स्वीकृत तखमीने के अनुसार सम्पादित हुआ और दी गयी धनराशि के अनुसार सम्पादित किया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 190 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

जिला सवाईमाधोपुर की खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं की सूची

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्त पोषित :

1. हिण्डौन क्षेत्रीय खादी ग्रामोद्योग समिति, हिण्डौन, सवाईमाधोपुर।
2. हिण्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति, हिण्डौन, सवाईमाधोपुर।
3. तहसील बोंली खादी उत्पादक सहकारी समिति, बोंली, सवाईमाधोपुर।

खादी ग्रामोद्योग आयोग से वित्त पोषित :

1. ग्राम सेवा सदन मलारना चौड़, सवाईमाधोपुर।
2. ग्राम सेवा समिति, वजीरपुर गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर।
3. ग्राम सेवा मण्डल करौली, सवाईमाधोपुर।
4. सवाईमाधोपुर ग्राम विकास समिति, खण्डार, सवाईमाधोपुर।
5. ग्राम भारती सेवा समिति, रीठोली, सवाईमाधोपुर।
6. विश्वकर्मा ग्रामोद्योग संस्थान, रीठोली, सवाईमाधोपुर।

परिशिष्ट "ब"

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में दिये जाने वाले अनुदान के मापदण्ड का विवरण

1. **अपरम्परागत बुनकर प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु योजना बजट में स्वीकृत राशियों का मापदण्ड :**

   10 बुनकरों की एक इकाई, प्रशिक्षण अवधि तीन माह

   1. छात्रवृत्ति 200/- रुपये प्रति माह
      (200 × 10 × 3) कुल 6000/- हजार रुपये
   2. मास्टर क्राफ्ट मेन का मानदेय
      500/- रुपये प्रति माह
      (500 × 3) कुल 1500/- रुपये
   3. यात्रा व्यय 50/- रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी
      (50 × 10) कुल 500/- रुपये

4. कच्चा माल 2000/– रुपये प्रति माह
(2000 × 3) कुल 6000/- रुपये

5. बिजली पानी व अन्य व्यय
तीन माह का एक हजार रुपये कुल 1000/- रुपये

6. प्रशिक्षण के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को
कर्घा 3000/- रुपये प्रति कर्घा
(3000 × 10) कुल 30000/- रुपये

योग : 45000/-

2. पुनर्जीविकरण योजना :

बन्द व निष्क्रिय समितियों को पुनः कार्यशील बनाने हेतु चार वर्षों तक व्यवस्थापकीय सहायता।

प्रथम वर्ष	5000/- रुपये
द्वितीय वर्ष	4000/- रुपये
तृतीय वर्ष	3000/- रुपये
चतुर्थ वर्ष	2000/- रुपये

3. कर्घा घर :

प्रति बुनकर को स्वयं की जमीन पर कर्घा घर निर्माण हेतु 3000/- रुपये प्रति कर्घा घर सहायता इतनी ही राशि बुनकर द्वारा या सम्बन्धित संस्था द्वारा व्यय करने की शर्त पर।

4. पूंजी वृद्धि सहायता :

संस्थाओं की अधिकतम ऋण सीमा (एम. सी. एल.) की बाधा दूर करने हेतु संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार पूंजी वृद्धि सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अधिकतम ऋण सीमा किसी भी संस्था की स्वयं की पूंजी के दस गुने के बराबर होती है।

परिशिष्ट "स"

राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि का वर्षवार वितरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र.सं.	नाम संस्था/समिति	योजना का नाम	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	योग
1.	हिण्डौन खादी उत्पादक सहकारी समिति, हिण्डौन सिटी, सवाईमाधोपुर	**आयोजना बजट**						
		1. पूंजीवृद्धि सहायता	0.15	—	—	—	—	0.15
		2. अपरम्परागत बुनकर प्रशिक्षण	—	—	0.45	—	—	0.45
		3. कर्घा निर्माण योजना	—	—	0.27	0.15	—	0.42
		4. पुनर्जीविकरण योजना	0.04	0.03	0.02	—	—	0.09
		योग :	0.19	0.03	0.74	0.15	—	1.11
2.	तहसील बोंली खादी उत्पादक सहकारी समिति, बोंली सवाईमाधोपुर	**आयोजना बजट**						
		1. पूंजीवृद्धि सहायता	0.15	0.15	—	—	—	0.30
		2. अपरम्परागत बुनकर प्रशिक्षण	—	—	—	—	—	—
		3. कर्घा निर्माण योजना	—	—	0.27	—	—	0.27
		4. पुनर्जीविकरण योजना	—	—	—	—	—	—
		योग :	0.15	0.15	0.27	—	—	0.57

परिशिष्ट—5

तारांकित प्रश्न संख्या–193 की प्रति

कोटा खुला विश्वविद्यालय, कोटा

प्रदेश अनुभाग, रावतभाटा मार्ग, कोटा–324010

क्रमांक—को. खु. वि./प्रवेश/बी. एड. प्रवेश परीक्षा, 93–94/94/11844–55
दिनांक 20–7–94

कार्यालय आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संस्थाएं) कोटा के कार्यालय के पत्र क्रमांक–जि. शि. अ. छात्र/को./रा. मा.–3/94/309 तारीख 1-7-94 के द्वारा निम्न छात्रों के शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होने के कारण वे विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण न करने के कारण उनके बी. एड. प्रवेश परीक्षा सत्र 1993-94 के आवेदन पत्रों को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है। ये सभी छात्र परीक्षा केन्द्र कोटा के ही हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	छात्र एवं उसके पिता का नाम	कंट्रोल नंबर
1.	श्री जादूलाल आर्य पुत्र श्री नन्दलाल	9796
2.	श्री जगदीश प्रसाद मीणा पुत्र अमर चंद मीणा	9797
3.	श्री मनोज कुमार जैन पुत्र श्री नेमी चन्द्र जैन	9799
4.	श्री रामलाल मीणा पुत्र श्री पन्नालाल मीणा	9801
5.	श्री सुरेन्द्र सिंह रंधावा पुत्र श्री अमरीक सिंह	9802
6.	श्री मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री मूल चन्द्र शर्मा	9803
7.	श्री बहादुर सिंह मीणा पुत्र श्री	9804
8.	श्री बिरदी लाल शर्मा पुत्र श्री मोहनलाल शर्मा	9805

ह./–
निदेशक (संकाय)

परिशिष्ट—1

परिशिष्ट—6

तारांकित प्रश्न संख्या 200 की सूची

विधान सभा क्षेत्र डेगाना के अब तक शुरू नहीं किये गए कार्यों की सूची

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य शुरू करने की प्रस्तावित तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	बंवरला से ग्रांतरोली कलां सड़क जोब नं. 69/ 5054/एम.एस.पी./प्लान/96-97	4.00 लाख	17-3-97	कार्यादेश जारी कर दिये गए हैं। माह 3/97 में कार्य शुरू कर दिये गये हैं।
2.	निम्बड़ी कोठारिया से राजनोता सड़क जोब नं. 70/	4.00 लाख	17-3-97	"
3.	सम्पर्क सड़क सूदवाड़ जोब नं. 74/	6.00 लाख	20-3-97	"
4.	हिम्मत नगर जालसुनानक सड़क जोब नं. 76/	4.00 लाख	20-3-97	"
5.	सम्पर्क सड़क बिखरनियां कलां जोब नं. 102/	4.00 लाख	20-3-97	"
6.	सम्पर्क सड़क खींवताना जोब नं. 75/	4.00 लाख	—	निविदाएं दिनांक 3-3-97 को प्राप्त की जा चुकी हैं व स्वीकृति हेतु विचाराधीन हैं। कार्य अप्रेल में प्रारम्भ करना प्रस्तावित है।
7.	चुई से चुग्रा सड़क जोब नं. 85/	2.00 लाख	—	"
8.	बामना से बरना सड़क जोब नं. 101/	2.00 लाख	—	"

परिशिष्ट-7

तारांकित प्रश्न संख्या 205 की सूची

परिशिष्ट–"अ"

सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत बांध एवं एनीकट

क्र.सं.	बांध का नाम	तहसील	विधान सभा क्षेत्र
1.	पार्वती बांध	बसेड़ी	बयाना
2.	तरबा ,,	,,	,,
3.	बाजना ,,	राजाखेड़ा	राजाखेड़ा
4.	दिहोली ,,	,,	,,
5.	नेखरा ,,	,,	,,
6.	धारापुरा ,,	,,	,,
7.	शाहपुरा ,,	,,	,,
8.	चिलाचोंद ,,	बाडी	बाडी
9.	राता की खाल बांध	धौलपुर	धौलपु र
19.	नरीपुरा बांध	बाडी	बाडी

क्र.सं.	एनीकट का नाम	तहसील	विधान सभा क्षेत्र	
1.	थडी बिनतीपुरा	राजाखेड़ा	राजाखेड़ा	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत कार्य विभाग के माध्यम से करवाये गये हैं।
2.	नागर	,,	,,	
3.	गोहरी खानपुरा	बसेड़ी	बयाना	
4.	गागरोली	धौलपुर	धौलपुर	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा डांग क्षेत्र निकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत।
5.	डांग बसई	,,	,,	
6.	सहरोन	,,	,,	
7.	चिलाचोंद	बाडी	बाडी	
8.	नादरोली	,,	,,	
9.	गोलारी	बसेड़ी	बाडी	

परिशिष्ट–"ब"

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण धौलपुर द्वारा स्वीकृत बांध एवं एनीकट

क्र.सं.	बांध का नाम	तहसील	विधान सभा क्षेत्र
1.	बांध मरम्मत खरंगपुरा जासोली	धौलपुर	धौलपुर
2.	बांध मरम्मत गहरा कराना गोलाकापुरा	बसेड़ी	बसेड़ी
3.	बांध निर्माण कार्य पूठपुरा	,,	बयाना
4.	शेखपुर बांध का शुद्धिकरण	राजाखेड़ा	राजाखेड़ा

क्र.सं.	एनीकट का नाम	तहसील	विधान सभा क्षेत्र
1.	गछेड़नाला एनीकट	बसेड़ी	बयाना
2.	गिदावली एनीकट	बसेड़ी	बयाना
3.	गठगोसाई चिलाचोंद एनीकट	,,	,,
4.	खरनाई नालागेलारी एनीकट	,,	,,
5.	थाने के पीछे बराई डांग एनीकट	,,	,,
6.	खुर्द सिघावली एनीकट	,,	,,
7.	खरेर नदी एनीकट	,,	,,
8.	गछेडनाला एनीकट	सरमथुरा	बाडी
9.	पुलिया वाला सागरपाडा एनीकट	धौलपुर	धौलपुर
10.	सिनोरा एनीकट	बसेड़ी	बयाना
11.	एनीकट निर्माण खडाडेवाला	बसेड़ी	बयाना
12.	नाला एनीकट गातावाला पिपरोन	बसेड़ी	बयाना

परिशिष्ट–"स"

राजाखेड़ा विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत बांध एवं एनीकट

क्र.सं.	बांध का नाम	तहसील	विधान सभा क्षेत्र
1.	दिहोली	राजाखेड़ा	राजाखेड़ा
2.	बाजना	"	"
3.	नेखरा	"	"
4.	धारापुरा	"	"
5.	शाहपुरा	"	"

क्र.सं.	एनीकट का नाम	तहसील	विधान सभा क्षेत्र
1.	हाडी विनतीपुरा	राजाखेड़ा	राजाखेड़ा
2.	नागर	"	"

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा शुद्धीकरण बांधों की स्वीकृति

क्र.सं.	बांध का नाम	तहसील	विधान सभा क्षेत्र
1.	शेखपुर बाध का शुद्धीकरण	राजाखेड़ा	राजाखेड़ा
2.	सरगपुर (जाटोली) टूटा बाघ का मरम्मत	"	"

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 304 का विवरण

District wise Statement of Road Accidents in the State during 1994, 1995 & 1996

S. No.	Name of District	1994			1995			1996		
		No. of Acci-dents	No. of persons killed	No. of persons injured	No. of Acci-dents	No. of persons killed	No. of persons injured	No. of Acci-dents	No. of persons killed	No. of persons injured
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Jaipur (C)	1628	254	1286	1728	267	1323	2311	338	1788
2.	Jaipur (R)	1472	423	1626	1910	437	1852	1911	563	2154
3.	Sikar	466	137	640	522	172	852	546	187	796
4.	Jhunjhunu	176	80	192	221	105	359	241	119	397
5.	Tonk	328	109	433	415	110	653	426	107	596
6.	Dausa	279	160	366	385	137	755	393	178	787
7.	Ajmer	953	265	1231	1148	335	1406	1350	373	1568
8.	Bhilwara	215	168	304	494	203	710	625	243	1093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	Nagaur	312	76	402	309	154	408	317	98	355
10.	GRP	160	0	0	202	0	0	177	0	0
11.	Bikaner	320	60	477	489	89	619	411	100	566
12.	Churu	200	69	259	230	80	264	301	96	546
13.	Ganganagar	450	192	530	354	149	291	442	177	472
14.	Hanumangarh	91	50	80	218	85	275	242	107	259
15.	Bharatpur	185	152	134	299	177	310	423	160	447
16.	Alwar	422	262	595	562	288	918	672	294	1041
17.	S. Madhopur	218	82	352	261	109	443	340	96	467
18.	Dholpur	130	53	164	197	70	204	194	105	206
19.	Udaipur	916	301	1082	987	264	1175	1159	299	1442
20.	Dungarpur	204	67	323	232	76	263	255	78	315
21.	Banswara	223	61	427	276	57	453	307	71	462
22.	Chittorgarh	468	126	616	515	160	731	602	178	1052
23.	Rajsamnd	431	142	546	475	156	558	537	168	766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Jodhpur	645	210	730	743	221	915	763	231	898
25.	Pali	583	157	819	659	226	927	702	291	1024
26.	Sirohi	321	83	619	457	166	834	589	148	763
27.	Jalore	233	63	292	261	73	333	312	94	530
28.	Barmer	223	44	219	295	93	372	313	111	482
29.	Jaisalmer	86	17	197	137	34	260	139	36	264
30.	Kota (C)	756	104	820	706	116	762	789	127	948
31.	Kota (R)	192	59	276	173	41	224	205	50	372
32.	Bundi	327	88	359	349	99	351	392	86	421
33.	Jhalawar	169	35	189	195	31	294	275	53	600
34.	Baran	134	39	179	209	85	418	218	58	326
Total :		13916	4188	16764	16613	4865	20512	18879	5420	24203

परिशिष्ट "ख"

सड़क दुर्घटनाओं में मारे गये अथवा घायल व्यक्तियों को दी गयी राशि की जिलेवार सूची

क्र. सं.	जिले का नाम	घायल/मृतक की संख्या	दी गयी राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4
1.	भीलवाड़ा	28	1.38
2.	अजमेर	65	7.20
3.	टोंक	39	1.95
4.	नागौर	38	2.35
5.	जयपुर	81	4.48
6.	बाड़मेर	37	3.75
7.	दौसा	101	17.78
8.	सवाई माधोपुर	25	1.25
9.	पाली	38	2.38
10.	झालावाड़	61	1.58
11.	डूंगरपुर	24	1.30
12.	धौलपुर	03	0.20
13.	झुन्झुनूं	10	0.55
14.	कोटा	43	3.60
15.	श्रीगंगानगर	04	0.20
16.	सिरोही	39	2.15
17.	अलवर	—	—
18.	बारां	03	0.16

1	2	3	4
19.	बांसवाड़ा	64	1.71
20.	बीकानेर	13	0.75
21.	हनुमानगढ़	08	0.40
22.	जालौर	44	2.04
23.	चूरू	162	5.34
24.	भरतपुर	09	0.57
25.	चित्तौड़गढ़	55	2.45
26.	सीकर	110	4.42
27.	जैसलमेर	09	0.75
28.	उदयपुर	122	3.90
29.	बून्दी	45	3.97
30.	जोधपुर	11	0.85
31.	राजसमन्द	159	7.05
	योग :	1450	86.65

परिशिष्ट—9

अतारांकित प्रश्न संख्या 306 की सूची

पंजीकृत क्लबों की सूची

क्र. सं. 1	नाम क्लब व पता 2	रजि. क्रमांक व दिनांक 3
1.	क्रेटियर फुटबाल क्लब, जयपुर, बी-218 फ्रंटियर कॉलोनी, जयपुर	140/26-9-74
2.	फ्रेण्ड्स रिक्रेशन क्लब, जयपुर चांदपोल बाजार, जयपुर	116/11-9-74
3	जय कपूर रिक्रेशन क्लब, गंगामाता के मंदिर के पास, गोपाल जी का रास्ता, जयपुर	279/27-3-74
4.	राज. इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एण्ड ऑफिसर्स क्लब, जयपुर, डी-105, देवी मार्ग, बनीपार्क, जयपुर	69/2-7-74
5.	यूथ रिक्रेशन क्लब, चौमू, मु. पो.-चौमू, जिला-जयपुर	12/20-4-75
6.	प्रीति क्लब, जयपुर, जयपुर	367/20-3-78
7.	जयपुर मोटर साईकिल क्लब, 2-युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	554/17-1-81
8.	डायमण्ड स्पोटींग क्लब डायमण्ड स्टेडियम, गणगौरी बाजार, चौगान, जयपुर	61/20-6-74
9.	मालवीय क्लब, जयपुर, 1-6/जे ब्लॉक गांधीनगर मार्ग जयपुर	174/10-12-73
10.	रामबाग गोल्फ क्लब, जयपुर, जयपुर	26/27-4-73
11.	पंजाब क्लब जयपुर 9-बी/डी आदर्श नगर, जयपुर	14/15-4-72
12.	अपोलो रिक्रियेशन क्लब, जयपुर रामगंज बाजार, जयपुर	168/15-1-71

1	2	3
13.	बिलियर्ड क्लब, जयपुर बरोज हाऊस, नेहरू बाजार, जयपुर	184/2-2-71
14.	नेशनल क्लब, जयपुर हल्दियों का रास्ता, जयपुर	102/7-10-70
15.	सर्वोदय क्लब, जयपुर 610, विद्याधर, का रास्ता, विश्वेश्वर जी का चौक, जयपुर	100/7-10-70
16.	बनीपार्क क्लब, जयपुर, शाह कस्तूरमल जी, शाह गार्डन, शिवमार्ग बनीपार्क, जयपुर	132/29-3-61
17.	श्री चित्रगुप्त, क्लब, जयपुर, पंचायती बगीची माथुर कायस्तान भिण्डों का रास्ता, जयपुर	104/23-3-61
18.	सिंघी मर्चेन्ट्स सर्विस एण्ड सोशियल क्लब, जयपुर	56/29-7-57
19.	जयपुर प्रेस क्लब, जयपुर, डी-44, शांतिपथ, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर	559/30-11-82
20.	जलमहल रिक्रिरेशन क्लब, जयपुर, जलमहल होटल, एम. आई. रोड, जयपुर	253/ 3-2-77
21.	विजय क्लब, जयपुर, 1316 अनाज मण्डी, रामगंज चौपड़, जयपुर	252/3-2-77
22.	नवयुवक गांधी क्लब, जयपुर, एफ-46 रमेश मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	243/21-1-70
23.	इण्डियन स्पोर्ट्स क्लब, जयपुर, नन्दभवन चांदपोल गेट के पास, जयपुर	238/12-1-70
24.	जैन रिक्रिरेशन क्लब, आमेर, 129, नियर ललाराम गार्ड्स आमेर	191/12-11-69

1	2	3
25.	मार्डन क्लब, जयपुर, 600, डी-149 ए जगदीश मार्ग, बनीपार्क, जयपुर	169/8-10-69
26.	रीगल क्लब, जयपुर, डेरावाल मेंशन राजापार्क, आदर्श नगर, जयपुर	133/जयपुर/10-9-69
27.	गैलार्ड क्लब, जयपुर, 302, चौकडी घाट दरवाजा, रामगंज बाजार, जयपुर	182/3-11-69
28.	वोल्या रिक्रियेशन क्लब, जयपुर, बक्शी भवन संजय ट्रेडर्स, न्यू कॉलोनी, जयपुर	110/7-8-69
29	आदर्श रिक्रियेशन क्लब, जयपुर एस-4, तिलक नगर, जयपुर	10/17-4-69
30.	जयपुर आर्ट्‌स फिल्म क्लब, जयपुर, के-4, केशव पथ, सी-स्कीम, जयपुर	2/2-4-68
31.	जयपुर रिक्रियेशन, क्लब, जयपुर, महादेव लांच, विष्णु मार्ग, जयपुर	158/7-10-72
32.	जयपुर पार्क हाउस क्लब, जयपुर, पार्क हाऊस रेडियो स्टेशन के सामने, जयपुर	5/14-4-69
33.	गांधीनगर क्लब, जयपुर, गांधीनगर, जयपुर	5/30-4-59
34.	जयपुर रोटरी क्लब, जयपुर, 17-गोपीनाथ गार्डन, न्यू कॉलोनी, जयपुर	124/10-11-77
35.	लेडीज क्लब, जयपुर, रामनिवास बाग जयपुर	164/23-11-73
36.	दि जय क्लब, जयपुर; महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	58/21-4-82

1	2	3
37.	राजस्थान स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इण्डिया जयपुर, महावीर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	441/31-3-79
38.	राजस्थान पोलो क्लब, जयपुर, भवानीसिंह रोड, जयपुर	165/24-7-79
39.	शक्ति गेम्स क्लब मैनेजमेंट सोसायटी 60, चांदबिहारी नगर, खातीपुरा, जयपुर	225/28-9-88
40.	काउन्टी क्रिकेट क्लब संस्था, जयपुर दशहरा रोड कोरनर, 1758, आमेर रोड, जयपुर	42/3-5-88
41.	राजस्थान म्यूनिसिपिल रिक्रियेशन क्लब, जयपुर, 29-नगरपरिषद् कॉलोनी राजामल का तालाब, जयपुर	303/3-11-89
42.	मालवीय नगर क्लब प्रबन्धकारिणी समिति जयपुर 4/89 मालवीय नगर, जयपुर	379/11-1-90
43.	राज. मेमोरियल क्लब संस्था, जयपुर 85-सवाई मानसिंह रोड, जयपुर	37/23-6-90
44.	सैक्रेटेरियट क्रिकेट क्लब 18-अलंकार, दुर्गा मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर	66/3-6-93
45.	पी. एच. ई डी. स्पोर्ट्स क्लब पानी पेच, झोटवाड़ा रोड, जयपुर	283/7-12-93

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 309 की सूचना

क्र. सं.	नाम थाना	1–4–93 से 31–3–94			1–4–94 से 31–3–95			1–4–95 से 31–3–96			
		दर्ज रिपोर्ट की सं.	चालान	अंतिम रिपोर्ट की सं.	दर्ज रिपोर्ट की सं.	चालान	अंतिम रिपोर्ट की सं.	दर्ज रिपोर्ट की सं	चालान	अंतिम रिपोर्ट की सं.	अनुसंधानाधीन की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कोतवाली, भरतपुर	5	3	2	7	3	4	3	—	3	—
2.	मथुरा गेट	27	10	17	14	5	9	13	5	8	—
3.	उद्योग नगर	9	2	7	5	—	5	9	3	6	—
4.	अटलबन्द	4	1	3	3	2	1	1	—	1	—
5.	चिकसाना	9	4	5	17	7	10	14	2	11	4
6.	कुम्हेर	29	11	18	34	7	27	23	6	17	—
7.	सेवर	19	11	8	29	8	21	25	2	23	—
8.	नदबई	23	7	16	31	15	16	30	9	21	—
9.	डीग	39	11	28	32	14	18	33	15	17	1
10.	सीकरी	9	5	4	17	11	6	8	4	4	—

195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	नगर	12	2	10	15	4	11	15	5	8	2
12.	कांमा	10	2	8	7	6	1	7	4	3	—
13.	जुरहरा	3	1	2	6	5	1	7	5	2	—
14.	पहाड़ी	3	1	2	2	1	1	8	5	3	—
15.	गोपालगढ़	3	2	1	2	2	—	3	1	2	—
16.	बयाना	31	13	18	10	5	5	11	3	8	—
17.	बेर	10	6	4	6	2	4	5	2	3	—
18.	मुसावर	18	10	8	9	5	4	7	2	5	—
19.	उच्चैन	6	3	3	5	3	2	9	4	5	—
20.	गढी बाजना	15	7	8	5	2	3	5	3	2	—
21.	हलैना	—	6	4	9	3	6	5	—	5	—
22.	रूपवास	20	9	11	12	7	5	16	4	12	—
	कुल योग :—	314	127	187	277	117	160	257	84	169	4

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 311 की प्रति

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 32/93 दिनांक 11-2-93 धारा 279, 337 थाना क्रिश्चनगंज जिला अजमेर नाम मुस्तगीस श्री देवेन्द्र कुमार पाठक वैशाली नगर अजमेर

सेवामें,

श्रीमान् थाना प्रभारी थाना क्रिश्चनगंज अजमेर। महोदय निवेदन है कि सवा 6 बजे मेरे घर निवास स्थान 4 क 10, वैशाली नगर अजमेर पर ही था। मेरी माताजी एवं छोटे भाई की पत्नी बाजार जाने के लिए घर से निकले थे। मेरे छोटे भाई की पत्नी ने मुझे आकर बताया कि मैं और मम्मी घर से निकल कर श्री कोठारी के मकान पहुंचे ही थे कि पिछे से अचानक एक तेज लहराती हुई जिप्सी नम्बर आर. जे.–10–203 सफेद रंग की आयी और मम्मी के पीछे से टक्कर मारी जिससे मम्मी नीचे गिर गयी। मम्मी के सिर में पिछे से रक्त निकलने लग गया। मम्मी मौके पर ही बेहोश हो गयी, मैं चिल्लाई तो पास-पड़ौस वाले भी इकट्ठे हो गये जिप्सी को रोकने की कोशिश की मगर वह नहीं रुका और तेज भगाकर ले गया। फिर मैं अपनी मम्मी को इलाज के लिए ज. ला. ने अस्पताल आया हूं। मैं रिपोर्ट करता हूं कि कानूनी कार्यवाही की जावें। भवदीय एसडी. देवेन्द्र कुमार पाठक (देवेन्द्र कुमार पाठक) 4 क 10, वैशाली नगर अजमेर (राज.) कार्यवाही पुलिस प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र कुमार पाठक पुत्र श्री विन्द्र कुमार पाठक जाति–ब्राह्मण उम्र 32 साल निवासी म. नं. 4 क 10, वैशाली नगर अजमेर लिखी प्रार्थना पत्र मुझ ए. एस. आई. को जे. एल. एन. एच. अजमेर पर पेश किया। मजमून रिपोर्ट से मामला जुर्म धारा 279, 337 आई. पी. सी. का वकू में पाया जाता, अतः रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म व दस्त कायमी जुर्म एफ. सी. नं. 422 भगतराज के थाने पर भिजवाई जाती है। मन एएसआई अनुसंधान में मसरूफ होता हूं एस. डी. देवेन्द्र कुमार पाठक पु. एस. डी. घोकलसिंह एएसआई आई/ओ पी. एस. क्रिश्चनगंज केम्प जे. एल. व एस. एच. अजमेर 11–2–92 समय 7 पीएम।

कार्यवाही पुलिस

उपरोक्त तहरीर रिपोर्ट कार्यवाही पुलिस श्री घोकलसिंह द्वारा लिखित भेजी हुई कानि. 422 श्री भगतराज थाना हाजा पर उपस्थित होकर पेश की जिसकी नकल प्रथम सूचना रजिस्टर में अक्षर स अक्षर की गयी मजमून रिपोर्ट से मामला अपराध धारा 279, 337 ता. हि. का घटित होना पाया जाता है। अतः मु. न. 32/93 धारा उपरोक्त में कायम कर असल एफ आई आर. व दस्त कानि. 422 के घोकलसिंह के पास भेजी जाती है। प्रतियां एफ.आई.आर. नियमानुसार जारी की गई।

एस. डी.
थानाधिकारी,
पुलिस थाना क्रिश्चनगंज
अजमेर राजस्थान
दिनांक 11-2-93, समय 7.15 पी.एम.

हस्ताक्षर :– भगतराज

परिशिष्ट–12

अतारांकित प्रश्न संख्या 312 की सूची

क्र. सं.	शीर्षक	वर्ष	मकराना थाना में दर्ज अभियोग	परबतसर थाना में दर्ज अभियोग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	डकैती	1994	1	1	
		1995	—	—	
		1996	—	—	
2.	कत्ल	1994	3	—	
		1995	3	1	
		1996	5	4	
3.	लूट	1994	1	1	
		1995	—	2	
		1996	4	—	
4.	नकबजनी	1994	15	4	
		1995	20	7	
		1996	25	7	
5.	पशुचोरी	1994	2	—	
		1995	1	1	
		1996	2	1	
6.	अन्य चोरी	1994	23	19	
		1995	33	21	
		1996	49	9	
7.	धोखा	1994	19	12	
		1995	16	5	
		1996	11	2	

1	2	3	4	5	6
8.	गबन	1994	1	—	
		1995	2	—	
		1996	2	—	
9.	बलवा	1994	12	26	
		1995	38	13	
		1996	25	3	
10.	गम्भीर चोट	1994	—	—	
		1995	2	3	
		1996	4	5	
11.	गम्भीर क्षति	1994	3	—	
		1995	1	1	
		1996	—	2	
12.	जालीनोट	1994	—	—	
		1995	3	—	
		1996	—	—	
13.	जहरखुरानी	1994	—	—	
		1995	1	—	
		1996	—	—	
14.	चोरी का माल लेना	1994	—	—	
		1995	—	—	
		1996	1	—	
15.	पुलिस हिरासत से फरार	1994	—	—	
		1995	—	—	
		1996	1	—	
16.	सरकारी कर्मचारी पर हमला	1994	8	8	
		1995	6	2	
		1996	4	1	

1	2	3	4	5	6
17.	अपहरण	1994	4	—	
		1995	3	3	
		1996	3	1	
18.	बलात्कार	1994	3	—	
		1995	3	—	
		1996	2	2	
19.	छेड़खानी	1994	6	—	
		1995	7	2	
		1996	3	—	
20.	एक्सीडेन्ट	1994	24	29	
		1995	25	30	
		1996	20	30	
21.	अन्य मादस	1994	131	95	
		1995	194	86	
		1996	225	107	
22.	योग मादस	1994	256	191	
		1995	358	177	
		1996	386	174	
23.	योग एक्ट्स	1994	56	27	
		1995	37	13	
		1996	27	16	
	कुल योग :	1994	312	218	
		1995	395	190	
		996	413	190	

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 322 की सूची

सवाई मानसिंह चिकित्सालय में स्थित विभिन्न विभागों में उपलब्ध प्रोफेसर्स, यूनिट्स, शैयाओं, भर्ती मरीजों एवं आउटडोर मरीजों की तालिका (वर्ष 1996–97)

क्र. सं.	विभाग	स्वीकृत प्रोफेसर के पद	यूनिट संख्या	शैयाओं की संख्या	इन्डोर मरीजों की संख्या	आउटडोर मरीजों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	जनरल मेडीसिन	8	8	218	8179	83167
2.	नेफ्रोलोजी	2	2	40	1660	1973
3.	न्यूरोलोजी	1	2	36	4745	13283
4.	कार्डियोलोजी	1	2	50	4015	8985
5.	गेस्ट्रोएन्ट्रोलोजी	1	2	24	2190	4698
6.	स्कीन एण्ड वी.डी.	3	2	14	452	81635
7.	जनरल सर्जरी	3	6	190	5815	50959
8.	आर्थोपेडिक्स	3	4	80	10950	68125
9.	ई. एन. टी.	2	2	40	5470	75068
10.	ऑपथलमोलोजी	3	3	101	4368	72795
11.	प्लास्टिक सर्जरी	1	2	45	2555	2979
12.	न्यूरो सर्जरी	2	2	84	8606	12287
13.	कार्डियोथोरेसिक सर्जरी	2	2	44	2168	2580
14.	यूरोलोजी	2	2	55	3713	27295
15.	रेडियोथेरापी	1	1	38	1825	15801
16.	दन्त	5	1	4	33	38369
17.	परिवार कल्याण	—	1	7	42	10503

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 323 का विवरण

वाहन संख्या आर. एन. एक्स. 2534

क्र. सं.	वर्ष	व्यय राशि		
		पैट्रोल	मरम्मत	कुल
1	2	3	4	5
1.	1987	3,857/-	10,120/-	13,977/-
2.	1988	1,821/-	95/-	1,916/-
3.	1989	—	205/-	205/-
4.	1990	3,894/-	50/-	3,944/-
5.	1991	—	—	—
6.	1992	177/-	—	177/-
7.	1993	5,208/-	945/-	6,153/-
8.	1994	6,225/-	852/-	7,077/-
9.	1995	6,209/-	300/-	6,509/-
10.	1996	3,671/-	—	3,671/-
11.	1997	1,840/-	—	1,840/-

परिशिष्ट—15

अतारांकित प्रश्न संख्या 330 का विवरण

परिशिष्ट "क"

पुलों पर ठेके पर टोल टैक्स की वसूली का विवरण

क्रमांक	सड़क का नाम	नदी का नाम	पुल
1.	बांसवाड़ा दाहोद सड़क	बोरवट	1
2.	बांसवाड़ा रतलाम सड़क	माही	1
3.	गढ़ो-आनन्दपुरी सड़क	अनास	1
4.	डूंगरपुर बांसवाड़ा सड़क	माही	1
5.	कोर की चौकी, मीण्डर सलूम्बर सड़क	गोमती	1
6.	जयपुर बूंदी देवली कोटा झालावाड़ जबलपुर मार्ग (रा. उ. मार्ग-12)	1. चम्बल नदी 2. चन्द्रभागा नदी	2
7.	कोटा बारां शाहबाद शिवपुरी मार्ग (एस. एच.-17)	आलनिया नदी	1
8.	दौसा सवाईमाधोपुर मार्ग (राजमार्ग-29)	बनास नदी	1
9.	रा. उ. मार्ग संख्या-3 किमी. 59	चम्बल नदी	1
10.	आगरा जयपुर सड़क (रा. उ. मार्ग-11)	बाणगंगा नदी	1
11.	सागर सैंथल मार्ग (रा. उ. मार्ग-11 ए)	बाणगंगा नदी	1
12.	रा. उ. मार्ग-12 किमी-89	बनास नदी	1
13.	धौलपुर भरतपुर (एस. एच.-23) किमी-17	पार्वती नदी	1
14.	धौलपुर बाड़ी सरमथपुरा करौली मार्ग (एस. एच. 2) किमी-66	खारेल नदी	1
15.	सिकन्दरा बांदीकुई, रा. रा. मार्ग-25	बाणगंगा नदी	1
16.	खेड़ली पथैना सड़क	बाणगंगा नदी	1
17.	सिरोही माउण्ट आबू सड़क	बनास नदी	1
18.	सिरोही भण्डार सड़क (किमी. 244)	करौती नदी	1
19.	अलवर बहरोड नारनोल सड़क, किमी-151/0 रा. उ. मार्ग-14	सावी नदी	1
	योग	14 नदी	20 पुल

परिशिष्ट—16

अतारांकित प्रश्न संख्या 333 का विवरण

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	परियोजना का नाम	जिले का नाम	स्वीकृति राशि (लाखों में)
1	2	3	4
1.	जानीवास	उदयपुर	43.83
2.	सावन क्यारा	"	59.49
3.	बास मादडा	"	117.60
4.	जवली का नाका	"	62.72
5.	गोपामाता	"	31.53
1.	भूतपाडा	बांसवाड़ा	40.00
2.	चरखनी	"	5.00
3.	हिम्मतगढी	"	5.00
4.	बोरीवान घाटी	"	—
1.	काकर सैल का नाका	डूंगरपुर	152.78
2.	मेवाड़ा परियोजना	"	441.00
3.	मनपुर योजना	"	51.23
1.	सोमी परियोजना	चित्तौडगड़	154.15
2.	साकल खेडा	"	254.63
3.	भडकिया	"	41.00
4.	भवर सेमला	"	1125.02
5.	पाडलिया	"	168.05

1	2	3	4
1.	पिथा का मण्ड	भीलवाड़ा	59.87
2.	जूड का नाला	"	154.15
3.	सरसिया	"	16.26
4.	झालरा	"	14.81
5.	बेई गेसूला	"	18.77
6.	मोतीपुरा	"	105.40

परिशिष्ट "ब"

क्र. सं.	जिला	परियोजना का नाम	कुल स्वीकृत राशि (लाखों में)
1.	भीलवाड़ा	मेजा आधुनिकीकरण	854.36
2.	चित्तौडगढ़	गम्भीरी आधुनिकीकरण	1061.33
3.	उदयपुर	जयसमन्द	1240.00

परिशिष्ट—17

अतारांकित प्रश्न संख्या 336 की जाँच प्रति

कार्यालय अतिरिक्त कलक्टर, बिसलपुर पुनर्वास, देवली, टोंक

क्रमांक—9669 दिनांक 23-10-96

संभागीय आयुक्त महोदय,
अजमेर

विषय :— भूमि का षडयंत्र पूर्वक मुआवजा देने के क्रम में।

संदर्भ :— आपका पत्रांक एफ 6 (सा०/बिसलपुर/13660
दिनांक 9-9-96

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थिया के आवेदन पत्र दिनांक 19-8-96 के सम्बन्ध में भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय की पत्रावली संख्या 641/91, 642/91, 2/93 एवं 3/93 ग्राम रावता का अवलोकन किया गया। इन पत्रावलियों में से पत्रावली संख्या 641/91 एवं 642/91 का अवार्ड वर्ष 1992 में ही जारी किया जा चुका है। अवार्ड जारी कर भुगतान खातेदारों को किया जा चुका है। पत्रावली संख्या 2/93 एवं 3/93 दोनों में ही अभी तक भुगतान की कार्यवाही नहीं हुई है। पत्रावली संख्या 2/93 ग्राम रावता में एक सह खातेदार बदामी के फोत हो जाने के कारण भुगतान नहीं किया गया है एवं पत्रावली 3/93 में अभी तक अवार्ड जारी नहीं किया गया है। अवार्ड जारी नहीं करने के कारण भूमि अवाप्ति सम्बन्धी कार्यवाही स्वतः निरस्त हो गयी है। क्योंकि इसमें 2 वर्ष की अवधि धारा 6 के बाद समाप्त हो चुकी है।

पत्रावली संख्या 641/91 में कुल 11 खसरा नम्बर रकबा 1.05 हैक्टेयर का अधिग्रहण किया गया है। यह भूमि कल्याण, बजरंगा, जगदीश, नन्दा, रामनारायण, रामनाथ पुत्र बाली राजी, कमला पुत्रियां व मुसम्मान सणगारी बेवा मांग्या हिस्सा 2/3 का मुआवजा भुगतान 48663/- रुपये का किया गया है। यह मुआवजा समस्त हित धारियों को दिया गया है।

उपरोक्त के अवलोकन से इसमें किसी प्रकार की कोई गलती प्रतीत नहीं होती।

पत्रावली संख्या 642/91 खसरा नम्बर 457 ग्राम रावता गैर मुमकिन चाह से सम्बधित है इसका अवार्ड 17-8-92 को जारी किया है। इन अवार्ड में कल्याण, बजरंगा, जगदीश, नन्दा, नारायण, रामनाथ पुत्र बाली, राजी, कमला पुत्रियां व सणगारी बेवा मांग्या का हिस्सा 1/9 दर्ज था। इस हिस्से का मुआवजा रुपये 19424/- मुख्तारनामें के आधार पर श्री हरनाथ को वर्ष 1992 में किया गया।

मुख्तारनामा समस्त सह खातेदारों द्वारा निष्पादित है तथा इस मुख्तारनामें के निष्पादन को प्रार्थियों ने भी स्वीकार किया है। अतः इस पत्रावली में भी मुआवजा मुगतान में किसी प्रकार की कोई गलती एवं अवैधानिक कार्यवाही प्रतीत नहीं होती।

भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय द्वारा उपरोक्त दो पत्रावलियों में ही अभी तक मुगतान किया गया है। शेष दोनों पत्रावलियों में अभी मुआवजा मुगतान की कार्यवाही शेष है। इस मामले में प्रार्थियों द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट भी धारा 156 (3) के सी. आर. पी. सी. के अन्तर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से पुलिस थाने में दर्ज करवायी है। इस मामले में रिकार्ड देखने से किसी प्रकार की कोई अवैधानिक कार्यवाही किया जाना प्रतीत नहीं होता न ही ऐसा प्रतीत होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय के द्वारा किसी प्रकार की मिली भगत या जालसाजी हित धारियों के साथ की गयी है।

प्रार्थियों को व्यक्तिगत रूप से भी निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता ने आज दिनांक 23-10-96 को सुना है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थियों व उसके भाईयों में कुछ अविश्वास तथा पारिवारिक विवाद है। इसी कारण से मुआवजा उठाने की बात को लेकर के एक दूसरे से सहमत नहीं हैं। मुस्म्मान सणगारी के पति श्री मांगीलाल कहार ने 2 विवाह किये थे। श्री मांगीलाल की दोनों पत्नियों से अलग-अलग बच्चे हैं तथा उनमें पारिवारिक सम्पत्ति को लेकर विवाद है। श्री मांगीलाल की जो पत्नी जीवित है उसका नाम भी पहले वाली पत्नि के नाम के ऊपर ही रख दिया गया है जिससे यह सारा भ्रम पैदा हुआ है। निम्न. हस्ताक्षरकर्ता ने भूमि अवाप्ति अधिकारी के कार्यालय द्वारा जो मुगतान किये गये हैं उन दोनों पत्रावलियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया है। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती या अनियमितता प्रथम दृष्ट्या प्रतीत नहीं होती है। प्रार्थियों को यह समझाइश कर दी गयी है कि शेष दोनों पत्रावलियों में मुआवजा मुगतान उनकी स्वयं की सहमति से उनको स्वयं को ही किया जाएगा तथा जो मुआवजा मुगतान वर्ष 1992 में किया गया है वह भी नियमानुसार है।

ह०/–

अतिरिक्त कलक्टर,
बीसलपुर पुनर्वास,
देवली (टोंक)

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–18

अतारांकित प्रश्न संख्या 338 की सूची

हाड़ौती क्षेत्र में नदी बेसिनवार, सिंचाई परियोजनाओं की संख्या का विवरण

क्र. सं.	बेसिन का नाम	पूर्ण सिंचाई परियोजनाएं			योजनाएं जिन पर कार्य प्रगति पर हैं			मास्टर प्लान के अनुसार प्रस्तावित परियोजनाएं		
		वृहद	मध्यम	लघु	वृहद	मध्यम	लघु	वृहद	मध्यम	लघु
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अ.	चम्बल कोटा बैराज के ऊपर	3	—	6	—	—	—	—	—	8
ब.	चम्बल कोटा बैराज के नीचे	—	—	1	—	—	—	—	—	—
1.	आलनिया सब बेसिन	—	1	2	—	—	1	—	—	7
2.	कालीसिंध सब बेसिन	—	—	24	—	3	10	3	11	102
3.	परवन सब बेसिन	—	—	—	—	3	2	2	4	102
4.	मेज सब बेसिन	—	2	28	1	—	21	—	2	97
5.	चाकन सब बेसिन	—	2	—	—	—	2	—	1	14
6.	पार्वती सब बेसिन	—	3	22	—	1	2	1	7	34
7.	कुनु सब बेसिन	—	—	—	—	—	—	—	1	18
	योग :—	3	8	83	1	7	38	6	26	342

उपरोक्त [illegible] में केवल हाड़ौती क्षेत्र में अवस्थित परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है। हाड़ौती क्षेत्र में व्यर्थ जाने वाले के [illegible] योग [illegible] क्षेत्रों में प्रस्तावित परियोजनाएं सम्मिलित नहीं हैं।